सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, बून्दी

District Disaster Management Plan

(DDMP)

BUNDI

वर्ष (2017—18)

जिला प्रशासन

व

आपदा प्रबन्धन केन्द्र,

ह.च.मा. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वसुन्धरा राजे

मुख्यमंत्री राजस्थान

–:: संदेश ::–

जलवायु परिवर्तन और बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण सम्पूर्ण विश्व में आकस्मिक आपदाओं में वृद्धि हुई है। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित धन–जन हानि के साथ विकास प्रक्रिया को भी पीछे धकेल देती है। चाहे मानव और पशुओं के जीवन की हानि हो या सम्पति का नुकसान, आकस्मिक आपदाओं से समाज स्तबध रह जाता है।

आपदाओं के नुकसान को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक व्यवहारिक और लचीली योजनाएं बनाई जाएं ताकि हालात के अनुरूप उनमें परिवर्तन किया जा सके और समय पर सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं जा सकें। आपदाओं के कुशल और समन्वित प्रबन्ध के लिए ऐसा विकसित और प्रभावी तंत्र बनाया जाना चाहिए जिससे तुरन्त राहत मिले और कम से कम नुकसान हो। समन्वित आपदा प्रबन्धन योजना से मतलब है कम जोखिम और सभी स्तरों पर सबकी जिम्मेदारी निर्धारित करना।

यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि राज्य में आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग ने राज्य आपदा प्रबन्धन योजना तैयार कर ली है। इस योजना से आपदा के सम्भावित खतरों की जानकारी, उससे बचाव की रूपरेखा और आपदाओं को रोकने के दूरगामी उपायों के साथ–साथ आपदाओं के घटित हो जाने पर आकस्मिक सहायता, क्षमता संवर्धन, पुनर्वास कार्यक्रमों, सामान्य वातावरण की बहाली और पुनः निर्माण कार्यो का विवरण दिया गया है। अन्य विभाग भी इसी प्रकार अपने निर्धारित विभागीय दायित्वों के निर्वहन के लिए अपनी योजनाएं शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे एसी उम्मीद है।

यह योजना व्यवहारिक उपायों और जनभागीदारी के मजबूत इरादों के साथ राजस्थान को भयमुक्त, आपदा मुक्त एवं असुरक्षा की भावना से मुक्त राज्य बनाने में सक्षम सिद्ध होगी और राजस्थान आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध होगा इसी आशा के साथ।

(वसुन्धरा राजे)

शिवांगी स्वर्णकार, IAS

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

–:: संदेश ::–

आपदाओं को रोकने या आपदा की स्थिति मे उसका बेहतर तरीके से मुकाबला करने के लिए आपदा प्रबन्धन योजना एक संस्थागत प्रकिया उपलब्ध कराती है। आपदा की स्थिति मे तुरन्त बचाव एवं राहत अभियान अत्यन्त आवश्यक है, हालांकि बेहतर तैयारी एवं शमन उपायो से आपदा से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

वास्तव मे यह पहले देखा जा चुका है कि जब भी बेहतर तैयारी से सम्बन्धित उपयो पर ध्यान दिया गया है, वहॉ आपदाओ से जान–माल का नुकसान काफी हद तक कम हुआ है। आपदा प्रबन्धन योजना, जिला प्रशासन और अन्य सहभागियो के लिए दिशा निर्देश का कार्य करती है, जिससे किसी आपदा की स्थिति मे बेहतर समन्वय कार्य योजना और क्रियान्वयन किया जा सकें।

आपातस्थिति का मुकाबला सरकार के सबसे निचले स्तर पर तत्कालिक रूप से किया जाना चाहिए, जिला आपदा प्रबन्धन योजना का मूल उद्देश्य एक संस्थागत तकनीकी और कानूनी ढ़ाचा तैयार करना है जिससे पर्यावारण नियामक और अनुपालन व्यवस्था बनाई जा सकें।

मै, जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने के सफल प्रयास की प्रशंसा करती हूँ तथा कामना करती हूँ कि सभी विभागो के आपसी सहयोग से बेहतर योजना के माध्यम से जिले को आपदा प्रतिरोधी बनाया जा सकें।

(शिवांगी स्वर्णकार)

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय—1	**प्रस्तावना**	**7—9**
1.1	विकास और आपदा	
1.2	बहु—आपदा अनुक्रिया योजना	
1.3	जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य	
1.4	नीति गत कथन	
अध्याय — 2	**बून्दी—एक संक्षिप्त परिचय**	**10—18**
2.1	भौगोलिक स्थिति	
2.2	प्रशासनिक संरचना	
2.3	भौतिक स्वरूप	
2.4	आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति	
2.5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां	
अध्याय — 3	**आपदा सुभेद्यता एएं जोखिम विश्लेषण**	**19—41**
3.1	प्राकृतिक आपदाएँ	
3.2	मानव निर्मित आपदाएँ	
अध्याय — 4	**रोकथाम एवं शमन**	**42—63**
अध्याय — 5	**आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना**	**64—69**
अध्याय — 6	**जिले में सम्भावित आपदाएँ व तैयारी**	**70—117**
6.1	सूखा	
6.2	बाढ़	
6.3	दुर्घटना	
6.4	आग	
6.5	भूकम्प	
6..6	साम्प्रदायिक तनाव	
6.7	ओलावृष्टि	
6.8	बांध टूटना	
6.9	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ	
6.10	ताप (लू) व शीतघात	
अध्याय — 7	**क्षमता वर्धन**	**118—127**
7.1	प्रशिक्षण	
7.2	ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर	
7.3	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण	
7.4	विभिन्न विभागो द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	
7.5	मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभयास	

7.6	जन जाग्रति	
7.7	पाठ्यक्रम मे आपदा का समावेश	
7.8	विभिन्न इन्फॉमेंशन,एजूकेशन एण्ड कम्युनिकेशन प्रणालियॉ एवं उपकरण	
7.9	आपदा सम्बंधित उपकरणो की उपलब्धता	
अध्याय – 8	**राहत एवं प्रत्याक्रमण**	**128–138**
अध्याय – 9	**समुत्थान एवं पुनर्निमाण**	**139–143**
अध्याय – 10	**योजना की समीक्षा व आधुनीकरण**	**145–148**
अध्याय – 11	**समन्वयन और कियान्वयन**	**149–151**
अध्याय – 12	**उपसंहार**	**152**

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट नं. 1	UNISDR टर्मिनेलॉजि ऑन डिजस्टर रिस्क रिडक्शन
परिशिष्ट नं. 2	दूरभाष नम्बरों की सूची
परिशिष्ट नं. 3	जिले में उपलब्ध वायरलेस संचार व्यवस्था
परिशिष्ट नं. 4.	चिकित्सालयों की सूची/निजी चिकित्सालयों की सूची
परिशिष्ट नं. 5.	चिकित्सकों की सूची
परिशिष्ट नं. 6.	मेडिकल स्टोर्स की सूची
परिशिष्ट नं. 7.	चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों की सूची
परिशिष्ट नं. 8.	चल चिकित्सालयों की सूची
परिशिष्ट नं. 9.	108 एम्बूलेन्स
परिशिष्ट नं. 10.	104 एम्बूलेन्स की सूचि
परिशिष्ट नं. 11.	बेस एम्बूलेन्स
परिशिष्ट नं. 12	आश्रय स्थलों की सूची
परिशिष्ट नं. 13.	राजकीय विधालयो की सूचि
परिशिष्ट नं. 14.	विवाह स्थलों की सूची
परिशिष्ट नं. 15.	सामुदायिक भवनों की सूची
परिशिष्ट नं. 16.	होटलों की सूची
परिशिष्ट नं. 17.	विश्राम स्थलों की सूची
परिशिष्ट नं. 18.	पशुओं को रखने के लिए गोशालाओं की सूची
परिशिष्ट नं. 19.	जिले में चारा डिपो की स्वीकृति की सूची
परिशिष्ट नं. 20.	जिले में उपलब्ध नावों की सूची
परिशिष्ट नं. 21.	नाव चालको की सूचि

परिशिष्ट नं. 22.	होमगार्ड स्वय सेवक तैराको की सूचि
परिशिष्ट नं. 22.	होमगार्ड स्वय सेवक तैराको की सूचि
परिशिष्ट नं. 23	स्थानीय गौताखोर /तैराको की सूचि
परिशिष्ट नं. 24.	ड्रेन व बांधों की सूची
परिशिष्ट नं. 25.	मुख्य नहरे व उनके भराव क्षमता की सूची
परिशिष्ट नं. 26.	पेट्रोल पम्पों की सूची
परिशिष्ट नं. 27.	छविगृहों की सूची
परिशिष्ट नं. 28.	गैस एजेन्सियों तथा गोदामों की सूची
परिशिष्ट नं. 29.	भूकम्प के दौरान उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची
परिशिष्ट नं. 30.	आग से निपटने हेतु उपलब्ध साधन व उपकरण
परिशिष्ट नं. 31.	क्रेन, जेसीबी, गैंस कटरस, इत्यादि उपकरणों की सूची
परिशिष्ट नं. 32.	आपदा प्रबन्धन केन्द कलेक्ट्रेट बून्दी में उपलब्ध राहत सामग्री
परिशिष्ट नं. 33.	राजकीय एवं गैर सरकारी वाहनों की सूची
परिशिष्ट नं. 34.	पुलिस विभाग के पास उपलब्ध उपकरणों व वाहनों की सूची
परिशिष्ट नं. 35.	पावर स्टेशनों की सूची
परिशिष्ट नं. 36.	11 केवी फिडर की सूचि
परिशिष्ट नं. 37.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भण्डारण
परिशिष्ट नं. 38.	स्वयं सेवी संस्थाओं की सूची
परिशिष्ट नं. 39.	टैंट हाउसों की सूची
परिशिष्ट नं. 40.	रेल्वे फाटको से सम्बंधित दूरभाष नम्बर
परिशिष्ट नं. 41.	जे.सी.बी. मशीनस की सूचि
परिशिष्ट नं. 42.	राहत सामग्री की सूचि

अध्याय—1

प्रस्तावना

1.1 विकास और आपदा

इतिहास की शुरूआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदाएं उसके नियत्रण में नहीं हैं वरन् प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़, भूकम्प सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पतियां भी नष्ट हो जाती है। 1999 में उड़ीसा मे आये तूफान तथा 2001 में गुजरात का भूकम्प,वर्ष 2015 में नेपाल का भूकम्प एवं चेन्नई की बाढ़ विनाश के ताजे उदाहरण है।

1.2 बहु—आपदा अनुक्रिया योजना

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्यागिक व रासायनिक दुर्घटनाएं, आगजनी, सड़क दुर्घटनाएं, रेल व वायुयान दुर्घटनाएं इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। पिछले 65 वर्षों (1950—2015) में मात्रा 13 वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 51 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965—69, 1979—82, 1984—87, 1991—92 व 1999—2002, में रहा। पिछले दो दशकों में मात्र 1983—84, 1992—93, 1995—96 व 1997—98,2003—05 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी—कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएं हैं जो विस्तृत क्षेत्रो में जन, धन एव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति तथा कार्य योजना की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

1.3जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य

जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनाने के उद्देश्य निम्न हैं :–

(1) जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना ।

(2) जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।

(3) आपदा न्यूनीकरण (Minimisation) के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।

(4) जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।

(5) आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।

(6) राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति–आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

(क) प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।

(ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standarisation) करना।

(घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।

(ड़) स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।

(च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।

(छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

1.4 नीति गत कथन

गुजरात के भुज क्षेत्र में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जूझना पड़ा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी 2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने पिछले सालों की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुणकरणसर में बाढ़, जयपुर मे पेट्रोल डिपो में आग तथा पिछले तीन सालों के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबंधन योजना मे प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

अध्याय – 2

बून्दी – एक संक्षिप्त परिचय

2.1 भौगोलिक स्थिति

बून्दी जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्व में एक अनियमित समलम्ब चतुर्भुज आकार लिये हुये 24°54'से 25°53' उत्तरी अक्षांश तथा 75°19' से 76°19' तक पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसकी लम्बाई पूर्व से पश्चिम तक 111 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 104 किलोमीटर है। जिले के उत्तर में टोंक, सवाई माधोपुर, दक्षिण–पश्चिम में चित्तौडगढ़ और पश्चिम में भीलवाड़ा तथा दक्षिण–पूर्व में कोटा जिला है। इस क्षेत्र की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसके उत्तर–पूर्व और दक्षिण– पश्चिम दिशाओं में दो पर्वत श्रेणियां फैली हुई है। यह क्षेत्र मुख्यतः विन्ध्याचलीय चट्टानों से बना है तथा पहाड़िया व पर्वत मालाएं इसकी विशेषता है। जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 1793 फिट तक की है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हिण्डोली तहसील में सथूर में है। जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1793 फिट है। जिले का उत्तरी– पश्चिम भू भाग अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र है। यहां की भूमि कठोर और पथरीली है, परंतु दक्षिणी–पूर्वी मैदानी भागों में सामान्यतया उपजाऊ काली मिट्ठी पाई जाती है।

जिले में पांच मुख्य नदियां चम्बल, मेज, मांगली, तालेड़ा एवं घोड़पछाड़ तथा लगभग 43 तालाब हैं। जिनमें फूलसागर, दुगारी झील, हिण्डोली का तालाब, नैनवां का तालाब, तलवास का तालाब, जैतसागर एवं नवलसागर प्रमुख हैं।

2.2 प्रशासनिक संरचना

बून्दी जिला निम्न लिखित 6 उपखण्डों एवं 6 तहसीलों में विभाजित है :–

उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या	जनसंख्या (2011)
बून्दी	बून्दी	166	413605
तालेड़ा	तालेड़ा	106	
के.पाटन	के.पाटन	122	154415
लाखेरी	इन्द्रगढ़	121	127881
नैनवां	नैनवां	190	196121
हिण्डोली	हिण्डोली	186	221703
योग (6)	**(6)**	**891**	**1113725**

जिले में एक जिला परिषद, 5 पंचायत समितियां, 183 ग्राम पंचायतें एवं 6 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :—

जिला परिषद का मुख्यालय बून्दी स्थित है। जिला परिषद में 23 सदस्य हैं एवं इसके अध्यक्ष जिला प्रमुख हैं:—

पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का विवरणः—

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	बून्दी	30
2.	तालेड़ा	32
3.	हिण्डोली	42
4.	के.पाटन	46
5.	नैनवां	33

शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

क्र.सं.	स्थानीय निकाय	शहर/कस्बा
1.	नगर परिषद्	बून्दी
2.	नगर पालिका	के.पाटन
3.	नगर पालिका	कापरेन
4.	नगर पालिका	लाखेरी
5.	नगर पालिका	इन्द्रगढ़
6.	नगर पालिका	नैनवां

जिले में 3 विधान सभा क्षेत्र — बून्दी, हिण्डोली, के.पाटन है। जिला बून्दी (कोटा—बून्दी) व भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है।

2.3 भौतिक स्वरूप

क्षेत्रफल

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का कुल क्षेत्रफल 5850 वर्ग कि.मी. है। इसकी जनसख्या 1113725 है तथा घनत्व 190 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

मृदा (मिट्टी)

जिले के दक्षिणी—पूर्वी मैदानी भागों में सामान्तया उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है तथा उत्तरी—पशिचमी भू—भाग की कठोर एवं पथरीली है।

भूमि उपयोग

जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 5,81,938 हेक्टेयर है। जिले में भूमि का वर्गीकरण वर्ष 2016—17 में निम्न प्रकार था :—

क्र.सं.	भूमि का उपयोग	क्षेत्रफल (है0)	प्रतिशत
1	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	581938	100
2	वन	142289	24.45
3	कृषि अयोग्य भूमि	89609	15.40
4	जोत रहित भूमि	51548	8.86
5	पडत भूमि	32808	5.64
6	वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	265684	45.65
7	समस्त बायो गया क्षेत्रफल	481996	82.82
8	एक बार से बोया गया क्षेत्रफल	216312	37.17

जलवायु

जिले की जलवायु सामान्य रूप से शुष्क एवं स्वास्थ्यवर्धक है। जनवरी महीने के मध्य अधिकतम तापमान का क्रम 22^0 सै. रहता है एवं दैनिक न्यूनतम तापमान का क्रम 6^0 सै. रहता है। मार्च के महीने से तापमान क्रमशः बढ़ता जाता है सामान्यतः मई उष्णतम महीना होता है जबकि मध्य दैनिक अधिकतम तापमान का क्रम 46^0 सै. रहता है। गर्मी के दिनों में पृथक रूप से दिन का तापमान अधिक से अधिक 46^0 सै. तक जा सकता है। नवम्बर मध्य से जनवरी तक मौसम ठंडा रहता है। मानसून में, जो कि जून के तृतीय सप्ताह से प्रारम्भ होकर सितम्बर माह के मध्य तक चलता है, वातावरण आर्द्र रहता है।

वर्षाः–

जिले मे औसत वर्षा 76.41 सेन्टीमीटर होती है। किन्तु यह सामान्यतः दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की और कम होती जाती हे। कुल वार्षिक वर्षा की लगभग 93 प्रतिशत वर्षा माह जून से सितम्बर के महिने मे होती है। इनमे से जुलाई व अगस्त माह मे भारी वर्षो होती हे। माह जनवरी एवं फरवरी माह मे यदा कदा वर्षो होती है।

नदियां, बॉध व तालाबः–

नदियां–चम्बल , मेज, मॉगली, तालेडा व घोडापछाड जिले की प्रमुख नदिया है।
बॉधः–गुढा बॉध , पाईबालापुरा बॉध , बरधा बॉध , माछली बॉध मुख्य बॉध है।
झीले व तालाबः– जिले मे जैतसागर ,फूलसागर, दुगारी का कनकसागर , तलवास का तालाब हिण्डोली तालाब आदि मुख्य प्राकृतिक झीले व तालाब है।

2.4 आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति

प्रमुख फसलेः–
बून्दी जिले मे प्राकृतिक संसाधनो की उपलब्धता के कारण कृषि मुख्य जीविका उपार्जन का प्रमुख स्त्रोत है जिले की प्रमुख फलसो मे धान , गेहूँ, सोयाबीन, उडद, तिल, सरसो , मक्का व मटर है।
रबी फसलेः–गेहॅ, जो, चना, सरसो, मटर , धनियॉ,मैथी, लहसुन आदि
खरीफ फसले–धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, मूँगफली, तिल, गन्ना, उडद, मूँग आदि

इसके अतिरिक्त जिले मे व्यवसायिक दृष्टी से फल और सब्जियॉ भी बोई जाती है । अमरूद पपीता , नीबू, और आम के पेड आमतौर पर पाये जाते है। फल व सब्जियॉ प्रचुर मात्रा मे अन्य जिलो को निर्यात की जाती है।

क्र.सं.	फसलो का नाम	उत्पादकता किलोग्राम/है0 वर्ष 2016–17
1	बाजरा	1093
2	ज्वार	546
3	गेहूँ	4171
4	मक्का	2907
5	जो	2993
6	चावल	2228
7	चना	1130
8	तिल	187
9	मूँगफली	2029
10	मटर (फली)	3031
11	गन्ना	61908
12	सोयाबीन	931
13	सरसो राई	1400
14	आलू	6781
15	लाल मिर्च	886
16	मूँग	438
17	उडद	443
18	मसूर	1018
19	तारामीरा	433
20	धनियॉ	1078
21	जहसुन	4505
22	मेथा	1546

प्रमुख उद्योग

जिले में पानी, ऊर्जा के साधनों की कमी के कारण औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। जिले में वृहद उद्योग मैसर्स एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी लाखेरी व बंगे इण्डिया, रामगंज बालाजी, अडाणी विलमार लिमिटेड सिलोर चौराहा, बून्दी मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त जिले में वर्ष 2015 में लगभग 4540 लघु उद्योग पंजीकृत हैं।

नमदा, दरी, निवार एवं बीड़ी जिले के मुख्य कुटिर उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त गांव की पुरानी दस्तकारी जैसे कुम्हारगिरि, कुल्हारगिरि, सुनारगिरि, चमड़े का काम, बढईगिरि, बुनने और कातने के कार्य होते हैं।

संचार एवं यातयात

जिले में दो प्रमुख रेल मार्ग हैं। दिल्ली—मुम्बई रेल मार्ग जो जिले के गुडला, के. पाटन, अरनेठा, कापरेन, लाखेरी व इन्द्रगढ़ तथा कोटा—नीमच रेल मार्ग से जिले के गुडला, देहित, तालेड़ा, कोथ्या, बूदी श्रीनगर, नीम का खेड़ा जुड़े हुए हैं।

जिले से दो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, 76 एवं एक मेगा हाइवे कोटा से लालसोट गुजरता है जिनकी कुल लम्बाई लगभग 220 कि.मी. है। जिले के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थल सड़को से जुड़े हुए है। जिले में लगभग 160 कि.मी. रेलमार्ग भी है।

जनसंख्या :— 2011 की जनगणना के अनुसार बून्दी जिले की कुल जनसंख्या 1113725 है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष / तहसील	ग्रामीण			नगरीय			अनु.जाति	अनु. जनजाति	स्त्री / पु. अनुपात
	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग			
1— हिन्डोली	115099	106502	221601	0	0	0	41057	41022	925
2— नैनवां	92236	84349	176585	10098	9387	19485	34861	41643	916
3— इन्द्रगढ़	45457	41609	87066	21004	19645	40649	25638	30899	922
4— केशोरायपाटन	56203	52409	108612	23461	21914	45375	30969	32552	933
5— बून्दी	40132	64953	105085	60006	55553	115559	31388	40752	926
6. तालेडा	83464	77425	160889	0	0	0	31747	37782	928

2.5 सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

यहां वर्षों से कई स्थानीय मेले लगते रहते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बूंदी में कजली तीज का मेला और केशवरायपाटन में कार्तिक पूर्णिमा, लाखेरी में गणगौर एवं नैनवां में दहेलवाल जी का मेला मुख्य है। इसके अलावा बूंदी में दशहरा मेला, कापरेन में पशु मेला, तालेड़ा में तेजाजी का मेला, अलोद का पशु मेला मुख्य है।

ऐतिहासिक एवं धामिक केन्द्र

बून्दी शहर एवं जिले में अन्य विभिन्न दर्शनीय स्थलों का विवरण निम्न प्रकार है:—

1. तारागढ़ किला

यह प्रसिद्ध किला बून्दी के उत्तर में 1426 फिट ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। राव राजा बरसिंह ने 1354 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। इस ऐतिहासिक दुर्ग की संरचना अत्यन्त शानदार है। यह पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है।

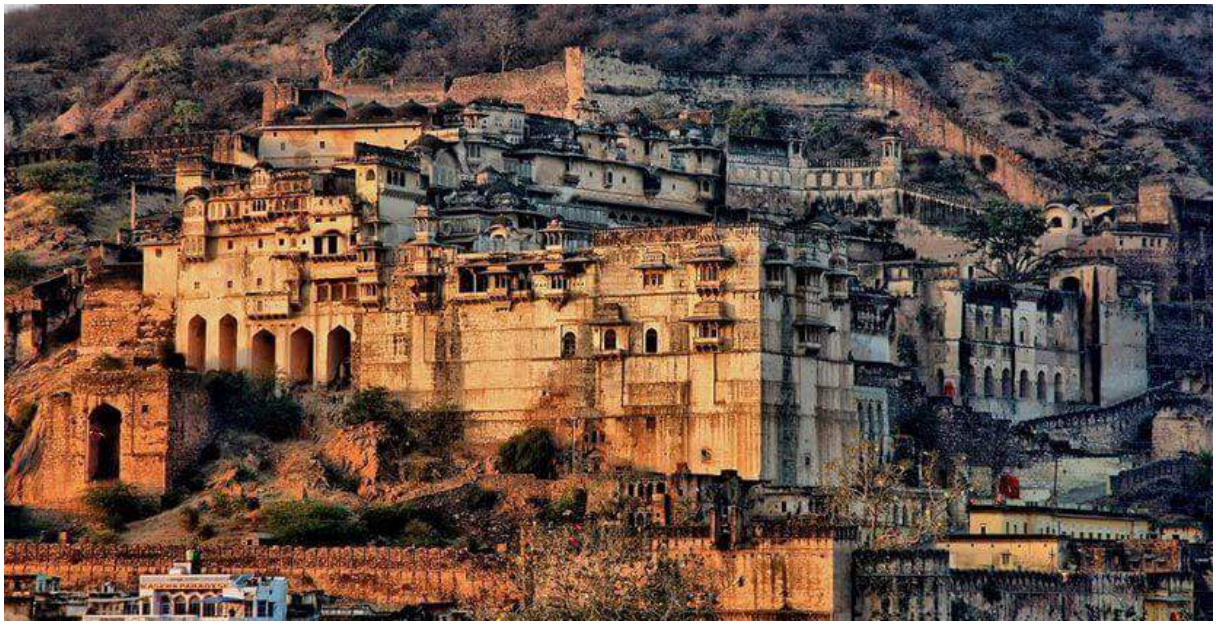

2. बून्दी महल

राजस्थान को अपने महलों पर गर्व है। पर अपनी स्थिति एवं शानो शौकत के कारण राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद बून्दी के महलों का विशेष महत्व है। यह कई महलों का समूह है। जिन्हें हाडा वंश के राजाओं ने अपने राज्यकाल में निर्मित करवाया है। यह अपने अतीत का शानो शौकत और ऐतिहासिक गौरव के साथ–साथ पुरातात्विक उत्कृष्टता के जीते जागते प्रतीक हैं। छत्र महल बून्दी का सर्वाधिक महत्व का स्थान है। इसका निर्माण महाराव राजा छत्रसाल सिंह ने सन् 1631 में करवाया था। छत्र महल बून्दी महल में एक चौक के समीप हथियासाल के निकट चित्रशाला है। जिसकी सुन्दर दीवारें भित्ती चित्रों से अलंकृत हैं। इनमें धार्मिक, ऐतिहासिक, शिकार संबंधी दृश्य, हाथी, मोर तथा चित्रों के बोर्डर में छुपी रहस्य मुस्कुराहट तथा सहज श्रृंगार दृर्शकों को अपनी ओर लंबे समय तक आकर्षित करता है। बून्दी चित्रशैली अपने आप में एक मौलिक शैली है। राजस्थान चित्रशैली में बून्दी चित्रशैली का अपना अलग महत्व है। जिस पर मुगल और राजपूत शैली का मिश्रित प्रभाव परिलक्षित होता है तथा यह शैली भारत में ही नहीं वरन विश्व स्तर पर विख्यात है।

3. फूलसागर पैलेस

बून्दी जिले के उत्तर–पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस महल का निर्माण महाराव राजा भोज सिंह ने करवाया था तथा इनके ख्वास जी ने जोजो का तालाब और इसकी पाल पर बाग बनवाए। महाराव राजा भाव सिंह ने फूलसागर के उत्तर की ओर बाग तथा फव्वारे लगवाए। इनकी निर्माण शैली पर्यटकों एवं आम जनता को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है।

4. चौरासी खम्भों की छतरी

इस छतरी में चौरासी खम्भे है। इसका निर्माण महाराव राजा अनिरूद्ध सिंह के धाभाई देवा ने 1683 में करवाया था। यह स्थापत्य काल का एक बेजोड़ नमुना है।

5. सुखमहल

नगर से कुछ ही दूर पहाड़ियों के मध्य एक तालाब है। जिसके किनारे महाराव राजा विष्णु सिंह ने अपने शासन काल में एक सुन्दर महल एवं बाग का निर्माण करवाया। तालाब के दूसरे किनारे से वर्षा काल में इस महल की छटा देखते ही बनती है।

जिला-बूँदी
नैनवा
ईन्द्रगढ़
हिण्डोली
केशोरायपाटन
बूँदी
तालेडा
(Map Not To Scale)
Digital Map Source : LRC Division
Designed By : NIC-RSU

अध्याय–3

आपदा सुभेद्यता एवं जोखिम विश्लेषण

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने मे कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते है। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते है क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनो व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक सवेंदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

3.1 प्राकृतिक आपदाएँ (Natural Disasters)

(1) सूखा (Draught)

वर्षा की कमी से भारत के अनेक प्रान्त सूखे से पीडित है। वर्षा की कमी से कृषि/पेयजल/पशुपालन आर्थिक सामाजिक विकास तथा रोजगार एवं जीवन पद्वति पर व्यापक असर होता हैं। राजस्थान का अधिकाश क्षेत्र मरूस्थलीय जलवायु होने के कारण वर्षा का औसत बहुत कम है, राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर, बाडमेर, पाली, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझनू, दौसा, जयपुर, अजमेर, जालौर, आदि हमेशा ही सूखे में चपेट में रहते है। जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव सामान्य जन जीवन अर्थ व्यवस्था एवं सामाजिक आर्थिक परिवेश आदि पर पड़ता है, कृषि व्यवस्था मानसून आघारित होने के कारण राजस्थान में कृषि व्यवस्था इन जिलों में बुरी तरह प्रभावित हो ती है। वर्षा न्यून्तम होने के कारण भू–गर्भीय जल स्तर अत्यन्ता नीचा होता है, जिसका उपयोग कृषि कार्यो में नहीं हो सकता है। और जनता पलायन को मजबूर हो ती है।

बून्दी जिले में गत वर्ष की औसत वर्षा 916.50 मी. मी. प्रति वर्ष है। बून्दी जिले में वर्षा अच्छी होने के कारण पेयजल कृषि व सामान्य जन–जीवन एवं आर्थिक सामाजिक

आवश्यकताऐ पूरी होती है। जिले के कुछ हिस्सो में पथरीला इलाका होने के कारण भू–गर्भीय जल स्तर में बढोतरी नही हो पाती है। इन इलाकों में भू–गर्भीय जल स्तर नीचे चला जाता है, किन्तु विघुत पम्पों के जरिये भू–गर्भीय जल का दोहन कर दैनिक आवश्यकताऐ पूरी की जाती है।

बून्दी जिले में कुछ क्षेत्रों जैसे नैनवॉ में वर्षा कम होने का असर कृषि पर पडता है, किन्तु कृषको द्वारा कम पानी वाली फसले बोयी जाने से पशुओं के लिये चारे आदि की व्यवस्था में बाधा नही होती है।

(2) बाढ (Floods)

राजस्थान मे दक्षिण पूर्वी भू–भाग में भौगोलिक परिवेश नदियों से परिपूर्ण है तथा अधिकाशं नदियों में वर्ष पयन्त पानी रहता है। राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व भू–भाग में राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में पर्याप्त जल बना रहता है।

इस क्षेत्र में चम्बल, परवन, कालीसिंध पार्वती आदि नदियॉ प्रमुख है। जिनमें वर्षाकाल में अत्यधिक मात्रा में पानी आता है। और जल स्तर बढ जाता है। जिससे कभी–कभी बाढ के हालात बन जाते है।

बून्दी जिले में चम्बल, मांगली, घोडा पछाड मेज आदि प्रमुख नदियों है। वर्षाकाल में लगातार बारिश होने के कारण इन नदियों तथा इन नदियों की सहायक नदियों में अधिक वर्षा जल आ जाने के कारण उक्त नदियों में जल स्तर बढ जाता है। और उक्त नदियों पूरे वेग से बहती है जिससे मिट्टी का कटाव हो ता है।

जिले मे अनेक नदियों पर भू–जल स्तर में वद्वि एवं सिंचाई उद्धेश्यों से लघु एवं मघ्यम सिचाई परियोजनाओ के अन्तर्गत बॉंघ बनाये गये है। जिससे जिले मे कृषि कार्यो के लिऐ सिचाई हेतु जल छोडा जाता है। ताकि खेतों में सिचाई हो सके।

जिले मे इन नदियों पर बांघ/एनीकट बनाये गये है, तथा वर्षाकाल में जल स्तर बढ़ जाने पर समय–समय पर गेट खोले जाकर अतिरिक्त पानी नदी/नहरी क्षेत्र में छोडा दिया जाता है, जिससे बांध पर दबाव पैदा नही हो।

दो या अधिक दिन निरन्तर वर्षा होने के कारण बांधो में जल स्तर बढोतरी हो जाती है। जिले में प्रमुख बांध निम्न हैः–

1–	गुढा बॉध एवं बाई मुख्य नहर	2–	बून्दी का गोठडा	3–	बरधा बॉध
4–	दुगारी	5–	भीमलत	6–	पाईबालापुरा
7–	अभयपुरा	8–	पेच की बावडी	9–	रोनीजा
10–	बसोली	11–	मोतीपुरा	12–	बटावदी
13–	बांक्याखाल	14–	इन्द्राणी बांध	15–	मरडिया
16–	नारायणपुरा	17–	मेण्डी बॉध	18–	जैतसागर
19–	माछली				

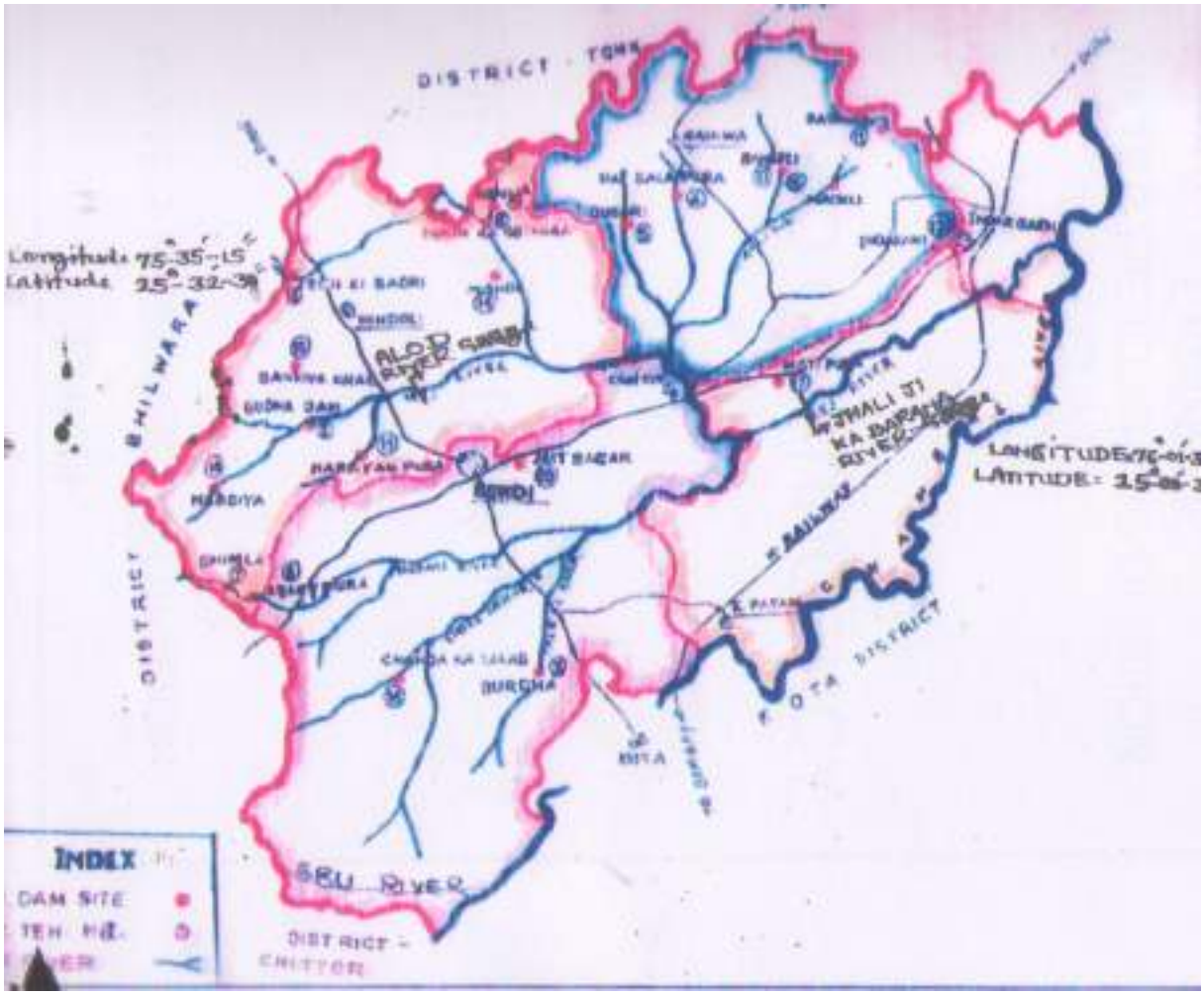

(3) भू–कम्प (Earthquakc)

भारतीय क्षेत्रो में टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से भू–कम्प (earthquake) की स्थिति बनती है। जिसका मूल केन्द्र प्राय हिन्दुकुश पर्वत श्रृखला में रहता है। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में भी फाल्ट क्षेत्र होने के कारण भू–कम्प जैसी आपदा का सामना करना पडता हैं। पूर्व .में महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों के सीमावर्ती लाटूरू में भूकम्प आया जिससे भारी मात्रा में जन–धन सम्पति पशुधन आदि की हानि हुई। वर्ष 2001 में गुजरात राज्य के भुज व अंजार क्षेत्रों में आये भूकम्प से भारी मात्रा में जनधन सम्पति एवं पशुधन आदि की हानि हुई।

भूकम्प एक ऐसी आपदा है, जिसकी पूर्वानुमान किया जाना नितान्त असंभव है, राजस्थान के भूकम्प फाल्ट जोन पर स्थित नही होने के कारण अभी तक भूकम्प जैसी आपदा घटित होने की जानकारी नही है। भूकम्प जैसी आपदा की तीव्रता के साथ ही उससे होने वाली क्षति अत्यन्त ही तीव्र होती है। और ऐसे में राहत हेतु अत्यन्त ही त्वरित गति से प्रयास किये जाने की आवश्यकता होती है। तीव्रता से आने वाले भूकम्प से भारी मात्रा में भवनों का विनाश होने के कारण मानव एवं पशु एवं सम्पति आदि की क्षति होते है। ऐसे मे युद्व स्तर पर राहत के प्रयास करने की आवश्यकता होती है। मलबा हटाये जाने, चिकित्सा राहत व्यवस्था, प्रभावितों के रहने हेतु अस्थायी केम्प, भोजन, स्वच्छ पेयजल, राहत व्यवस्था आर्थिक व अन्य सहायता संबंधी कार्य लगातार सम्पन्न कराने की आवश्यकता होती है।

बून्दी जिला किसी भी भूकम्पीय जोन या फाल्ट एरिया में नही आने के कारण एवं संभावित केन्द्र बिन्दु से दूरी होने कारण अभी तक भूकम्प की घटना नही हुई है।

(4) हीट एण्ड कोल्ड वेव्स

भारत कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित होने के कारण ग्रीष्मकाल में अत्यधिक तापमान तथा शीतकाल में उत्तरी क्षेत्र में हिमालय पर्वतमाला होने के कारण शीत से प्रभावित होता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में थार का मरूस्थल होने के कारण ग्रीष्मकाल मे तापमान बहुत उच्च स्तर पर चला जाता है तथा शीतकाल में शीतल उत्तरी हवाओं के कारण तापमान कही–कही जमाव बिदुं शून्य से नीचे चला जाता है। जिसका प्रभाव जन–जीवन, वनस्पति कृषि, पशुपालन आदि पर व्यापक रूप से पडता है।

(क) गर्म हवाएँ लू (Heat ways)

भारत के सम्पूर्ण उपमहाद्वीप पर माह मार्च से लेकर जून तक तापमान में बेहद बढोतरी होती है। भारत के सम्मूर्ण उप महाद्वीप पर तापमान में बढोतरी होने के कारण धरती का तापमान बढने लगता है। जिससे वातावरण में नमी कम होती जाती है तथा जल स्त्रोतों का वाष्पीकरण तीव्रता से होने लगता है। सूर्य के भूमध्य रेखा पर आ जाने के कारण सूर्य की किरणें सीधे ही धरती पर पडने के कारण धरती का तापमान बढने लगता है और ग्रीन हाऊस प्रभाव के कारण विकिरण से धरती का तापमान बढने लगता है जिससे जल स्त्रोत सूखने लगते है और प्राणी एवं वनस्पति पर प्रभाव पडने लगता है।

राजस्थान का अधिकाशं भाग शुष्क जलवायु का होने के कारण शीघ्र ही हीट वेव्स से प्रभावित होता है। राजस्थान में जोधपुर का फलौदी स्थान सर्वाधिक तापमान के कारण सुर्खियों में रहता है। ग्रीष्म काल में जोधपुर बाडमेंर, जैसलमेर, पाली,चूरू, बीकानेर, नागौर, सिरोही, जिले थार मरूस्थल का हिस्सा होने के कारण तापमान में बढोतरी के कारण चर्चित रहते है।

बून्दी जिले की भौगोलिक संरचना पथरीले पहाडियों से बनी है। जिस पर वन क्षेत्र की कमी के चलते अधिकाशं क्षेत्रों में माह मार्च से जून–जुलाई तक तापमान मे बढोतरी के चलते पथरीली चट्‌ानों के गर्म हो जाने तथा देर तक इन चट्‌ानों के तापमान मे कमी नहीं होने के कारण गर्म हवाएँ (HEAT WAVES) चलती है। बून्दी जिले में पथरीले भू–भाग पर वनस्पति पेड पौधों की कमी के कारण सूर्य की सीधी किरणें धरती की गर्म कर देती है। बून्दी के पथरीले भू–भाग पर बडे जल स्त्रोतों की कमी के कारण वन्य जीवों को भी गर्मी के मौसम में पेयजल की कमी का सामना करना पडता है।

माह मार्च मे जिले का औसत तापमान 35′ से 40′ तथा अप्रेल व मई माह में 40′ से 48′ तक रहता है। कभी–कभी यह तापमान 48′ से अधिक हो जाता है। जिसके कारण सभी प्राणियों की कठिनाई का सामना करना पडता है। हीट वेव से शरीर में निर्जली करण के कारण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है।

(ख) शीतलहर (cold waves)

भारत में उत्तर भारत के मैदानी प्रदेशों जैसे उत्तरप्रदेश बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर , हिमाचल प्रदेश में शीतकाल में जन–जीवन को शीतलहर के कारण अनेक कठिनाईयों का सामना करना पडता है। उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हिमपात होने के कारण उत्तरी हवाओं से मैदानी इलाको में तापमान में गंभीर गिरावट आने से शीतलहर चलती है। जिसका जनजीवन एवं फसलों पर व्यापक असर दिखाई देता है। फसलों में पाला पडने के कारण फसले नष्ट हो जाती है, तथा शीत से कुछ नागरिको की मृत्यु हो जाती है। कोहरे की अधिकता से यातायात पर असर पडता है। विजिबिलिटी मे कमी आती है तथा रेल्वे ट्रेक पर पटरियों में फ्रेक्चर आदि के कारण यातायात व्यवस्था पर असर पडता है।

राजस्थान का अधिकाशं क्षेत्र रेतीला होने के कारण शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण शीघ्र ही तापमान मे गिरावट आ जाती है। प्रदेश में दिसम्र माह के अन्तिम सप्ताह से जनवरी माह के उक्त तक तापमान में कमी के कारण पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप रहता है। वातावरण में कोहरे के व कोहरे के बादलों के कारण सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुँच पाती है। और अत्यधिक ठंडे तापमान के कारण फसलों व पेड पोधों में जडों में पानी जम जाने के कारण फसले मुरझा जाती है। जिसका कृषको को भारी नुकसान उठाना पडता है।

(5) भू–स्खलन एवं खनन क्षेत्र

(क) भू–स्खलन :– भू–स्खलन एवं खनन क्षेत्रों की आपदा संबंधी समस्याऐं भी भारत मे देखने को मिलती है। पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रो, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल जैसे राज्यों में वर्षाकाल के दौरान अत्यधिक मात्रा मे पहाडों से मिट्टी व पत्थर घसक कर गिरने से जन–धन एवं पशुओं तथा सम्पति की हानि होती है पहाडी क्षेत्रों मे वनों का अत्यधिक विनाश होने के कारण प्रति वर्ष वर्षाकाल मे एंव हिमपात के कारण मिट्टी कमजोर होकर पत्थर आदि के साथ नीचे गिरती है। जिसमे दबने से जान माल की हानि होना स्वाभाविक है। अनेक यात्री व वाहनों के दबने से व्यक्तियों की हानि व हताहत होने की खबरे पढने को मिलती है। जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश मे भू–स्खलन के कारण राजमार्गो के अवरूद्ध होने के कारण सेना व सीमा सडक संगठन को मशीने आदि लगा कर रास्तें सही करवाने पडतें है। तथा भू–स्खलन को सदैव ही आंशंका बनी रहती है। उत्तरांचल मे वर्ष 2013 में केदारनाथ/गंगोत्री मे हुए महाविनाश का उदाहरण सामने है।

राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों अन्य राज्यों की तुलना मे भिन्न है। राजस्थान में उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर जैसी पहाडियों नही है। राजस्थान मे पथरीले पहाड होने से भू–स्खलन जैसी समस्या नहीं है। बून्दी जिले के अधिकाशं हिस्सा पथरीला है। तथा जिले मे भू–स्खलन की समस्या एवं घटनाओं का कोई रेकार्ड नही है।

(ख) खान क्षेत्र :– भारत भू–गर्भीय सम्पदा के मामले में बहुत सम्पन्न है। भारत की भूमि मे कोयला, मूल्यवान धातुऐ एवं अन्य आवश्यक खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा मे पाये जाते है। भारत मे झारखण्ड बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ उत्तरप्रदेश, राजस्थान मे खनिज कोयले के प्रचुर मात्रा में भंडार है। तथा व्यापक स्तर पर कोयले का उत्खनन होता है। इसके अलावा देश में यूरेनियम सोना चांदी सीसा जस्ता, फेल्सपार लौह व अल्यूमीनियम ताबा आदि मूल्यवान धातुओं के अयस्कों का उत्खनन होता है। कर्नाटक मे सोने की पन्ना क्षेत्र में हीरे आदि की खाने है।

राजस्थान भी भूगर्भीय सम्पदा के मामले में सम्पन्न राज्य है। राजस्थान में ताबां, जस्ता, सीसा, चांदी, निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने योग्य रेत, इमारती पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम आदि व्यापक मात्रा मे पाया जाता है। बीकानेर एवं बाडमेर के इलाको मे लिग्नाईट कोयला व उत्खनन होता है। तथा थर्मल पावर प्लान्ट भी स्थापित किये गये है। उदयपुर क्षेत्र मे जस्ता सीमा एवं चांदी उत्खन्न होती है। ,खानो में सीधे खोदकर open pit mining एवं गहरे मे सुरंग/रास्ते/टनल आदि बनाकर खोदा जाकर खनिजों का दोहन किया जाता है। खानों में मिट्टी या जमीन के कमजोर होकर ठह जाने के कारण खानो मे दुर्घटनाएं होती रहती है। खानो मे हानि कारक व जहरीली गैस/पानी भरने से तथा खान के ढह जाने से रास्ता अवरूद्व होने से खनन कर्मियों की फंस जाने तथा निकल नही पाने तथा सांस अवरूद्व होने/मलबे में दब जाने से मृत्यु हो जाती है। तथा तात्कालिक राहत/उपाय समय रहते नही पहुँच जाते है। कोयला खानों में पानी भरने आग लगने व खान ढह जाने के कारण दुर्घटनाओं के भारत के अन्य प्रान्तों में अनेक उदाहरण है।

6.ओलावृष्टि (Hailstorm)

ओलावृष्टि मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदा है। भारत मे प्रतिवर्ष विशेषकर शीतकाल में औलावृष्टि से फसलों तथा मानव एवं पशु पक्षियों की हानि होती है। पृथ्वी के ऊपरी बादलों के अत्यधिक मोटे जल बिन्दु मिल कर ओले का रूप धारण कर लेते है। जिनका आकार चने या मटर के दाने से लेकर बडे नीबूं या संतरे के आकार का हो जाता है। अत्यधिक वजनी हो जाने के कारण ये हवा मे ठहर नही पाते है। तथा वर्षा जल के साथ बडी तीव्रता से धरती सतह पर गिरते है। जिससे फसलों नष्ट होने तथा पक्षिओं व छोटे पशुओं के मृत्यु होने की भी घटनाए होती है। राजस्थान में प्रायः शीतकाल माह फरवरी एवं मार्च मे शीत की अधिकता के कारण एवं बादलों के अत्यधिक मात्रा में घने होकर वर्षा की बून्दों के एक दूसरे से जुडकर ओलों में परिवर्तित हो जाते है। तथा बडी तीव्रता के साथ धरती पर गिरने के कारण बडी मात्रा में नुकसान करते है।

बून्दी जिले मे गत पॉच वर्षो में ओलावृष्टि से फसलों की तबाही का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	सम्वत्	कुल प्रभावित कृषक	राशि (लाखो में)
1	2	3	4
2013–14	2070	10067	480.95
2014–15	2071	303304	29384.88

7. बिजली गिरना (Thunder bolt)

वर्षाकाल में तेज आंधी व वारिश के दौरान बिजली गिरने से देश मे अनेक मानवों एवं दुधारू पशुओं की मृत्यु होती है। बून्दी जिले में वर्षाकाल व अन्य समय पर बरसात के दौरान बिजली गिरने से प्रतिवर्ष 8 से 10 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। तथा दुधारू व अन्य पशुओं की हानि होती है।

8.सुनामी– (Tsunami)

समुद्र में भूकम्प के कारण समुद्री जल ऊॅची बडी लहरों के साथ भूकम्प केंन्द्र बिन्दु से समुद्र तटों की और बढ़ता है, तथा तटीय क्षेत्रों में अकल्पनीय विनाश करता है। जापान में वर्ष 2011 में सुनामी के कारण फुंकुशिमा परमाणु रियेक्टर को क्षति पहुॅची और तटवर्ती शहर तबाह हो गये तथा बडी मात्रा में जनहानि हुई थी। भारत में 25 दिसम्बर 2004 को हिदं महासागर में सुमात्रा बाली इड़ोनेशिया में समुद्र तल में आये भूकम्प के वजह से विनाशकारी समुद्री लहरों ने इन देशों सहित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित चैन्नई आदि तटवर्ती शहरों में विनाश किया जिसमें हजारों जान गई तथा पर्यावरण जीव–जंतुओं एवं भारी मात्रा में सम्पत्तियों का नुकसान हुआ। राजस्थान समुद्र तट पर स्थित नही होने के कारण सुनामी जैसी आपदा से सुरक्षित है।

3.2 मानव निर्मित आपदाएँ

(1) रासायनिक आपदा :–

विश्व के अन्य देशो की तरह भारत में औधोगिक के कारण उद्योगों में बढोतरी हुई है। भारत में रासायनिक उद्योग पेट्रोकमिकल्स, उर्वरक, अन्य रसायन, प्लास्टिक, गैस उत्पादन आदि की भारत की तेजी से बढती जनसंख्या तथा तेजी से बढती मांग को पूरा करने के लिए रासायनिक उद्योग स्थापित हुए है। जिससे देश आवश्यकताऐ पूरी होने के साथ–साथ आम जनता व आस–पास रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के प्रति संकट उत्पन्न हो गया है उद्योगो मे उत्पन्न प्राणलेवा व हानि कर रसायनों का उपयोग हो रहा है जिसके कारण गंभीर दुर्घटना मे बडी संख्या मे आम जन पशुधन एवं परिसम्पत्तियों आदि पर काल बनकर आपदा आती है। रासायनिक गैसो के रिसाव से रासायनिक दुष्प्रभाव के कारण मृत्यु व अन्य प्रभाव मानव एवं जीव जतुओं पर दृष्टिगोचर होते है। भारत का सबसे दुःखद अध्याय दिसम्बर 1984 में भोपाल स्थित यूनियन काबाईड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक फेक्टरी मे मिथाईल आइसोसाइनाइट गैस के सिसाव से हजारों लोगो की मृत्यु हो गई तथा आज भी अनेक प्रभावित लोगों को शारीरिक कष्ट उठाने पड रहे है। माह मई 2017 में दिल्ली के तुगलकाबाद मे गैस रिसाव के चलते दो सौ से अधिक बच्चे व अध्यापक बीमार हो गये जिन्हे तत्काल उपचार हेतु चिकित्सालयों में ले जाना पडा।

राजस्थान में भी औद्योगीकरण के चलते अनेक रासायनिक उद्योग लगे है। जिसमे पेट्रोमिल्स, उर्वरक, रसायन प्लास्टिक अत्यन्त ज्वालनशील गैस उत्पादन व अन्य रसायन आदि शामिल है। उद्योगो में अति ज्वलन शील तथा विषैले रसायनों का प्रयोग होता है। जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त ही हानिकारक है। राजस्थान मे वर्ष 2009 में जयपुर में इंडियन ऑयल डिपों में लगी आग रासायनिक आपदा के भीषण होने का बडा उदाहरण है। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर युद्वों में भी रासायनिक बमों के कारण जन–जीवन पर संकट

गहराता जा रहा है। यद्यपि अर्न्तराष्ट्रीय समुदाय द्वारा रासायनिक युद्व (chemical warfare) पर नियम बनाकर प्रति बंध लगाया गया है। फिर भी अनेक देशो में रासायनिक बम (नर्व गैस, क्लोरीन, मस्टर्ड गैस) का उत्पादन किया जा रहा है। जो मानवता के लिऐ खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। जिस पर व्यापक स्तर पर प्रतिबंध की आवश्यकता है।
बून्दी जिले मे भारी रासायनिक उद्योगों की कमी के चलते हुऐ रासायनिक आपदा खतरा न्यूनतम है। बून्दी जिले में सीमेन्ट, खाद तेल प्रसंस्करण, चावल प्रसंस्करण उद्योग ही है। जिनमें खतरनाक रसायनों का उपयोग नही होता है।

(2) भगदड (Stempede):–

भारत में भीड युक्त स्थानों पर भगदड हो जाने के कारण बडी मात्रा में लोगों की जान जाने तथा घायल होने की घटनाऐ होती रहती है। भारत में अधिकांश घटनाऐं धार्मिक स्थलों पर उन्माद/अफवाह की स्थिति व अन्य कारणों से भगदड होने के कारण व्यक्तियों स्त्रियों बच्चों आदि के कुचले जाने से मृत्यु की अनेक घटनाऐ हुई है।
आतकवादी घटनाओं के पश्चात् भी अचानक भय के कारण भगदड मचने से मानव क्षति एवं घायल होने के प्रकरण सामने आये है।
राजस्थान में अनेक धार्मिक स्थलों पर दर्शनाथियों के बढते दबाव के कारण तथा दर्शनीय स्थलो पर आवागमन मार्ग पर रास्तों के संकरे एवं तंग होने के कारण रेलिंग आदि के टूट जानें एवं दर्शनार्थियों के एक दूसरे को धक्का आदि देने के कारण दर्शनार्थियों के गिर जाने तथा दूसरों का उन पर गिर जाने के कारण भगदड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजस्थान में अनेक हिंदु मुस्लिम एवं अन्य सम्प्रदाय के धार्मिक स्थालों पर पर्व विशेंष पर

बडी मात्रा में दर्शनार्थी एकत्र होते है। प्रबल धार्मिक भावनाओं के कारण दर्शनार्थियों की भीड एवं दर्शन करने की लालसा के कारण इस तरह की आपदा उत्पन्न होती है। राजस्थान में पुष्कर, अजमेर मे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, चौथ का बरवाडा, जोधपुर में मेहरानगढ किले में स्थित देवी मन्दिर रामदेवरा मे बाबा रामदेव मन्दिर पर अवसर विशेष पर श्रृद्वालुओं एवं दर्शनार्थियों की भीड बढ जाने के कारण सदैव संकट बना रहता है।

बून्दी मे जन–साधारण की धार्मिक आस्था अत्यन्त प्रबल होने के कारण भगदड जैसी आपदा घटित होने के पूर्ण अवसर होते है। बून्दी की पुरानी शहर के मार्ग अत्यन्त ही संकरे व तंग है। अवसर विशेष जैसी धार्मिक सामाजिक जुलूस तीज मेला उत्सव, मोहर्रम के जुलूस, बून्दी उत्सव आदि की शोभायात्रा के शहर के संकरे एवं तंग मार्ग से निकलने के दौरान भगदड हो जाने की पूरी–पूरी संभावना रहती है। साम्प्रदायिक वातावरण हो जाने के कारण स्थिति अत्यन्त ही संवेदनशील बनी रहती है। बून्दी जिले में इन्द्रगढ स्थित बिजयासन माता मन्दिर बहुत ऊँची पहाडी पर स्थित है। जिस पर सीढियों से श्रृद्धालू पैदल चढकर आते जाते है। इसी प्रकार बून्दी शहर के निकट चौथमाता मन्दिर पर प्रतिमाह चतुर्थी की तिथि पर श्रृद्धालूओं की भीड बढ जाती है। गणेश चतुर्थी व तिल चतुर्थी के अवसर पर पूरे जिले एवं बाहर से श्रृद्धालू दर्शन करने आते है।

(3) दुर्घटनाएँ (Accidents):–

भारत में विभिन्न दुर्घटनाओं में अनेक व्यक्ति प्रति वर्ष हताहत होते है। बढते हुए औधोगीकरण वस्तुओं की मांग, वाहनो की अधिकता के कारण यातायात बहुत अधिक बढ गया है। जिसके कारण दुर्घटनाओं मे वृद्वि हुई है। भारत में प्रति वर्ष सडक, रेल व हवाई दुर्घटनाओं आदि में अनेक व्यक्ति मारे जाते हैं तथा घायल होतें हैं।

(क) सड़क दुर्घटना :–

भारत से सड़क दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष अनेक व्यक्ति घायल होते है या मारे जाते है। भारत में औधोगीकरण बढ़ने से मांग और आपूर्ति बढ़ने आर्थिक एवं सामाजिक स्तर मे वृद्वि व परिवहन सेवाओं की आवश्यकता बढ़ने के कारण राजमार्गो पर वाहनों की संख्या मे बेतहाशा वृद्वि हुई है। भारत में लापरवाही, नशें में वाहन चलाने व अन्य यात्रिक खराबी कारणों से सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है। उत्तर भारत में पहाडी क्षेत्रों में वाहनों के गहरे खाई/घाटी में गिरने से अनेक व्यक्तियों के हताहत होने की खबरे प्रायः सुनने में आती है। राजस्थान में भी प्रायः दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की हताहत होने की खबरें सुनने को मिलती है। सड़कों पर बढ़ते वाहनों के दबाव, जल्दबाजी, लापरवाही नशें के कारण घटनाएँ घटित होती है।

बून्दी जिला भी सड़क दुर्घटनाओं से अछूता नहीं है। यहॉ पर तेज गति व लापरवाही, नशें में वाहन चलाने व अन्य कारणों से दुर्घटनाओं में व्यक्तियों के घायल एवं मृत्यु होने की अनेक घटनाएँ प्रति वर्ष होती है। विभिन्न दुर्घटनाओ में बून्दी जिले मे मुख्यमंत्री सहायता कोष से वर्ष 2016–17 मे कुल 446 व्यक्तियो (मृतक/घायल) को 107.64 लाख रूपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

(ख) रेल दुर्घटना :—

भारत में रेल्वे विश्व का सबसे बड़ा राजकीय उद्योग है। जिसमें लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। तथा प्रतिदिन करोडों लोग लम्बी से मध्यम एवं लघु यात्राऐ प्रतिदिन करते है। भारत में रेल्वे ट्रेक पर तोडफोड़/लापरवाही/पटरियों मे फ्रेक्चर होने व कोहरा आदि की वजह से दुर्घटनाऍ होती रहती है। पिछले कुछ वर्षो में देश में आंतककारी गतिविधियों बढने के कारण जानबूझकर रेल दुर्घटनाऍ होने की घटनाऍ बढी है। रेल दुर्घटना से जन—धन आदि की हानि के साथ—साथ रेल्वे को परिसम्पत्तियों की गंभीर आर्थिक हानि होती है। और मुआवजा देने का भार भी बढ़ता है।

राजस्थान में भी रेल्वे सेवाओं से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में निरन्तर रेल सेवाओं का विस्तार हो रहा है। राजस्थान का भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल्वे के माध्यम से जुड़ा हुआ है, राजस्थान से दुसरे राज्यों के सुन्दर शहरों से सम्पर्क बन रहा है। जिसका आर्थिक व यात्रा संबंधी लाभ राजस्थान की जनता को मिलता रहा है। राजस्थान में रेल दुर्घटनाओं की संख्या काफी कम है। वर्ष 1993 में बांरा जिले के छबड़ा गूगोर के पास भूलोन गॉव में पैसेजर ट्रेन एवं मालगाड़ी के आपस में टकराने से 71 व्यक्ति मारे गये तथा 300 घायल हुए। वर्ष 2012 में जोधपुर—दिल्ली मंड़ोर एक्सप्रेस का में पटरी से उतर जाने के कारण अनेक व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए। रेल दुर्घटना में रेल्वे की तुरन्त राहत कार्य प्रारंभ कर ट्रेक को बहाल करना सबसे बडी चुनौती होती है। दुर्घटनाओं के देर रात्रि में घटित होने के कारण तुरन्त ही सहायता व राहत एवं मरम्मत कार्य बड़ा चुनौती पूर्ण होता है। रेल दुर्घटनाऍ सदैव ही बड़ी दुखद एवं भयावह होती है।

बून्दी जिला भी रेल्वे से जुड़ा हुआ है। कोटा दिल्ली मुंबई रेल लाइन बून्दी जिले के गामछ, के0पाटन कापरेन लाखेरी, घाट का बराना, इन्द्रगढ़ आदि गांवों व कस्बो को जोड़कर निकलती है। इसके अलावा कोटा, नीमच, रतलाम, चितौड़गढ, उदयपुर, मार्ग भी बून्दी जिले से होकर निकलता है। बून्दी से चितौड़गढ़ के मध्य का रेल्वे ट्रेक पथरीली पहाड़ियों एवं सुरगों मे से होकर निकलता है। उक्त ट्रेक के सिगल ट्रेक होने के कारण व इलेक्ट्रीफाइड नही होने के कारण मध्यम गति से ही यात्री रेल एवं माल गाड़ियों का संचालन इस पर होता है। जिले में अभी तक रेल दुर्घटना होने की सूचना नही हैं।

(ग) वायुयान दुर्घटना :–

विश्व में विज्ञान व तकनीक के क्षैत्र में विकास के साथ साथ यात्रा साधनों का भी तेजी से विकास हुआ है। भारत भी इस क्षैत्र में तेजी से अग्रसर हो रहा है लम्बी दूरी को कम समय में पूर्ण करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष हवाई यात्रियों में वृद्वि हो रही है। भारत में सरकारी एवं निजी विमान कम्पनियों विभिन्न स्थानों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध करा रही है। भारत में मध्यवर्गीय परिवारों के आर्थिक एवं जीवन स्तर में वृद्धि होने समय व श्रम की बचत आदि की वजह से विमान यात्रियों में आम जन की रूची बढ़ती है इसके चलते विभिन्न एयरलाइन्स के विमानों में पक्षीयों से टकरानें तथा यांत्रिक खाराबी, आतंककारी गतिविधियों आदि के कारण दुर्घटनाओं में बढोतरी हुई है। वर्ष 2015 में हुए मैंगलोर एयरपोर्ट पर विमान के लैंड करते समय रनवे पर फिसल जाने के कारण हुई दुर्घटना में चालक दल के सदस्यों सहित 230 व्यक्ति मारे गये। राजस्थान में पर्यटन, दूसरे देशों में रोजगार आदि के कारण राजस्थान देश के राज्यों के अतिरिक्त अर्न्तराष्ट्रीय उड़ानों से भी जुड़ा हुआ है। राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट एकमात्र अर्न्तराष्ट्रीय वायुयान तल है। तथा जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर से अर्न्तराज्यीय उड़ाने संचालित होती है। आगामी वर्षो मे कोटा, अजमेर(किशनगढ़), जैसलमेर आदि बड़े शहरों से छोटे विमानों की अर्न्तराज्यीय सेवा प्रारंभ होने जा रही है। राजस्थान में सिविल(नागरिक) दुर्घटनाओं की कोई घटना घटित नही हुई है। राज्य मे सैनिक विमानों के प्रशिक्षण संचालन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाओं के अलावा गंभीर विमान दुर्घटना नही हुई है। बून्दी जिले में कोई भी विमान तल नहीं होने के कारण जिला वायु–परिवहन सेवा से नहीं जुड़ा

हुआ है। कोटा जिले के निकट होने क कारण बून्दी जिले को विमान–तल की आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

www.alamy.com - CE71TN

(4) आतंकवाद (terrorism):–

भारत में सीमा पर आतंकवाद के कारण समस्या से ग्रसित है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर जबरन कब्जा करने के उपरान्त से आज तक शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकी है। पाकिस्तान द्वारा निरन्तर बार आतककारी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। कश्मीर–राज्य में नियंत्रण रेखा पार कर अनेक आंतकवादी भारत मे प्रवेश करते है, जिनका सामना भारतीय सशस्त्र बलों से होता है। हमेशा की तरह आतंकवादी एवं हमारे सैनिक शहीद होते है तथा गंभीर रूप से घायल होते है। भारत में मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों तथा पुन वर्ष 2011 में हुए आतंककारी हमालों में अनेक व्यक्ति मारे गये है। पाकिस्तान द्वारा भारत के विरूद्व सीधे हमले से बचने के लिऐ छद्म युद्व के द्वारा सामान्य जनता एवं सशस्त्र बलों के लिऐ समस्या बना हुआ है। अहमदाबाद सूरत आदि शहरों में सूचना तंत्र की सक्रियता क चलते कुछ हमले निष्फल किये गये है। दिल्ली में कनार प्लेस व संसद पर हमला किया गया ।

पाकिस्तान द्वारा वर्ष 80 के दशक में पंजाब राज्य में खालिस्तान आन्दोलन को सभी प्रकार से शह देकर पंजाब ही नहीं पूरे देश को आतंकित कर दिया था। भारत में आतंकी घटनाओं का अंजाम देकर शांति एवं सौहार्द समाप्त करना चाहता है।

राजस्थान की पाकिस्तान से अर्न्तराष्ट्रीय सीमा लगी होने के कारण व भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह राज्य भी आंतकी वारदातों से अछूता नही ंरह सका है। गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब की सीमा से लगे होने के कारण थार मरूस्थल की भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर पड़ौसी देश प्रशिक्षित आतंककारीयों को भारत में प्रविष्ट कराता है। सीमा वर्ती जिलों मे जन संख्या घनत्व कम होने तथा भौगालिक व भाषागत परिस्थितियों के कारण इनका आम जन में घुल मिल जाने के कारण इन का आतंककारी गतिविधियों को अजाम देना आसान हो जाता है। और ये भारत के अन्य राज्यों में भी प्रवेश कर जाते है। सूचना तंत्र व निगरानी तंत्र की सर्तकता के चलते ये अपने कुत्सित उद्धेश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो पाते है।

राजस्थान में वर्ष 2008 में जयपुर में आतंककारीयों द्वारा आतंकी हमला किया गया जिसके 63 व्यक्ति मारे गये तथा 216 घायल हुए।

बून्दी अपेक्षाकृत जिला है। लोगों मे आपसी सौहार्द प्रेम एंव भाईचारे के चलते जन जीवन सामान्य चलता हैं। बून्दी जिले में अपेक्षाकृत शांति व सौहार्द बना रहता है। बून्दी जिले में अभी तक किसी आतंकवाद घटना घटित नहीं हुई है।

(5) अग्नि दुर्घटना :—

अग्नि की विकरालता एवं भयावहता के चलते अनेक व्यक्ति प्रति वर्ष हताहत होते है। प्रति वर्ष शॉर्ट सर्किट व अन्य कारणों के चलते आग लगने एवं विकराल रूप लेने के कारण गंभीर दुर्घटनाएँ होती है। रासायनिक पदार्थो वस्तुओं अति ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ एल्कोहल लकड़ी तेल विस्फोटक सामाग्री गत्ते कागज व इनसे बने सामान, वस्त्र, जूट, कपास आदि पदार्थ तेजी से आग पकड़ते है। दुकानों, शोरूम फेक्ट्री आदि में अग्नि दुर्घटनाओं में व्यापक जन—धन एवं आर्थिक हानि होती है। सार्वजनिक स्थलों पर जहॉ ज्यादा व्यक्ति एकत्र होते है। अग्नि दुर्घटना में जन हानि अधिक होती है। आग से जलने व दम घुटने से मृत्यु व घायलों की संख्या अधिक होती है। दिल्ली का उपहार सिनेमा कांड इसका उदाहरण है। दुसरे अलावा रासायन्तिक पदार्थो में आग का उदाहरण जयपुर में वर्ष अक्टूबर 2009 में लगी इंडियन ऑयल डिपों का है। वन क्षेत्रों में भी सूखें पत्तों व पेडों में मानवीय मूल अन्य कारणों से आग लगने से वन क्षेत्र एवं जीव जंतुओं की हानि होती है। माह अप्रेल 2017 में माउन्ट आबू के वनों में आग लगने पर हेलीकॉपटर सेवाएँ लेकर जल छिडकाव कर राहत उपाय किये गये। अतिशबाजी सामग्री एवं आयुध डिपो पर आग लगने की घटनाएँ होती रहती है। विस्फोट के कारण अग्नि व विस्फोटक से जान माल की क्षति होती है। बून्दी जिला कृषि प्रधान जिला है। जिले में वन—क्षेत्रों में कभी—कभी आग लगने की घटनाएँ होती रहती है, इसके अलावा खेतों में मानवीय कारणों से फसलों में आग लगने से काटी गई फसल चारा आदि जलने की घटनाएँ होती रहती है। बून्दी शहर की पुरानी आबादी क्षेत्र अत्यन्त संकरा एवं व्यस्त होने के कारण आग लगने के मामलों में त्वरित

कार्यवाही करने में बाघा आती है। शहर का अन्तरिक क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधियों के मुख्य केन्द्र होने के कारण सदैव ही आपदा की आंशका बनी रहती हैं। बून्दी के अलावा नगर पालिका/पंचायत मुख्यालयों पर भी आबादी क्षेत्र संकरे व व्यस्त होने के कारण आपदा की आंशका बनी रहती है। गांवों में खेतों के निकट कच्चे मकान एवं घरों में लकडी, कपड़े आदि के सग्रंहण के कारण आग व्यापक रूप से फैलती है। जिले में माह मार्च से जून के माह में कच्चे घरों व खेतों तथा वन क्षेत्रों में आग लगने की अधिकाधिक घटनाएँ होती है।

(6) नाभिकीय विकिरण :—

मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है, तथा विज्ञान के मनुष्य के हाथ में विनाशकारी हथियार दे दिया है, वह है नाभिकीय विखण्डन शक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने युद्ध का निर्णायक अन्त करने के लिऐ अगस्त 1945 में जापान के प्रमुख औधोगिक शहरों हिरोशिमा एवं नागासाकी पर विनाशकारी परमाणु बम डाल कर मानवता का संहार कर डाला इसमें हजारों लोग काल कवलित हो गये तथा आज की जीन उत्प्रेरण के कारण अनेकों पीढ़ियों इसके दुष्परिणाम भुगत रही है। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक व पर्यावरण विनाश की पूर्ति नही की जा सकती है। नाभिकीय विखण्ड़न की असीम शक्ति ने विश्व मे प्रत्येक देश की नाभिकीय शक्ति सम्पन्न होने की लालसा मे पूरी मानव जाति को विनाश की ओर घकेल दिया है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् नाभिकीय शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिऐ दूसरे देशों के एवं स्वदेशी संसाधनों से नाभिकीय विज्ञान रिसर्च सेन्टर व परमाणु विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु रियेक्टर स्थापित किये गये हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा का स्त्रोत हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है, किन्तु यह किसी भी दृष्टि से निरापद नहीं हैं। वर्ष 1986 में रूसी संघ के यूक्रेन प्रान्त में चेर्नोबिल परमाणु घर में तापमान बढने से

रिएक्टर के पिघल कर नष्ट हो जाने से यूरोप के कई देशों में विकरण एवं न्यूक्लियर फॉल आउट से वनस्पतियों, खाघ पदार्थ मानव जीवन प्रभावित हुआ। दूषित प्रदार्थो को नष्ट करना पड़ा। अनेक कर्मियों की मृत्यु हो गई। भारत में अनेक स्थानों पर परमाणु ऊर्जा रियेक्टर व नाभिकीय रिसर्च सेन्टर हैवी वाटर प्लान्ट सीापित किये गये है। जिनकी युद्ध एवं आतंकीकारी गति विधियों को देखते हुए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किये गये हैं। राजस्थान में रावतभाटा में परमाणु ऊर्जा उत्पादन केन्द्र तथा हैवी वाटर प्लान्ट लगाया गया है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन केन्द्र से नाभिकीय/रेडियोएक्टिव पदार्थो के रिसाव से केवल निकटवर्ती ही नहीं बल्कि दूर तक नागरिक, पर्यावरण, वनस्पति व जीव जन्तु मिट्टी जलस्त्रोत दूषित हो जाते हैं, तथा न्यूक्लियर फॉल आउट व नाभिकीय विकरण जीवित प्राणियों वनस्पतियों में जीन–उत्प्रेरण के दुष्परिणाम उत्पन्न करता है, जिससे बड़े आकार के और विकृत/विकंलाग जीव जन्म लेते है। बून्दी जिला , कोटा एवं चितौडगढ़ जिले की सीमावर्ती होने के कारण किसी भी दुर्घटना की स्थिति में न्यूक्लियर फॉल आउट व नाभिकीय विकिरण के खतरे से सुरक्षित नहीं है।

(7) जैविक युद्ध (Biological Wartase):–

विज्ञान की तरक्की ने इसके विनाशकारी उपयोग को जन्म दिया है। जीव विज्ञान मे बढती वैज्ञानिक तरक्की में कुछ देशों ने अपने शत्रुओं पर अप्रत्यक्ष विजय पाने के लिऐ यह नृशंस अमानवीय तरीका अपनाया है। कुछ विकसित देशों ने अपनी लेवोरेट्रीज में विनाशकारी जीवाणुओं का विकास एवं उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। जिससे कि मानवता संकट में पड़ गई है। कोई भी देश इसका उपयोग कर लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार सकता है। इसके उदाहरण एन्थ्रेक्स, कॉलरा व अन्य लाइलाज जीवाणुओं का लेबोरेट्री उत्पादन है। जिसे हवा व जल के द्वारा सीधे मानवों में पहुचाया जा सकता है।

(8) महामारी– (epidemic/Andemic)

राजस्थान में हैजा डायरिया ग्रेस्ट्रोएन्ट्रे टाइटिस टॉयफाईड आदि रोग बहुतायत में होते है। वर्षाकाल में व दूषित जल के कारण मानव ही नहीं अपितु दुधारू पशुओं में भी बीमारीयॉ बढ़ जाती है। राजथान में मलेरिया व डेगू बढ़ते शहरीकरण दूषित जल के निस्तारण के अभाव व दूषित पेय जल के कारण तीव्रता से बढ़ रहा है।

पशुओं में भी वर्षाकाल में वाइट्स व जीवाणुओं की सक्रियता के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते है। जिससे पशुओं के बीमार होने दुग्ध उत्पादन में कमी व मृत्यु होने की समस्या प्रमुख है। पशुओं मे एन्थ्रेक्स, खुरपका व मुहपका के कारण पशु बीमारी हो जाती है।

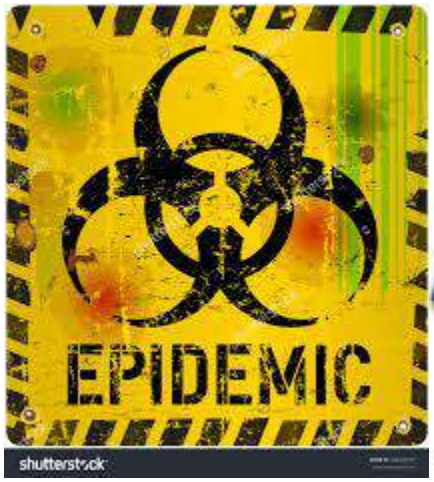

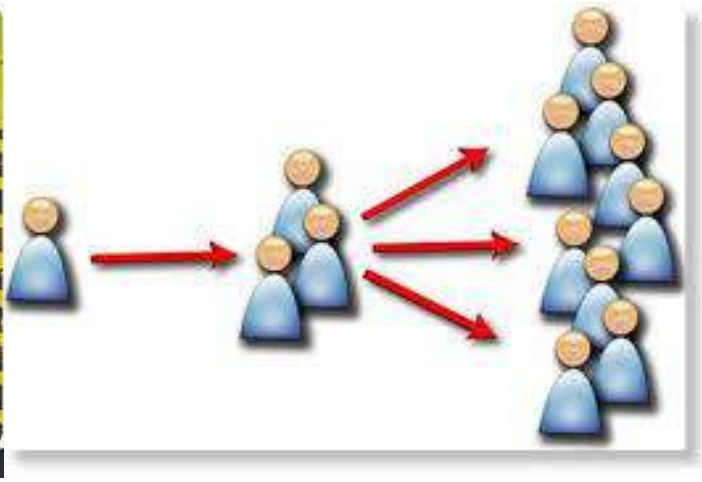

अध्याय – 4

रोकथाम एवं शमन

राजस्थान में होने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में सूखा, बाढ एवं भूकम्प शामिल हैं, जबकि मानव-कृत आपदाओं में आतंकी आक्रमण, दुर्घटनाएँ एवँ आगजनी प्रमुख हैं। राज्य न्यूक्लियर एवं औद्योगिक आपदाओं के लिए भी सुभेद्य है। यूनाइटिड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटिज फॉर डिजास्टर रिडक्शन के अनुसार, 'रोकथाम' एक ऐसी अवधारणा एवं अभिप्राय है जिससे समय रहते कार्यवाही करके सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सकता है। मानव-कृत आपदाओं की तरह, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प और चक्रवात को टाला नहीं जा सकता। लेकिन जोखिम-भरे क्षेत्रों में विकास कार्यों की उचित योजनाओं के माध्यम से इन खतरों को आपदाओं में परिवर्तित होने से रोका जा सकता है। अल्पीकरण (शमन) एक ऐसा कार्य है जिसके तहत ढांचागत एवं गैर-ढांचागत उपायों के द्वारा होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

उपरोक्त प्राकृतिक एवं मानव-कृत आपदाओं के कारगर प्रबंधन के लिए प्रयुक्त उपायों में 'रोकथाम' 'शमन' संबंधी पहलू भी शामिल होने चाहिए जैसे पूर्व चेतावनी प्रणाली। राज्य में संभावित विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन में नोडल डिपार्टमेंट्स को शामिल करना भी जरूरी है जैसा कि आरेखीय डाइग्रैम में दर्शाया गया है:

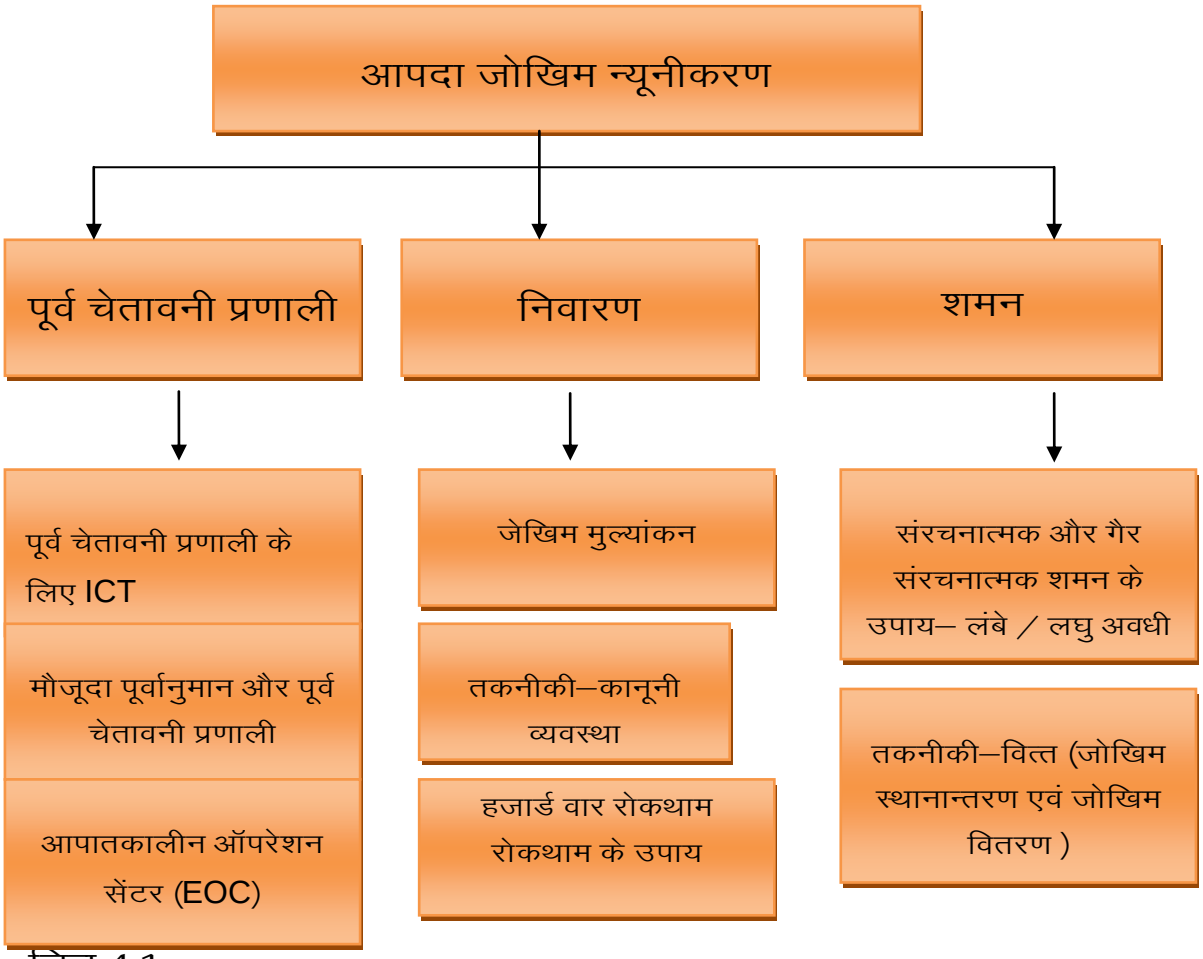

चित्र 4.1

रोकथाम

रोकथाम संबंधी कार्यो में आपदाओं से होने वाले जोखिमों के स्तर की पहचान और निर्धारण करना और उससे जान माल और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कार्यवाही करना शामिल है। यह काम कानून बनाकर उन्हें लागू करके किया जा सकता है , जैसे भूमि उपयोग संहिता , सूरक्षा अधिनियम, बिल्डिंग कोड्स, स्वच्छता, बिमारी नियंत्रण, बाढ़ प्रबन्धन आदि। रोकथाम को अन्य उपायो मे प्राकृतिक संसाधनो का संरक्षण , जलसंभर प्रबन्धन, पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का मजबूतीकरण और बेहतर संचार व्यवस्था का विकास शामिल है। पारिस्थितिकीय पुनः प्रस्थापन, पर्यावरण प्रबन्धन

और क्षमता-वर्धन प्रक्रियाओं की भी संभावित आपदाओं की रोकथाम और शमन में महत्वपूर्ण भूमिका है। रोकथाम के उचित उपायों की कमी के रहते आपदा स्थिति और ज्यादा जटिल हो सकती है, जिसे संभालना मुश्किल हो सकता है।

डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ डिपार्टमेंट राज्य की सभी नियामक संस्थाओं का सदस्य है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षित योजनाओं के लिए जरूरी उपाय सही तरीके से लागू हों। वर्तमान टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग एक्ट, इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान और लैण्ड यूज जोनिंग नार्म्स का मूल्यांकन किया जायेगा तथा इनमें आवश्यक संशोधन किये जायेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन अधिनियमों और नियमों के लागू होने से हमारी सुभेद्यता नहीं बढ़ेगी।

जोखिम मूल्यांकन

आपदाओं की पहचान और उनसे होने वाले जोखिमों का मूल्यांकन आपदा को कम करने की दिशा में पहला कदम है। जोखिम मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे संभावित जोखिम की प्रकृति और उसके विस्तार का निर्धारण किया जाता है। यह कार्य संभावित आपदाओं और वर्तमान सुभेद्यता स्थिति के विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। आपदा और सुभेद्यता स्थिति मिलकर जान-माल, रोटी-रोजी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते है।

आपदा सुभेद्यताओं से निपटने के लिए जरूरी है कि सभी विभाग, एजेंसियां, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिकारी सभी आपदा उन्मुखी क्षेत्रों का जोखिम एवं सुभेद्यता मूल्यांकन करायें। हैजर्ड जोनेशन मैपिंग और जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग डेटा पर आधारित सुभेद्यता विश्लेषण एक अनिवार्य जांच घटक होना चाहिए। सभी रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रति उन्मुख जिलों के लिए एक हैजर्ड एंड कॉन्सिक्वेन्श मैपिंग ऑन जीआईसी प्लेटफार्म्स तैयार किया जाना चाहिए।

तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था

आपदाओं के विपरीत प्रभावों को कम करने के लिए एक अनुकूल तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था का होना जरूरी है। इसके लिए कारगर नीतियों और कानूनों का बनाया जाना तथा राज्य के विभिन्न

विभागों, स्थानीय निकायों एवं एजेंसियों द्वारा उनको लागू किया जाना भी आवश्यक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 में राष्ट्रीय, राज्य, एवं जिला तथा स्थानीय स्तर पर संस्थागत एवं समन्वय प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है। कारगर रोकथाम एवं शमन संबंधी उपायों के लिए एक विस्तृत तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था का होना जरूरी है जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हों।

नगरपालिका कानूनों में संशोधन

निर्माण-कार्यों में बेतहाशा वृद्धि और बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर, नगरपालिका कानूनों, जैसे डिवलपमेंट कन्ट्रोल रेगुलेशंस, बिल्डिंग बाइलॉज और स्ट्रक्चरल सेफ्टी फीचर्स, में बदलाव की जरूरत है। एसईसी समय-समय पर इन कानूनों का पुनरवलोकन करेगी जिससे भूकम्प, बाढ़ और अन्य आपदाओं में सुरक्षा खामियों का पता लगाया जा सके और उसमें सुधार करके उन्हें ब्यूरों ऑफ इंडियन स्टैन्डर्ड (बीआईएस) के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सकें। इन कानूनों के माध्यम से उन अवांछनीय कार्यों पर अंकुश लगाया जायेगा जिनमें आपदा के दौरान सुरक्षा से समझौता कर लिया जाता है। जरूरी रक्षोपायों के बिना निर्माण-कार्य के अयोग्य इलाके में इमारतें बनाने से उस क्षेत्र की आपदा सुभेद्यता और ज्यादा बढ़ जाती है जिससे निपटने के लिए उचित अनुपालन प्रक्रिया की जरूरत है। इसी तरह, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी उचित कानून लागू किये जायेंगे।

भूमि उपयोग योजना

एसईसी, वैज्ञानिक संस्थाओं से सलाह करके, पर्यावरणीय एवं आपदा आंकड़ों का विश्लेषण करेगी जिससे विभिन्न भौगोलिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक भूमि उपयोग योजना तैयार की जा सकें। यह बड़े शहरों और उच्च सघनता वालें शहरों में आवास के लिए सुरक्षित स्थान और अन्य सुविधाए मुहैया कराने के लिहाज से बहुत ही प्रासंगिक है। मास्टर प्लान का पुनर्निरीक्षण और वरीयता के आधार पर उसका अनुपालन जरूरी होगा और यह राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी मानी जायेगी। मेक्रो लेवल पर, विभिन्न उपयोगो के डेटाबेस के आधार पर एक भूमि उपयोग योजना तैयार करने की आवश्यकता है। विकास की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भूमि उपयोग शहरी इलाकों में आंकलन भी जरूरी है।

सुरक्षित निर्माण प्रक्रिया

भूकम्प जैसी आपदाएं लोगों को नहीं मारतीं लेकिन गलत तरीके से डिजाइन्ड और कमजोर इमारतें लोगों की मौत का कारण बनती है। नई इमारतों को सुरक्षित निर्माण और प्रमुख इमारतों में रीट्रोफिटिंग को वरीयता दी जायेगी। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) और अन्य सरकारी कल्याण व विकास योजनाओं के तहत बनने वाले मकानों के डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस को आपदा-सुरक्षा की दृष्टि से पुनः जांचा जायेगा। राज्य/नगरपालिका के बिल्डिंग बाइलॉज में नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों का समायोजन अनिवार्य होगा। राज्य एवं जिला स्तर पर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ठेकेदारों और मिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाने की जरूरत है। सुरक्षित विद्यालयों व अस्पतालों (बड़ी क्षमता वाले) और प्रमुख स्मारकों एवं अन्य जीवनोपयोगी इमारतों की सुरक्षा राज्य की प्रमुख वरीयता होगी। राज्य के सभी विद्यालयों व अस्पतालो की इमारतों को भूकम्परोधी बनाया जायेगा तथा उनमें अग्नि सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपकरण लगाये जायेंगे।

अनुपालन व्यवस्था

राज्य में एक मजबूत अनुपालन व्यवस्था कायम करने की जरूरत है, जिसमें परिणामों की अनिवार्यता के साथ, टेक्नो-लीगल और टेक्नो-फाइनेंसियल प्रावधानों की सफलता सुनिश्चित की जा सके। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य में निगरानी, सत्यापन और अनुपालन व्यवस्थाएं ठीक कार्य कर रही हैं। इन प्रावधानों का क्रियान्वयन सभी सहभागियों का दायित्व होगा।

राज्य सरकार/एसडीएमए एक आदर्श टेक्नो-लीगल फ्रेमवर्क लागू करेगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नई इमारतों में भूकम्परोधी डिजाइन और निर्माण-नियमों का अनुपालन किया गया है। राज्य सरकार शहरी कानूनों में संशोधन करके उनमें बहुआपदा सुरक्षा संबंधी जरूरतों को शामिल करेगी। राज्य सरकार टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एक्ट्स, लेंडयूज एण्ड जोनिंग रेगुलेशंस, बिल्डिंग बाइलॉज और डीसीआर का पुनर्निरीक्षण करेगी तथा संशोधन करके अपडेट करेगी। यह प्रक्रिया कम से कम 5 साल में एक बार की जायेगी। स्टेट कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन इस प्रक्रिया को नेतृत्व करेगा।

तालिका ४.१ सभी विभागों एवं एजेंसियों के लिए आपदानुसार रोकथाम के उपाय

क्रमांक	आपदा	सामान्य उपाय	तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था
1	सूखा	• सतही और भू-जल का संयुक्त प्रयोग • जलसंभर विकास • एकीकृत घाटी योजना • एग्रो-क्लाइमेटिक • सिंचित कृषि में जल प्रबंधन • उचित फसल पैटर्न का चयन • बरसाती जल का संभरण और भू-जल का कृत्रिम रिचार्ज • तालाबों और टंकसों का जीर्णोद्वार • सिंचाई व्यवस्था की उचित देखभाल • डेफसिट इरिगेशन • सिंचाई जल का पुनः प्रयोग • सबऑप्टिमल क्वालिटी के जल का प्रयोग • जलाशयों से वाष्पीकृत क्षय की रोकथाम • मृदा वाष्पीकरण में कमी	• जल संपदा का एक सक्रिय डेटाबेस तैयार करना तथा वाटर रिसोर्श इन्फार्मेशन सिस्टम (डब्ल्यूआरआईएस) का विकास • एक विस्तृत जल संपदा इन्वेन्टरी तैयार करना जिसमें जलसंभर स्तर पर होने वाली वार्षिक विभिन्नताएं शामिल हों। • स्वचालित मौसम स्टेशनों और रेन गॉज स्टेशनों के नेटवर्क का विस्तारीकरण जिससे वाष्पीकरण और बरसात संबंधी आंकड़े प्राप्त हो सकें। • डीएमसीज राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर नॉलेज सेंटर्स द्वारा किये जा रहे प्रयासों का सुसंगतीकरण करेगा। • राज्य जल नीति 2010 के साथ समाभिरूता
2	भूकम्प	• आम जनता को जागरूक करना तथा इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा 'करो' और 'मत करो' की जानकारी देना • मौलिक रीट्रोफिटिंग उपायों की जानकारी देना। • प्रशिक्षण के माधयम से इंजीनियरों, आर्किटेक्ट और राजमिस्त्रियों का क्षमता-वर्धन	• आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग के सचिव की अधयक्षता में हजार्ड सेफ्टी सेल (एचएससी) का गठन। • एमबीएम इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर में एक रेट्रोफिटिंग क्लीनिक की स्थापना। यह क्लीनिक रेट्रोफिटिंग उपायों के

			बारे में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को प्रशिक्षण देता है। • क्षमता-वर्धन, प्रशिक्षण, शाध एवं विकास कार्यों के लिए स्टेट रिसोर्श इंस्टिट्यूट्स (एसआईआईज) का चयन। • एसईसी जरूरी तकनीकी एवं कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाए शुरू करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सहभागी जैसे बिल्डर्स, आर्कीटेक्ट्स, इंजीनियर्स और सरकारी विभाग भूकम्परोधी निर्माण पद्धति प्रयोग में ला रहे हैं और सभी डिजाइन एवं निर्माण कार्यों में भूकम्पी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। • सरकार एमएचए द्वारा निर्धारित मॉडल टाउन प्लानिंग बाइलॉज का पुनर्विवेचन करेगी और उन्हें लागू करेगी। • निर्माण कार्यों में सुरक्षा पहलुओं से जुडे सभी व्यवसायों को लाइसेंस देकर उनका प्रमाणीकरण डीसीआर्स में सम्मिलित किया जायेगा। • एसईसी एक टैक्नो-लीगल फ्रेमवर्क की स्थापना करेगी जिससे निर्माण कार्य से जुड़े मिस्त्रियों का प्रमाणीकरण किया जा सके।

			• सभी बड़े प्रोजेक्ट्स एवं इमारतों का किसी योग्य बाहय एजेंसी द्वारा अनुपालन रिव्यू किया जायेगा। • वर्तमान इमारतों में किसी भी प्रकार का संशोधन, जिसमें भूकम्परोधीकरण और रीट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं, की मॉनिटरिंग यूएलबीज द्वारा की जायेगी। • राज्य ग्रामीण इलाकों में इमारतों के निर्माण कार्य में भूकंप नियमावली के अनुपालन के लिए उचित कदम उठायेगा। इस कार्य में पीआरआईज को भी शामिल किया जायेगा।
3	बाढ़	• भू-संरक्षण, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, वन संरक्षण और विस्तारीकरण, जल प्रबंधन और चैक डेम के निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया जायेगा जिससे बाढ़ की तीव्रता को कम किया जा सके।[20] • जल संभरण परियोजना के लिए पर्याप्त फ्लड कुशॅन प्रदान किया जायेगा जिससे बेहतर तरीके से बाढ़ प्रबंधन किया जा सकें। • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में समय से चेतावनी देने के लिए एक विस्तृत बाढ़	• बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर-निर्माण संबंधी योजनाओं के लिए एसईसी द्वारा एक उपयुक्त लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जायेगा। • एसईसी यह सुनिश्चित करेगी कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में भवन-निर्माण कार्यों में बाढ़ नियमावली का अनुपालन हो। • एसईसी अनियोजित विकास पर पाबंदी लगायेगी जिससे ऐसे निर्माण कार्यों को रोका जा सके

		पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित किया जायेगा। साथ ही, बाढ़ उन्मुखी क्षेत्रों में जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए उपनिवेश एवं आर्थिक क्रियाकलाप संबंधी कानूनों की जानकारी भी दी जायेगी।	जो प्राकृतिक ड्रेनेज में रुकावट डालते हैं। या जिनसे बाढ़ का खतरा बढ़ने की आशंका हो। प्रमुख इमारतों और प्रतिस्ठानों की सुरक्षा को वरीयता दी जायेगी। • जल बहाव, नहरों की क्षमता और जल संतुलन संबंधी अध्ययन करायें जायेंगे। जलवायु परिवर्तन के जल संसाधनों पर प्रभाव का भी अध्ययन कराया जायेगा। • एक ऐसा मंच तैयार किया जायेगा जिसके माध्यम से विभिन्न विभाग और प्राधिकरण (जैसे बांध प्राधिकरण, पावर प्लांट्स, यूएलबीज, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, डीएमएण्डआर) बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी का आदान प्रदान कर सकें।
4	ओलावृष्टि	• ओलावृष्टि सहित खराब मौसम के पूर्वानुमान और निगरानी के लिए डॉपलर स्थापित किये गये हैं। • पूर्व चेतावनी का प्रचार-प्रसार	• जयपुर में आईएमडी ने डॉपलर राडार लगाने का कार्य पूरा कर लिया है।
5	गर्मी एवं शीतलहर	• अगर जरूरत पड़ी तो राज्य शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम ग्रह स्थापित करेगा। • गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य सामुदायिक समूहों के सहयोग से राज्य	

		कम्बल, बैम्बूशीट्स, तारपॉलिन और कपड़ों के वितरण पर व्यवस्था करेगा।	
6	महामारी	• लक्षित टीकाकरण अभियान। • पूर्व चेतावनी एवं निगरानी कार्यों के लिए सामुदायिक भागीदारी। • संकटकालीन देखभाल के लिए उपकरणों का प्रबंध। • नई प्रयोगशालाओं की स्थापना और मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण। • सुरक्षित सेनिटेशन एवं हाइजीन, घरेलू जल उपचार, ओआरएस के प्रयोग और अन्य निरोधक दवाइयों के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार। • वैक्टर-बोर्न बीमारियों की रोकथाम के लिए कीटनाशकों का छिड़काव।	• क्रानिक क्षेत्रों में निगरानी के लिए इंटिग्रटेड सर्वेलेंस सिस्टम और सूचना तकनीक पर आधारित डिसीज सपोर्ट सिस्टम्स का विकास। • विभिन्न विभागों और प्राधिकरणों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच की स्थापना। • छिड़काव आदि में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों जैसे जहरीले पदार्थों की हैंडलिंग के लिए कानूनी व्यवस्था।
7	तेलअग्नि	• उद्योग इकाइयों, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों एवं सरकारी इमारतों की अग्नि सुरक्षा का स्वयं जोखिम विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मानक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण करना।	• उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के आस-पास मध्यवर्ती क्षेत्रों का विकास। • ऑयल डिपो और खतरनाक रासायनिक उद्योग इकाइयों के आस-पास प्रतिबंधित बसावट। • पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए खतरनाक उद्योगों के आस-पास हरी पट्टी का विकास। • ऑयल डिपो एवं उद्योगों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं

			(ऑनसाइट एवं ऑफसाइट) का सख्ती के साथ अनुपालन।
8	दावानल	• वनों में उच्च जोखिम भरे क्षेत्रों का माइक्रो-जोनेशन। • दावानल की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग टैक्नोलॉजि का इस्तेमाल • दावानल की पूर्व चेतावनी के लिए रिमोर्ट सेंसिंग के प्रयोगों का क्षमता-वर्धन। • उच्च जोखिम भरे इलाकों के लिए सिग्नेज	
9	आतंकवाद	• इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के माधयम से जानकारी का प्रचार-प्रसार। • सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, संस्थानों और होटलों में सीसीटीवी और ऐक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स की व्यवस्था। • प्रतिबंधित प्रवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाना। सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित प्रवेश एवं अतिक्रमणरोधी व्यवस्था के लिए अवरोधकों का निर्माण। गुप्त सूचना तंत्र और विश्लेषण प्रक्रियाओं का सशक्तिकरण। विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के इन्टेलिजेंस अनालाइसिस के एकीकरण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। • इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया, संचार	• विभिन्न राज्य एवं राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रदत्त गुप्त सूचनाओं के विश्लेषण के लिए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी (एसईसी) का गठन। एसईसी नियमित रूप से एनआईए एवं अन्य एजेंसियों से गुप्त सूचनाएं प्राप्त करेगी और उनके आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए उचित कार्यवाही निर्धारित करेगा। • आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कानूनों को और कठोर बनाया जायेगा जैसे अपहरण के मामले में नो नैगोशिएशन पॉलिसी और कड़े आतंकरोधी कानून।

		तकनीक, सूचना तकनीक एवं सोशल नेटवर्क का प्रयोग • प्रमुख प्रतिष्ठानों पर उच्च सुरक्षा प्रबंध	
10	न्यूक्लियर एवं रेडियोएक्टिव हैजर्ड्स	• सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहन देने के लिए इनाम एवं जुर्माने का प्रावधान • उद्योगों के लिए अनिवार्य डीडीआर योजना नीति। • मजबूत पूर्व चेतावनी, रिसाव पहचान एवं फायर अलार्म। • इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास (निकासी) के लिए सड़कें आदि) पर विशेष ध्यान। • पड़ौसी जिलों के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा। • इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, संचार तकनीक, सूचना तकनीक, सोशल मीडिया का प्रयोग। • पारदर्शी, विस्तृत, सफल एवं प्रभावी जोखिम प्रबंधन के क्रियान्वयन से जोखिमों को घटाया जा सकता है। इससे स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक एवं आर्थिक कारकों पर पड़ने वाले असर को भी प्रबंधित किया जा सकता है।	• अटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 भारत का प्रमुख न्यूक्लियर कानून है। अटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड (एईआरबी) अटॉमिक एनर्जी एक्ट में प्रस्तावित सुरक्षा प्रावधानों का नियंत्रण करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अटॉमिक विकिरण और नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से मानव स्थास्थ्य और पर्यावरण के लिए कोई खतरा पैदा न हो।

शमन

शमन उपायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :

1- ढांचागत उपाय: ऑन साइट कार्य, निर्माण एवं इंजिनियरिंग कार्य

2- गैर ढांचागत उपाय: अध्ययन, शोध, नियमन नीति परिवर्तन एवं क्षमतावर्धन संबंधी क्रियाकलाप जो ढांचागत उपायों को सपोर्ट करते हैं।

इन श्रेणियों को आगे इस तरह भी विभाजित किया जा सकता है: दीर्घावधि और अल्पावधि उपाय।

किसी आपदा के लिए प्रत्येक विभाग या नोडल एजेंसी द्वारा लम्बी एवं अल्प अवधि के लिए किये जाने वाले उपायों को तालिका 4.2 में दिया गया है। सभी विभाग अपनी-अपनी योजनाए, उद्देश्य एवं माइलस्टोन्स तैयार करेगें और अपनी उपलब्धियों और अगले साल की योजना के लिए उनका सालाना पुनर्निरीक्षण करेंगे।

एसईसी आपदा प्रबंधन से संबंधित देशी ज्ञान को ज्यादा बढ़ावा देगी। हैरिटेज इमारतों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा।

तालिका ४.२ विभागों एवं एजेंसियों के आपदानुसान शमन उपाय

आपदा/विभाग	अल्पावधि		दीर्घावधि	
	ढांचागत उपाय	गैर ढांचागत उपाय	ढांचागत उपाय	गैर ढांचागत उपाय
सूखा (संबद्ध एजेंसिया: डीएम एण्ड आर, जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग	• रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स • मृदा एवं नमी संरक्षण उपाय • चारागाहों का विकास • श्शुष्क कृषि पद्धति को बढ़ावा, जैसे लो टिलेज, इनसीट् सॉइल कंजरवेशन, रेज्ड बैड, रिज फरो, मल्चिंग आदि। • क्षेत्रीय स्तर पर जल संपदा बढ़ाने के लिए	• शुष्क कृषि तकनीक विकसित करने के लिए अर्न्तराष्ट्रीय शोध संस्थानों के साथ सहयोग • वाटरशेड और वाटर हारवेस्टिंग तकनीक के बारे में प्रशिक्षण • सामुदायिक चारा बैंक • नमक पतिरोधी फसलें • पानी की कम खपत वाली	• स्थानीय जल संसाधनों के विकास एवं संरक्षण के लिए विशेष अभियान • सिंचाई टेंक बनाने के लिए स्थान की पहचान और छोटी सिंचाई स्कीमों का निर्माण • लम्बी अवधि की सिंचाई परियोजनाएं • इंदिरा गांधी नहर परियोजना की	• सुखा रोधी कार्यक्रमों के लिए एमजीएन आइईजीएस का उत्तोलन • इन्टिग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट (आइडब्लूएम पी) एवं पार्टिसिपेटरी इरिगेशन प्रोग्राम्स

	एमजीएनआईजीएस और अन्य स्कीमों के बीच समाभिरूपता	तकनीकों को बढ़ावा, जैसे ट्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई	क्षमता बढ़ाने के लिए एमजीएनआईजीएस एवं राज्य की अन्य स्कीमों के बीच सहयोग	
भूकम्प (संबद्ध एजेंसियां: यूडीएच	• सभी प्रमुख शहरों में जो भूकम्प के प्रति सुभेध है, सभी इमारतों में रीट्रोफिटिंग पर विशेष ध्यान • निर्माण एवं भूमि उपयोग योजनाओं के लिए नियंत्रण के जनरल डिवेलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन (जीडीसीआर) में संशोधन	• भूकम्प्प संबंधी सुरक्षा के लिए पीडब्ल्यूडी और यूडीएच कर्मचारियों का अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन में उनकी भूमिका • प्रमुख शहरों में जो भूकम्प सुभेध हैं, सुरक्षा ऑडिट • भूकम्प रोधी विशेषज्ञताओं पर आर्कीटेक्ट्स, इंजीनियर्स और राज मिस्त्रियों का क्षमता वर्धन	• सभी शहरों, कस्बों और गांवों में सभी असुरक्षित इमारतों में रीट्रोफिटिंग • सभी इमारतों में भूकम्प सुरक्षा से संबंधित कानूनों का सख्ती से अनुपालन • सभी जोखिम उन्मुखी इलाकों का भूकम्पनी माइक्रो-जोनेशन संबंधी अधिसूचना	• सभी शहरों और कस्बों और गांवों का सुरक्षा आडिट • सभी विद्यालयों अस्पतालों और सार्वजनिक इमारतों में मॉक ड्रिल्स • सरकारी एवं गैर सरकारी आर्कीटेक्ट्स इंजिनियर्स आदि का भूकम्प-रोधी निर्माण के बारे में गहन प्रशिक्षण • सभी निजी इमारतों, जो सुरक्षा कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं और असुरक्षित हैं, को नोटिस जारी करना

बाढ़ (संबद्ध एजेंसियां: जल संसाधन और सिंचाई विभाग	• प्राकृतिक ड्रेनेज के रास्ते में हुए अतिक्रमण को हटाना • पुश्तों का निर्माण करना • नहरों/नालों में सुधार • शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम में सुधारीकरण • तूफानी जल प्रबंधन • सुरक्षित आश्रय घरों का निर्माण • जलसंभर प्रबंधन	• सभी जिलों में ढांचागत उपायों के लिए सूक्ष्म योजनाएं तैयार करना। • शहरों और गांवों में बाढ़ शमन के लिए निर्माण कार्यों में जेएनएनयूआरएम और एमजीएनआईइजीए के बीच सहयोग	• निचले इलाकों में ढांचागत विकास के लिए कानूनों का सख्ती के साथ अनुपालन। • आबादी वाले क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए नालों और बांधों का निर्माण • विस्तृत ड्रेनेज अध्ययन: राज्य सरकार/एसडीएमए ड्रेनेज संकुलन वाले क्षेत्रों में ड्रेजन सिस्टम का पुनर्निरीक्षण करेगी। अगर वर्तमान ड्रेनेज नालों या पुश्तों की अपर्याप्तता है तो उनमें सुधार किया जायेगा। • राज्य सरकार/ एसडीएमए प्राकृतिक ड्रेनेज में अवरोध पर प्रतिबंध लगाएगी और इसके लिए उचित कानून भी बनाएगी।	• इमारत सुरक्षा कानूनों को और मजबूत बनाया जायेगा। • बाढ़ प्रबंधन योजनाओं का विस्तृत प्रचार-प्रसार • उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रतिबंधित विकास कार्य • मानव-जीवन पशुधन एवं सम्पति संबंधी उचित बीमा स्कीमों को प्रोत्साहन

			• बरसात के अतिरिक्त पानी के निकास के लिए वर्तमान ड्रेनेज का क्षमता–वर्धन और नये नालों का निर्माण • बाढ़ अभेद्यता: राज्य सरकार / एसडीएमए सभी सार्वजनिक सुविधा स्थलों को बाढ़ से सुरक्षित बनाने के लिए उचित कदम उठायेगी। • प्राकृतिक ड्रेनेज के मार्ग में किये गए अतिक्रमण को हटाया जायेगा। • एसईसी जलसंभर प्रबंधन के लिए उचित कदम उठायेगी जैसे पेड़ लगाना, चैक डेम बनाना, घाटी अवरोधन आदि। इससे भूमि कटाव को रोका	

			जा सकेगा, जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पानी एवं तलहट के बहाव को रोका जा सकेगा।	
ओलावृष्टि / पाला (संबद्ध एजेंसियां: डीएम एण्ड आर, कृषि विभाग)		• बीमा एवं राहत कार्यों को प्रोत्साहन		• पूर्व चेतावनी तंत्र का आधुनिकीकरण
शहरी अग्नि दुर्घटनाएं (संबद्ध एजेंसियां: यूडीएच, सिविल डिफेस, स्थानीय निकास	• शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप में उंची इमारतों में, अग्नि सुरक्षा मानकों को सख्ती से अनुपालन • अग्नि सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरणों का आकलन, खरीद एवं अवास्थिति	• अग्नि दुर्घटनाए रोकने के लिए करो एवं मत करो का विस्तृत प्रचार-प्रसार • अग्नि शमन कर्मचारियों का गहन प्रशिक्षण • अम्नि शमन ड्रिल्स में आम लोगो की भागीदारी • पुराने उपकरणों का उचित रख-रखाव एवं प्रतिस्थापन • महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतों में लगे अग्नि शमन उपकरणों	• अग्नि शमन सेना एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण	• जरूरत और परिणाम आधारित योजना एवं प्रबंधन (जैसे मानव संसाधन एवं उपकरण) • अग्नि शमन कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों से सहयोग • विद्यालयों, अस्पतालों, ऊंची इमारतों

		का नियमित निरीक्षण		आदि में प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल्स की व्यवस्था
ग्रामीण अग्नि दुर्घटनाएं और दावानल (संबद्ध एजेंसियां: वन विभाग	• आपदा उन्मुखी क्षेत्रों का सीमांकन • उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सिग्नेज की व्यवस्था	• जानकारी अभियान		
बायोलोजिकल डिजास्टर (संबद्ध एजेंसियां: स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग	• मास कैश्जअल्टी मैनेजमेंट (एमसीएम) के लिए सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास	• इन्डेमिक क्षेत्रों/आबादी संबंधी डेटाबेस तैयार करना • इन्डेमिक क्षेत्रों में केन्द्रीयकृत परियोजनाएं • एमसीएम के लिए निजी एवं सरकारी अस्पतालों का प्रशिक्षण	• आरएचएसडीपी एवं एनआरएचएम स्कीमों के तहत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एवं आधुनिकीकरण • संभार तंत्र एवं औषध वितरण नेटवर्क को मजबूत करना	• एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य, जल एवं सेनिटेशन के लिए गांव स्तर पर योजनाए तैयार करना • मास कैश्जअल्टी मैनेजमेंट के लिए क्षमता-वर्धन • पुरानी एवं स्थानिक बीमारियों के लिए निगरानी तल को मजबूत करना • इंडेमिक क्षेत्रों की पहचान एवं मानचित्रीकरण

औद्योगिक एवं रासायनिक (तेलाग्नि सहित) (संबद्ध एजेंसियां: उद्योग विभाग, पेट्रोलियम विभाग, गृह विभाग,	• कर्मचारियों एवं अन्य सुभेद्य लोगों की सुरक्षा के लिए ऑनसाइट एवं ऑफसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास	• सभी जोखिम भरे उद्योगों के लिए एक गतिशील सुरक्षा योजना जिसमें कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता-वर्धन शामिल है। • जोखिम भरे उद्योगों के आसपास रहने वाले लोगों में जानकारी का प्रचार-प्रसार • सभी तरह की हैजडर्स वेस्ट के डिस्पोजल की सुरक्षित व्यवस्था • सुरक्षा के लिए नियमित निरीक्षण, अनुरूपण एवं मॉक ड्रिल्स • हैजड्र्स मटेरियल की हैंडलिंग के लिए क्षमता-वर्धन	• बड़ी औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा और हैजडर्स मटेरियल की हैंडलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास	• बड़ी औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा और हैजड्र्स मटेरियल की हैंडलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास • पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण प्रक्रिया का मजबूतीकरण
आतंकवाद (संबद्ध एजेंसियां: गृह विभाग		• सभी निजी एवं सरकारी इमारतों में अनिवार्य मॉक ड्रिल्स • सभी होटलों और गेस्ट हाउसेस में		• गुप्त सूचना आंकड़ो का एकीकरण, विश्लेषण एवं निर्णय प्रक्रिया • सभी सुरक्षाबलों

		पहचान एवं पंजीकरण प्रक्रिया का मजबूतीकरण • निजी इमारतों की सुरक्षा एवं निगरानी के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियों की नियुक्ति • निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण		एवं अन्य एजेंसियों के समायोजित प्रयासों के लिए आईसीएस/आई आरस का विकास • महाराष्ट्र में फोर्स वन की तर्ज पर आतंकवाद विरोधी सेना का गठन
नभिकीय (संबद्ध एजेंसियां: ग्रह विभाग	• इनबिल्ट सुरक्षा उपाय जैसे बॉयोलॉजिकल शील्ड सुरक्षा प्रणाली एवं इंटरलॉक	• आपदा रिसपॉन्स के लिए ऑनपसाइट एवं ऑफसाइट योजनाएं	• सुरक्षा ऑडिट संचालन एवं प्रशासनिक सुरक्षा के साथ-साथ सुरक्षा संस्कृति का अनुसरण जिससे रेडिएशन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। • इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास (बचाव कार्यों के लिए सड़कों आदि का निमार्ण)	• विसंदूषित प्रक्रिया के लिए चिकित्सकों का क्षमता-वर्धन • प्रदूषण रोकने के लिए जानकारी एकत्रित करना तथा उसका समुदायों में प्रचार-प्रसार करना

जलवायु परिवर्तन अल्पीकरण

जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, आगे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और इसका पर्यावरण, पारिस्थितिक, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों की रोटीरोजी पर प्रतिकूल प्रभाव एवं

जटिल समस्या के रूप में उभरेगा। द ड्राफ्ट राजस्थान क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान (आरसीसीएपी) में जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिकूल प्रभाव को प्रमुख चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है : (I) जल संसाधन, (II) कृषि एवं पशुपालन, (III) वन एवं जीव-विविधता, और (IV) स्वास्थ्य। इन चारों क्षेत्रों पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आरसीसीएपी में लम्बी अवधि वाले एवं अल्प अवधि वाले उपाय सुझाये गये हैं जैसे ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी, दीर्घकालीन आवासों का निर्माण और जलवायु परिवर्तन के बारे में सामाजिक ज्ञान में वृद्धि।

प्लान में सुझाये गये सामरिक उपाय निम्नलिखित हैं:

तालिका ४.३ जलवायु परिवर्तन के अल्पीकरण संबंधी उपाय

सैक्टर	उपाय
जल संसाधन	• जलवायु परिवर्तन के जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन के लिए एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करना • भू-जल प्रबंधन जिसमें अति-उपयोजित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान • सूखा निगरानी एवं पूर्व चेतावनी तंत्र का विकास • शहरी एवं ग्रामीण व्यवस्थाओं में जल संरक्षण एवं मांग प्रबंधन • जल उपयोग क्षमता में सुधार
कृषि एवं पशुपालन	• कठिन जलवायु-रोधी कल्टीवर्स और पशुधन का विकास • चारागाहों एवं बंजर भूमि का विकास और चराई भूमि का पुन:स्थापन • जलवायु जोखिम प्रबंधन के लिए डेटाबेस का सर्जन • शुष्क-भूमि की उत्पादकता में वृद्धि • बहुकार्यात्मक एग्रो-फोरेस्ट्री सिस्टम्स का प्रबंधन
फोरेस्ट्री एवं बायोडाइवर्सिटी	• वनों की अल्पीकरण (शमन) क्षमता बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण • वनों के प्रकार एवं प्रजातियों, विशेषरूप से रेगिस्तानी इकोसिस्टम और रेत के ढेरों के क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था • नई तकनीकों में पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण

स्वास्थ्य	• बीमारी निगरानी प्रणाली का विकास • सुभेद्य आबादी के लिए स्वास्थ्य-प्रभाव आकलन • प्राथमिक एवं सहायक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के लिए अन्तरक्षेत्रीय समाभिरूपता
ऊर्जा क्षमता	• ग्रीनहाउस गैसेज (जीएचजी) का आविष्करण और प्रबंधन • राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा-क्षमता का पूर्ण दोहन • ऊर्जा क्षमता पर विशेष ध्यान
दीर्घकालीन आवास	• भूमि उपयोग और परिवहन योजना का एकीकरण • ग्रीन बिल्डिंग लेजिसलेशन • परिवहन क्षेत्र में जीएचजी में कटोती • अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट

अध्याय – 5

आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना

प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलेक्टर उत्तरदायी होगा। इसके लिए जिला कलेक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकता है। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अथवा सहायक जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगें। आपदा के समय बून्दी जिले के सम्पर्क दूरभाष नम्बर 0747–1077 (ईओसी नम्बर) है।

स्थायी व्यवस्था

- जिला कलेक्टर जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA) का गठन किया हुआ है जिसमें निम्न सदस्य है।

क्र.सं.	अधिकारी	पद	फोन नं.
1.	कलेक्टर	अध्यक्ष	2443000
2.	एस.पी.	सदस्य	2442111
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि0प0	सदस्य	2443596
4.	ए.डी.एम. (सीलिंग)	सदस्य	2442433
5.	ए.सी.ई.ओ. जिला परिषद	सदस्य	2443575
6.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	2442895
7.	पशुपालन अधिकारी	सदस्य	2442816
8.	अधि शषी अभियंता, पी.एच.ई.डी.	सदस्य	2456448
9.	अधिशषी अभियंता, सिंचाई	सदस्य	2443428
10.	अधिशाषी अभियंता आर.एस.ई.वी.	सदस्य	2443770
11.	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक	सदस्य	2442842
12.	स्टेशन मास्टर रेल्वे	सदस्य	2443582
13.	जिला परिवहन अधिकरी	सदस्य	2443420
14.	जनसम्पर्क अधिकारी	सदस्य	2444847
15.	जिला रसद अधिकारी	सदस्य	2442815
16.	आयुक्त, नगरपरिषद् बून्दी	सदस्य	2443903

- जिला कलेक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवायेगा तथा प्रत्येक विभाग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करेगा तथा सूचना सचिव सहायता को भेजेगा।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त करना तथा आदेश देना। इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेंगे।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना जो कि 24 घंटे कार्यरत होगा।

नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित होगा।
- नियंत्रण कक्ष में कुल छः व्यक्तियों की तीन पारी में नियुक्ति होगी (दो व्यक्ति हर पारी में)।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. होंगे।
- नियंत्रण कक्ष के फोन नं. आसान व याद रखने योग्य होने चाहिए। अगर हो सके तो तीन अंकों (103) का नम्बर दिया जा सकता है ताकि आम व्यक्ति सूचना आसानी से दे सके।

आपदा के दौरान

कलेक्टर की भूमिका

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतू सूचनाएं व आकडें तैयार रखवाना।

जिला प्रशासन

- आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
- रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।

- नियन्त्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यो के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउंटर बनाना।
- जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोड़ल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व प्रभावित स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी., स्काउट इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेगें।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

चिकित्सा विभाग की भूमिका

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पतालों में घायलों को भर्ती करने हेतु पर्याप्त जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद/निगम की मदद लेना।

सिंचाई विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगा (जैसे पम्पसेटो की व्यवस्था आदि करना)
- बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना।
- कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।
- बांधों व तालाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यटी पर बुलायेंगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।

- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गो की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से हो सके।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग

- आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

राजस्थान राज्य विद्युत निगम

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोडना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना ।

दूर संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

नगर पालिका/परिषद/ निगम

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाईयों का छिडकाव तथा सफाई की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएँ प्रदान करना। (अग्निशमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)

परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।

खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डाक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

स्वंयसेवी संगठन

- हर तरह की आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल (NDRF)

- राहत एवं खोज बचाव कार्य हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल की एक कम्पनी नारेली, किशनगढ़, जिला अजमेर में तैनात है। यह NDRF छठी बटालियन गाँधीनगर गुजरात की कम्पनी है। जो भूकम्प, बाढ़ आदि आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित एवं पूर्ण संसाधनो से सुसज्जित है। किसी भी आपदा के समय एवं आपदा के उपरान्त जिस कम्पनी की सेवायें ली जा सकती है कम्पनी का पूर्ण पता निम्न प्रकार है—

  श्री ए.एस. चौहान डिप्टी कमाण्डर ई/6 बटालियन एनडीआरएफ जाआरपी क्वाटर्स 11 वीं आरएसी बटालियन के सामने पोस्ट नारोली जिला अजमेर पिनकोड—305024 मो. नं. 9414005412
- इसके अतिरिक्त विषम परिस्थितयों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिसाद दल गाँधीनगर गुजरात की सेवायें भी प्राप्त की जा सकती है।

राज्य आपदा मोचन बल (R.A.C. Kota) :—

- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य आपदा मोचन बल (S.D.R.F.) का 50 प्रशिक्षित एवं उपकरणों से सुसज्जित कर्मिकों के बचाव दल का मुख्यालय कोटा में रखा गया हैं। जिसके दूरभाष नम्बर 0744—2350775 है।

अध्याय–6

जिले में सम्भावित आपदाएं व तैयारी

6.1 सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है–प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का अभाव
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण
- भू जल स्तर का कम होना
- कुओं का सूखना
- फसलों का नष्ट होना

सूखे के प्रकार

- **मौसम विज्ञान संबंधी सूखा** :– अपर्याप्त वर्षा, अनियमित वर्षा, पानी का असमान वितरण
- **जल विज्ञान संबंधी सूखा** :– पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्त्रोतों का अवक्षय, तालाबों, कुओं तथा जलाशयों का सूखना
- **कृषि संबंधी सूखा** :– फसल अथवा चारे की कमी, मृदा में नमी की कमी।

राजस्थान एवं सूखा एक दूसरे के समानार्थक है।

सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या हैं परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते0 हैं।

दीर्घकालीन उपाय

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्त्रोतों का पुनर्जीविकरण
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू–कूंपों का पुनर्भरण।
- मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्यति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यों की शुरूआत
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोंतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना (परिशिष्ट संख्या 14)
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लियें चिकित्सकीय एवं पेरोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लियें पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना ।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवस बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

स्वंय सेवी संगठन

- राहत कार्यो एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी इस विपत्ति हेतु ज़िला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- दोषपूर्ण नलकूंपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्यो के अर्न्तगत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईंधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।

विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध

सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें।

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास हे। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द–बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोके के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में ड़ालें।
- जल संग्रहरण हेतु बनये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भसरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं कयोंकि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।

- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

6.2 बाढ़

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है—विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
- पेड़ों की संख्या में कमी
- वृहत अपवाह क्षेत्र
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- अपवाह में अवसादीकरण
- बादल का फटना
- भूकम्प

1. बाढ़ नियंत्राण कक्ष की स्थापना :—

जल संसाधन खण्ड, बून्दी के कार्यालय में बाढ़ नियंत्राण कक्ष की स्थापना दिनांक 15 जून से प्रारम्भ कर दी जावे । नियंत्राण कक्ष का टेलीफोन नं. 0747—2447480 व अधिशाषी अभियन्ता के निवास का टेलीफोन नं. 2443429 हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15 जून से 30 सितम्बर तक कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घण्टें बाढ़ नियंत्रण कक्ष संचालित रहता हैं। जिसके नं0 2447480 हैं। बाढ़ नियंत्राण कक्ष पर 24 घण्टें 16 होमगार्ड जवान (तैराक सहित) मय लाईफ जेकेट, रस्से, ड्रेगन लाईट आदि बचाव कार्यो में आवश्यक सामग्री सहित तैनात रहते हैं।

2. वाहन व्यवस्था :—

वर्तमान में खण्डीय कार्यालय के पास कोई ट्रक, ट्रेक्टर वाहन एवं नाव की व्यवस्था नहीं है। अधिक्षण अभियन्ता, सिंचाई अपने स्तर पर नावों की सूची प्राप्त कर नियंत्राण कक्ष एवं टी0डी0आर0 को उपलब्ध करा दें।

3. अन्य व्यवस्था :—

बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु इस खण्ड में 2000 कट्टे खाली सदैव उपलब्ध हैं

4. वैकल्पिक मार्ग :—

संभावित बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रभावित व्यक्तियों को संलग्न सूची में उल्लेखित अनुसार वैकल्पिक मार्ग द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा ।

5. बॉधों की मरम्मत हेतु सामग्री पहुंचाने वाले रास्ते की सूची संलग्न हैं ।

6. वर्षा मापक केन्द्र :—

खण्ड में स्थापित निम्नलिखित वर्षा मापक केन्द्रों की प्रातः 8 बजे तक की सूचना जिला नियंत्राण कक्ष को उपलब्ध कराने हेतु अधिक्षण अभियन्ता, सिंचाई जिम्मेदार होंगे।

वर्षा मापक केन्द्रों की सूची निम्न प्रकार हैं :—

1. अभयपुरा
2. गुढ़ा डेम
3. चॉदा का तालाब
4. बरधा बांध (परि.ख.)
5. कार्यालय जल संसाधन खण्ड बून्दी
6. वर्षा की सूचना संकलित कर जिला बाढ़ नियंत्राण कक्ष को प्रातः 9 बजें तक सूचित कर दिया जावेगा ।
7. इस खण्ड के अधीन निम्नलिखित वायरलेस सेट स्थापित किये जा रहे हैं —
   - 1— जल संसाधन खण्ड , बून्दी (बाढ़ प्रकोष्ठ)
   - 2— गुढ़ा बांध
   - 3— अभयपुरा बांध
   - 4— चॉदा का तालाब
   - 5— बरधा बांध
   - 6— मोबाईल सेट वाहन जिप्सी नं. (आर.पी.एफ. — 1980)
8. बॉधों के भराव की सूचना सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता सीधे बाढ नियन्त्राण कक्ष को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगें ।
9. आवश्यकता पडनें पर नावों की व्यवस्था अपने स्तर पर करेंगे।

: बॉधो के जलस्तर की सूची :

जल संसाधन विभाग के मुख्य मुख्य बाँध एवं तालाबो के पूर्ण भराव की क्षमता निम्न प्रकार है

क्र. स.	नाम बांध / तालाब	कुल क्षमता (Mcft)	कुल भराव (फीट मे)	प्रभावित गांवो की सूची
1	गुढा बांध	3375.00	34.50	विवरण संलग्न है (प्रपत्र क)
2	बून्दी का गोठडा	670.00	24.50	विवरण संलग्न है (प्रपत्र क)
3	दुगारी	639.00	9.00	दुगारी बॉसी
4	पाईबालापुरा	458.00	25.00	भजनेरी, माणा, डोकुन
5	पेच की बावडी	198.50	18.00	पेच की बावडी, काला माल
6	रोनिजा	185.00	24.00	गोठडा
7	बंसोली	132.00	9.00	बंसोली, मोडसा
8	मोतीपुरा	132.80	17.00	मोतीपुरा, झोपडिया पोह का नाला
9	बटावदी	114.18	10.00	केथूदा, सूँसा
10	बांक्या खाल	109.25	12.50	सहसपुरिया, रामपुरिया सिंघाडी
11	इन्द्राणी	197.00	18.00	विवरण संलग्न है (प्रपत्र क)
12	मरडिया	140.70	18.04	मरडिया, ओवण
13	नारायणपुरा	89.84	29.84	नारायणपुरा, रानी की झो., बहादुरपुरा
14	चान्दा का तालाब	120.53	24.60	विवरण संलग्न है (प्रपत्र क)
15	मेण्डी बांध	96.57	10.50	मेण्डी
16	जैतसागर	35.69	17.25	बून्दी सिटी
17	माछली	198.00	13.00	विवरण संलग्न है (प्रपत्र क)
नोटः– निम्न बांध परियोजना खण्ड बून्दी को स्थानान्तरित कर दिये गये है।				
1	बरधा बांध	1024	21.00	विवरण संलग्न है (प्रपत्र क)
2	भीमलत	412.66	36.00	विवरण संलग्न है (प्रपत्र क)
3	अभयपुरा	263.00	26.50	विवरण संलग्न है (प्रपत्र क)
4	गरडदा मध्यम सिंचाई परियोजना	1568.00	62.00	वर्तमान मे क्षतिग्रस्त
5	चाकन लघु सिंचाई परियोजना	455.15	17.06	

बाढ़ से बचाव कन्टेन्जेंसी प्लान :–

ऐसे तालाबों जिनके गैज प्रतिदिन रिकार्ड किये जाते हैं और जिनकी सूचना खण्डीय कार्यालय में स्थित बाढ़ प्रकोष्ठ में टेलीफोन / वायरलेस एवं विशेष वाहक की मदद से संकलित की जाती हैं, और मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग/ जिला प्रशासन एवं उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। इस परिशिष्ठ में बांधों को पूर्ण भराव क्षमता एवं पूर्ण भराव गेट दर्शाऐ गऐ है।

इन 20 व दो प्रगतिरत् बांधों में से 15 तालाब ऐसे हैं जिनमें बांध के पूर्ण भराव क्षमता से अधिक पानी की वेस्ट वियर या बाई पास के निकासी के समय नीचे के क्षेत्रों में पानी भर जाता हैं और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती हैं। उपरोक्त 15 तालाबों में से 7 तालाब बड़े एवं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें भराव क्षमता से अधिक पानी आने पर इन पर अधिक निगरानी एवं बाढ़ की संभावना बनी रहती हैं ।

इन 7 बांधों के बारे में पूर्ण जानकारी निम्न प्रंकार हैं :—

1. गुढ़ा बांध —

यह बांध मेज नदी पर गुढ़ा गांव के निकट स्थित बून्दी जिले का सबसे बड़ा बांध हैं, इसकी कुल भराव क्षमता 3375 मि.घ. फुट तथा पूर्ण भराव गैज 34.50 फुट हैं। बांध का डिजाईन फ्लड डिस्चार्ज 86000 क्यूसेक हैं, जिसे बांध के बांये किनारे स्थित गेट्स एवं बाई वाश के जरिये निकाला जाता हैं। बांध से 50000 क्यूसेक पानी छोडे जाने पर बांध के नीचे स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 12 की बून्दी से 15 कि.मी. पर स्थित पुलिया पर डेढ़ फुट तक पानी आ जाता हें एवं सड़क मार्ग अवरूद्ध हो जाता हैं एवं अलोद के निकट बून्दी, दबलाना मार्ग पर स्थित पुलिया पर 10 फुट पानी आ जाता हैं । नदी के किनारे स्थित गांव बीचड़ी, अलोद व दबलाना मुख्यतः प्रभावित होते हैं । वर्ष 1986 में बांध से 106000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग की पुलिया पर 6.5 फुट एवं अलोद पुलिया पर 15 फुट पानी रिकार्ड किया गया जिससे उस समय अलोद एवं दबलाना गांव के नदी के किनारे पर स्थित निवासियों को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया गया। बांध का रिवाईज्ड फ्लड डिस्चार्ज 1,50,000 क्यूसेक आंका गया जिसके आने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 10 फुट एवं अलोद पुलिया पर 20 फुट पानी के आने की संभावना हो सकती हैं। 150000 क्यूसेक पानी आने पर गांव की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता हैं। वर्ष 2000 में बांध पाईपिंग हुई थी जिसका अस्थाई समाधान किया गया है, स्थाई समाधान हेतु बजट अपेक्षित है। इस बांध के फलड डिस्चार्ज से खटखड से नैनवां व लाखेरी मार्ग भी अवरूद्ध हो जाता हैं।

(क) प्रभावित गांव :—

बांध से उपरोक्त संदर्भित फ्लड डिस्चार्ज छोड़ने पर निम्नलिखित गांव प्रभावित होगें :—

1. मांगली कलां 2. बीचड़ी 3. अलोद 4. ड़ाबला 5. दबलाना 6. ढगारिया 7. अणदगंज

(ख) बचाव के उपाय :—

गुढ़ा बांध पर सिंचाई विभाग द्वारा एक वायरलेस सेट लगाया गया हैं, जिसका सीधा सम्पर्क बाढ़ नियंत्राण कक्ष सिंचाई विभाग, बूँदी से हैं। बांध से पानी निकाले जाने पर सूचना नियंत्राण कक्ष, बून्दी को दी जाती हैं जो सूचना का जिला प्रशासन को नियंत्राण कक्ष द्वारा दूरभाष पर दी जाती हैं, जिला प्रशासन बाढ़ की स्थिति में दबलाना एवं हिण्डोली थानेदार को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करता हैं ।

(ग) बांध का सम्पर्क रास्ता :—

(1) सामान्य स्थिति में गुढ़ा बांध पर बून्दी से राष्ट्रीय राजमार्ग पर 15 कि.मी. बडानयागॉव के बायी तरफ स्थित हुलासपुरा नहर के सहारे 10 कि.मी. लम्बी पक्की सड़क द्वारा पहुँचा जा सकता हैं, परन्तु बाढ़ की स्थिति में उक्त रास्ते से तुरकड़ी नाले में पानी की वजह से जीप का रास्ता बंद हो जाता हैं, इससे आगे 4 कि.मी. केवल पैदल जाया जा सकता हैं ।

(2) सामान्य स्थिति में बॉध पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बून्दी से 19 कि.मी. पर स्थित चतरगंज गांव के निकट बॉध की बांई मुख्य नहर के सहारे 8.50 कि.मी. लम्बी सड़क डब्ल्यू.बी.एम. द्वारा बॉध के बॉये हिस्से पर पहुंचा जा सकता हैं। बरसात से बाढ़ की स्थिति में उक्त मार्ग पर स्थित नालों में पानी भर जाने पर पहुंचना संभव नही है।

(3) एक कनिष्ठ अभियंता का मुख्यालय गुढ़ाबांध पर ही हैं एवं एक कनिष्ठ अभियन्ता का मुख्यालय सथूर में हैं ।

2. भीमलत एवं अभयपुरा बॉध

अभयपुरा बांध भीमलत नदी पर स्थित मिट्टी का बांध हैं। अभयपुरा बांध के उपर इसी नदी पर भीमलत नदी, मांगली नदी की एक सहायक नदी हैं, जो चम्बल नदी के संबंधित मेज नदी के बेसन में स्थित है। इस बांध की कुल भराव क्षमता 263 मि.घ.फुट हैं तथा पूर्ण भराव गेज 26.25 फुट हैं। इस बांध पर 600 फुट लम्बाई का वेस्तवियर से 10500 क्यूसेक पानी की निकासी बांध को सुरक्षित रखते हुए निकाली जा सकती हैं । इस बांध से 1 से 18500 क्यूसेक पानी छोडे जाने पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती हैं । बांध के नीचे ही एक ग्राम मेघारावत की झोंपडियॉ स्थित हैं, जिसकी सुरक्षा हेतु हांलाकि गाईड बनाया हुआ हैं, फिर भी ग्राम में मुख्य रूप से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती हैं । अभयपुरा बांध सुरक्षात्मक दृष्टि मापदण्ड के अनुरूप नहीं होने के कारण विभाग द्वारा डिस्ट्रेस घोषित किया गया है, बाध की स्थाई सुरक्षा की कार्यवाही पूर्ण करायी गई है।

(क) यातायात व रास्ते की सुरक्षा :—

यह नदी बांध के नीचे आगे चल कर बूँदी चित्तौड मार्ग को 21 कि.मी. (नीम का खेडा) गांव के पास क्रास करती हैं जो बांध से 10000 क्यूसेक पानी छोडे जाने की स्थिति में इस पुलिया पर पानी आ जाने से यह रास्ता अवरूद्ध हो जाने से यातायात बन्द हो जाता हैं। इससे आगे चलकर यह श्रीनगर गांव के पास मांगली नदी में मिलने पर बूँदी से नमाना—गरडदा रोड़ पर लगभग 3 फुट पानी आ जाता हैं एवं रास्ता यातायात रूक जाता हैं। इससे आगे चलने पर मांगली नदी राजमार्ग संख्या 12 को बून्दी से 8 कि.मी. दूर से क्रास करती हैं, इसके अधिकाधिक वर्षा एवं बांध से 20000 क्यूसेक पानी छोडे जाने पर यह रास्ता भी यातायात के लिए रूक जाता हैं । भीमलत बांध के निकट जलंधरी रेल्वे स्टेशन है, अतिवृष्टि के समय रेल्वे लाईन से जलंधरी पहुचकर 2 कि.मी. पैदल चलने पर भीमलत बांध के निकट पहुचा जा सकता है, किन्तु बांध के दोनो ओर वेस्ट वियर (ओवर फ्लो) होने से बांध तक नहीं पहुचा जा सकता है।

(ख) सुरक्षा व्यवस्था :—

जल संसाधन विभाग द्वारा इस बांध पर एक वायरलेस सेट की व्यवस्था हैं, जिसका सीधा सम्पर्क बाढ़ नियंत्राण कक्ष जल संसाधन खण्ड से हैं, प्रतिदिन इसके गेज तथा पानी की निकासी की मात्राा के बारे में सूचना नियंत्राण कक्ष बूँदी को दी जाती हैं तथा टेलीफोन के माध्यम से जिला प्रशासन को बयान एवं सुरक्षा की कार्यवाही हेतु सूचना दिये जाने की व्यवस्था हैं। जिला प्रशासन एवं पुलिस की मदद से बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हैं।

3. बरधा बांध :—

यह बांध तालेडा नदी पर स्थित स्टेट समय का पुराना मेसनरी बांध हैं। इसकी कुल वर्तमान भराव क्षमता 1010 मि.घ. फुट पानी एवं पूर्ण भराव गेज 21.00 फुट हैं। इस बांध की कुल लम्बाई 2200 फुट हैं, जिसमें से 500 फुट(नॉन आहॅवर फ्लो) व 1700 फुट (ऑवर फ्लो) पक्का मेसनरी बांध हैं। बांध से अधिकतम पानी की निकासी 43000 क्सेसेज हैं जो ओवर फ्लो सेक्शन से 4.00 फुट लिफ्ट में निकलता हैं । अभी तक इस बांध से 9.00 फुट की चादर चढ चुकी हैं तथा दिनांक 26.8.95 को बरधा बांध क्षतिग्रस्त हुआ था जिसे उसी वर्ष मरम्मत करवा दिया गया था , जिससे निम्नांकित गांव प्रभावित हुए थे —

1. गागोस 2. मेण्डी 3. खुराड 4. सांथेली 5. जरखोदा 6. तालेड़ा गांव का नदी किनारे का निचला हिस्सा

बांध के स्थाई मरम्मत हेतु बजट अपेक्षित है।

इस बांध पर एक फुट चादर चलने तक कोई रास्ता अवरूद्ध नही होता हैं। इससे अधिक चादर चलने पर इस नदी का पानी राजमार्ग संख्या12 कोटा—बूँदी मार्ग में तालेड़ा गांव के पास सडक अवरूद्ध कर देता हैं। वर्तमान में नदी पर नई पुलिया का निर्माण कर दिया गया हैं ।

बॉध पर पहुंचने का रास्ता :—

1— उक्त बांध पर बून्दी से पहुँचने के दो रास्ते हैं। बून्दी से बरूधन वहॉ से लक्ष्मीपुरा (पक्का रास्ता) लक्ष्मीपुरा से पहाड़ी रास्ता 5 कि.मी. दूर जो मॉगली व घोड़ा पछाड नदी पर स्थित पुलिया पर पानी आ जाने पर अवरूद्ध हो जाता हैं, शेष काल में कभी भी पहुंचा जा सकता हैं।

2— कोटा से तालेडा से अल्फानगर रोड से बरधा बांध (पक्का रास्ता) यह रास्ता अतिवृष्टी से अवरूद्ध नहीं होगा।

3— बून्दी से तालेडा से अल्फानगर से बरधा बांध पर पक्का रास्ता हैं । राजमार्ग नं. 12 मांगली नदी एवं घोड़ पछाड़ नदी की पुलिया पर पानी से अवरूद्ध रहेगा।

4— कोटा से या बून्दी से बून्दी ब्रांच नहर के साथ रोड सडक मार्ग से भी पहुंचा जा सकता हैं, लेकिन यह मार्ग कच्चा हैं ।

4. इन्द्राणी बांध

यह बांध इन्द्राणी नदी पर एवं इन्द्रगढ कस्बें के पास ही स्थित हैं, इस बांध की कुल वर्तमान भराव क्षमता 178 मि.घ.फुट हैं एवं इसका पूर्ण भराव गेट 18.00 फुट हैं, इस बांध की लम्बाई 3750 फुट हैं इस बांध की क्षमता से अधिक पानी को इस बांध के 500 फुट लम्बे वैस्ट वियर द्वारा निकालने की व्यवस्था हैं। इस वेस्टवेयर द्वारा कुल 13250 क्यूसेक पानी सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता हैं। 13250 क्यूसेक्स पानी निकाले जाने पर बांध को वेस्टवियर पर 3.65 फुट पानी होगा। इससे अधिक पानी बांध से निकाले जाने पर नदी के सहारे ग्रामों की निचले क्षेत्रा में बाढ की स्थिति पैदा हो जाती हैं। इससे प्रभावित गांव इन्द्रगढ, मोहनपुरा, छ़ापुरा, मुई एवं चक खेडली ग्राम हैं, इनमें सबसे अधिक प्रभावित ग्राम इन्द्रगढ एवं मोहनहपुरा हैं, जो नदी के किनारे बांध से एक कि.मी. स्थित हैं । बांध के स्थाई मरम्मत हेतु बजट अपेक्षित है।

बांध पर पहुंचने का रास्ता :—

1— बून्दी से लाखेरी से इन्द्रगढ 90 कि.मी.(पक्का रास्ता) इन्द्रगढ से बांध पर पहुचा जा सकता हैं, लेकिन अधिक वर्षा में बून्दी व इन्द्रगढ के बीच के नाले व नदियों में उफान के कारण रास्ता अवरूद्ध हो जाता हैं ।

2— इन्द्रगढ, कोटा व दिल्ली रेल्वे लाईन पर स्थित है। अतः रेल्वे लाईन से अतिवृष्टि के समय इन्द्रगढ़ पहुंचा जा सकता है।

3— बून्दी से जेतपुर, तलवास, करवर होते हुए इन्द्रगढ पहुंचा जा सकता हैं। यह रोड़ पक्का हैं तथा 73 कि.मी. हैं ।

5. बून्दी का गोठड़ा

यह बांध बेजान नदी पर स्थित हैं एवं बून्दी से 35 कि.मी. दूर हैं, जिसमें से धोवड़ा 20 कि. मी. तक पक्का एवं शेष 15 कि.मी. कच्चा रास्ता हैं, इसकी कुल भराव क्षमता 670 मि.घ.फुट हैं तथा पूर्ण भरावह क्षेत्रा 24.51 फुट हैं, गांव का फ्लड डिस्चार्ज 2250 क्यूसेक्स पानी निकाले जाने पर बांध के नीचे स्थित गांवों के निचले क्षेत्राों में पानी भर जाता हैं। इस पानी से मुख्यतः गोठड़ा, लुहारिया एवं बालग्राम प्रभावित होते हैं। इस बांध की अधिकतम फ्लड लिफ्ट 2.00 फुट वर्ष 1987 में नापी गई थी जिससे सिर्फ गोठडा गांव में बाढ की स्थिति पैदा हुई थी। अगर कभी बाढ की स्थिति उत्पन्न हो जावें तो बून्दी इसकी सूचना दबलाना पुलिस थाने से पहुंचाई जा सकती हैं। बांध के स्थाई मरम्मत हेतु बजट अपेक्षित है।

बांध पर पहुंचने का रास्ता :—

1— बून्दी से गोठडा वाया अलोद धोवडा होकर पहुंचा जा सकता हैं। अलोद की पुलिया पर मेजनदी से ज्यादा पानी आ जाने की वजह से मार्ग पूर्णरूप से अवरूद्ध हो जाता हैं ।

2— बाल, रानीपुरा के लिए दबलाना तक 21 कि.मी. पक्का रोड़ हैं जो कि अलोद की पुलिया को पार करके जाना पड़ेगा तथा दबलाना से 12 कि.मी. कच्चा रास्ता हैं ।

6. चॉदा का तालाब बॉध :—

यह बांध लोकल नाला पर दुल्हेपुरा गांव के पास ही स्थित हैं, इस बांध की भराव क्षमता 12053 मि.घ.फुट एवं पूर्ण भराव गेज 24.60 फुट हैं इस बॉध की कुल लम्बाई 1395 मीटर हैं। इस बॉध का फ्लड डिस्चार्ज 20000 क्यूसेक हैं जिसे बांध के बाईवाश एवं वेस्तवियर में जो बांध में पानी की अधिक आवक हो जाने की वजह से निकाला जाता हैं। बॉध से छोडे गये पानी को सीधा दुल्हेहपुरा में पहुंचाता हैं । वर्षा में बून्दी से बॉध पर पहुंचने के लिए सिलोर 8 कि.मी. दूर एवं करजूना नाला जो कि बून्दी से 10 कि.मी. दूरी पर आता हैं और उसके बांद गुंवार 30 कि.मी. गॉव के पास लोकल नाला पार करके पहुंचना पड़ता हैं। मांगली नदी में अतिवृष्टि के समय बून्दी गंवार मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। इस स्थिति में बांध तक नहीं पहुचा जा सकता है।

(क)प्रभावित गॉव —

बॉध से फ्लड डिस्चार्ज छोडने पर निम्न गॉव खास तौर पर प्रभावित होते हैं —

1. दुल्हेपुरा 2. श्यामु 3. चॉदा का तालाब

(ख)बचाव के उपाय –

जल संसाधन खण्ड द्वारा इस बॉध पर एक वायरलेस सैट की व्यवस्था हैं जिसका सीधा सम्पर्क बाढ नियंत्राण कक्ष, बूँदी से है। प्रतिदिन इसके गेज व पानी निकासी की मात्राा के बारे में सूचना नियंत्राण कक्ष, बून्दी को दी जाती हैं तथा टेलीफोन के माध्यम से जिला प्रशासन को बचाव एवं सुरक्षा की कार्यवाही हेतु सूचना दिये जाने की व्यवस्था हैं ।

7. मॉछली बॉध :–

माछली लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण माछली नदी पर सहण गॉव, तहसील नैनवॉ में स्थित हैं। बॉध की भराव क्षमता 17700 मि.घ.फुट प्रस्तावित है। बॉध का पूर्ण भराव गैज 13 फीट हैं ।

(क) प्रभावित गॉव :–

बॉध से पानी डिस्चार्ज होने पर निम्नलिखित गॉव खास तौर पर प्रभावित होते हैं :

1. सहण 2. झोपडें 3. विहारीपुरा 4. मोडसा

(ख) बचाव के उपाय :–

विभाग के दो श्रमिक प्रत्येक पारी में उपलब्ध रहेगें। बॉध पर मिट्टी के थेले भरकर रखे जाते हैं । इन श्रमिकों द्वारा ही बॉध की स्थिति की सूचना टेलीफोन के माध्यम से जिला प्रशासन तथा विभाग को उपलब्ध करवाई जावेगी। पाईबालापुरा एवं पेचकीबावडी सुरक्षात्मक दृष्टि से मापदण्ड के अनुरूप नही होने के कारण बॉध की स्थाई मरम्मत हेतु बजट अपेक्षित हैं

उपरोक्त बॉधों के अलावा बून्दी शहर में अतिवृष्टि की स्थिति में बूँदी शहर में भी नवलसागर बॉध से पानी की निकासी के दौरान निचलें इलाकों में प्रशासन द्वारा कदम उठाये जाते हैं एवं इस में सिंचाई विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता हैं ।

वर्षाकाल में मुख्य बॉध के गेज वर्षा की स्थिति आदि की तुरन्त जानकारी प्राप्त करने हेतु भी व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं। इस कार्य हेतु खण्डीय कार्यालय में बाढ नियंत्राण कक्ष की स्थापना की गई हैं जिसमें वायरलेस सेट लगाया गया हैं । यह बाढ नियंत्राण कक्ष 24 घण्टे कार्यरत रहेगा। विभाग द्वारा बांध गुढा, चॉदा का तालाब एवं भीमलत पर भी वायरलेस सेट लगाये गये हैं। बॉधों पर लगाये गये वायरलेस सेट से दैनिक रूप से सुबह 8.00 बजे से 3.00 बजे तक दैनिक गेज एवं वर्षा की सूचना प्रेषित कर जयपुर एवं कोटा को प्रेषित की जाती हैं। इसके अलावा जिले के समस्त पुलिस थानों को इस कार्यालय स्तर से निर्देशित किया गया हैं कि जो भी सूचना सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से मिलती हैं उसे प्राप्त करें एवं जिला मुख्यालय पर स्थित सिंचाई विभाग में स्थित बाढ़ नियंत्राण कक्ष को भिजवायें। सिंचाई खण्ड बूंदी में बाढ प्रकोष्ठ की स्थापना 15.6.2009 से की गई है, जिसका फोन नं0 2443428 है, जो लगातार चौबीस घण्टे कार्यरत रहता है।

8. मोतीपुरा बांध :–

मोतीपुरा बांध स्थानीय नाले पर मोतीपुरा गांव तह0 नैनवां जिला बून्दी में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है।

(क) प्रभावित गॉव :–

बॉध से पानी डिस्चार्ज होने पर मोतीपुरा गांव प्रभावित होगा।

(ख) बचाव के उपाय :—

विषम परिस्थितियों बचाव हेतु बांध पर 500 खाली सीमेण्ट के बेग में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवा दिये जाते है तथा वर्षाकाल में बांध पर 2 बैलदार निगरानी हेतु तैनात कर विषम परिस्थितियों में बाढ़ नियंत्राण कक्ष को समीप के टेलिफोन से सूचित करने हेतु निर्देशित किया हुआ है।

बांध पर पहुंचने हेतु बून्दी नैनवां रोड़ से फूट का तालाब स्थान से कच्चे रास्ते के जरिये 3 किमी चलने पर बांध पर पहुंचा जा सकता है।

9. बसोली बांध :—

बसोली बांध देई से 5 किमी दूर स्थानीय नाले पर बसोली बांध के पास स्थित है। उक्त बांध की भराव क्षमता 132.00 एम.सी.एफ.टी. है। साधारणतया उक्त बांध में भराव क्षमता से कम ही पानी आता है तथा अधिक पानी आ जाने पर वेस्टवियर के जरिये बांध का पानी नाले के पास कर दिया जाता है जो आगे जाकर माछली नदी में निकलता है।

(क) प्रभावित गॉव :—

विषम परिस्थितियों में पानी के डिस्चार्ज से बसोली व मुरड़िया गांव प्रभावित होता है।

(ख) बचाव के उपाय :—

बांध को अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु बांध पर 200 खाली कट्टों में मिट्टी भरकर बांध की पाल पर रखवा दिया जाता है तथा समय—समय पर विभागीय कर्मचारियों को बांध पर नजर रखने हेतु निर्देशित किया हुआ है तथा स्थानीय लोगों से भी विकट परिस्थितियों में प्रशासन एवं विभाग को सूचना देने हेतु निवेदन किया हुआ है।

(ग) बांध पर पहुंचने का रास्ता :—

बसोली बांध पर बून्दी नैनवां रोड़ से कस्बा देई होकर देई से इन्द्रगढ़ रोड़ वाया बसोली से 5 किमी पक्के रोड़ से 1 किमी नहर के सहारे बांध पर पहुंचा जा सकता है।

10. बटावदी बांध :—

बटावदी बांध स्थानीय नाले पर तह0 नैनवां में ग्राम बटावदी एवं सूंसा के पास स्थित है।

(क) प्रभावित गॉव :—

विकट परिस्थितियों में बांध से अधिक पानी डिस्चार्ज होने पर गांव सूंसा का कुछ अंश प्रभावित होता है।

(ख) बचाव के उपाय :—

वर्तमान में बांध पर 200 खाली कट्टों में मिट्टी भरकर हमेशा बांध की पाल पर रखवा दिया जाता है तथा विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी निगरानी हेतु लगा रखी है जो प्रतिदिन 10 किमी. इन्द्रगढ़ पहुंचकर स्थापित एस.टी.डी. से बाढ़ नियंत्राण कक्ष को सूचित करते है।

(ग) बांध पर पहुंचने का रास्ता :—

बटावदी बांध पर पहुंचने के लिए बून्दी से जैतपुर पहुचकर वाया तलवास मार्ग से करवर पहुंचकर 5 किमी. खेथूदा होते हुए बांध पर तथा नैनवां से वाया बामनगांव इन्द्रगढ़ रोड़ से कैथूदा पहुंचकर 3 किमी. चलने के बाद बांध पर सुरक्षित पहुंचा ता सकता है।

11. पाईबालापुरा बांध :—

पाईबालापुरा बांध भजनेरी नदी पर ग्राम मेणा एवं पाई के पास नैनवां तहसील में स्थित है, बांध की भराव क्षमता 23 फीट अथवा 361.00 एम.सी.एफ.टी. थी परन्तु इस वर्ष बांध की 2.0 फीट रेज कर 25.0 फीट तक भरा जाने से इसकी जलग्रहण क्षमता 12.97 एम. क्यूम. हो जावेगी।

(क) प्रभावित गॉव :—

बांध में अधिक पानी के निकास से ग्राम मेणा, भजनेरी एवं जेढ़ी ग्राम प्रभावित होता है।

(ख) बचाव के उपाय :—

विषम परिस्थितियों में बचने हेतु बांध पर 500 खाली सीमेण्ट के बेगों में मिट्टी भरवाकर बांध की पाल पर रखवा दिये जाते है तथा 2—3 कर्मचारियों को बांध की निगरानी हेतु आदेशित किया हुआ है जो बांध पर निरीक्षण चौकी एवं पास में स्थित गांव में ही रहते है तथा विषम परिस्थितियों में 8 किमी. पक्की सड़क के जरिये पहुंच कर बाढ़ नियंत्राण कक्ष, प्रशासन एवं नैनवां मुख्यालय पर स्थित उपखण्ड कार्यालय को सूचित किया करते हैं।

(ग) बांध पर पहुंचने का रास्ता :—

बून्दी से पाईबालापुरा बांध पर पहुंचने के लिए फुलेता और देई के मध्य से बंजारों के झोपड़ा के पास से कच्चा रास्ता एवं नैनवां से 8 किमी. पक्की सड़क के रास्ते से सुरक्षित बांध पर पहुंचा जा सकता है।

12. दुगारी बांध :—

दुगारी बांध नैनवां तहसील के ग्राम दुगारी में रियासत काल का निर्मित है। उक्त बांध की भराव क्षमता 9 फीट अर्थात 639 एम.सी.एफ.टी. है।

(क) प्रभावित गॉव :—

सामान्यतया उक्त बांध कभी—कभी ही अपनी पूर्ण भराव क्षमता तक भर पाता है। अधिक पानी आने की स्थिति में ग्राम दुगारी एवं बांसी प्रभावित होंगे।

(ख) बचाव के उपाय :—

बांध पर 200 खाली सीमेण्ट के बेग मिट्टी से भरकर बांध पर रखे जाते है तथा बांध की निगरानी हेतु कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है तथा स्थानीय लोगों से भी सहयोग लिया जाता है। दुगारी बांध में टेलिफोन सुविधा उपलब्ध होने से तुरन्त आपात समाचार बाढ़ नियंत्राण कक्ष एवं प्रशासन को पहुंचा दी जाती है।

(ग) बांध पर पहुंचने का रास्ता :—

बून्दी से बांध पर पहुंचने हेतु बून्दी नैनवां वाया दुगारी पक्के रोड़ से बांध पर पहुंचा जा सकता है।

13. रोनीजा बांध :—

रोनीजा बांध हिण्डोली तहसील के ग्राम रोनीजा के समीप स्थित है। इस बांध का भराव 24 फीट तथा भराव क्षमता 185 मिलियन घनफीट है।

(क) प्रभावित गॉव :—

विषम परिस्थितियों में अधिक बाढ़ की स्थिति में रोनीजा एवं लुहारिया ग्राम प्रभावित होगें।

(ख) बचाव के उपाय :—

बांध को अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु खाली सीमेण्ट के कट्टे भरे जाकर बांध की पाल पर रखा जावेगा। समय—समय पर विभागीय कर्मचारियों द्वारा बांध की निगरानी का कार्य किया जावेगा। स्थानीय लोगों को निवेदन किया हुआ है । किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरन्त प्रशासनीक अधिकारियों एवं विभाग को देवें।

(ग) बांध पर पहुंचने का रास्ता :—

यह बांध बून्दी नैनवां रोड़ वाया गोठड़ा मार्ग पर गोठड़ा से 5 किमी. दूरी पर स्थित है। मुख्य सड़क से नहर के साथ—साथ 20.50 किमी चलकर बांध पर पहुंचा जा सकता है।

14. नारायणपुर बांध :—

नारायणपुर बांध तहसील हिण्डोली के नारायणपुर ग्राम से 2 किमी दूरी पर स्थित है। उक्त बांध की भराव 29.84 फीट एवं 84.88 मिलियन घनफीट है।

(क) प्रभावित गॉव :—

यदि बांध बाढ़ से क्षतिग्रस्त होता है तो कोई जनहानि नहीं होगी।

(ख) बचाव के उपाय :—

बांध को अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु खाली सीमेण्ट के कट्टे भरे जाकर बांध की पाल पर रखा जावेगा। समय—समय पर विभागीय कर्मचारियों द्वारा बांध की निगरानी का कार्य किया जावेगा। स्थानीय लोगों को निवेदन किया हुआ है । किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरन्त प्रशासनीक अधिकारियों एवं विभाग को देवें।

(ग) बांध पर पहुंचने का रास्ता :—

बून्दी जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 से बसोली मार्ग के 10 किमी से बाई तरफ पक्के पहुंच मार्ग से बांध स्थल पर पहुंचा जा सकता है।

15. मरड़िया बांध :—

मरड़िया बांध तहसील हिण्डोली के मरड़िया ग्राम से 2 किमी दूरी पर स्थित है। उक्त बांध की भराव 18.04 फीट एवं 140.70 मिलियन घनफीट है।

(क) प्रभावित गॉव :—

यदि बांध बाढ़ से क्षतिग्रस्त होता है तो कोई जनहानि नहीं होगी।

(ख) बचाव के उपाय :—

बांध को अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु खाली सीमेण्ट के कट्टे भरे जाकर बांध की पाल पर रखा जावेगा। समय—समय पर विभागीय कर्मचारियों द्वारा बांध की निगरानी का कार्य किया जावेगा। स्थानीय लोगों को निवेदन किया हुआ है । किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरन्त प्रशासनीक अधिकारियों एवं विभाग को देवें।

(ग) बांध पर पहुंचने का रास्ता :—

बून्दी जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 से बसोली मार्ग के 19 किमी से बाई तरफ 7 किमी. पक्का एवं 2 किमी कच्चा चलकर बांध स्थल पर पहुंचा जा सकता है।

16. मेण्डी बांध :—

मेण्डी बांध तहसील हिण्डोली के मेण्डी ग्राम से 6 किमी दूरी पर स्थित है। उक्त बांध की भराव 10.50 फीट एवं 96.57 मिलियन घनफीट है।

(क) प्रभावित गॉव :—

यदि बांध बाढ़ से क्षतिग्रस्त होता है तो कोई जनहानि नहीं होगी।

(ख) बचाव के उपाय :—

बांध को अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु खाली सीमेण्ट के कट्टे भरे जाकर बांध की पाल पर रखा जावेगा। समय—समय पर विभागीय कर्मचारियों द्वारा बांध की निगरानी का कार्य किया जावेगा। स्थानीय लोगों को निवेदन किया हुआ है । किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरन्त प्रशासनीक अधिकारियों एवं विभाग को देवें।

(ग) बांध पर पहुंचने का रास्ता :—

बून्दी से सड़क के रास्ते से अलोद, धोवड़ा होते हुए मेण्डी चौराहे से हिण्डोली जाने वाले रास्ते पर 2 किमी. चलकर कच्चे रास्ते से 2 किमी चलकर बांध स्थल पर पहुंचा जा सकता है।

17. बांक्या खाल बांध :—

बांक्या खाल बांध हिण्डोली उपखण्ड मुख्यालय से बाई तरफ कच्ची सड़क से 5 किमी दूरी पर रामपुरिया ग्राम के पास स्थित है। उक्त बांध की भराव 12.50 फीट एवं भराव क्षमता 109. 25 मिलियन घनफीट है।

(क) प्रभावित गॉव :—

यदि बांध अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है तो रामपुरिया, सिंघाड़ी ग्राम प्रभावित होगें।

(ख) बचाव के उपाय :—

बांध को अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु खाली सीमेण्ट के कट्टे भरे जाकर बांध की पाल पर रखा जावेगा। समय—समय पर विभागीय कर्मचारियों द्वारा बांध की निगरानी का कार्य किया जावेगा। स्थानीय लोगों को निवेदन किया हुआ है । किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरन्त प्रशासनीक अधिकारियों एवं विभाग को देवें।

(ग) बांध पर पहुंचने का रास्ता :—

बून्दी जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 पर हिण्डोली उपखण्ड मुख्यालय से 5 किमी कच्चे रास्ते पर चलकर बांध स्थल पर पहुंचा जा सकता है।

18. जैतसागर बांध :—

जैतसागर बांध बून्दी के मध्य रियासत कालीन समय का बना हुआ बांध है। उक्त बांध की भराव 19.50 फीट एवं भराव क्षमता 35.69 मिलियन घनफीट है।

(क) प्रभावित गॉव :—

यदि बांध अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है तो बून्दी शहर का निचला हिस्सा यथा पुलिस लाईन, देवपुरा, छत्रापुरा प्रभावित होंगे।

(ख) बचाव के उपाय :–

बांध को अधिक पानी से होने वाली क्षति से बचाव हेतु खाली सीमेण्ट के कट्टे भरे जाकर बांध की पाल पर रखा जावेगा। समय–समय पर विभागीय कर्मचारियों द्वारा बांध की निगरानी का कार्य किया जावेगा। स्थानीय लोगों को निवेदन किया हुआ है । किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरन्त प्रशासनीक अधिकारियों एवं विभाग को देवें।

(ग) बांध पर पहुंचने का रास्ता :–

यह बांध बून्दी से अलोद मुख्य सड़क पर स्थित है।

जल संसाधन विभाग के मुख्य बॉध एवं तालाबों के टेलिफोन नम्बर निम्न प्रकार हैं –

क्र.स.	नाम बांध/तालाब	नाम सहा0 अभि0 /कनि0 अभियन्ता	मोबाईल न0
1	गुढा बांध	श्री दीपक चतुर्वेदी कनि0 अभि0	9829371666
2	बून्दी का गोठडा	श्री बी.एस. हाडा कनि0 अभि0	9461121330
3	दुगारी	श्री वी.के. गर्ग कनि0 अभि0	9414000845
4	पाईबालापुरा	श्री वी.के. गर्ग कनि0 अभि0	9414000845
5	पेच की बावडी	श्रीमति निशा मीणा कनि0 अभि0	9461121286
6	रोनिजा	श्री बी.एस. हाडा कनि0 अभि0	9461121330
7	बंसोली	श्री वी.के. गर्ग कनि0 अभि0	9414000845
8	मोतीपुरा	श्री वी.के. गर्ग कनि0 अभि0	9414000845
9	बटावदी	श्री वी.के. गर्ग कनि0 अभि0	9414000845
10	बांक्या खाल	श्री एल.के. चतुर्वेदी सहा0 अभि0	9461052476
11	इन्द्राणी	श्री वी.के. गर्ग कनि0 अभि0	9414000845
12	मरडिया	श्री एल.के. चतुर्वेदी सहा0 अभि0	9461052476
13	नारायणपुरा	श्री एल.के. चतुर्वेदी सहा0 अभि0	9461052476
14	चान्दा का तालाब	श्रीमति निशा मीणा कनि0 अभि0	9461121286
15	मेण्डी बांध	श्री एल.के. चतुर्वेदी सहा0 अभि0	9461052476
16	जैतसागर	श्री एल.के. चतुर्वेदी सहा0 अभि0	9461052476
17	माछली	श्री वी.के. गर्ग कनि0 अभि0	9414000845
18	बरधा बांध	श्री सुखवीर सिंह सहा0 अभि0	9461611090
19	भीमलत	सुश्री ललिता मीना कनि0 अभि0	9571945131
20	अभयपुरा	सुश्री ललिता मीना कनि0 अभि0	9571945131
21	गरडदा मध्यम सिंचाई परियोजना	श्री सुखवीर सिंह सहा0 अभि0	9461611090
22	चाकन लघु सिंचाई परियोजना	श्री ओ.पी. डागल सहा0 अभि0	9414737625

बाढ़ कार्य योजना :—

बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरिक किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय —

1. जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
2. प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
3. बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
4. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाऊस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
5. नदी के बान्ध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
6. तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेड़ियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुंचाना।
- भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमों को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से

सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।

- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए गये हैं। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

कंट्रोल रूम :—

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई है और उनका यह कार्यालय वायरलैस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घण्टे कार्यरत रहता है। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 15 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग में स्थापित किया गया है। जिस पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जायेगा। राज्य मुख्यालय पर स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर 0141—2227403 है।

क. सं.	कार्यरत कन्ट्रोल रूम	दूरभाष नम्बर
1	राज्य कन्ट्रोल रूम, जयपुर	2227403
2	जिला कन्ट्रोल रूम, बून्दी	2447480
3	सिंचाई विभाग, बून्दी	2443428

सिंचाई विभाग

- सुरक्षित स्थानों का चयन
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना।
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।
- बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवाईयों का प्रचुर मात्रा

में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयां काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रख दी जावें।

- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- उपलब्ध नावों की सूची।
- तैराकों की सूची।

चिकित्सा विभाग–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है। आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक–एक रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन करेंगे।

1. चिकित्सा अधिंकारी	01
2. स्वास्थ्य निरीक्षक	01
3. मेल नर्स	01
4. एमपीडब्ल्यू	01
5. वार्ड बॉय	01
6. वाहन चालक मय वाहन	01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पोन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

जन.स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेगें।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्विकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।

- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान् मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।

जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में सक्रांमक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियत्रण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधिया उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी संबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विद्युत विभाग—

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तुफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।

- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावें तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकरियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग –

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा
- कन्ट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी–बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरूस्त होनी चाहिये।
- कन्ट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएएफ, आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।

एन.सी.सी/एन.एस.एस.–

- आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबंधित स्टाफ घर–घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

अग्नि शमन केन्द्र –

जिला मुख्यालय पर 2 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में 2 अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। आग की स्थिति से निपटने के लिए **101** पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपरिषद/नगरपालिकाएं

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रेक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना।

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी।

6.3 दुर्घटना

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- गाडियों का अनुचित रखरखाव

रेल दुर्घटनाएँ :–

बूंदी जिला पि?ाचमी रेलवे की बडी रेल लाईन से जुडा है। कोटा–सवाई माधोपुर को जोडने वाली रेल लाइन गुडला, के.पाटन, अरनेठा, काप्रेन, घाट का बराना, लबान, लाखेरी और इन्द्रगढ व सुमेरगंजमंडी स्टेशनों से होकर गुजरती है। इस रेल्वे लाइन का मुख्य लाभ लाखेरी की ए.सी.सी. फेक्ट्री को मिला है, तथा केशवरायपाटन सहकारी प्ुागर मिल भी इसी रेल लाइन पर स्थित है। इस रेलवे लाइन पर जम्मूतवी, कन्याकुमारी, अमृतसर, बम्बई, दिल्ली के बीच चलने वाले व्यस्त यातायात की गाड़ियां चलती है; द्रुतगामी गाडियों में से कुछ गाडियां इन्द्रगढ, लाखेरी के रेलवे स्टेशनों पर रूकती है। जिले में गुजरने वाली रेलवे लाइन की लम्बाई 72 कि.मी. है।

दूसरी रेल लाइन कोटा से चित्तौडगढ और नीमच के मध्य वर्ष 1989–90 से प्रारम्भ हुई। इस रेलवे लाइन पर गुडला, देहित, तालेडा, कोथ्या, बून्दी श्रीनगर, नीम का खेडा रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे लाइन की लम्बाई जिले में श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक 48 कि.मी. है।

सड़क दुर्घटनाएँ

बूंदी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 गुजरता है, जो उत्तर से हिण्डोली तहसील से प्रारू होकर दक्षिण में बून्दी तहसील तक जाता है, जिसकी लम्बाई 104 कि.मी. है जो जिले को दिल्ली, जयपुर, टोंक, कोटा, इन्दौर, बम्बई आदि महत्वपूर्ण प्राहरों से सीधा जोडता है। जिस पर से प्रतिदिन लगभग 10000 वाहन गुरजते हैं तथा हाइवे पर भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। यहां पर अधिकतर दुर्घटनाएं ओवर टेकिंग के कारण होती है।

बूंदी जिले के मुख्य दुर्घटना संम्भावित मार्ग व क्षेत्रों का विवरण

सड़क मार्ग	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र
1. जयपुर – कोटा राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 12	1. कोटा–बूंदी की बावडी
	2. बल्लोप
	3. मांगली नदी के मोड पर
	4. बंगे इण्डिया लिमिटेड़, बून्दी
	5. रामगंज बालाजी
	6. बून्दी बाईपास
	7. तालाबगांव मोड पर
	8. चतरगंज
	9. हिण्डोली
	10. देवा का खेडा
2. मेगा हाइवे कोटा से लालसोट	11. गामछ से बाबई
3. एन.एच. 76	12. डाबी से धनेश्वर

दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटनाएं कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्थ आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनागस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101, 102, 104 व 108 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं।

दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय – दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय – सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- हैलमेट पहने, सीट बैल्ट बांध।
- बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दांई व बांई ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान

जिला प्रशासन का कर्त्तव्य

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग

- जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग

- जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।
- एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग

- घायलों को पहुंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद/ पालिका/ पंचायत

- टैंटों की व्यवस्था।
- पानी के टैंकरों की व्यवस्था ।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकेटों की व्यवस्था करना।
- केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयंसेवी संघटन

- राहत व बचाव के कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

जनता का कर्तव्य

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्त्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्त्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो –

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगाएं कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नही।
- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करे तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नही तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाएं।
- ठोड़ी को आगे ले आएं जिससे रूकावट खुल जाएं।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक–डेढ़ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रूई से निकाल दें।

- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनिट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है।

यदि दिल की धड़कन रूक गई हो तो बंद मुट्टी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4—5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60—80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दवाब डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड बैंड, ;ज्वनतदपुनमजद्ध या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं। ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे—

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना

तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।

- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूँट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएँ।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज़ से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचाये।

6.4 आग

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्त्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण है।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई हैं घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठनों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल–मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड देते हैं। मोटर मार्गो की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास–पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

बूंदी जिले में अधिकतर आग का?ातकारो के द्वारा कडवी (चारा) इकटठे करने वाले स्थानों पर बीडी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है। पूर्व में डाबर कलां ग्राम में आग कई बार लग चुकी है जिसे गांव स्तर पर ही काबू कर लिया गया था।

बूंदी जिले में आग से प्रभावित हाने वाला संभाव्य क्षेत्र – बूंदी शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोल पम्प, छविग्रह, मेरिज गार्डन, निजी इमारतें, कटला आदि आग से प्रभावित होने वाले क्षेत्र है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भंयकर रूप ले सकती है–यथा– वे औद्योगिक इकाईयां जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर :–

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थो का भण्डारण नही करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय–समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलकी आई.एस.आई. मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ो का ध्यान रखें।

- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूले।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ो को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फैंके।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुज़रते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फैंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे की स्पोन्टेनिकस कम्बसन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाडे आदि नही होने चाहिए।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नही फैकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नही करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।

- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (साईरन) बीटर्स, फावड़े बैलवे कापा हुक, बाल्टी, टार्च, स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना।
- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह ज़रूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बडी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घुम सकें।
- बिल्डिंग कोड रूडकी द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रो जैसे स्प्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर की ट्रेनिंग होना।
- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे। जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रीयों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

आग लगने पर कार्यवाही–

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में

सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठत्तम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साइट इमरजेन्सी डाइरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि जनपद मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तद्नुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, ''समेकित आपदा प्रबन्ध समिति'' को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूप को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं । यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूप तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका –

जिला कलेक्टर

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं

अग्निशमन केन्द्र :– नियंत्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती ज़िलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव

- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढी, मिट्टी के थेले आदि।
- रेडक्रास लायन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकीय संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता

नागरिक सुरक्षा

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना
- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना
- अग्नि शमन हेतु प्रशिक्षित स्वंय सेवकों की सहायता लेना
- डिविज़न एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना
- औषधियों की व्यवस्था करना
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वंय सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का वितरण

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना

नगर परिषद

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु स्वंय सेवकों के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें

क्या करें :—

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।

- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हों यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करें :—

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटाने के लिए प्रशिक्षण दें।

6.5 भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिग चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से से चारों ओर भू—तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हें, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पुनः

पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रु. की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काऊंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

1) **क्षेत्र** :– इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

2) **क्षेत्र** :– इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर MM VII सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।

3) **क्षेत्र** :— इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

4) **क्षेत्र** :— क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MM VI है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते है।

5) **क्षेत्र** :— इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर MM V या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है।

भूकम्पों की तीव्रता	**तीव्रता के लक्षण** भूकम्पों का प्रभाव)	**रिक्टर मापक परिणाम**
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं क कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती है।	4.9—5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5—6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती है।	6.2—6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0—7.3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान् भू—स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4—8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

बूंदी जिले को भूकम्पीय खण्डों की भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अन्तर्गत खण्ड प्ट में रखा गया है एवं भूकम्प के विगत वर्षो के आंकड़ें यह प्रदर्शित करते है। कि हाल के कई वर्षो में यहां कोई विनाशकारी भूकम्प नही आया है। किन्तु बढ़ते शहरीकरण जो ऊंची इमारतों एवं खरीददारी के परिसरों के रूप में बढ़ रहा है चिंता का मुख्य विषय है। परिसरों हेतु आव?ायक मानकों का पालन यहां नही किया जाता है।

बूंदी जिले में भूकम्प आने पर जिला प्र`शसन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। एजेन्सी द्वारा भूकम्प से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षैत्रों जेसे महत्वपूर्ण इमारतें ऐतिहासिक स्थल, बांध इत्यादि तथा जोखिम सम्भावित एवं उनकी संरचना को प्रारम्भिक रूप से चिन्हित कर लिया गया है।

कार्य योजना

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखना ।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीड़िया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।

- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाऐं, नगर परिषद्, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

क्या करें क्या न करें

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नही।
- अलमारियों में सिर से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पोधों को झूलने हेतु नही लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है उन्हें बिस्तर से दूर रखे। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिक्चर फ्रेम आदि नही लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मज़बूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामन मज़बूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्ध अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां,, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबो आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वंय की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वारा से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ो एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रूकें जब तक कंपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते है। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लियें सुरक्षित स्थान है। पत्थर की सरुचनाओं अथवा ऊंची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों ऐव पुलों को अवश्य देखों।
- भूकम्प झटके रूकने पर मलबे में फसें लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नही हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/ कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पंहुचा सकते है।

6.6 साम्प्रदायिक तनाव

भारत देश में अनेक धर्मो के लोग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता एवं सामाजिक विद्वेषो के कारण छोटे–छोटे झगड़े कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते है। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है । उपद्रव होने पर जन–धन राष्ट्रीय सम्पत्ति का काफी नुकसान होता है । **बूंदी जिला** सांप्रदायिक सौहार्द का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर भी प्रशासनिक दृष्टि से **नैनवां, अलोद, बडोदिया, जमीतपुरा** को संवेदनशील माना गया है।

6.7 ओलावृष्टि

ओला वृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नही किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नही होता तथा यह हवा के रूख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता हैं।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट हो सकती है। ओलावृष्टि से व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आँकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है ।

बून्दी जिले मे गत वर्षो मे हुई ओलावृष्टि से फसल खराबा का विवरण निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	सम्वत्	कुल प्रभावित कृषक	राशि (लाखो में)
1	2	3	4
2013–14	2070	10067	480.95
2014–15	2071	303304	29384.88

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ –

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम–ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आँकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है । ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों को चिन्हित

करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

6.8 बांध टूटना

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निमार्ण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद–बूंद जल संग्रहीत करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर है, अपनी आजीविका चलाती है। वहीं दूसरी ओर कभी–कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ–साथ जान पर भी उतारू हो जाते हैं। जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बांधों के रखरखाव के संबंध में आवश्यक है कि

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल निकास द्वारो की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसेः चेन, रस्सा, चाबी आदि की जाँच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बाँधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बाँधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

6.9 रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे : भोपाल गैस कांड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम है।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती है। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

प्रभाव :—

औद्योगिक दुर्घनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

6.10 ताप (लू) एवं शीतघात

तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनो प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहाँ की जलवायु के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा हेाता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 47 से. और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24.3^0 से. रहता है। जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हें जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। किसी—किसी दिन अधिकतम तापमान 44^0 से या 46^0 से तक पहुंच जाता है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना

- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारो तरफ गिली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आतंरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनाने कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करे, क्या ना करे की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीतल तरंगे

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0^0 से. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 4^0 से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिए ?

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप काँपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियाँ, एडियाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएँ।
- मौसम की स्थिति से सवाधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है? ठंडी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफिन व मदिरा से परहेज करें।
- अत्यधिक ठंडी श्वांस से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हें।
- गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारो आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमे लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके।

अध्याय–7

क्षमता वर्धन

आपदा प्रबन्धन मे बहुत सारे कार्य आते है। जिनमें प्रमुख रूप से योजना, रोजमर्रा के प्रबन्धन क्रियाकलाप, बहु–आपदा ऑपरेशनस, क्राइसिस मैनेजमेंट, समुत्थान और विशेष कार्य शामिल है। इसलिए संस्थान विशेषज्ञता और श्रमता बढाने के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रशिक्षण एवं ऑरिएंटेशन प्रोग्राम की जरूरत होती है। हर स्तर पर मानव संसाधनों के प्रशिक्षण से केवल उनके प्रदर्शन में ही निखार नही आता अपित उनको निर्णय की लेने की श्रमता भी बढ़ती है।

क्षमतावर्धन से एक उपयुक्त संस्थागत फ्रेंमवर्क और प्रबंन्धन प्रणाली तैयार करने और संसाधन आबंटन करने मे मद्द मिलती है, जिसमें आपदाओं का मुकाबला करने के लिए बेहतर रिसपॉन्स प्रणाली विकसित की जा सके।

इसलिए श्रमतावर्धन का मुख्य उद्धेश्य प्रशिक्षित मानव संसाधनों के माध्यम से एक व्यविस्थित कार्य प्रणाली तैयार करना है।

जिले/राज्य में आपदा प्रंबधन को मजबूत करने के लिऐ क्षमतावर्धन के लिए किये जाने वाले प्रयास निम्न लिखित है।

1. प्रशिक्षण
2. मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभ्यास
3. पाठ्यक्रम में आपदा प्रंबधन का समावेश
4. जन जागृति
5. समुदाय–आधारित आपदा प्रबंधन कार्यक्रम
6. आपदा से संबंधित उपकरणों की सुगमता
7. सर्वोत्तम प्रयोगों का प्रलेखन

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों, कार्यकर्ताओं, प्रशिक्षिकों, चुने हुए प्रतिनिधियों और समुदायों के प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। चिकित्सकों, इंजिनियरों और आर्किटेक्स जैसे प्रॅफेशनल्स को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिये जाने पर भी ध्यान दिया जायेगा। ब्लोक स्तर पर प्रशिक्षण का शैक्षिक संस्थानों मे विस्तारीकरण किया जायेगा जिसमें प्रायोगिक जरूरतों पर विशेष बल दिया जायेगा।

7.1 प्रशिक्षण

प्रशिक्षण क्षमता–वर्धन कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण अवयक है। प्रशिक्षित कर्मचारी विभिन्न आपदाओं का बेंहतर तरीके से मुकाबला करने में सक्षम होते है, तथा निरोधात्म क उपायों की अहमियत भी जानते है। मानव–संसाधनों के गहन प्रशिक्षण के लिए कड़े

उपाय किये जायेंगे, विशेषरूप से आपदा संबंधी जानकारी एवं सुरक्षा बढाने और विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधको की क्षमता बढाने के क्षेत्र में। जिला सहायता समिति क्रमबंद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन के अन्य कार्यक्रमों को क्रियाविन्त करेगी।

7.2 ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर

केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सहयोंग से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट (एटीआई) राज्य, जिला एवं स्थानीय ऑथॉरिटीज, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, एसडीआरएफ, स्कूली अध्यापको और एनजीओज को प्रशिक्षण देने का कार्य करेगी। एटीआई राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल ट्रेनिग इंस्टीच्यूट का काम करेगी। प्रशिक्षण संबंधी कार्य क्रमों के प्रबंधन के लिए एटीआई में सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट (सीडीएम) का गठन किया गया है।

7.3 ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण

मास्टर ट्रेनर्स ब्लाक स्तर पर विभिन्न सहभागियों को प्रशिक्षण करेंगें। जिन सहाभागियों को प्रशिक्षित किया जायेगा उनमें एनजीओज, सीबीओज, समाजसेवक, युवा संगठन, नेशनल केडेट कॉर्प्स (एनसीसी), नेशनल सर्विस (एनएसएस), नेहरू युवक केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), स्कूल अध्यापक और छात्र शामिल है।

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (एनडीएमए) के दिशानिर्देशों के अनुरूप इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम पर भी ट्रेनिंग दी जायेगी।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हर तिमाही एक बैठक आयोजित करेगा जिसमें ट्रेनिंग और अन्य क्षमता–वर्धन संबंधी कार्यक्रमों के लिए एक अलग एजेंडा पर विचार–विमर्श किया जायेगा।

7.4 विभिन्न विभागों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

प्रशिक्षण जरूरत मूल्यांकन के आधार पर सभी विभाग, जो आपदा प्रबंधन में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते है। अपने कुछ अधिकारियों और सपोर्ट स्टॉफ का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं, तथा प्रशिक्षण कीसालाना समय सारिणी तैयार करते है। सभी विभाग प्रशिक्षण के उद्वेश्यों को प्राप्त करने के लिए एक मूल्यांकन प्रणाली तैयार करते है। समय समय पर कंटेट और मैथडोलॉजि का रिव्यू करते हैं और एटीआई और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं को सुधार संबंधी सुझाव भेजते है।

7.5 मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभ्यास

प्रशिक्षण के साथ–साथ, यह भी महत्वपूर्ण है कि मॉक ड्रिल्स और अनुरूपण के माध्यम से आपदा तैयारी के स्तर का परिक्षण किया जाए।

सभी विधालयों, अस्पतालों, प्रमुख सरकारी इमारतों, सिनेमाघरों, स्पोर्ट्स क्लबों/मैदानों और बडे कॉरपोरेट हाउसेज में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा मॉक ड्रिल्स किये जायेंगें जिससे यह पता चल सके कि सुरक्षा प्रणाली में क्या खामियां है। इसका एक उद्वेश्य इन संस्थानों का क्षमतावर्धन भी है, जिससे जान–माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। इन मॉक ड्रिल्स में पुलिस कर्मी, अग्निशमन कर्मचारी, चिकित्सा दल, पैरामैडिक्स, बचाव दल और विशेष रिसपॉन्स दल (बाम्ब डिसपोजल स्कवैड, एटीएस) भाग लेंगें। सभी सार्वजनिक स्थल, परिवहन केन्द्र, औद्योगिक इकाइयां और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान मॉक ड्रिल्स और अनुरूप अभ्यास के लिए उचित स्थान है। निजी कंपनिया एवं औद्योगिक इकाइयां भी अपनी अपनी ऑन–साइट एवं ऑफ–साइट आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगीं।

जिला पुलिस विभाग, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस कर्मी, अग्निशसन कर्मचारी, एसआरटीज, आदि समय–समय पर विभिन्न आपदाओं के लिए मॉक ड्रिल्स आयोजित करेंगें इस काम में जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्तर पर रिलीफ कमिश्नर सहयोंग देगें। अग्निकाण्ड और भूकम्प के लिए साल में कम से कम दो बार मॉक ड्रिल्स आयोंजित करना अनिवार्य है।
मॉक ड्रिल्स की सूची निम्न लिखित हैः–

1. स्कूल स्तर पर मॉक ड्रिल्स और आपदा प्रबंधन की योजना
2. मास कैश्जुअलिटी मैनेजमेंट पर मॉक ड्रिल्स की योजना
3. पर्यटक केन्द्रों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा प्रणाली पर मॉक ड्रिल्स की योजना
4. धार्मिक मंदिरों, मस्जिदों आदि में सुरक्षा एवं भीड प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल्स की योजना
5. सार्वजनिक स्थानों एवं इमारतों जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे, सिनामघरों, मॉल, मार्केट, पर्यअन सिल, स्टेडियम, क्रीडास्थल, ऑडिटोरियम, सभागार, सरकारी कार्यालय आदि मॉक ड्रिल्स की योजना
6. ईओसी और संचार/मध्यमों की क्षमता जानने के लिए मॉक ड्रिल्स
7. विभिन्न एजेसिंयो के बीच तालमेल एंव अनुकूलता के परीक्षण के लिए मॉक ड्रिल्स की योजना

एसीईसी इस बात पर ध्यान देती है कि विभिन्न आपदाओं पर मॉक ड्रिल्स आयोजित किये जाये ये अभ्यास इसलिए जरूरी है क्योकि इससे जिला स्तर पर सभी सहभागियों की अपनी–अपनी सही भूमिका का पता चलता है। और विभिन्न आपदाओं की स्थिति में उनके आपसी तालमेल में सुधार आता है। जल एवं जलवायु संबंधित आपदाओं के लिए मॉक ड्रिल्स विभिन्न सुभेद्य इलाकों में बरसात का मौसम आने से पहले की जाती है। अन्य

मामलों में समय–समय पर किसी भी उचित स्थान पर ये मॉक ड्रिल्स किये जा सकते है। जिले मे हर वर्ष 2–3 मॉक ड्रिल की जाती है वर्ष 2016 मे आंतरिक सुरक्षा की जॉच हेतु अग्नि दुर्घटना से सम्बन्धित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया ।

7.6 जन सागृति

किसी भी तरह की आपदा में समुदाय सबसे पहले रिसपॉन्ड करते है। इसलिए यह जरूरी है। कि आपदाओं की जानकारी एवं उनके प्रभावों से लोगों को कराया जाय। साथ ही उन्हें आपदा प्रबंधन की संकल्पनाओं के बारे में जानकारी दी जाये।

लोंगों को जागृत करने के तरीके विकसित किये जाने चहिए एवं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे लोग किसी आपदा की स्थिति में अनुशासित और अफरा–तफरी रहित होकर एक प्रभावी संचार व्यवस्था का अनुपालन कर सकें।

सूचना प्रसारण में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन सामुदायिक स्तर पर विभिन्न इंफॉमेशन, एजूकेशन एण्ड कम्युनिकेशन (आईईसी) प्रणालियों एव उपकरणों का इस्तेमाल किया जायेगा।

7.7 पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का समावेश

एसडीएमए/एसईसी, शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड के सहयोग से, यह सुनिश्चित करेंगे कि आपदा सुरक्षा एवं तैयारी विषय माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 11 एवं 12) के पाठ्यक्रम में लागू किया जाय। विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त संस्थाएं अपने विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन (जिसमें भूकम्प और बाढ़ प्रबंधन शामिल हैं।) लागू करेंगे। यह व्यवस्था गैर-तकनीकी कार्यक्रमों में भी लागू की जायेगी।

राज्य की सभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट्स (आईटीआई), पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालय आपदा प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करेंगे।

चिकित्सा शिक्षा के डीएम संबंधित पहलुओं (हादसा देखभाल, महामारी, नियंत्रण, पैरामैडिक्स, चिकित्सा तकनीशियन और टेलीमेडिसिन द्वारा आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल) को स्नातक स्तर

के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जायेगा जिससे स्नातक चिकित्सक इस तरह की आपदाओं को बेहतर तरीके से हैंडिल कर सकें।

निम्न लिखित तालिका में राज्य में मौजूद अकादमिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों की सूची दी गई है। इसमें इन संस्थानों के आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य, और नोडल अधिकारियों के नाम व पदनाम भी दिये गये हैं।

तालिका ७.१ : राजस्थान में आपदा प्रबंधन पर कार्य करने वाले शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थानों की सूची

क्रमांक	संस्थान का नाम एवं वर्ग			आपदा प्रबनधन में भूमिका			प्रमुख व्यक्ति	
	अकादमिक	वैज्ञानिक	तकनीकी	पूर्व चेतावनी	समुत्थान	क्षमता निर्माण	नाम एवं पता	पदनाम
1.	सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन			सिविल डिफेंस वार्डन्स एनसीसी, स्काउट्स, एनएसएस पीआरआई सदस्यों और आपदा तैयारी एवं रिसपॉन्स का प्रशिक्षण जोखिम एवं सुभेधता घटाने के अनुकूल प्रणाली विकसित करना शोध एवं प्रलेखन कार्य	आपदा तैयारी बचाव एव राहत योजनाएं तैयार करने में राज्य सरकार का सहयोग विभिन्न साथ मजबूत नैटवर्क तैयार करना सुभेद्यता विश्लेषण परियोजनाएं क्रियान्वित करना	आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहभागियों और सरकारी कर्मचारियों को एवं सेमिनार आयोजित करना लोगों में आपदा के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार करना	श्री कार्तिकेय मिश्रा सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एचसीएम राजस्थान स्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर राजस्थान-302 017 दूरभाष: 0141. 2651895 निवास मोबाइल 9414238197	नोडल ऑफिसर एव ऑफिसर इन्चार्ज (ओआईडी)

2.			स्टेट इंस्टीच्यूट ऑफ हैल्थ एण्ड फैमिली वैलफेयर	आपदाओं में रोग विज्ञान की भूमिका पर विभिन्न दस्तावेज प्रकाशित करके राज्य एनआरएचएम की सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करना आपदाओं के दौरान फैलने वाली महामारियों पर शोध करना राज्य में स्वास्थ्य रूझानों की निगरानी करना	आपदा के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण जिसमें सैनिटेशन हाइजीन और जल आपूर्ति पर विशेष बल दिया जाता है। आपदोत्तर मानसिक एव मनोदैहिक विकारों पर विशेष ध्यान	प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना	प्रोफेसर अखिलेश भार्गव स्टेट इंस्टीच्यट ऑफ हैल्थ एण्ड फैमिली वैलफेयर, झालन इंस्टीच्यूशनल एरिया, साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र जयपुर 302004 दूरभाष : 91-141-2701938	निदेशक एसआई एचएफ डब्ल्यू
3.			आपदा प्रबंधन एव राहत विभाग राजस्थान सरकार	राज्य में आपदा पूर्व, आपदा के दौरानं और आपदोत्तर राहत कार्यो के लिए नोडल एजेंसी विभिन्न आपदाओं से जुड़े अनेक वैज्ञानिक एवं सामाजिक	राज्य में अनेक राहत कार्यो का क्रियान्वयन सड़क दुर्घटनाएं आदि रोकने के लिए सुरक्षा उपाय जारी करना एवं प्रकाशित करना	राज्य में बाढ़ एवं सूखा आदि आपदाओं की प्रबंधन नियमावली प्रकाशित करना और लोगों में जानकारी पैदा	उपसचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सचिवालय जयपुर दूरभाषः 91-0141-2227985	

				शोधकार्यों के लिए अन्य विभागों के सहयोग से वित्तीय सहायता पुलिस एवं अन्य विभागों को आपात कालीन ऑपरेशनस के लिए वित्त एवं उपकरणों की व्यवस्था		करना कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना		
4.	वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी			बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षण देना		आपदा प्रबंधन में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जानकारी	प्रोफेसर नरेश दधीच रावतभाटा रोड, कोटा 324010 राजस्थान दूरभाष: 2471254	उपकुलपति
5.	राजस्थान टैक्नीकल यूनीवर्सिटी					बीटैक के पाठयक्रम में आपदा प्रबंधन का समायोजन आपदा प्रबंधन	डा. दामोदर शर्मा अकेलगढ़ रावतभाटा रोड, कोटा राजस्थान 324010	उपकुलपति

						एवं इंजिनिय-रिंग संकल्पनाओं का एकीकरण भूकम्प विज्ञान एवं भूकम्पों पर कोर्स		
6.		पुलिस ट्रेनिंग स्कूल			बचाव एवं पुनर्वास कार्यो से सहयोग	आपदा पूर्व, मध्य एवं आपदोत्तर रिकवरी संबंधित आपदा प्रबंधन पर गहन प्रशिक्षण	कमांडेंट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशनगढ़ जिला अजमेर 305802 दूरभाष : 04163-242008	कमांडेंट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

7.8 विभिन्न इंफॉमेंशन, एजूकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रणालियां एवं उपकरण

1. स्थानीय भाषाओं में जिंगल्स विकसित करना
2. वीडियों स्पॉट्स तैयार करना
3. स्थानीय टेलिविजन एवं रेडियों पर डीडीआर पर पैनल डिसकसन
4. सामरिक स्थानों पर होर्डिंग्स लगाना
5. पंचायत भवनों/एडब्ल्यूसीज पर डिसप्ले बोड बैनर, चित्रकला आदि लगाना
6. डीडीआर दिवस मनाना
7. पोस्टर, पुस्तिका, पैम्फलेट, विज्ञप्ति आदि तैयार करना
8. डीडीआर पर फोक मीडिया, स्ट्रीट प्ले, कलाजथा करना
9. डीडीआर पर छात्र–प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना

आम जनता तक पहुचने के लिए जन–जागृति कार्यक्रम जैसे वर्कशॉप, प्रदर्शनी, विशेष अभियान, रैली, फिल्म शो, आदि आयोजित किये जायेंगें।

जन जागृति के कार्य में सिविल सोसाइटीज/एनजीओज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। इसलिए यह जरूरी है। कि आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों और क्रियाकलापों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ अच्छे रिकार्ड वाले एनजीओज का चयन किया जाये। आपदा प्रबंधन महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ, अगर किसी इलाके में रासायनिक फैक्टरी बडी तादात में है तो वहां के लोगों को रासायनिक एजेंट, उनके प्रतिकूल प्रभाव, एन्ओडोट, उपचार और 'क्या करना चाहिए' एवं क्या नहीं करना चाहिए' आदि की जानकारी दी जानी चाहिए।

शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोंगों, बुजुगों और महिलाओं को जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिए।

7.9 आपदा संबंधित उपकरणों की उपलब्धता

आपदा आने की शुरूआती अवस्था में लोंगों की जानें बचाने में कारगार रिसपॉन्स प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा, रिसपॉन्डर्स का ज्ञान एवं निपुणता और तलाश एवं बचाव ऑपरेशंस की प्रभावशीलता जरूरी उपकरणों का उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन जरूरी उपकरणों की पहचान करनके, रिसपॉन्डर्स द्वारा इन उपकरणों का सही समय पर प्रयोग रिसपॉन्स ऑपरेशंस के लिए बडा निर्णायक होता है। इसलिए इन उपकरणों का पूर्ण संग्रहण और इन तक आसान पहुचं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

ये उपकरण फर्स्ड रिसपॉन्डर्स जैसे अग्नि शमन सेवा, पुलिस, सिविल, डिफेंस स्टेट डिजास्टर रिसपॉन्स फोर्स, चिकित्सा दल आदि को उनकी जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

किसी भी आपदा प्रबंधन की आपतकालीन हैडलिंग विशेष मशीनरी और उपकरणों पर निर्भर करती है। इसलिए आपदा प्रबंधन के सफल अभियान आधुनिक उपकरणों और आपदा सिलि पर उनकी उपलब्धता पर निर्भर करते है।

इन उपकरणों के संचालन एवं रख–रखाव के लिए एक विशेष प्रशिक्षण डिजाइन किया जायेगा और इन उपकरणों के संचालको को उनका प्रशिक्षण दिया जायेगा।

परिशिष्ट (अ) आपदा प्रबन्धन केन्द कलेक्ट्रेट बून्दी में उपलब्ध राहत सामग्री

क्र. स.	सामग्री का नाम	संख्या
1	लाइफ जैकेट	25
2	जीवन रक्षक ट्यूब	20
3	बेल्चा	15
4	फावड़े	15
5	स्ट्रेचर	10
6	रस्सा	250 मीटर
7	रस्सा	250 मीटर
8	गमबूट	15 जोड़ी
9	ड्रेगन लाइट जिला कार्यालय पर	4
10	ड्रेगन लाइट सभी एस.डी.ओ./तहसीलदारों के पास	20
11	इमरजेंसी लाइट	10
12	सभी तहसीलदारों के पास	रस्से
13	स्काउट एवं गाइड आपदा राहत केन्द्र रा.उ.मा.वि. बून्दी,पेच की बावडी,जैतपुर,इन्द्रगढ़,के.पाटन, तालेडा (प्रत्येक पर 12—12 प्रशिक्षित स्काउट)	उक्त सभी उपकरण

अध्याय 8

राहत एवं प्रत्याक्रमण

सभी आपदाएं, आकस्मिक घटनाएं एवं संकटकालीन घटनाएं बहुत ही गतिशिल होती है। और अफरा–तफरी फेलाने वाले होती है। जिससे शारीरिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकार पैदा होते है।

प्रत्याक्रमण (रिसपॉन्स) उपय वे हैं जो आपदा घटित होने के तुरत बाद इस्तेमाल किये जाते हैं इन उपायों के मुख्य उद्वेश्यों में जन–जीवन की सुरक्षा करना, उनकी मुसीबतों को दूर करना, सम्पति का सुरक्षित बचाना और आपदा द्वारा किये गये नुकसान से निपटना शामिल हैं।

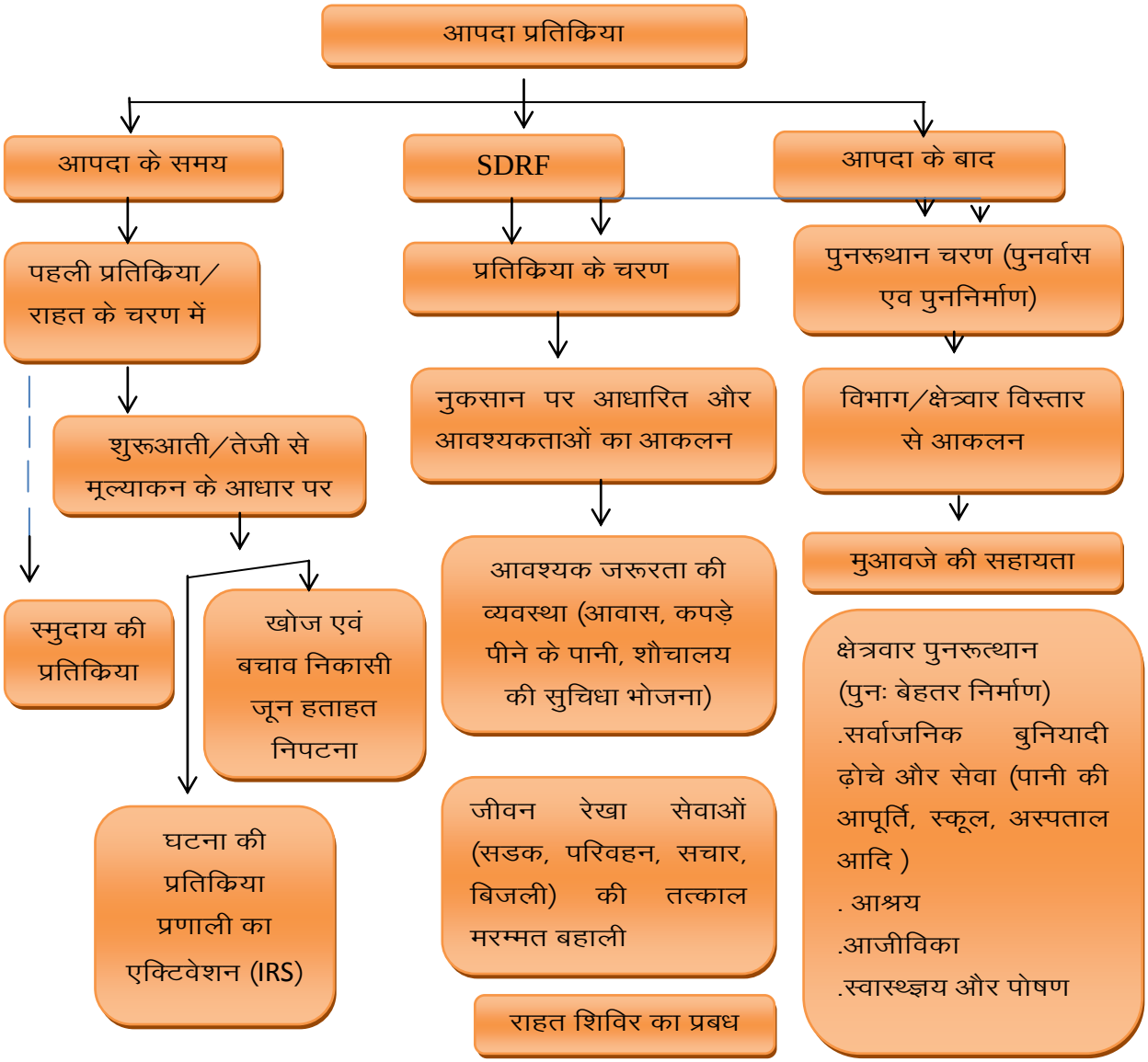

चित्र 8.1 रेखाचित्र प्रत्याक्रमण एवं समुत्थान संरचना का आरेखीय निरूपण

प्रत्याक्रमण अभियान सामान्यत: विघटनकारी और कभी-कभी अभिद्यातज स्थितियों में चलाये जाते हैं। अक्सर उनका क्रियान्वयन बहुत कठिन होता है और इन अभियानों के लिए बड़ी तादात में कर्मचारियों, उपकरणों और अन्य संसाधनों की जरूरत होती है। इसलिए ठोस योजना, व्यवस्था एवं प्रशिक्षण और समर्पित प्रत्याक्रमण टीम के बिना इन अभियानों को आशातीत सफलता नहीं मिल पाती।

ऊपर दिये गये रेखाचित्र के आधार, प्रत्याक्रमण को निम्नलिखित तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

आपदा के दौरान	पहला प्रत्याक्रमण/राहत चरण
आपदोत्तर	प्रत्याक्रमण चरण
	समुत्थान चरण

आपदा के दौरान

'आपदा के दौरान' चरण पूर्व चेतावनी संकेतों की प्रस्तुति के साथ शुरू होता है और पूर्व चेतावनी संकेतों के हटते ही घटने लगता है। यही वह चरण है जिसमें लोग आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को सबसे ज्यादा झेलते हैं। इसी चरण के दौरान प्रत्याक्रमण संरचना राज्य से लेकर जिला स्तर तक क्रियान्वित की जाती है।

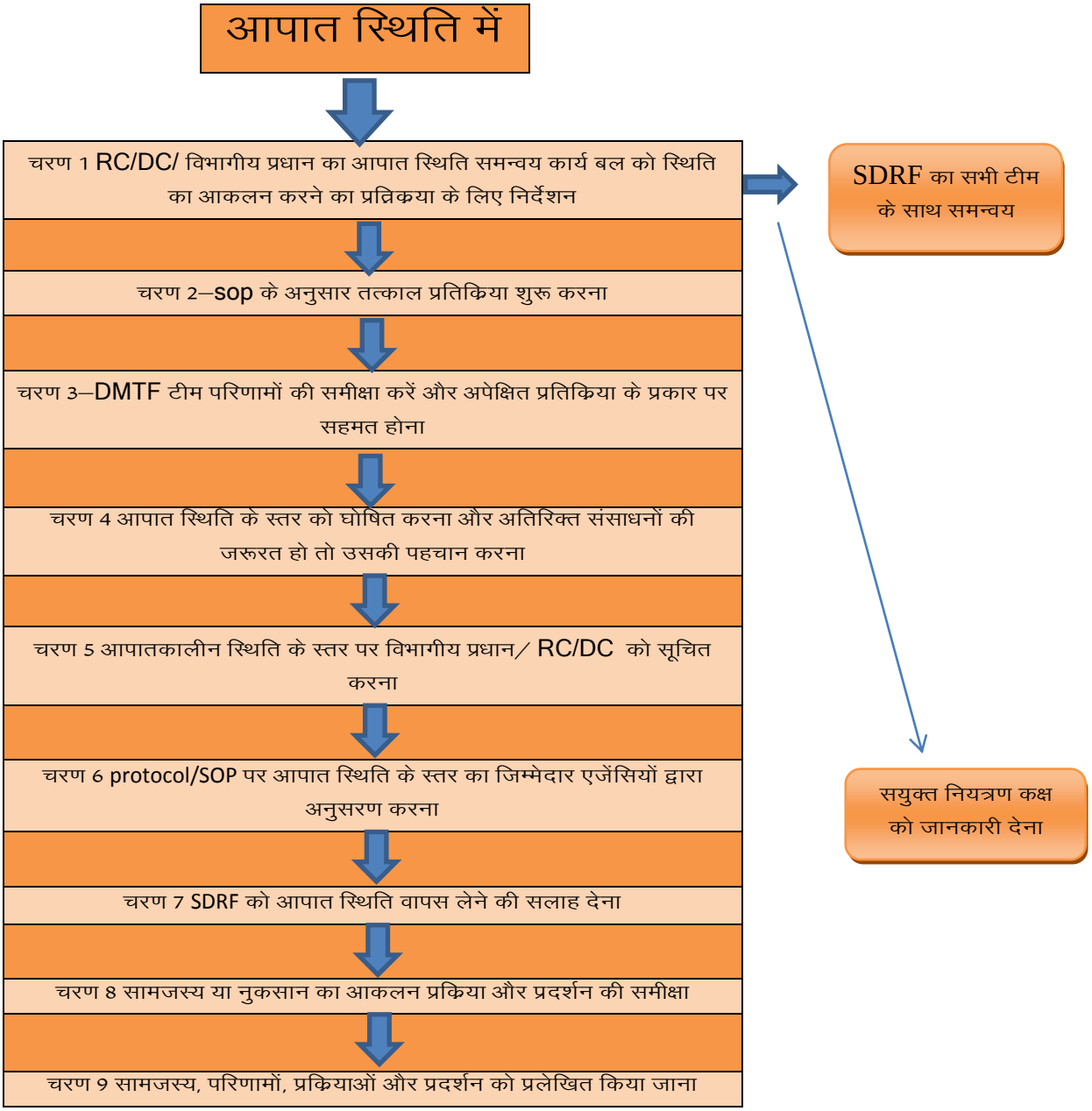

चित्र 8 .2 प्रमुख आपातकालीन प्रत्याकम के लिए घटनाओं का प्लो चार्ट

समुदाय पहले प्रतिक्रियक (रिसपॉन्डर्स)

दुनिया के किसी भी भाग में जब भी कोई आपदा आती है तो समुदाय को ही सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है—जाहे वो बाढ़ या भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा हो या मानवकृत आपदा जैसे आतंकवादी आकमण। इससे जानमाल और मानसिक एवं सामाजिक सदमे के रूप में भारी नुकसान होता है। इस तरह की परिस्थितियों में , निश्चित रूप से समुदाय पहले प्रतिक्रियक के रूप में सामने

आते हैं और बाहर से राहत पहुंचने तक अपने लोगों की हर सम्भव सहायता करते हैं। इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए समुदायों के मजबूतीकरण के लिए समुदाय/आधारित उपाय आपदा पूर्व प्रक्रिया के रूप में लागू करना जरूरी है जैसे आपदा जोखिम कम करने के लिए आपदा तैयारी। सामन्यतः आपदा स्थल तक बाहर से सहायता पहुंचने में 12 से 48 घंटे लग जाते हैं। इसलिए इस संकट की घड़ी में समुदाय द्वारा जल्द से जल्द कार्यवाही करना अति महत्वपूर्ण है जिससे जानमाल का कम से कम नुकसान हो और समुत्थान प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा सके।

सरकार पहली प्रतिक्रियक

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और समुत्थान संबंधी कार्य करने की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

ऐसी स्थिति में तुरंत रिसपॉन्स देने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, ब्लाक और नगरपालिका की होती है। अगर आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए आवश्यक संसाधनों की स्थानीय उपब्धता जरूरत से कम है तो निम्न लिखित क्रम में सहयोग की मांग की जाती है।

जिला

राज्य

केन्द्र व अन्य राज्य, अन्तरराष्ट्रीय एजेंसिंया

आपातकालीन रिसपॉन्स के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच विभिन्न स्तरों पर बेहतर सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए अन्य सहभागियों का सहयोग भी लिया जा सकता है।

साथ ही, अन्य विभागों जैसे पुलिस, लोक निर्माण, इंजीनियरिंग, अग्निशमन, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य, एम्बुलेंस सेवा (108 सेवा) का घटना स्थल पर सहायता के लिए पहुंचना उनका दायित्व है। इन विभागों के कर्मचारियों को जीवन-रक्षक तकनीकों, फर्स्ट एड, तलाश एवं राहत, फंसे हुए लोगों की निकासी आदि कार्यो में प्रशिक्षित किया जाता है।

आपदा प्रभावित इलाके में कारगर रिसपॉन्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, विशेषरूप से निम्न लिए कार्यो के लिए:

- हताहतों की संख्या कम करने के लिए
- परेशानियां एवं तकलीफ कम करने के लिए
- जरूरी लाइफ सपोर्ट और सामुदायिक प्रणाली पुनः शुरू करने के लिए
- आगे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए
- समुत्थान के लिए आधार मुहैया कराने के लिए

रिसपॉन्स ऑपरेशंस बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं अगर उपरोक्त विभागों से सहायता पहुंचने में देरी होती है, अपर्याप्त मात्रा में पहुंचती है या अनुपयुक्त होती है। ऐसी स्थिति तभी पैदा होती है जब संबद्ध विभागों के बीच में बेहतर तालमेल की कमी होती है। इसलिए बेहतर और शीध्र रिसपॉन्स सुनिश्चित करने के लिए कारगर तैयारी प्रबंध किये जाने चाहिए।

स्थानीय ऑथोरिटीज, पीआरआईज एवं यूएसबीज के नेतृत्व में डिजास्टर रिसपॉन्स प्रक्रिया में समुदाय का महत्व और उसकी भूमिका जगजाहिर है। उनकी तुरंत सहायता के लिए अन्य फर्स्ट रिसपॉन्डर्स भी हैं जैसे पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन और चिकित्सा सेवाएं। आपदाग्रस्त इलाकों में कम से कम समय में पहुचने के लिए, सरकार विलंब होने के कारकों को दूर करने का प्रयास करेगी। आपातकालीन राहत कार्यो में अन्य प्रमुख रिसपॉन्डर्स जैसे सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस और एनआईकेएस की सेवाओं का भी समायोजन किया जायेगा।

जरूरत पड़ने पर सेना भी तैनात की जा सकती है। एसडीआरएफ के गठन के बाद ऐसे मामलों में सेना की तैनाती में काफी कमी आई है। हालांकि उन्हीं स्थितियों में लगाई जाती है जब हालात राज्य सरकार के बूते से बाहर हों।

इसलिए सभी विभाग अपने-अपने रिसपॉन्स प्लान तैयार करेगे। ये रिसपॉन्स प्लान निम्नलिखित तत्वों पर आधारित होंगे:

(क) छोटे स्तर के सरकारी कर्मचारियों और पीआरआई के प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार सौंपना

(ख) योजना में गांव या वार्ड को एक यूनिट के रूप में स्थान देना

(ग) ग्रामीण इलाकों में समन्वय और प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई

(घ) आपदा प्रबंधन कर्मियों के पास ज्यादा वित्तीय अधिकार सौंपना और ज्यादा गंभीर स्थिति वाली आपदाओं की हैंडलिंग के लिए खर्चे की लिमिट बढ़ाना जहां जिला या राज्य हैडक्वार्टर से सम्पर्क खत्म हो गया हो।

(छ) तलाश और बचाव, निकासी, फर्स्ट एड, आकस्मिक राहत और आवासीय प्रबंधन संबंधी मामलों में स्थानीय कर्मचारियों का क्षमता- वर्धन और उन्हें जरूरी उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध करना जिससे आपातकाल में उनकी बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम-से-कम हो जाए।

(च) आपातकालीन स्थिति में अधिकारियों की भूमिका की ओवरलैपिंग रोकना जिससे संयुक्त नियंत्रण एवं कारगर तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए बड़ी आपदाओं के दौरान इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम का सक्रियकरण जरूरी है।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है जब किसी आपदा से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों की जरूरत स्थानीय उपलब्धता से ज्यादा है तो जिला या राज्य स्तर से सहायता मांगी जाती है। एक सही तरीके से तैयार किया गया राज्य एचआर प्लान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की बेहतर तैयारी और क्षमता-वर्धन में मदद करता है। लेकिन अगर आपदा का विस्तार और प्रचंडता बहुत ज्यादा है तो राज्य एवं जिला स्तर पर इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम को सक्रिय किया जायेगा।

इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम (आईआरएस) का सक्रियकरण

यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे यहां पहले से ही एक नियंत्रण संरचना मौजूद है जो आपदा रिसपॉन्स के लिए प्रशासनिक पदक्रम का हिस्सा हैं हालांकि इसमें कुछ खामियां मौजूद हैं लेकिन इससे कुछ हद तक स्थिति को संभाला जा सकता है।

आपदा प्रबंधन के लिए वर्तमान प्रशासनिक संरचना को मजबूत बनाये जाने की जरूरत है और यह काम आईआरएस के सिद्धांतों को कुछ सुधार के साथ लागू करके किया जा सकता है।

इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम (आईआरएस)

आईआरएस निश्चित रूप से एक प्रबंधन प्रणाली है जो आपदा प्रबंधन के समय विभिन्न आपातकालीन कार्यो को प्रामाणिक तरीके से व्यवस्थित करने का काम करती है। यह विशेष दुर्घटना

प्रबंधन दलों को प्रशिक्षित कमांडर एवं अधिकारी मुहैया कराती है जो दुर्घटना प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे संभार-तंत्र, प्रचालन, योजना, सुरक्षा, मीडिया प्रबंधन आदि में निपुण होते है। जिला स्तरीय कर्मचारियों को दुर्घटना प्रबंधन में प्रशिक्षण देकर इस तरह के दलों को प्रत्येक जिले में तैनात करना भी इसका उद्येश्य हैं। आधुनिक तकनींको और योजनाओं की समकालीन प्रणालियों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया जायेगा। साथ ही संयुक्त संचालन कक्ष से कनैक्टिविटी का भी ध्यान रखा जायेगा।

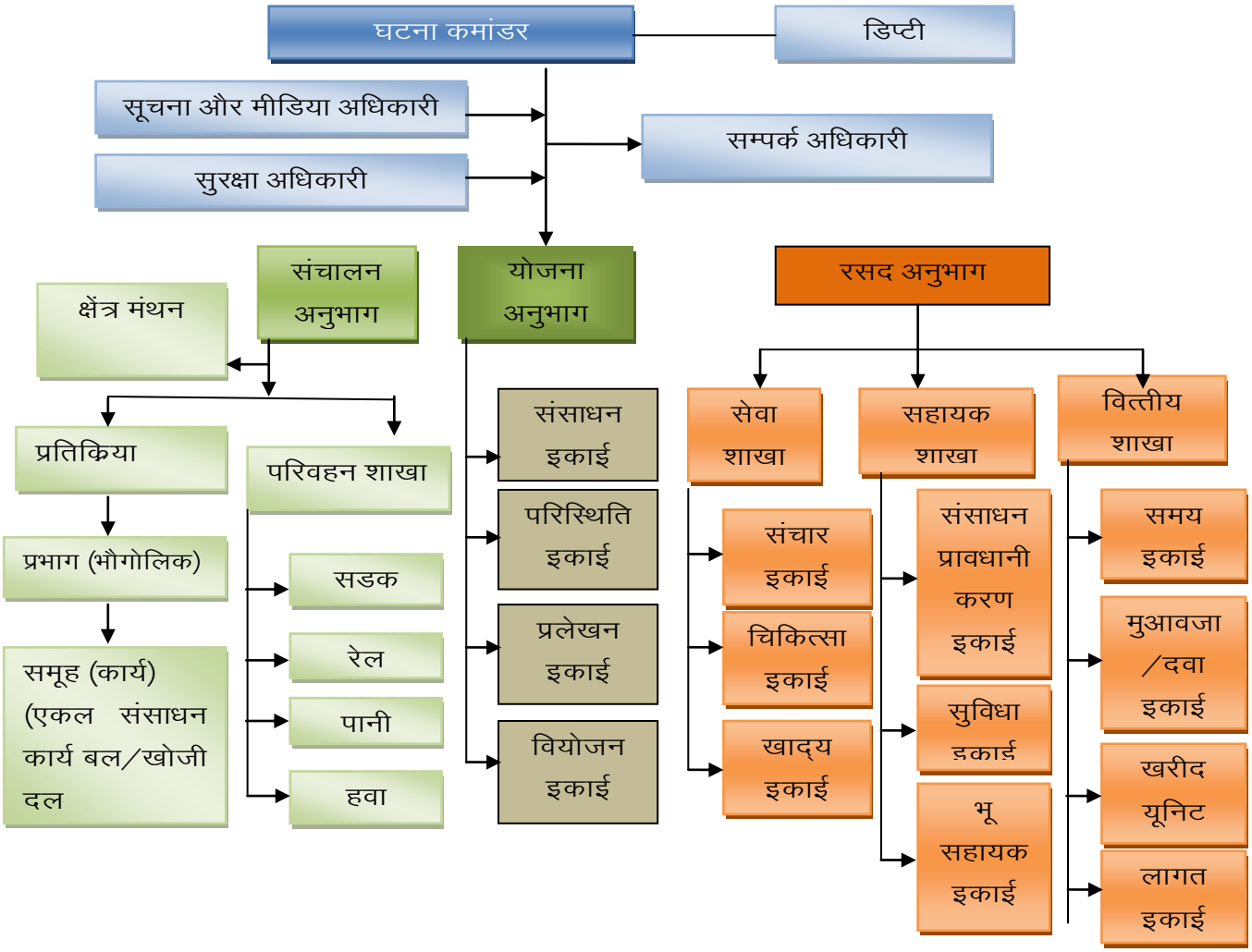

चित्र 8.3 इंसिडेंट रिसपॉन्स टीम (आईआरटी) फ्रेमवर्क

इंसिडेंट रिसपॉन्स टीम (आईअरटी)

आईआरएस दुर्घटना प्रबंधन के लिए निम्न लिखित चार कार्य क्षेत्रों की स्थापना करेगा (रेखाचित्र 8.3):

कमांड स्टाफ

कमांड स्टाफ नेतृत्व प्रदान करने के साथ-साथ टीम के उद्देश्य निर्धारित करता है। दुर्घटना प्रबंधन का समस्त दायित्व उसी का होता है।

ऑपरेशंस

दुर्घटना प्रबंधन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामारिक संचालन कार्यक्रमों का विकास एवं निरीक्षण।

योजना

उद्देश्यपूर्ति के लिए जरूरी दस्तावेजों, तकनीकी विशेषज्ञता, मानचित्रों, रिकॉर्ड्स की देखभाल, संसाधनों की आपूर्ति और योजना कार्यो का समायोजन करना

संभार-तंत्र

दुर्घटना उद्देश्यों को पूरा करने के कार्य में जुटे रिसपॉन्डर्स को सहयोग देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर (सुविधाएं, परिवहन, आपूर्ति, संचार, भोजन आदि) का विकास, उपयोग एवं देखभाल।

आईआरटी के किस अनुभाग, शाखा, प्रभाग, समूह या इकाई को सक्रिय करना है, यह निर्णय देने की जिम्मेदारी कमांड स्टाफ की होगी। किसी भी दुर्घटना के लिए सही सूचना, योजना, नेतृत्व, कॉस्ट-इफैक्टिव ऑपरेशंस और संभारण सपोर्ट मुहैया कराने की जिम्मेदारी आईआरएस की होगी।

किसी आपदा या संकट स्थिति के दौरान फर्स्ट रिसपॉन्स एवं राहत उपायों के लिए प्रमुख कारक संसाधन संस्थानों की मुस्तैदी

आपदा या संकट स्थिति के लिए अल्पकालिक सूचना पर भी रिसपॉन्ड करने के लिए संसाधन संस्थानों (सरकारी एवं गैर-सरकारी) की मुस्तैदी रिसपॉन्स आपरेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कभी-कभी सिर्फ एक संस्थान की असफलता पूरे रिसपॉन्स अभियान को गड़बडा सकती है। हालांकि आपदा प्रबंधन ऑथोरिटीज को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संसाधन संस्थानों के रिसपॉन्स लीड-टाइम अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए संयमित रिसपॉन्स के लिए रिसपॉन्स प्रबंधकों को चाहिए कि वे इस लीड-टाइम की भिन्नता में समन्वय करने की कोशिश करें।

रिसपॉन्स विभागों एवं एजेंसियों को रिसपॉन्स लीड टाइम में कटौती करनी चाहिए जिससे समय रहते रिसपॉन्ड करके भारी मात्रा में जान- माल एवं पशुओं को बचाया जा सके।

चेतावनी

इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी आपदा तैयारी नामक अध्याय में दी जा चुकी है। लेकिन इसका यहां जिक्र करना इसलिए जरूरी है जिससे अनावश्यक अन्योन्य संदर्भो से बचा जा सके, विशेषरूप से समुपस्थित संचालन परिस्थितियों में।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कारगर चेतावनी प्रणाली रिसपॉन्स ऑपरेंशस की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कभी-कभी ऐसा भी होगा जब किसी भी तरह की चेतावनी उपलब्ध नहीं होगी। चेतावनी के लिए मुख्य जरूरतें निम्न लिखित हैं:

- आपदा की संभाव्यता का शीध्राति शीध्र पता लगाना।
- ठीक तरह से प्रसंस्करित चेतावनी के उद्‌गम का शीघ्राति शीघ्र पता लगाना।
- चेतावनी प्रसार के कारगर तरीके, आईसीटी की स्थापना।

निकासी

आपदा के प्रकोप से लोगों और पशुओं को बचाने का एकमात्र साधन घटनास्थल से उनकी निकासी ही है। लोगों की निकासी रिसपॉन्स आपरेशंस का सबसे कठिन काम है। विशेषरूप से चेतावनी सूचकांकों के आधार पर ऐहतियात के तौर पर लोगों की निकासी जिससे उन्हें आपदाओं के दुष्परिणामों से सुरक्षित बचाया जा सके।

आपदोत्तर स्थिति में भी लोगों की निकासी बहुत जरूरी है जिससे लोगों को आपदाग्रस्त स्थानों से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके।

निकासी कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए जरूरी है कि वे जोखिम परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखें। इसके लिए सहभागियों जैसे पूर्वचेतावनी देने वाले, परिवहन अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, भोजन एवं अन्य जरूरी वस्तुओं के सप्लायर, सिविल सोसाइटीज, एनजीओज और आम लोगों के साथ लगातार संवाद अत्यावश्यक है।

निकासी कार्य की सफलता के लिए जियोग्राफीकल इंफामेंशन सिस्टम (जीआईएस) से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक डिसिजन सपोर्ट सिस्टम का गठन जरूरी है। एसओपीज के रूप में प्रत्येक संस्थान के दायित्व पहले से ही निर्धारित करने की आवश्यकता है।

रिसपॉन्स सिस्टम का सक्रियकरण

तुरंत एवं कारगर रिसपॉन्स के लिए एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है। जो आपदा प्रबंधन अधिकारीयों और संसाधन संस्थानों का सक्रियकरण कर सके। इसलिए राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एक इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम का गठन किया जायेगा।

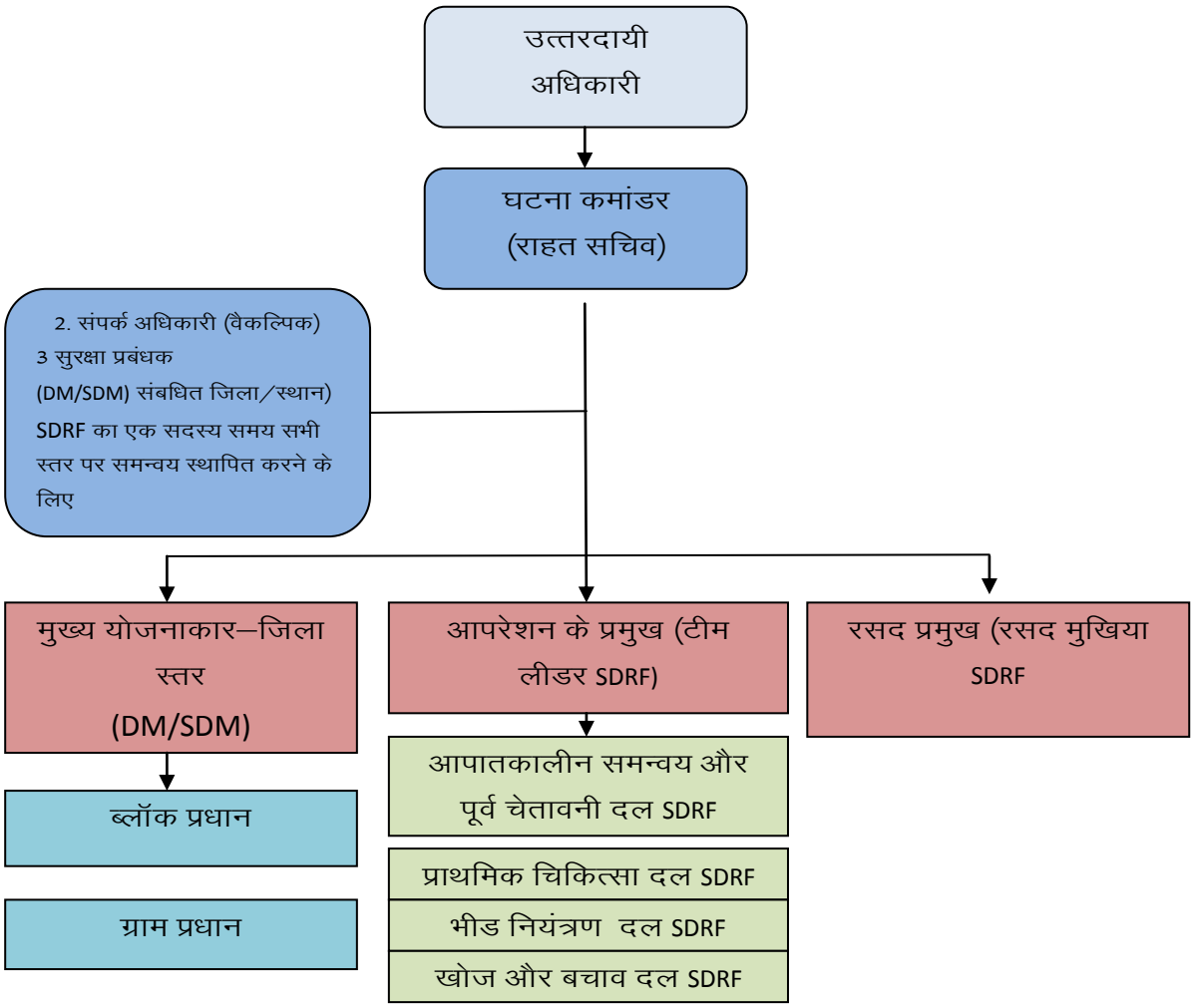

चित्र इंसिडेंट रिसपॉन्स रिसस्टम का आरेखीय निरूपण

राज्य अपने अधिकारियों को आईआरएस में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण लेने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। राज्य आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग आईआरएस के गठन के लिए स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करेगा।

रिसपॉन्स ऑपरेशंस का समन्वय

ऑपरेशंस के दौरान विभिन्न कार्यो का समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर समन्वय संसाधनों का उच्चतम उपयोग सुनिश्चित करता है। इसलिए संचालन कार्यो में द्विरावृत्ति से बचना जरूरी है। इसी वजह से इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम की आवश्यकता होती है। प्रभावी प्रबंधन और त्रुटि रहित निर्णय के लिए उचित इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर्स (ईओसीज) का होना जरूरी है।

आपदा प्रबंधन के कार्य में शामिल विभिन्न एजेंसियों में बेहतर तालमेल और उनको सौंपे गये कार्यो का क्रियान्वयन विभिन्न स्तरों पर ऑथोरिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्व है। सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य सहभागियों के बीच समन्वय से सहक्रिया पैदा होती। सभी एजेंसियों और कर्मचारियों के एक साथ आने से बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित होता है।

मास कैश्जुअलिटी मैनेजमेंट

मास कैश्जुअलिटी इंसिडेंट30 एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें एक ही समय पर इतने रोगी पैदा होते हैं जिनके प्रबंधन के लिए जरूरी संसाधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होते। इसके लिए अतिरिक्त आपातकालीन इंतजामों और सहायता की जरूरत पड़ती है। जबकि मास कैश्जुअलिटी मैनेजमेंट (एमसीएम) परस्पर जुड़ी हुई नीतियों, प्रक्रियाओं और योजनाओं का एक सुसंगत संगठन है जो मास कैश्जुअलिटी इंसिडेंट में घायल रोगियों की देखभाल के लिए क्षमता का वर्धन करता है।

बड़ी संख्या में हताहत करने वाली दुर्घटनाएं प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प एवं बाढ़ और मानवकृत आपदाओं जैसे सड़क, रेल एवं हवाई दुर्घटना, भगदड़, रासायनिक बहाव, अग्नि दुर्घटना, न्यूक्लियर रेडिएशन, बम विस्फोट, आतंकवादी आक्रमण, महामारी आदि के कारण घटित होती है।

अध्याय–9

समुत्थान एवं पुनर्निमाण

समुत्थान एवं पुनर्निर्माण या व्यापक पुनर्वास आपदा प्रबंधन का आखिरी चरण है। यह एक नये चक्र का वह चरण है जहां पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के अवसरों का इस्तेमाल एक बेहतर, सुरक्षित एवं ज्यादा समुत्थानशील समाज के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बहुत व्यापक होनी चाहिए जिससे विपत्ति को अवसर में बदला जा सके। आपदारोधी कारकों का समावेश करते हुए इसमें 'बेहतर पुनर्निर्माण' निर्देशक सिद्धान्त के रूप में कार्य करेगा। इस चरण में सभी सहभागियों के धैर्यशील एवं श्रमसाध्य प्रयासों की जरूरत है। प्रशासन–सहभागियों एवं समुदायों को इस चरण की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि समय के साथ–साथ अत्यावश्यकता का भाव भी विलुप्त हो जाता है। उचित तकनीक का चयन और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट किये जाने चाहिए जिससे यह स्थापित किया जा सके कि अपेक्षित परियोजनाओं का आपदाग्रस्त इलाके के लोगों के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक वातावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

समुत्थान प्रक्रिया आपदा आने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है और यह आपदोत्तर चरण के राहत, रिसपॉन्स एवं पुनर्वास कार्यों के साथ समायोजित हो जाती है। समुत्थान प्रक्रिया के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय हो सकते हैं। जिन क्षेत्रों को समुत्थान की आवश्यकता है वे निम्न लिखित हैं:

सामाजिक एवं आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों को दूर करने के उपाय किये जाने चाहिए। साथ ही पिछड़े और अगड़े के बीच की अशक्तताओं को भी दूर किया जाना चाहिए। ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए जिनसे जीविकोपार्जन प्रणालियों की व्यवहार्यता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की देखभाल संबंधी कार्यों को बढ़ावा मिल सके। अन्य पहलू जिन पर ध्यान देने की जरूरत है उनमें सड़कें, आवास, पेय जल, सैनिटरी, ऋण की सुविधा, कृषि निवेश, तकनीकों का आधुनिकीकरण, भण्डारण, प्रसंस्करण, मार्केटिंग आदि शामिल है।

आवासीय सुविधा

इसमें आपदाग्रस्त क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के सभी प्रभावित घरों की डिजाइन, योजना एवं पुनर्निर्माण शामिल हैं। हालांकि दोनों तरह के क्षेत्रों में योजना प्रक्रियाएं अलग–अलग होती हैं, लेकिन

दोनों के पुनर्निर्माण के बुनियादी सिद्धांतों में कोई अन्तर नहीं है। डैमिज असेसमेंट्स (आरडीए/डीडीए) जो आपदा के बाद राज्य के द्वारा किये जाते हैं, नुकसान के परिमाण और उसका मुकाबला करने के लिए क्षमता का आकलन करने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं। उनके आधार पर प्रभावित लोगों के तुरंत पुनर्वास के लिए अस्थाई या अर्ध-स्थाई मकानों का निर्माण किया जाता है। इन आवासीय इमारतों को विभिन्न वर्गो में बांटा जाता है जिससे मुआवजा पैकेज निर्धारित किया जा सके और यह मालूम किया जा सके कि वे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित हैं या नहीं।

उचित निर्माण-स्थल का चयन करने के बाद, बड़ी तादात में मकान बनाने के लिए निर्माण सामग्री और तकनीक भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों की स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए मकानों की डिजाइन आदि में सहभागी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। गुजरात, बिहार और कश्मीर के हालिया अनुभवों से पता चलता है कि ओनर-ड्राइविन रिकंस्ट्रक्शन (ओडीआर) प्रक्रिया लोगों के लिए उचित है। पुनर्निर्माण योजनाओं और मकानों की डिजाइन में सहभागी प्रक्रिया की जरूरत है जिसमें सरकार, प्रभावित समुदाय, एनजीओ, कॉरपोरेट सैक्टर शामिल हों। पुनर्निर्माण कार्यक्रम सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के मुताबिक होने चाहिए।

हालांकि कम से कम समय में स्थायी मकान, जरूरी सेवाएं और सामाजिक ढांचे की स्थापना के लिए दीर्घकालीन पुनर्निर्माण प्रक्रिया भी शुरू की जानी चाहिए। स्थायी पुनर्निर्माण के लिए मकानों आदि का निर्माण दो से तीन साल के अन्दर हो जाना चाहिए। पुनर्निर्माण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार समर्पित लोगों की टीम तैयार करेगी।

बुनियादी सुविधाएं

बुनियादी सेवाएं जैसे जल आपूर्ति, सेनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज आदि शीघ्रातिशीघ्र पुनः स्थापित की जानी चाहिए। विशेष एजेंसियों/एनजीओज और सीबीओज की सहायता से जल आपूर्ति और अस्थाई सेनिटेशन की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। बुनियादी सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसमें पानी के स्टोरेज और वितरण के लिए अस्थाई इंफ्रास्ट्रक्चर टेंकर्स, वेस्ट मैनेजेंट के लिए अस्थाई स्थानों का चयन एवं सैनिटेशन सुविधाएं शामिल हैं। समाज के सुभेद्य वर्ग, देहात में रहने वालों और विशेष जरूरत वाले समूहों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे पुनर्वास प्रक्रिया में वे पीछे न रह पायें।

दीर्घावधि में, स्थानीय लोगों से विचार-विमर्श करके बुनियादी सेवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये सुविधाएं इतनी मजबूत हों कि भविष्य में आपदाओं का प्रकोप सह सकें।

क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर

जीवनरेखा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, संचार और परिवहन का पुनर्स्थापन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रिसपॉन्स और राहत कार्यक्रम पूरी तरह इन्हीं सेवाओं पर निर्भर है। क्षतिग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइन और योजना सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखकर और 'क्षति नहीं पहुंचाने' वाली सोच के साथ की जानी चाहिए।

अक्सर सामाजिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि बुनियादी सेवाओं का पुनः स्थापन कितना जल्दी किया जाता है। असफल होने पर दुर्व्यवस्था, दंगे, बलकृत पलायन और अन्य सामाजिक वेदनाओं की स्थिति पैदा हो जाती हैं। मौलिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सेवाओं के पुनः स्थापन के कुछ उपाय निम्न लिखित हैं।

बेहतर पुनर्निर्माण

विनाश हमेशा बेहतर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए समुत्थान प्रक्रिया बेहतर पुनर्निर्माण को ध्यान में रखकर शुरू की जानी चाहिए। भविष्य में आपदा की स्थिति में यह बेहतर तैयारी और कम से कम नुकसान सुनिश्चित करता है।

मास्टर प्लान

समुत्थान प्रक्रिया व्यापक क्षेत्रीय योजना को ध्यान में रखकर शुरू की जानी चाहिए। यह केवल स्थानीय विकास पर आधारित नहीं होनी चाहिए क्योंकि समुत्थान प्रक्रिया का असर पड़ौसी इलाके के जीविकोपार्जन और रोजगार पद्धति पर भी पड़ता है।

सहभागिता योजना

इंफ्रास्ट्रक्चर में संतुलित सुधार की आवश्यकता है या कम से कम लाभभोगियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जरूरतों या उनकी अभिरुचियों के अनुरूप होना चाहिए।

पर्यावरण संघात मूल्यांकन

दीर्घकालिक समुत्थान प्रक्रिया के लिए पर्यावरण कानूनों को लागू करना जरूरी है। सभी मध्यम एवं बड़ी पुनर्निर्माण एवं विकास परियोजनाओं का पर्यावरण संघात मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और सभी पर्यावरणीय नियमों एवं विनियमों का क्रियान्वयन होना चाहिए।

पर्यावरणानुकूल सामग्री एवं तकनीक

जैसा कि पुनर्निर्माण समुत्थान प्रक्रिया का एक प्रमुख अवयव है, आपदोपरान्त पुनर्निर्माण प्रक्रिया के पर्यावरण पर पड़े प्रभाव का पता लगाने में सामग्री एवं तकनीक का चयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुननिर्माण प्रक्रिया का स्थानीय संसाधनों और पारिस्थितिकी पर गहरा दबाव पड़ता है और इसे रोका नहीं गया तो पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और आजीविका पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह आजीविका की पुनः स्थापना में भी पर्यावरण संबंधी पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए जिससे तेजी से रोजगार के अवसर मुहैया कराते समय पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नजरंदाज न किया जा सके।

पारिस्थितिकी की पुनर्स्थापना

जहां जहां पारिस्थितिकी को भारी क्षति पहुंची है वहां बहु-क्षेत्रीय प्रबंधन प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न आजीविका और पर्यावरणीय पहलुओं के बीच की कड़ी को पहचाना जाए और उस पर ध्यान दिया जाए।

पारिस्थितिकी का समाकलित प्रबंधन

समाकलित प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग मुख्य रूप से जलसंभर, वनों, नदी घाटियों आदि के प्रबंधन में किया जाता है। इसका ध्यान जलवायु परिवर्तन के स्वीकृतिकरण और आपदा जोखिम के अल्पीकरण की तरफ भी बढ़ रहा है। दीर्घकालिक आजीविका विकल्प तैयार करना इन प्रक्रियाओं का एक अहम घटक है।

संपोषित पर्यटन

जैसा कि राजस्थान घरेलू एवं विदेशी शैलानियों के लिए सबसे पसंदीदा पर्यटन केन्द्र है इसे प्रवर्धक एवं संपोषित पर्यटन के रूप में विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण हैं। पर्यटन विकास से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों और उससे होने वाले वित्तीय लाभ के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत है।

शासन

शासन एक महत्वपूर्ण विषय है और आपदा प्रबंधन के मामले में इसके लिए बहु-क्षेत्रीय एवं बहु-सहभागी माध्यम की जरूरत है। इसलिए निम्नलिखित बातों को समझने और संबोधित करने की आवश्यकता है।

आपदा पीड़ितों के पुनर्वास, राहत और आपदा शमन के संबंध में निर्णय लेने के सभी पहलुओं में सहभागियों की हिस्सेदारी।

आपदा के प्रति रिसपॉन्स प्रक्रिया में खामियां और द्विरावृत्ति मौजूद है। इसलिए ज्यादा सामंजस्य, सुसंगति और सहयोग की आवश्यकता है जिससे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

मानव स्वास्थ्य समाज और पर्यावरण पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का मुकाबला करने के लिए किये जाने वाले उपायों को समायोजित और मजबूत करने की आवश्यकता है। इन उपायों में ऋण, मुआवजा एवं सुधार शामिल हैं।

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, बून्दी

District Disaster Management Plan (DDMP) BUNDI

योजनाओ की समीक्षा व आधुनीकरण

जिला प्रशासन

व

आपदा प्रबन्धन केन्द्र,

ह.च.मा. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

अध्याय–10

योजना की समीक्षा व आधुनीकरण

आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी एवं आधुनिकीकरण

वर्तमान आपदा प्रबंधन योजना में प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना निम्न लिखित परिकल्पनाओं पर आधारित होगी:

राज्य की आपदा प्रबंधन योजना एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा। डीएम प्लान राज्य में सभी क्षैतिज एवं अनुलम्ब आपदा प्रबंधन योजनाओं का सार और संकलनफल है। क्षैतिज योजनाओं में वे योजनाएं शामिल हैं जो लाइन डिपार्टमेंट्स जैसे गृह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, स्वास्थ्य पेयजल एवं सेनिटेशन, शहरी विकास, निर्माण और ग्रामीण विकास द्वारा तैयार की जाती है। इनमें अग्निशमन सेवा और नगर निगम भी शामिल है।

ये योजनाएं तभी काम करेंगी जब वर्तमान संगठनात्मक संरचना केवल गैर-आपातकालीन सेवाओं के लिए जिम्मेदार है जैसे यदि एक काम रोजाना अच्छी तरह से किया जाता है तो वही काम आपातस्थिति में उसी संगठन द्वारा सबसे अच्छे तरीके से किया जाता है।

आपातस्थित का मुकाबला सरकार के सबसे निचले स्तर पर तात्कालिक रूप से किया जाना चाहिए। अगर अगली उच्च ऑथोरिटी जरूरी समझे तो इसमें स्थानीय रिसपॉन्स को भी जोड़ा जा सकता है।

स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी क्षेत्र की भागादारी पर जोर दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक और मानवकृत आपदाओं के सभी चरणों में आपात प्रबंधन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।

आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की है। पहली योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है और इसमें आगे सुधार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

डीएम प्लान के प्रत्येक आधुनिकीकरण के बाद इसे संस्करण क्रमांक दिया जायेगा। आधुनिकीकृत दस्तावेज की प्रतिलिपि राज्य में आपदा प्रबंधन के सभी सहभागियों को दी जायेगी।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना का नियतकालिक आधुनिकीकरण

आपदा प्रबंधन गतिशील होता है। जमीनी हकीकतें, बदलती आबादी और उसकी विशिष्टताएं, आपदाओं से निपटने की सरकारी प्रणालियां एसडीएमपी की कार्यसाधकता का निर्धारण करती है। समय-समय पर योजना की समीक्षा एवं आधुनिकीकरण किया जायेगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23 (5) के अनुसार एसडीएमपी की सालाना समीक्षा और आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

तैयारी का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करने और किसी भी विस्तार एवं तीव्रता वाली आपदा का मुकाबला करने के लिए राज्य का पर्याप्त एवं तकनीक द्वारा संचालित हैजर्ड, रिस्क एंड वलनरेबिलिटी असैसमेंट (एचवीआरए) किया जायेगा। एचवीआरए के परिणामों के आधार पर एसडीएमपी की समीक्षा की जायेगी और उसमें व्यापक संशोधन किये जायेंगे।

हालाकिं योजना के प्रासंगिक अनुभागों की समीक्षा और सुधारीकरण हर साल किया जायेगा, लेकिन योजना व्यापक संशोधन पांच साल में एक बार किये जायेंगे। राज्य एवं जिला स्तर पर प्रमुख कर्मचारियों के बार-बार तबदलों को ध्यान में रखते हुए, यह जरूरी है कि प्रमुख विभागों के संपर्क अधिकारियों के बारे में मासिक अपडेट्स को योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जायें। इसी तरह, उपकरणों की सूची के तिमाही अपडेट्स एसडीएमपी का अभिन्न हिस्सा बनाये जायें।

आपदा प्रबंधन के क्रियान्वयन की स्टेट्स रिपोर्ट

जिला, ब्लॉक, नगरपालिका और ग्राम पंचायत स्तरों पर एसडीएमपी का क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि जमीनी स्तर पर योजना में उल्लखित प्रणाली को किस स्तर तक प्रयोग में लाया जाता है। सभी स्तरों पर प्रशासन, सभी विभाग, एजेंसियां और सहभागी योजना में दिये गये अपने-अपने उद्देश्यों को पहचान कर अपनी-अपनी योजनाएं तैयार करेंगे। प्रत्येक विभाग द्वारा नियुक्त

नोडल अधिकारियों का दायित्व योजना तैयार करना और उसका उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उसकी स्टेटस रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिसकी एक प्रतिलिपि डीएमएंडआर को सौंपी जायेगी।

क्रियान्वयन स्टेटस रिपोर्ट में आपदा शमन के सभी चरणों में (आपदा पूर्व, दौरान और बाद में) प्रयोग में लाई गई मानवशक्ति, सभी कार्यक्रमों पर खर्च की गई रकम, प्रशिक्षण और अन्य क्षमता-वर्धक कार्यक्रमों, तकनीक और आपदा तैयारी एवं शमन उपायों के लिए इस्तेमाल किये गये संसाधनों का विस्तृत विवरण दिया जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा तैयार की गई क्रियान्वयन स्टेटस रिपोर्ट विभागों के प्रमुखों द्वारा अनुमोदिक की जायेगी और डीएम एंड आर के सचिव को भेजी जायेगी। अनुभवों के आधार पर सभी विभाग सालाना इस योजना की समीक्षा कर सकते हैं और उसमें जरूरी सुधार कर सकते हैं।

आपदोत्तर मूल्यांकन प्रक्रिया

आपदाएं हमेशा अप्रत्याक्षित होती हैं। प्रत्येक आपदा में जान-माल का भारी नुकसान होता है। और प्रत्येक आपदा कुछ अन्तराल के बाद पुनः घटित होती है। किसी आपदा से मिली सीख से हमें किसी दूसरी संभावित आपदा के शमन की योजना तैयार करने में मदद मिलती है। आपदा के मामलें में एसईसी हर छोटी-बड़ी आपदा का डेटा इकट्ठा करती हैं। आपदोत्तर मूल्यांकन प्रक्रिया विशेषज्ञों, प्रोफेशनल्स और शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की जाती है और इकट्ठे किये गये आंकड़े पुनः जांच के बाद राज्य और जिला ईओसी में भविष्य में संदर्भ के लिए प्रलेखित किये जाते हैं। यह दस्तावेज आपदा शमन, तैयारी, रिसपॉन्स, समुत्थान और पुनर्वास संबंधी सभी उपायों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।

परामर्श प्रक्रिया

राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी विभागों, सिविल सोसाइटी, एनजीओ और प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच परामर्श प्रक्रिया ही आपदा योजना में सुधार और संशोधनों का आधार बनती है। एसडीएमए और एसईसी वर्तमान जरूरतों के अनुसार एसडीएमपी को अपडेट करते हैं। इसी तरह, जरूरतों के अनुसार डीडीएमए डीडीएमपी को अपडेट करेगा।

डीडीएमपी की समीक्षा और आधुनिकीकरण की समयावधि

कार्यक्रम	पहली साल	दूसरी साल	तीसरी साल	चौथी साल	पंचवी साल
डीडीएमपी को अन्तिम रूप देने के लिए सभी विभागों, प्रशासन, एनजीओज आदि के साथ परामर्श					
जिला स्तर पर एचआरवी मूल्यांकन					
सभी स्तरों पर सभी विभागों और प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन स्टेटस रिपोर्ट तैयार किया जाना					
समीक्षा और निगरानी प्रगति					
डीडीएमपी में व्यापक संशोधन एवं आधुनिकीकरण					

अध्याय–11

समन्वयन और क्रियान्वयन

सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आपदाओं के कारगर प्रबंधन एवं शमन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगा। राज्य स्तर पर समन्वय के लिए सभी सरकारी विभागों और अन्य सहभागियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। जिसके लिए कुछ साधन पहले से ही उपलब्ध हैं। विभिन्न राज्यों, विभागों और सहभागियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में इंडियन डिजास्टर रिसॉर्स नेटवर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी विस्तृत जानकारी एसडीएमपी के अध्याय 6 दी गई है।

विभिन्न विभागों और एजेसियों के साथ समन्वय

किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं द्वारा रिसपॉन्स किया जाता है। इसमें स्थानीय लोग भी सहयोग देते हैं। फिर भी, इस काम में कई अन्य एजेंसियां भी शामिल होती हैं। आपात सेवाएं हमेशा तैयार अवस्था में रहती हैं। जिससे तुरंत रिसपॉन्ड कर सकें और स्थानीय प्रशासन एवं अन्य सेवाओं को शीघ्रातिशीघ्र अलर्ट कर सकें। सभी विभाग जिन्हें आपदा की स्थिति में तुरंत कार्यवाही करनी होती है उनके पास जरूरी संसाधन होते हैं जिन्हें आपदा की स्थिति में तुरंत सक्रिय किया जा सकता है। ये व्यवस्थाएं स्पष्टतः स्थापित की जायेगी और उनका प्रसार किया जायेगा।

हालांकि विभिन्न आपात सेवाएं जैसे पुलिस, अग्नि शमन और अस्पताल अनिवार्य हैं, लेकिन आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने के लिए कुछ लोक उपयोगी सेवाओं जैसे स्थानीय संस्थाएं, रेलवे, हवाई सेवा आदि का सहयोग भी जरूरी है। ये सभी एजेसिंयों अलग अलग संस्थाएं है उनमें अलग-अलग पदक्रम है, अलग-अलग नियंत्रण ऑथोरिटीज और अलग-अलग दायित्व है। अगर बचाव एवं समुत्थान कार्यो को बेहतर अंजाम देना है तो इन सभी विभागों और एजेंसियों को मिलकर बेहतर तालमेल के साथ काम करना जरूरी है। इसलिए इन सभी को एक-दूसरे की कार्यसीमाओं और जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। योजना स्तर पर इन विभागों और एजेंसियों के बीच गहन विमर्श एवं सहमति और उनको निचले स्तर के कर्मचारियों तक पहुंचाना एवं क्षमतावर्धन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें दूसरों की जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारी और भूमिका का

पता चलेगा। और आपदा स्थिति में जरूरत पड़ने पर विभिन्न सेवाओं का सहयोग लिया जा सकेगा, बिना किसी द्विरावृत्ति के।

अनुलम्ब एवं क्षैतिज संबंध स्थापित करना

आपदा प्रबंधन में संलग्न विभागों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय उनको दिये गये कार्यो के क्रियान्वयन के लिए एक आवश्यक जिम्मेदारी है। आपदा स्थिति में व्यावहारिकता, पारदर्शिता, अनुक्रम और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एसडीएमपी के भाग-2 में वर्णित आपदानुसार कार्ययोजना तैयार की गई है। इसलिए यह अनुभाग सभी विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर अनुलंब एवं क्षैतिज संबंध एवं समन्वयन सुनिश्चित करता है।

हालांकि यहां यह बताना जरूरी है कि समन्वयन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और किसी एक स्थिति तक सीमित नहीं है। विभिन्न सरकारी विभागों एवं अन्य सहभागियों के बीच समन्वय से सहक्रिया पैदा होती है जो बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। इसलिए बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय जरूरतों के मुताबिक छोटा-मोटा परिवर्तन करना बड़ा आसान होता है।

वार्षिक रिपोर्ट

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में डीएम एंड आर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे प्रकाशित करेगा। इस सालाना रिपोर्ट में पूर्व वर्ष के दौरान डीएम एंड आर द्वारा किये गये सभी कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण दिया जायेगा। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे।

आपदा प्रबंधन के लिए डीएमएंडआर के उद्देश्यों और विजन का विवरण

भौतिक एवं वित्तीय दृष्टि से सालाना लक्ष्य एवं उपलब्धियां

पूर्व वर्ष में क्रियान्वित कार्यक्रम

अगले वर्ष के लिए योजना

अन्य जरूरी सूचना, यदि कोई हो तो

आपदा प्रबंधन योजना का संस्थापन

सभी विभाग अपना-अपना एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो आपदा प्रबंधन में अपने-अपने विभागों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के लिए जिम्मेदार होंगे। ये मनोनीत अधिकारी अपने-अपने

विभागों के लिए एसओपीज तैयार करेंगे। एसडीएसपी और ईओसी के क्रियान्वयन के दौरान ये अधिकारी मुख्य संपर्क का कार्य भी करेंगे।

सरकारी विभागों और अन्य सहभागियों की क्रॉसकटिंग क्रिया कलाप

आपदाएं विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जिससे लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। विकास प्रक्रिया और विकास के मॉडल का चयन कभी-कभी आपदा जोखिमों की तरफ धकेल देता है। इस समय देश में आपदा प्रबंधन प्रणाली में भारी बदलाव हो रहा है। नईग सोच यह है कि दीर्घगामी विकास के लिए आपदा शमन योजना को विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाना जरूरी है। नई नीति में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आपदा शमन योजनाओं पर किया गया निवेश आपदा राहत और पुनर्वास पर किये जाने वाले खर्च से काफी कम है।

सरकार के सभी प्रमुख विभाग और सेवा मुहैया कराने वाले विभाग जिला एवं पंचायत स्तर पर तमाम विकास परियोजनाएं चलाते हैं। उदाहरण के लिए कृषि विभाग किसानों को बेहतर कृषि प्रणालियों के बारे में प्रशिक्षित करता है। इसी तरह, राज्य स्तर पर डीएमएंडआर ऐसी प्रक्रियाएं विकसित करता है जहां किसानों को दी जाने वाली सूचनाएं आपदा तैयारी से संबंधित होती हैं। यह काम कृषि स्टाफ और फ्रंटशाइन कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करके किया जा सकता है। इस तरह कृषि-विस्तार कर्मचारी आपदा प्रबंधन के बेहतर फील्ड एम्बेसडर के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह बात सभी विभागों पर लागू होती है। क्षमता-वर्धन भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह सिचांई और लोकनिर्माण विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में समायोजित करने से आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है।

राज्य में अनेक एनजीओ और कॉरपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) कई सामाजिक विकास के कार्यक्रम चला रहे हैं। राज्य इन क्षेत्रों से आग्रह करेगा कि वे अपने सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के उद्देश्यों में आपदा प्रबंधन प्रयासों को भी समायोजित कर लें। राज्य क्षमता- वर्धन के कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास करेगा।

अध्याय—12

उपसंहार

आपदाओं को रोकने या आपदा की स्थिति में उसका बेहतर तरीके से मुकाबला करने के लिए आपदा प्रबंधन योजना एक संस्थागत प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। नोडल विभागों से उम्मीद की जाती है कि वे आपदा की स्थिति या सम्भावना के मद्देनजर अपनी-अपनी एसओपीज के अनुसार स्वयं कार्यवाही शुरू करें या उच्च अधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही करें। आपदा की स्थिति में, तुरंत बचाव एवं राहत अभियान अत्यन्त आवश्यक है। हालांकि, बेहतर तैयारी एवं शमन उपायों से आपदा से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वास्तव में यह पहले देखा जा चुका है कि जब भी बेहतर तैयारी संबंधी उपायों पर ध्यान दिया गया है वहां आपदाओं से जान-माल का नुकसान काफी हद तक कम हुआ।

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जिला आपदा प्रबन्धन योजना,बून्दी

District Disaster Management Plan

(DDMP)

BUNDI

परिशिष्ट

जिला प्रशासन

व

आपदा प्रबन्धन केन्द्र,

ह.च.मा. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

1. **Terminology - UNISDR** (**united nation office for disaster risk reduction**)

यूएनआईएसडीआर टर्मिनोलॉजि ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (२००९)

यूएनआईएसडीआर टर्मिनोलॉजि का मुख्य उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण की परिकल्पनाओं की बेहतर जानकारी उपलब्ध कराना है और आपदा जोखिम कम करने के लिए प्रयासों में ऑथोरिटीज, व्यवसायियों और जनता की मदद करना है। इसका पूर्व संस्करण ''टर्मिनोलॉजि: बेसिक टर्म्स ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन'' 2004 में ''लिविंग विद रिस्क: अ ग्लोबल रिव्यू ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनिशिएटिव्स'' में प्रकाशित हुआ था। अगले साल, ळयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005-15 ने यूएनआईएसडीआर सचिवालय से अनुरोध किया कि ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर की पारिभाषिकी का आधुनिकीकरण किया जाए और इसे बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाय, कम से कम संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी अधिकृत भाषाओं में, जिससे इसका प्रयोग संख्यागत विकास, कार्यक्रमों, ऑपरेशंस, शोष, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और जनसूचना कार्यक्रमों में किया जा सके।''

यह संस्करण (2009) यूएनआईएसडीआर द्वारा लगातार की गई समीक्षा और विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर विशेषज्ञों और व्यवसायियों के साथ क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परिवेश में दिये गये परामर्श का नतीजा है। प्रत्येक टर्म एक वाक्य में परिभाषित किया गया है। टिप्पणी पैराग्राफ परिभाषा का हिस्सा नहीं है, लेकिन अतिरिक्त संदर्भ और व्याख्या के लिए दिया गया है। यह ध्यान रखना चाहिए कि टर्म्स जरूरी रूप से एकान्तिक नहीं हैं। कुछ मामलों में ओवरलैपिंग मीनिंग्स भी है।

टर्मिनोलॉजि को संशोधित करके उन शब्दों को शामिल किया गया है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित समकालीन जानकारी के लिए आवश्यक हैं और उन शब्दों को छोड़ दिया गया है जिनका प्रयोग सामान्य शब्दकोश में होता है। कुछ उभरती हुई नई परिकल्पनाएं जो अभी ज्यादा प्रयोग में नहीं हैं। लेकिन इनका बहुत ही व्यावसायिक महत्व है, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। इनकी परिभाषा भविष्य में विकसित होगी। अन्य भाषाओं के संस्करण अंग्रेजी संस्करण (2009) पर आधारित हैं। भविष्य मे आने वाले संस्करणों के लिए सुझाव एवं टिप्पणियां आमंत्रित हैं जो आईएसडीआर सचिवालय को isdr@un.org पर भेजे जा सकते हैं।

पारिभाषिकी	अर्थ
स्वीकार्य जोखिम	संभावित नुकसान जिसे समाज या समुदाय मौजूदा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं पर्यावरणीय स्थितियों में स्वीकार्य समझता है। टिप्पणी : इंजीनियरिंग के संदर्भ में, स्वीकार्य जोखिम का प्रयोग संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिनकी जरूरत लोगों, सम्पत्ति, सेवाओं और प्रणालियों के नुकसान को सहन करने योग्य स्तर तक लाने के लिए पड़ती है। यह स्तर जोखिमों और अन्य कारकों की ज्ञात संभावनाओं पर आधारित होता है।
अनुकूलन	वास्तविक या संभावित जलवायु परिवर्तन के रिसपॉन्स में प्राकृतिक या मानव प्रणालियों के अनुरूप बनाना जो नुकसान को संतुलित करता है या लाभकारी अवसरों का फायदा उठाता है। टिप्पणी : यह परिभाषा जलवायु परिवर्तन संबंधी चिन्ताओं को संबोधित करती है और इसका स्रोत यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। अनुकूलन की विस्तृत संकल्पना गैर-पारिस्थितिकी कारकों जैसे भूमि कटाव आदि के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अनुकूलन अपने-आप भी हो सकता है, उदाहरण के लिए मार्केट बदलाव के द्वारा या इरादतन अनुकूलन नीतियां या योजनाएं। अनेक आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपाय बेहतर अनुकूलन में सहायक हो सकते हैं।
बॉयोलॉजिकल हैजर्ड	जैवीय उद्‌भव की एक प्रक्रिया या जो बॉयोलॉजिक वैक्टर से पैदा होती हो जिसमें पैथोजैनिक माइक्रो-आर्गेनिज्म, टोक्सिन और बॉयोएक्टिव सबस्टेंसेज का खतरा शामिल है जिससे जान को खतरा पैदा हो सकता है, बीमारी हो सकती है या स्वास्थ्य, सम्पत्ति, आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, सामाजिक और आर्थिक रूकावट पैदा हो सकती है, या पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। टिप्पणी : बॉयोलॉजिक हैजर्ड के उदाहरणों में महामारियों का फैलना, वनस्पति या जानवरों का संक्रमण, प्लेग और जन्तुबाधा शामिल है।
बिल्डिंग कोड	अध्यादेशों और विनियमों का एक सैट जो इमारतों की डिजाइन, निर्माण, मेटेरियल, बदलाव या औक्यूपैन्सि को नियंत्रित करता है और जो मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है जैसे इमारत के रिगने या अन्य क्षति से सुरक्षा। टिप्पणी: बिल्डिंग कोड में टैक्नीकल और फंक्शनल स्टैन्डर्ड शामिल है। इसमें अन्तरराष्ट्रीय अनुभव शामिल होने चाहिए तथा ये राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्थितियों के अनुरूप होने चाहिए। बिल्डिंग कोड के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक बेहतर क्रियान्वयन तंत्र होना जरूरी है।

क्षमता	किसी समुदाय, समाज या संस्था की सभी सामर्थ्यों और संसाधनों का गठजोड़ जिसका इस्तेमाल किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। टिप्पणी : क्षमता में इंफ्रास्ट्रक्चर और भौतिक साधन, संस्थाएं, सामाजिक योग्यता, ज्ञान, सामाजिक संबंध, नेतृत्व और प्रबंधन शामिल है। क्षमता को योग्यता के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। क्षमता मूल्यांकन एक ऐसी क्रिया है जिसके तहत किसी समूह की क्षमता की समीक्षा की जाती है। और यह काम उसके उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने की क्षमता के बीच के गैप को मालूम करके किया जाता है।
क्षमता वर्धन	एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग, संस्थान और समाज किसी सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं का विकास करता है। यह काम ज्ञान, कुशलता, प्रणाली या संस्थाओं में सुधार के माध्यम से किया जाता है। टिप्पणी : क्षमतावर्धन एक ऐसा परिकल्पना है जिसमें एक निश्चित अवधि में सामर्थ्य बढ़ाने के सभी पहलू शामिल होते हैं। इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और राजनैतिक जागरूकता, आर्थिक संसाधन, तकनीकी प्रणालियां एवं विस्तृत सामाजिक व सांस्कृतक वातावरण बढ़ाने के लिए लगातार किये जाने वाले प्रयास शामिल हैं।
क्लाइमेट चेंज	(क) द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के अनुसार जलवायु परिवर्तन ''एक ऐसा बदलाव है जिसकी पहचान इसके धर्म-गुणों में बदलाव से की जाती है और इसका विस्तार एक लम्बी अवधि, जैसे दशक या और ज्यादा तक होता है। जलवायु परिवर्तन प्रकृति की आंतरिक प्रक्रिया में बदलाव स्वरूप या बाहरी शक्तियों के प्रभाव के कारण होता हे, या वातावरण की संरचना में एन्थ्रोपोजैनिक बदलाव या भूमि-उपयोग के कारण होता है।'' (ख) द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कनवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार यह पारिस्थितिकी में एक ऐसा बदलाव है जो सीधे या परोक्ष रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण होता है जिनसे भूमंडलीय वातावरण की संरचना बदलती है। और यह तुलनात्मक समयावधि में अवलोकित प्राकृतिक पारिस्थितिकी विविधता के अलावा है।'' टिप्पणी : आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दृष्टि से, ये दोनों ही परिभाषाएं सही हो सकती है। यह किसी विशेष संदर्भ पर निर्भर करता है। यूएनएफसीसीसी की परिभाषा सीमित है क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों को शामिल नहीं किया गया है। आईपीसीसी की परिभाषा को पॉपूलर कम्यूनिकेशन के लिए इस तरह पैराफ्रेज किया जा सकता है-''पारिस्थितिकी में एक ऐसा बदलाव जो एक लम्बे समय तक मौजूद रहता है, जो या तो प्राकृतिक कारणों से होता है या मानवीय क्रियाकलापों से।''

आकस्मिक योजना	यह एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसके तहत किसी संभावित आपदा, जो समाज या पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर सकती है, का मूल्यांकन किया जाता है और उससे बेहतर तरीके से निपटने के लिए पहले से ही उचित व्यवस्था की जाती है। टिप्पणी : आकस्मिक योजना एक सुनियोजित और संगठित तरीके से तैयार की जाती है जिससे संस्थागत दायित्वों, संसाधनों, सूचना प्रक्रिया और क्रियान्वयन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाता है। किसी आपदा के संभावित परिदृश्य के आधार पर उससे निपटने के उपायों पर विचार किया जाता है। आकस्मिक योजना आपदा तैयारी का एक महत्वपूर्ण अवयव है। आकस्मिक योजनाओं को नियमित सुधार और आधुनिकीकरण की जरूरत होती है।
मुकाबला करने की क्षमता	लोगों, संस्थानों और सिस्टम की विपरीत परिस्थितियों, संकटों और आपदाओं का मुकाबला करने की सामर्थ्य जिसके लिए उपलब्ध योग्यता और संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। टिप्पणी : मुकाबला करने की क्षमता के लिए, सामान्य और आपात स्थितियों में लगातार जागरूकता, संसाधनों और बेहतर प्रबंधन की जरूरत होती है। इससे किसी आपदा के जोखिमों को कम करने में सहायता मिलती है।
संशोधक आपदा जोखिम	ऐसी प्रबंधन प्रक्रिया जिससे मौजूदा आपदा जोखिमों को कम करने में सहायता मिलती है। प्रबंधन टिप्पणी : इससे दो चीजों में अन्तर करने में साहयता मिलती है - एक ऐसे जोखिम जो मौजूद हैं और उन्हें कम करने की जरूरत है, दूसरा, ऐसे जोखिम जो भविष्य में पैदा होंगे, अगर उन्हें मैनेज करने के उपाय नहीं किये गये तो प्रत्याशित जोखिम प्रबंधन भी देखें। संकट कालीन सुविधाएं ऐसी भौतिक संरचनाएं, तकनीकी सुविधाएं और प्रणालियां जो सामान्य एवं संकटकालीन स्थितियों में समाज या समुदाय के चलाने के लिए सामाजिक, आर्थिक या क्रियान्वयन दृष्टि से आवश्यक होती हैं। टिप्पणी : संकट कालीन सुविधाएं इन्फ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हैं जो समाज की आवश्यक सेवाओं को सपोर्ट करती हैं। इनमें परिवहन, हवाई अड्डे एवं पोर्ट्स, बिजली, जल एवं संचार प्रणालियां, अस्पताल एवं क्लिनिक, अग्निशमन, पुलिस और लोक प्रशासन सेवाएं शामिल हैं।
आपदा	समाज या समुदाय के क्रियाकलापों में बाधा जिससे भारी मात्रा में मानवीय, सम्पत्ति, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति पहुंचती हो और जिसका मुकाबला करना किसी एक समुदाय या समाज के लिए सम्भव न हो। टिप्पणी : आपदाओं के प्रमुख कारणों में जोखिम के प्रति अनावरण, सुभेद्यता और

	आपदाओं का मुकाबला करने की क्षमाओं में कमी शामिल हैं। आपदाओं से जान-माल का भारी नुकसान होता है, बीमारियां फैलती हैं, मानव के भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है, सेवाओं में बाधा पड़ती है और पर्यावरण को क्षति पहुंचती है।
आपदा जोखिम	आपदाओं से संभावित क्षति - जान-माल, स्वास्थ्य, आजीविका, और सेवाओं को नुकसान। टिप्पणी : आपदाएं मौजूदा जोखिमों का परिणाम होती है। आपदा जोखिम विभिन्न प्रकार के नुकसान शामिल है जिनका मूल्यांकन करना बहुत कठिन है। हालांकि, आबादी के पैटर्न और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की जानकारी के आधार पर मौजूदा आपदा जोखिमों का मूल्यांकन किया जा सकता है।
आपदा जोखिम प्रबंधन	एक योजनाबद्ध प्रक्रिया जिसमें प्रशासनिक निर्देशों, संस्थानों और क्रियान्वयन निपुणताओं एवं क्षमताओं के इस्तेमाल से नीतियों और उपायों को क्रियान्वित करके आपदाओं और उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है। टिप्पणी : यह टर्म आपदा प्रबंधन का ही एक विस्तरित रूप है जो आपदा जोखिमों के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपदाओं को रोकने, शमन और तैयारी संबंधी उपायों के माध्यम से आपदा जोखिम प्रबंधन आपदाओं के जोखिमों के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने, कम करने या हस्तांतरित करने का काम करता है।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण	ऐसी प्रक्रिया जो आपदा के कारणों का मूल्यांकन करके आपदा जोखिमों को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन प्रयासों में आपदाओं के प्रति कम अनावरण, लोगों और सम्पत्ति की सुभेद्यता में कमी, भूमि और पर्यावरण का उचित प्रबंधन और आपदा तैयारियों में सुधार शामिल हैं। टिप्पणी : हयोगो फ्रेमवर्क के माध्यम से आपदा जोखिमों को कम करने के उपायों की शुरूआत वर्ष 2005 में की गई जिसके परिणाम स्वरूप समाज और समुदायों की सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय सम्पत्तियों और जान-माल के नुकसान में अच्छी खासी कमी आई। द इंटरनेशनल स्ट्रैटेजि फॉर डिजास्टर रिडक्शन (आईएसडीआर) एक ऐसी प्रणाली है जो विभिन्न सरकारों, संस्थानों और सिविल सोसाइटी के बीच समन्वय स्थापित करके ह्योगो फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी-कभी 'आपदा न्यूनीकरण' टर्म का इस्तेमाल भी किया जाता है लेकिन 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण मौजूदा आपदा जोखिमों की प्रकृति और उनको कम करने के उपायों की दृष्टि से एक बेहतर टर्म है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण	किसी प्रशासन, सैक्टर या संस्थान द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज जिसमें आपदा जोखिम कम करने के उद्देश्य योजना और उपायों का विस्तृत विवरण दिया गया हो। टिप्पणी : आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना हयोगो फ्रेमवर्क के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए और सबंद्ध विकास योजनाओं, संसाधन निर्धारण और कार्यक्रमों में इसका समायोजन होना चाहिए। राष्ट्रीय योजनाएं विभिन्न मौजूदा सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों और हर स्तर पर प्रशासनिक जिम्मेदारियों के अनुरूप होनी चाहिए। योजना में इसके क्रियान्वयन की अवधि और उसके लिए फंड की व्यवस्था का विवरण होना चाहिए। जहां संभव हो, इसका समायोजन पारिस्थितिकी बदलाव अनुकूलन योजना के साथ किया जाना चाहिए।
पूर्व चेतावनी प्रणाली	एक ऐसी प्रणाली जो समय रहते लोगों को संभावित आपदाओं के बारे में सचेत करती हो जिससे वे उसका मुकाबला करने के लिए बेहतर तैयारी कर सकें और उस आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जा सके। टिप्पणी : इस परिभाषा में चेतावनी के बेहतर रिसपॉन्स के लिए जरूरी अनेक फैक्टर शामिल हैं। मानवानुकूल पूर्व चेतावनी प्रणाली में प्रमुख रूप से चार तत्व होते हैं: जोखिमों की जानकारी, जोखिमों की निगरानी, मूल्यांकन एवं भविष्यवाणी, अलर्ट या चेतावनी का प्रसार, ओर प्राप्त चेतावनी के लिए रिसपॉन्ड करने की स्थानीय क्षमताएं। ''एंड टू एंड वार्निंग सिस्टम' का प्रयोग इस बात पर जोर देने के लिए किया जाता हे कि इसमें आपदा की पहचान से लेकर कम्युनिटी रिसपॉन्स तक सभी चरण शामिल होने चाहिए।
ईकोसिस्टम सर्विसेज	ये वे फायदे हैं जो लोग या समुदाय ईकोसिस्टम से प्राप्त करते हैं। टिप्पणी : यह परिभाषा मिलेनियम ईकोसिस्टम असैसमेंट से ली गई है। ईकोसिस्टम से प्राप्त फायदों में 'रेगुलेटिंग सर्विसेज' जैसे बाढ, सूखा, भूमि अपकर्ष और बीमारियों को नियंत्रित करना, 'प्रोविजनिंग सर्विसेज'' जैसे भोजन एवं जल, ''सपोर्टिंग सर्विसेज'' जैसे मृदा विरचन और पोषण चक्र, और ''कल्चरल सर्विसेज'' जैसे मनोरंजन, आधात्मिक धार्मिक एवं अन्य गैर-पदार्थीय सुविधाएं शामिल हैं। भूमि, जल, और जीवित संसाधनों का समायोजित प्रबंधन जिससे संरक्षण और दीर्घकालिक प्रयोग को बढ़ावा मिलता है, ईकोसिस्टम सर्विसेज को जारी रखने का आधार प्रदान करता है। इसमें वे सर्विसेज भी शामिल हैं, जो आपदा जोखिम को कम करने में सहायक होती हैं।
ईएल नीनोसाउदर्थ ऑसीलेशन	ट्रॉपिकल पैसिफिक ओसियन और ग्लोबल वातावरण के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया जिससे समुद्र और विश्व के फिनोमिननकई भागों के मौसम पैटर्न में बदलाव आ जाता है जिसका असर कई महीनों तक रहता है जैसे बरसात, बाढ़, सूखा और तूफानों के पैटर्न में

	बदलाव। टिप्पणी : ईएल नीनो, जो ईएल नीनो साउदर्न ऑसीलेशन फिनोमिनन का एक हिस्सा है, का प्रयोग औसत से ज्यादा समुद्री तापमान के लिए किया जाता है जो अक्सर इकुआडोर, पेरू और उत्तरी चिली के समुद्री तटों और पूर्वी ईक्वेटोरियल पैसिफिक ओसियन में घटित होता है। जबकि ला नीनो विपरीत परिस्थितियों के लिए प्रयोग किया जाता है जब समुद्री तापमान औसत से नीचे रहता है। साउदर्थ ऑसिलेशन भूमण्डलीय वायु-दबाव के पैटर्न में बदलाव के लिए प्रयुक्त होता है इससे विश्व के कई भागों में मौसम के पैटर्न में भारी बदलाव देखने को मिलता है।
आपातकालीन प्रबंधन	आपदाओं के सभी पहलुओं से निपटने के लिए संसाधनों और जिम्मेदारियों का व्यवस्थापन एवं प्रबंधन, विशेषरूप से तैयारी, रिसपॉन्स और शुरूआती रिकवरी, संबंधी उपाय। टिप्पणी: आपदा एक ऐसी संकट कालीन स्थिति है जिससे तुरंत निपटना बहुत जरूरी है। कारगर संकटकालीन कार्यवाही से उस घटना को आपदा में बदलने से रोका जा सकता है। आपातकालीन प्रबंधन में ऐसी योजनाएं एवं संगठनात्मक व्यवस्थाएं शामिल होती हैं जो सरकारी, गैरसरकारी, स्वैच्छिक और निजी एजेंसियों को समन्वित तरीके से संकटों से निपटने के लिए निर्देशित करती हैं। कभी-कभी आपातकालीन प्रबंधन की जगह – 'आपदा प्रबंधन' टर्म का प्रयोग भी किया जाता है।
आपातकालीन सेवाएं	ऐसी विशिष्ट एजेंसियां जिनके उद्देश्य और जिम्मेदारी आपात स्थिति में लोगों और सम्पत्ति की सुरक्षा करना है। टिप्पणी : आपात सेवाओं में पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस, पैरामैडिक और इमरजेंसी मेडिसिन सर्विस, रैड क्रास, रैड क्रेसन्ट, बिजली, परिवहन, संचार आदि शामिल हैं।
पर्यावरण अपकर्ण	सामाजिक और पारिस्थितिकीय उद्देश्यों और जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण की क्षमता में कमी। टिप्पणी : पर्यावरण अपकर्ष से प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और प्रचंडता में परिवर्तन आ सकता है और इससे लोगों की सुभेद्यता बढ़ती है। मानवकृत अपकर्ष कई तरह के होते हैं जिनमें भूमि का दुर्पयोग, भूमि कटाव, मरुस्थलीकरण, जैवीय विविधता में कमी, वन-नाशन, भूमि, जल एवं वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, समुद्र में जलस्तर बढ़ना और ओजोन का रिक्तीकरण शामिल हैं।
पर्यावरणीय संघात मूल्यांकन	एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी प्रस्तावित प्रोजेक्ट के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। यह उस प्रोजेक्ट की योजना और निर्णय-संबंधी प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होती है जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल

	प्रभावों को कम किया जा सके। टिप्पणी: पर्यावरण संघात मूल्यांकन एक नीतिगत साधन है जो पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के साक्ष्य एवं मूल्यांकन उपलब्ध कराता है। इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय योजनाओं और प्रोजेक्ट स्वीकृति प्रक्रिया और अन्तरराष्ट्रीय विकास सहायता प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। पर्यावरण संघात मूल्यांकन में विस्तृत जोखिम मूल्यांकन शामिल होता है और यह उसके विकल्प और समाधान भी सुझाता है।
अनावरण	लोग, सम्पत्ति, सिस्टम्स और अन्य घटक जो आपदोन्मुखी क्षेत्रों में मौजूद हो और उन्हें नुकसान पहुंचने की पूरी-पूरी संभावना हो। टिप्पणी : अनावरण के परिमाण का पता लोगों की संख्या और संपत्ति के प्रकारों से चलता है। इसमें अनावरित वस्तु की किसी विशेष आपदा से सुभेद्यता भी शामिल है। इससे उस आपदा से जुड़े परिमाणात्मक जोखिम का आकलन किया जा सकता है।
व्यापक जोखिम	निम्न या मध्यम तीव्रता वाली आपदाओं से लोगों के लिए व्यापक जोखिम जो बहुत ही स्थानीय प्रकृति के होते हैं, संचित आपदा प्रभावों की तरफ ले जाते हैं। टिप्पणी : व्यापक जोखिम ज्यादातर ग्रामीण इलाकों या शहरी सीमावर्ती क्षेत्रों में होते हैं जहां लोग बाढ़, भू-स्खलन, तूफान और सूखा सुभेद्य होते हैं। व्यापक जोखिमों का गरीबी, शहरीकरण और पर्यावरण अपकर्ष से गहरा रिश्ता है।
पूर्वानुमान	किसी क्षेत्र विशेष में भविष्य में संभावित घटना या स्थिति के बारे में विवरण या सांख्यिकीय आकलन। टिप्पणी : मौसम विज्ञान में पूर्वानुमान भविष्य में होने वाली स्थिति को कहते हैं और भविष्य में खतरनाक स्थिति को चेतावनी कहा जाता है।
भूवैज्ञानिक आपदा	भूवैज्ञानिक प्रक्रिया जिससे जान-माल को खतरा पैदा हो जाय, या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, सम्पत्ति को क्षति हो, आजीविका प्रभावित हो या सामाजिक एवं आर्थिक विघ्न या पर्यावरण का अपकर्ष हो। टिप्पणी : भूवैज्ञानिक आपदाओं में भूमि के अन्दर होने वाली उथल-पुथल जैसे भूकम्प, ज्वालामुखी, या अन्य ऐसी ही घटनाऐं जैसे भू-स्खलन, शैल-स्खलन आदि शामिल है। इन प्रक्रियाओं में हाइड्रो-मैटिओरोलॉजिकल फैक्टर्स का बहुत बड़ा योदान होता है। सुनामी की किसी कैटेगिरी में रखना बहुत मुश्किल है, हालांकि यह समुद्री भूकम्प से पैदा होती है। यह निश्चित रूप से एक समुद्री प्रक्रिया है जो समुद्रतटीय जल-संबंधित आपदा के रूप में पैदा होती है।

ग्रीन हाउस गैसेज	वायुमण्डल के गैस तत्व, प्राकृतिक एवं ऐन्थ्रोपोजैनिक दोनों ही, जो पृथ्वी की सतह, वायुमंडल या बादलों द्वारा उत्सर्जित थर्मल अवरक्त रेडिएशन को आत्मसात करके उसे उत्सर्जित करती है। टिप्पणी : यह परिभाषा इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) द्वारा दी गई है। मुख्य ग्रीनहाउस गैसेज भाप, कार्बन डाईऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथेन और ओजोन हैं।
हैजर्ड	एक संकटपूर्ण घटना, पदार्थ मानवकृत्य या स्थिति जिससे जान-माल स्वास्य, आजीविका, सेवाओं और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। इससे सामाजिक एवं आर्थिक व्यवधान भी पैदा हो सकता है। टिप्पणी : ह्योगो फ्रेमवर्क के फुटनोट 3 में वर्णित हैजर्डस जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दृष्टि से चिंता के विषय है, ''वे हैजर्ड्स हैं जो प्राकृतिक हैं और पर्यावरणीय एवं तकनीकी हैजर्ड्स और जोखिमों से संबंधित है।'' ऐसे हैजर्डस् विभिन्न भू-वैज्ञानिक, वायुमंडलीय, जल वैज्ञानिक, समुद्री, बॉयोलॉजिकल और तकनीकी कारणों से पैदा होते हैं।
हाइड्रोमीटिअरोलॉजिकल हैजर्ड	एक वायुमंडलीय, जलीय या समुद्री दुर्घटना जिससे जान-माल, स्वास्थ्य, आजीविका, सेवाओं और पर्यावरण को नुकसान हो सकता हो। इससे सामाजिक एवं आर्थिक व्यवधान भी पैदा हो सकता है। टिप्पणी : हाइड्रो-मीटिअरोलॉजिकल हैजर्डस में उष्ठकटिबंधी चक्रवात (जिन्हें टाइफून और हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है), वज्रपात, ओलावृष्टि, टॉर्नेडो, भारी हिमपात, हिमस्खलन, बाढ़, सूखा, तापलहर और शीतलहर शामिल है। हाइड्रोमीटिअरोलॉजिक स्थिति से अन्य हैजर्ड्स पैदा हो सकते हैं जैसे भू-स्खलन, टिड्डी प्लैग, महामारी आदि।
गहन जोखिम	भारी संख्या में लोगों और आर्थिक क्रियाकलापों का गहन जोखिमी घटनाओं पर इकट्ठा हो जाना जिससे आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें जान-माल का भारी नुकसान होता है। टिप्पणी : गहन जोखिम बड़े शहरों की विशेषता है जहां आबादी बहुत घनी होती है। ये इलाके अक्सर गहन जोखिमों जैसे भूकम्प, ज्वालामुखी, भारी वर्षा और तूफान को चपेट में आते रहते हैं। ये इलाके इन हैजर्ड्स के लिए बहुत अधिक सुभेद्य भी हैं।
भू-उपयोग योजना	सरकारी ऑथोरिटीज द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रक्रिया जिसमें भूमि उपयोग के विभिन्न विकल्पों जैसे दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय उद्देश्य और विभिन्न समुदायों के निहितार्थ और उसके बाद तैयार की जाने वाली योजनाएं जो अनुज्ञप्त एवं

	स्वाकार्य उपयोग के बारे में बताती है। टिप्पणी : दीर्घकालिक विकास में भूमि उपयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके तहत अध्ययन, मानचित्रीकरण, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं जोखिमी आकंड़ों का मूल्यांकन, वैकल्पिक भूमि-उपयोग के निर्णय आदि शामिल हैं। भू-उपयोग योजनाएं आपदा शमन में भी सहायक होती हैं और आपदोन्मुखी क्षेत्रों में निर्माण कार्य को हतोत्साहित करके जोखिमों के कम करने में सहायक होती है। इसमें ट्रांसपोर्ट, बिजली, जल, सीवेज और अन्य जरूरी सेवाएं भी शामिल हैं।
न्यूनीकरण या शमन	आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों और संबंधित आपदाओं को कम करने की प्रक्रिया। टिप्पणी : आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता लेकिन विभिन्न उपायों के माध्यम से उनकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। शमन उपायों में इंजीनियरिंग तकनीक एवं आपदारोधी निर्माण, अच्छी पर्यावरण नीतियां और लोगों की जागरूकता शामिल हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि जलवायु परिवर्तन में आपदा शमन को अलग तरह से परिभाषित किया गया है। वहां यह टर्म ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्ग को कम करने के लिए प्रयोग किया गया है जो जलवायु परिवर्तन का स्रोत है।
प्राकृतिक आपदा	प्राकृतिक दुर्घटना जिससे जान-माल, स्वास्थ्य, आजीविका, सेवाओं आदि को भारी नुकसान हो सकता है। इससे सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय व्यवधान भी पैदा हो सकता है। टिप्पणी : प्राकृतिक आपदाएं आपदाओं का ही एक उपप्रकार है। इसका प्रयोग वास्तविक दुर्घटना या ऐसी स्थिति जिसके कारण भविष्य दुर्घटना हो सकती है के लिए किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं को विस्तार, तीव्रता, गति, एवं अवधि के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए, भूकम्प की समयावधि कम होती है और यह एक छोटे इलाके को ही प्रभावित करता है जबकि सूखा स्थिति बनने और खत्म होने में बहुत लम्बा समय लगता है और यह बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है।
तैयारी	ज्ञान एवं क्षमताएं जो सरकार, संस्थानों, समुदायों आदि द्वारा आपदा स्थिति या संभावित आपदा से कारगर तरीके से निपटने के लिए विकसित की जाती है। टिप्पणी : तेयारी कार्य आपदा जोखिम प्रबंधन के संदर्भ मे किये जाते है और इनका मकसद सभी तरह की संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए क्षमतावर्धन होता है। तैयारी कार्य आपदा मूल्यांकन और पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आधारित होता है। इसमें आकस्मिक योजना, उपकरणों और सामग्री का भण्डारण, समन्वय, निकासी और लोक सूचना की व्यवस्था और प्रशिक्षण और क्षेत्र-अभ्यास शामिल हैं। इनको संगठनात्मक,

	कानूनी और बजट संबंधी क्षमताओं का सहयोग भी मिलना चाहिए। टर्म, 'रैडीनैस', का प्रयोग जरूरत के अनुसार तुरंत रिसपॉन्ड करने की सामर्थ्य के लिए किया जाता है।
रोकथाम	आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को तत्काल रोकना या निवारण। टिप्पणी : रोकथाम (आपदा रोकथाम) का मतलब है किसी संभावी आपदा के प्रतिकूल प्रभाव को पहले से की गई तैयारी के आधार पर रोक देना। उदाहरण के तौर पर बांध या पुश्ते बाढ़ के खतरे को रोकते हैं, भू-उपयोग कानून जोखिम भरे इलाकों में निर्माण कार्य को रोकते हैं और भूकंप इंजीनियरिंग डिजाइन इमारतों को भूकंप से सुरक्षित करती हैं। हालांकि नुकसान को पूरी तरह नहीं टाला जा सकता लेकिन इसका न्यूनीकरण किया जा सकता है।
जन चेतना	आपदा जोखिम, आपदा के कारणों और उसे कम करने या उससे बेहतर तरीके से निपटने के उपायों के बारे में आम लोगों को जानकारी। टिप्पणी : कारगर आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जन-जागृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका प्रसार मीडिया और शिक्षा संस्थाओं, सूचना केन्द्रों, नेटवर्क, सामुदायिक सहभागिता आदि के माध्यम से किया जा सकता है।
रिकवरी	आपदा प्रभावित समुदायों की सुविधाओं, आजीविकाओं और जीवन स्तर में सुधार या समुत्थान। टिप्पणी : आपदा चरण समाप्त होते ही पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्य शुरू हो जाता है। यह कार्य मौजूदा नीतियों और उपायों के आधार पर किया जाता है जिसमें जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। रिकवरी कार्यक्रम, जन-चेतना के सहयोग से, बेहतर आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपाय विकसित करते हैं और ''बिल्ड बैक बैटर' (बेहतर बनाएंगे के सिद्धान्त का अनुपालन करते हैं।
अवशिष्ट जोखिम	ऐसे जोखिम जो बेहतर आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों के बावजूद अप्रबंधित रह जाते हैं। इसके लिए आपात रिसपॉन्स एवं रिकवरी क्षमाताओं को जारी रखने की आवश्यकता होती है। टिप्पणी : अवशिष्ट जोखिमों की मौजूदगी का अर्थ है आपातसेवाओं, तैयारी, रिसपॉन्स और रिकवरी क्षमताओं को लगातार विकसित करने की जरूरत। इसमें सामर्थ्य एवं आर्थिक नीतियों, जैसे सुरक्षानेट और जोखिम हस्तातरण प्रक्रिया, के सहयोग की भी आवश्यकता होती है।
समुत्थान शक्ति	यह वह सामर्थ्य या क्षमता है जिससे समाज या समुदाय किसी भी आपदा का मुकाबला

	करता है, उसके अनुसार अपने-आप को ढाल लेता है और उसके प्रतिकूल प्रभाव से बाहर आ जाता है। खास बात यह है कि अपने बुनियादी ढांचे या कार्यक्रमों को बिना छोड़े। टिप्पणी : समुत्थान शक्ति का मतलब है किसी हादसे से वापस आ जाना। किसी समुदाय की समुत्थान शक्ति आपदा का मुकाबला करने के लिए जरूरी संसाधनों पर निर्भर करती है।
रिसपॉन्स (कार्यवाही)	आपदा के तुरंत बाद लोगों की जानें बचाने, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बुनियादी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए चलाई जाने वाली आपात सेवाएं टिप्पणी : आपदा रिसपॉन्स तुरंत और अल्पकालिक जरूरतों के लिए होता है। इसीलिए कभी-कभी इसे 'आपदा राहत' भी कहते हैं। रिसपॉन्स चरण और रिकवरी चरण में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं है। कुछ रिसपॉन्स कार्य जैसे अस्थाई आवासों की व्यवस्था और जल आपूर्ति रिकवरी चरण तक भी जारी रहते हैं।
रीट्रोफिटिंग :	मौजूदा इमारतों का सुधारीकरण जिससे वे आपदाओं के क्षतिपूर्ण प्रभावों के लिए ज्यादा प्रतिरोधी बन जाएं। टिप्पणी : रीट्रोफिटिंग में इमारत के डिजाइन, फंक्शन, उन पर संभावित आपदा प्रभाव और रीट्रोफिटिंग के उदाहरणों में दीवारों की ब्रेसिंग करना, पिलर्स को मजबूत बनाना, दीवारों और छतों के बीच में स्टील टाइज लगाना, खिड़कियों पर शटर लगाना आदि शामिल हैं।
जोखिम	किसी दुर्घटना के होने की संभावना और उसके प्रतिकूल प्रभाव। टिप्पणी: यह परिभाषा आईएसओ/आईईसी गाइड 73 की परिभाषा के काफी नजदीक है। 'रिस्क' शब्द के दो गुणार्थ हैं। आम प्रयोग में यह 'संभावना' के लिए आता है जैसे कोई दुर्घटना होने की संभावना, जबकि तकनीकी भाषा में यह किसी दुर्घटना से होने वाले नुकसान के लिए प्रयोग किया जाता है।
जोखिम मूल्यांकन	ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जोखिम की प्रकृति और विस्तार का निर्धारण किया जाता है। यह कार्य संभावित आपदाओं और मौजूदा सुभेद्यता स्थितियों, जिनसे लोगों की जान-माल, रोटी-रोजी और पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है, के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। टिप्पणी : जोखिम मूल्यांकन में आपदा की तकनीकी विशेषताओं की समीक्षा, जैसे स्थान, तीव्रता, आवृत्ति और संभाव्यता, अनावरण और सुभेधता का विश्लेषण, जैसे भौतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलू और मौजूदा मुकाबला करने की क्षमताओं का आकलन आदि शामिल है।

जोखिम प्रबंधन	संभावित हानि और नुकसान को कम करने के लिए अनिश्चितता का प्रबंधन करने की योजनाबद्ध पहल। टिप्पणी : जोखिम प्रबंधन में जोखिम मूल्यांकन, उपायों का क्रियान्वयन, जोखिम न्यूनीकरण और जोखिम हस्तांतरण शामिल होते हैं। इसका इस्तेमाल संगठनों द्वारा निवेश में रिस्क कम करने और ऑपरेशन रिस्क जैसे बिजनेस में व्यवधान, उत्पादन बंद होना, पर्यावरणीय क्षति, सामाजिक प्रभाव और अग्नि एवं प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के रिस्क को कम करने के लिए किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट जल आपूर्ति, बिजली और कृषि क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मौसम और जलवायु से सीधी-सीधे प्रभावित होते हैं।
जोखिम हस्तांतरण	एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत किसी वित्तीय परिणामों के रिस्क एक पार्टी से दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दिये जाते हैं जिससे कोई व्यक्ति, समुदाय या कम्पनी किसी आपदा में हुए नुकसान की भरपाई दूसरी पार्टी से कर लेते हैं। यह कार्य दूसरी पार्टी द्वारा पहली पार्टी से लिये जा रहे वित्तीय फायदों के बदले किया जाता है। टिप्पणी : बीमा जोखिम हस्तांतरण के लिए जानी मानी प्रक्रिया है जिससे कवरेज ऑफ रिस्क बीमा कंपनी को दिये जा रहे प्रीमियम के बदले किया जाता है। इस तरह की अन्य प्रक्रियाओं में पुनः बीमाकरण, आपदा बॉण्ड, कन्टिन्जेंट क्रेडिट फैसिलिटी एंड रिजर्व फंड आदि शामिल हैं।
संरचानात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपायः	कोई भी भौतिक निर्माण जो संभावित आपदा प्रभावों को कम करने,, या इमारतों को गैर-संरचात्मक उपाय आपदारोधी बनाने के लिए इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल। गैर-संरचनात्मक उपायः ऐसे उपाय जिनमें ज्ञान, अभ्यास और एग्रीमेंट शामिल हैं जो रिस्क कम करने में सहायक होंगे। इनमें नीतियां, कानून, जन-चेतना, प्रशिक्षण एवं शिक्षा विशेषरूप से महत्वपूर्ण हैं। टिप्पणी : रिस्क रिडक्शन के सामान्य संरचनात्मक उपायों में बांध, बाढ़, तटबंध, भकूक्परोधी इमारतें आदि शामिल हैं प्रमुख गैर-संरचात्मक उपायों में बिल्डिंग कोड, भू-उपयोग कानून, शोध एवं मूल्यांकन, सूचना संसाधन, जन-चेतना अभियान शामिल हैं।
दीर्घकालिक विकास	विकास जो आज की जरूरतों को पूरा करता हो, आने वाली पीडियों की क्षमता के साथ कोई समझौता किये बिना। टिप्पणी : बंटलेंड कमीशन द्वारा 1987 में दी गई यह परिभाषा बड़ी ही सटीक है लेकिन कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका इसमें कोई जवाब नहीं है जैसे 'विकास' शब्द का अर्थ और इसमें समायोजित सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाएं/ आपदा जोखिम विकास

	के अनसस्टेनेबल कारकों से जुड़े हुए हैं जैसे पर्यावरण आपकर्ष, जबकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण का दीर्घ कालीन विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। और विकास प्रक्रिया में सुधार होता है।
तकनीकी आपदा:	ऐसी आपदा जो तकनीकी स्थिति या औद्योगिक स्थितियों जैसे दुर्घटना, खतरनाक प्रक्रयाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का फेल जो जाना या मानव क्रियाकलाप जिनसे जानें जा सकती है, चोट लग सकती है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और संपत्ति, आजीविका, सेवाओं, पर्यावरण आदि को क्षति पहुंच सकती है। सामाजिक एवं आर्थिक व्यवधान भी पैदा हो सकते हैं। टिप्पणी : तकनीकी आपदाओं के उदाहरणों में औद्योगिक प्रदूषण, न्यूक्लियर रेडिएशन, बांध टूटना, वाहन दुर्घटना, फैक्टरी में विस्फोट, अग्नि दुर्घटना या रासायनिक रिसाव शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप भी तकनीकी आपदाएं पैदा हो सकती हैं।
सुभेद्यता	किसी समुदाय या सिस्टम की विशिष्टताएं एवं परिस्थितियां जो उन्हें आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव के लिए सुप्रभाव्य बनाती हैं। टिप्पणी : सुभेद्यता के कई पहलू हैं जो विभिन्न भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों से पैदा होते हैं। उदाहरण के तौर पर इमारतों के अनुपयुक्त डिजाइन एवं निर्माण, सम्पत्ति की अपर्याप्त सुरक्षा, जागरूकता की कमी, बेहतर पर्यावरण प्रबंधन की कमी। सुभेद्यता एक ही समुदाय में अलग-अलग समय पर बदलती रहती है। यह परिभाषा सुभेद्यता की समुदाय, सम्पत्ति या सिस्टम की विशिष्टता के रूप में पहचान करती है। हालांकि सामान्यत: इसका प्रयोग मूलतत्व को शामिल करने के लिए किया जाता है।

परिशिष्ट नं. 2 बूंदी जिले के महत्वपूर्ण अधिकारियो की दूरभाष की सूची

क्र. स.	नाम	पद	फोन(का.)	फोन(नि.)	मोबाइल नं0
1	शिवांगी स्वर्णकार	जिला कलक्टर, बून्दी	2443000	2443222	
2	श्री प्रकाश चंद पवन	अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)	2443552	2443332	9414186231
3	श्रीमती ममता कुमारी तिवाडी	अति0 जिला कलक्टर (सीलिगं)	2442433	2442534	9413975496
4	श्री रामदयाल मीणा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी	2443596	2443597	9414284703
5	श्री सुदर्शन सिंह तौमर	अति0 मुख्य कार्य0 अधिकारी जिला परिषद,बून्दी	2443755	2442390	9828410620
6	श्री दिवांशु शर्मा	उपखण्ड अधिकारी, बून्दी 9530320705	2445458	2445459	9414330137
7	श्री दुर्गाशंकर मीणा	उपखण्ड अधिकारी, नैनवां	7437-257221	9530320706	8875502620
8	श्री अम्बालाल मीणा	उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन 9530320707	7438-264170	263300	7073133888
9	डॉ0 पूजा सक्सैना	उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली	7436-276446	9530320708	9414389407
10	श्री राजेश जोशी	उपखण्ड अधिकारी, तालेडा फै–2438691		9530012752	8290082777
11	सुरी गरिमा लाटा	उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी	7438-262100	9530320709	9784603696
12	डॉ0 कविता सिंह	मण्डल वन अधिकारी, बून्दी	2456823	2442814	9412771091
13	श्री विजय पाल सिंह	सहायक वन संरक्षक (वन्य जीव)	9414441295		9782062885
14	श्री अनिल भाल	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	2445543 2443599		9829166688
15	श्री मनीष शर्मा	ए सी पी, डीओआईटी (उप निदेशक, ई–मित्र)	2445311		9414287185
16	श्री महेश चन्द मीणा	कोषाधिकारी, बून्दी	2443989	2442550	9772765655
17	श्री अख्तर हुसैन (कार्य)	मुख्य आयोजना अधिकारी, बून्दी			7737796296
18	श्रीमती रचना शर्मा	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	2444847	2970030	9461679898
19	श्री जगदीश शर्मा	परियोजना प्रबन्धक एस.सी.डी.सी.	2442305		9462344077
20	श्री टी आर भाटी	जिला रसद अधिकारी, बून्दी	2442815		9928491704
	श्रीमती रूचि अग्रवाल	प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति निगम			9460084421
21	श्री अख्तर हुसैन	सहायक निदेशक जिला सांख्यिकी कार्या. बून्दी	2442364		7737796296
22	श्रीमती मोहिनी विजय (कार्य)	उप निदे0,आईसीडीएसएवंपरि.निदे. जिमविअ,बून्दी	2443578		9521371385
23	श्री युगल किशोर मीणा (कार्य)	कार्यक्रम अधि0, महिला अधिकारिता विभाग	2456117		9468695553
24	श्री ओमप्रकाश शर्मा	डी पी एम,, राज0 ग्रामीण आजीविका मिशन	2442915		9460940730
25	डॉ0 सुरेश जैन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी	2442895		9829680813
26	श्री भरत मीणा	अति. मुख्य चिकि. एवं स्वा.अधि. (प0क0), बून्दी	2443914		9166360920
27	डॉ0 जे पी मीणा	मातृ एवं शिशु कल्याण अधि0 बून्दी	2447496		9414175113
28	डॉ0 नवनीत विजय	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी	2443456		9414256978
29	वैद्य रामचरण दाधीच	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, बून्दी	2444053		9636917983

30		RHSDP	2443516		
31	डॉ0 डी.क. माथुर	प्रभारी, जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र, बून्दी	2442563	2446555	9414986611
32		डीपीएम, एनआरएचएम	2444169		
33	डॉ0 विजय सिंह	संयु. निदेशक पशुधन एवं डेयरी विकास, बून्दी	2442816		9460665125
34	रूपमति पीपल	आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी	2445415		9214889296
35	श्री पी के सालोदिया	आचार्या, कन्या महाविद्यालय, बून्दी	2443477		9414986595
36	श्री मुकेश राजौरा	प्राचार्य, प्राविधिक महाविद्यालय, हट्टीपुरा, बून्दी			9414939323
37	श्री सुरेश कुमार माहेशवरी	प्राचार्य नवोदय विद्यालय, बून्दी	2435606	2435587	9413403738
38	श्री रमेश चन्द शर्मा	जिला शिक्षा अधिकारी (मा0), बून्दी	2442842	8233651654	9413159965
39	श्री मनोहरसिंह भाटी	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), बून्दी	2442909		7742048656
40	श्री नासिर खान	प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, रजत गृह, बून्दी	2456070		9413002013
41	श्री रामखिलाडी बैरवा (कार्य)	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, बून्दी	2443912		9413380802
42	श्री रमेश चन्द शर्मा	जिला कार्यक्रम समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	2442909		9413159965
43	श्री राजेन्द्र भारद्वाज (कार्य)	अति. जिला कार्य0समन्वयक,सर्व शिक्षा अभियान	2446092	9783318590	9414175128
44	बदरून्निसा (कार्य)	प्राचार्य डाइट बून्दी	2443843		9887610741
45	श्री रामप्रसाद नागर	एडीपीसी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	2442318	2442163	8561985766
46	श्री शंकर लाल जांगीड	उप निदेशक छत्रपुरा फार्म बून्दी	2442368	2442126	9413087149
47	श्री भगवान लाल मीणा	सहायक निदेशक, औद्यानिकी	2442057		9929967886
48	श्री सुनील चौधरी (कार्य)	परियोजना निदेशक, आत्मा	2445497		9414676992
49	श्री अणदीलाल मीणा	सहायक निदेशक कृषि, बून्दी			9460864300
50	श्री सुनील कुमार चौधरी	उप निदेशक कृषि, बून्दी	2442006		9414676992
51	श्री आर सी जैन	जिला विस्तार अधिकारी,सी.ए.डी.बून्दी			9414750715
52	श्री सुरेश कुमार बैरवा	अधीक्षण अभियन्ता सार्व0 निर्माण विभाग बून्दी	2445885	F-2446978	9414180369
53	श्री डी के गुप्ता	अधीक्षण अभियंता, जविविनिलि, बून्दी	2445424	F-2442733	9414022089
54	श्री के के अग्रवाल	अधिशाषी अभियन्ता, आर.यू.आई.डी.पी., बून्दी	2445629		9314951100
55	श्री सुरेश कुमार हीरानन्दानी	अधि0 अभि0 सार्व0 निर्माण विभाग प्रथम बून्दी	2443760	2443985	9414284618
56	श्री आर के सोहानी	अधि0 अभि0 सार्व0 निर्माण विभाग प्रथम नैनवा	7437-257529		9414966009
57	श्री रूपनारायण बैरवा	अधि0 अभि0 सार्व0 निर्माण विभाग प्रथम लाखेरी	7438-261122	F-261608	9460032819
	श्री एस के गुप्ता	अधि0अभि0 पीएमएसजीवाई (विश्व बैंक) सानिवि			9460005312
58	श्री आर पी शर्मा	अधि0अभि0 ब्रिज डिवीजन, सानिवि, बून्दी			9414392288
59	श्री अतर सिंह कमलाकर	अधि0 अभि0 जयपुर विधुत वितरण निगम, बून्दी	2443770	2457671	94133-90764
60	श्री पी के अग्रवाल	अधि0 अभि0 ज0 वि0 वि0 नि0 लि0–II बून्दी	2442078		9414022952
61	श्री अशोक अग्रवाल	अधि0अभि0, 220 केवी, जीएसएस, सीलोर रोड			9414061081

62	श्री राकेश कुमार 9413313191	अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग बून्दी	2456448	2456447	9414180023
63	श्री हरिबल्लभ गोमे	अधि0 अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग बून्दी	7737335988	9414918876	8952828454
64	श्री व्यास	अधि0अभि0 (प्रो.डि)जन स्वा0अभि0विभाग बून्दी			9460056901
65	श्री दीपक कुमार झा	अधि0 अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग लाखेरी			9414420813
66	श्री अरोडा	अधि0 अभि. जन स्वा0अभि0विभाग (प्रो.डि.)बून्दी			9414273913
67	श्री सुखलाल मीणा	अधीक्षण अभियन्ता, वाटर शेड, रजत गृह	2456107	9414687021	9828737021
68	श्री सिराज अहमद अंसारी	अधि.अभि.जल संसाधन वि0 बून्दी 9413313429	2443428	2443429	9950088360
69	श्री एजाजुद्दीन अंसारी	अधि0अभियन्ता सी.ए.डी.,बून्दी	2442570	2447377	9414627887
70	श्री पुरूषोत्तम चित्तौडा	अधि0अभियन्ता सी.ए.डी., के0पाटन			9414489164
71	श्री चन्द्रशेखर (कार्यँ)	अधि0 अभियन्ता जिला परिषद		9414266048	9530303064
72	श्री हरिप्रसाद मीणा	अधि0 अभियन्ता नरेगा. जिला परिषद	2444018	9414286802	9530303064
73	श्री एस एन उपाध्याय	अधि0 अभियन्ता, भू सुधार, जिला परिषद			9414154500
74	श्री विनय चांदवानी	अधि0 अभि0 जल संसाधन परियोजना खण्ड	2444014	2446135	9828022916
75	श्री धनेश रूढवाल (काग्र)	जिला नगर नियोजक			9414048778
76	श्री पी पी गर्ग (कार्य)	सहायक अभियन्ता,आवासन मण्डल	2456567		9982686358
77	श्री एम एल गाडरी	खनि अभियन्ता खनिज, प्रथम	2457840	2444909	9414062841
78	श्री ए के नन्दवाना	खनि अभियन्ता खनिज द्वितीय	2457100		9414488816
79	श्री बी एल मीणा	आयकर अधिकारी, बून्दी	2444799		9530400343
80	श्री निजामुद्दीन	जिला परि0 सम0, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)		2442110	9829266183
81	श्री प्रभुलाल मीणा	वाणिज्य कर अधिकारी, बून्दी	2443731		9414029259
82	श्री चन्द्र मोहन गुप्ता	महाप्रबन्धक, जिला उधोग केन्द्र, बून्दी	2456813	2457701	9414416212
83	श्री धर्मपाल असीवाल	जिला परिवहन अधिकारी, बून्दी	2443420		9414248538
84	श्री प्रमोद गर्ग	प्रबन्धक, आर.टी.डी.सी. वृन्दावती होटल बून्दी	2442473		8769167702
85	श्री प्रेमशंकर शर्मा	सहायक पर्यटन अधिकारी, बून्दी	2443697		9928623304
86	श्रीमती सविता कृष्णिया	सहा0निदे0 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, बून्दी	2443751		9414392141
87	श्री हुकुद चंद जाजौरिया (कार्य)	परिवीक्षा अधिकारी, सम्प्रेषण गृह, बून्दी		9413761055	9680938985
88	श्री हुकुद चंद जाजौरिया	परिवीक्षा अधिकारी, डीसीपीयू, बून्दी		9413761055	9680938985
89	श्री देवी शंकर शर्मा (कार्य)	मत्स्य परियोजना अधिकारी, बून्दी	2442346		9462116259
90	श्री महावीर प्रसाद शर्मा	जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी	2457249		9530396185
91	श्री गोकुल प्रसाद वर्मा (कार्य)	जिला नियोजन अधिकरी, बून्दी	2443112		9414031090
92	श्री संदीप कुमार त्रिपाठी	सहा0 निदेशक राज्य बीमा एवं प्राव0 निधि बून्दी	2443735		8058689878
93	श्री सत्यवीर सिंह	प्रबन्ध संचालक,दी बून्दी से0 कॉप0बैंक लि.बून्दी	2447102/ 2443483		8107053746
94	श्री अमर सिंह	उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति, बून्दी	2443957		9462417142
95	श्री धमपाल शर्मा	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां	2446421		9461143188
96	श्री टी आर मीणा	सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, बून्दी	2443704	2447712	9414359097

97	श्री हरिमोहन बैरवा	सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, के0पाटन	264243		
98	श्री कौशल किशोर	सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, सु0मण्डी	253815		9460518135
99	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	सचिव भूमि विकास बैक, बून्दी	2457911		9785479347
100	श्री एल के सिंघल	लीड बैंक आफिसर, बैंक आफ बडौदा 2443342	2443706		8094007114
101	श्री जिनेन्द्र आलोरिया	जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड, गायत्री नगर	2444935	2444935	9413447910
102	श्री समी उल्ला खान	मेनेजर सर्किट हाउस, बून्दी	2443149	2443149	9785073273
103	श्री विक्रम सिंह सोलंकी	मुख्य प्रबन्धक, राज0राज्य पथ परिवहन निगम	2443482		9549653310
104	श्री अरूण प्रधान (कार्य)	श्रम कल्याण अधिकारी, बून्दी	2442012		9414358194
105	श्री पी सी गुप्ता (कार्य)	अधीक्षक औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बून्दी	2456641		9413276380
106		अधीक्षक औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, लाखेरी	261332		
107	श्री अब्दल सलीम (कार्य)	निरीक्षक फैक्ट्री एवं बायलर	2457345		9413128876
108		प्रबन्धक राज0 वित्त निगम, एसबीआई के सामने			9414097634
109	श्री यू सी जैन	प्रबन्धक राज0 स्टेट वेयर हाउस कार्पो0	2443485		9413385753
110	श्री आर सी मीणा	प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम	2443705		7412034118
111	श्री पी के शर्मा	प्रबन्धक रीको	2444650		9414040475
112	श्री एन एल मीणा (कार्य)	कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	2457162	2456343	9414539008
113	श्री गजराज सिंह सोलंकी	तहसीलदार, नैनवां	7437-257229	9530320712	9460478167
114	श्री गोपाल सिंह (कार्य)	तहसीलदार, के0 पाटन	7438-264652	9414399448	9530320815
115	श्रीमती भावना सिंह	तहसीलदार, हिण्डोली	7436-276226	9530320714	9928709346
116	श्री मोहन लाल जैन (कार्य)	तहसीलदार, इन्दगढ	7458-253854	9530320715	
117	श्री चतरलाल मीणा	तहसीलदार, बून्दी	2443651	9530320711	9460861332
118	रजनी माधीवाल	तहसीलदार, तालेडा	2438353	9530320800	9982194285
119	श्री अशोक जैन (कार्य)	तहसीलदार, भू0अभिलेख		9461331350	
120	श्री मोहम्मद ताहिर	उप पंजीयक	2443651 P P		9414551638
121	श्री किशन लाल जाट	युवा समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र बून्दी	2443510		9460720792
122	श्री सुरेन्द्र सिंह	खेल अधिकारी			9414175006
123	श्री दिनेश नागर	आयुक्त, नगर परिषद, ,बून्दी	2443903	2442331	8769900422
124	श्री कमलेश मीणा	अधिशाषी अधि0 नगरपालिका, कापरेन	7438-265434	F-265471	9414370356
125	श्री जितेन्द्र मीणा	अधिशाषी अधि0 नगरपालिका, नैनवा	7437-257246	F-257888	9413260467
126	चन्द्रकला	अधिशाषी अधि0 नगरपालिका, इन्द्रगढ	7458-253583	253644	9785226686
127	सुश्री दयावती सैनी	अधिशाषी अधि0 नगरपालिका, लाखेरी	7438-261627	F-261270	9462014220
128	श्री महेश चन्द योगी	अधिशाषी अधि0 नगरपालिका, केपाटन	7438-264346		9636129408
129	श्री घनश्याम शर्मा	विकास अधिकारी प0स0 बून्दी	2445008	9530303067	9413925404

130	श्रीमती जगजीवन	विकास अधिकारी प0स0 तालेडा	2438466	9530303190	
131	श्री शिवजीराम मीणा	वि0 अधिकारी प0स0 के.पाटन 9530303142	7438-264231	F-264604	9414859990
132	श्री नेतराम मीणा	विकास अधिकारी प0स0 नैनवां	7437-257225	9530303223	9929294712
133	श्री योगेश कुमार मीणा	विकास अधिकारी प0स0 हिण्डोली	7436-276227	9530303100	7665272787
134	श्रीमती मोहिनी विजय (कार्य)	सी.डी.पी.ओ. बून्दी			9414938815
135	श्रीमती मोहिनी विजय	सी.डी.पी.ओ. तालेडा	2438482		9414938815
136		सी.डी.पी.ओ. नैनवा			
137		सी.डी.पी.ओ. हिण्डोली			
138	श्री हंसराज वर्मा (कार्य)	सी.डी.पी.ओ. के0 पाटन	264397		
139	श्री हमीदुल हक	जिला अल्प संख्यक अधिकारी			9414186185
140	श्री शैलेन्द्र कुमार धारगावे	प्रभारी भू–जल वैज्ञानिक		9414309447	9887501969
141	श्री के के शर्मा	सहायक निदेशक, अभियोजन	2443179		9414844001
142	श्री रामकरण चन्देल	लेखाधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर			9462840181
143		सहायक लेखाधिकारी, कलैक्ट्रेट, सहायता अनु.			
144	श्री रघुवीर प्रसाद मीणा	नायब तहसीलदार, तहसील, तालेडा	9530320716	9414751421	9530320815
145	श्री केसरी सिंह	नायब तहसीलदार, तहसील, बून्दी		9468663558	
146		नायब तहसीलदार, तहसील, नैनवां	9530320906		
147	श्री गोपाल सिंह	नायब तहसीलदार, तहसील, क0पाटन	9530320815		9414399448
148		नायब तहसीलदार, तहसील, हिण्डोली	9530320714		
149	श्री मोहन लाल जैन	नायब तहसीलदार, तहसील, इन्द्रगढ		9772142514	
150	श्री कालूलाल खाती	नायब तहसीलदर, निर्वाचन अनुभाग	2442133	9928974351	
151	श्री शिवजीलाल	नायब तहसीलदार, उप तहसील, करवर			9530320717
152	श्री कालूलाल खाती (कार्य)	नायब तहसीलदार, उप तहसील, दबलाना		9928974351	
153	श्री मोहन लाल जैन (कार्य)	नायब तहसीलदार, उप तहसील, लाखेरी			9530320715
154	श्री शिवजी लाल	नायब तहसीलदार, उप तहसील, देई	9530320717		
155	श्री रघुवीर प्रसाद मीणा	नायब तहसीलदार, उप तहसील, काप्रेन	9530320815		
156	श्री बाबूलाल मीणा	नायब तहसीलदार, उप तहसील, डाबी	9530320775		9462633725
157	श्री गिरीश सेन	डीडीएम, राज0 कौशल एवं आजीविका मिशन	2442510	7726007764	
158	श्री सत्यनारायण गहलोत	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नैनवां	9414963358		
159	श्रीमती लीला गौतम	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, तालेडा	7296840275		
160	श्री राजेन्द्र खींची	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, हिण्डोली	9460664594		
161	श्री लेखराज चौधरी	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, के0पाटन	9414393869		
162	श्री त्रिभुवन गौतम	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बून्दी	9460664932		
163	श्री हरिश्चन्द्र कुशवाह	प्रिंसीपल, सीनियर हायर सैकेण्ड्री स्कूल, बून्दी	2443916	9413068270	
164	श्री जे आर रैगर	निदेशक, रूडसेटी, बीओबी के पास, बून्दी	2442071		9772525968
165	श्री हुकुम चंद जाजौरिया (कार्य)	परिवीक्षा अधिकारी, सम्प्रेषण गृह, बून्दी		9413761055	9680938985
166	श्री रमाकान्त श्रृंगी	उप कोषाधिकारी, हिण्डोली	07436-276223	276248	9413278740
167	श्री दुगाशंकर वर्मा	उप कोषाधिकारी, के0पाटन	07438-264705		9413858807

168	श्री बाबूलाल शर्मा	उप कोषाधिकारी, नैनवां	07437-257768		9460074268
169	श्री बाबूलाल गुप्ता	उप कोषाधिकारी, इन्द्रगढ	07458-253850		9414746424
	श्री राममोहन श्रृंगी	उप कोषाधिकारी, तालेडा			9413419755
170	राज0 सम्पर्क आई टी केन्द्र		2442192		
171	श्री भैरूलाल	निरीक्षक, देवस्थान विभाग		9413275101	
172	श्री महेन्द्र	संग्रहाध्यक्ष, राजकीय, संग्रहालय, बून्दी		9680972199	

बैंकिग

DISTRICT COORDINATORS CONTACT NO & EMAIL ID				
COORDINATOR BANK	**BRANH HEAD NAME**	**MOBILE NO**	**LANDLINE**	**EMAIL ID**
ALLAHABAD BANK BUNDI	Mr. ARUN KUMAR VIJAY	9414938810	0747-2456051	br.bundi@allahabadbank.in
ANDHRA BANK	Mr. VANKATYEE	9887629048	0747-2442614	bm2513@andhrabank.co.in
AXIS BANK BUNDI	Mr. GIRISH PORWAL	8875005831	0747-2442287	bundi.branchhead@axisbank.com
BOB BUNDI	Mr. VISHNU MOHAN BORDIYA	8094007086	0747-2445453	bundi@bankofbaroda.com
BOI BUNDI	Mr. HEMRAJ DHAKAR	9982808504	0747-2442725	bundi.JODHPUR@bankofindia.co.in
BRKGB KHOJA GATE BUNDI	Mr. H.P. JAT	8003490426	0747-2443784	bunbua@barodarajasthanrrb.co.in
CANARA BANK BUNDI	Mr. HARIOM	9001098243	0747-2442288	cb3381@canarabank.com
CBI BUNDI	Mr. PRAMOD	8696930807	0747-2457358	bmkota3494@centralbank.co.in
CORPORATION BANK BUNDI	Mr. KAPIL SHARMA	7023104040	0747-2456331	cb1654@corpbank.co.in
DENA BANK BUNDI	Mr. BABU LAL MEENA	9667612387	0747-2456677	bundi@denabank.co.in
HDFC BANK BUNDI	Mr. DEEPAK GAHLOT	9829235493	0747-2442282	DEEPAK.GAHLOT@hdfcbank.com
ICICI BANK CHAUGAN GATE BUNDI	Mr. Pushpendra Singh Akodia	8696942321	8875878678	pushpendrasingh.akodia@icicibank.com
IDBI BANK BUNDI	Mr. SUMIT HARITAWAL	9772222528	0747-2447155	ibkl0001331@idbi.co.in
INDIAN OVERSIES BANK BUNDI	Mr. NEERAV SAINI	9887150596	0747-2442630	iob2433@iob.in
INDIAN BANK DEHIKHEDA	Mr. LAKHAN SINGH MEENA	7073452519	0743-8263737	deikhera@indianbank.co.in
KOTAK MAHINDRA	Mr. DEEPAK	9587652277	0747-	DEEPAK.DADHICH@kotak.com

BANK BUNDI	DADHICH		2442599	
OBC BUNDI	Mr. DEEPENDRA SINGH	9602048585	0747-2447376	bm1295@obc.co.in
PUNJAB & SINDH BANK BUNDI	Mr. SHRAVAN KUMAR MEENA	7073713257	0747-2442911	b1095@psb.co.in
PNB BUNDI	Mr. SHANKAR LAL VERMA	8003693605	0747-2445151	bo4089@pnb.co.in
RATNAKAR BANK BUNDI	Mr VINOD RAWAT		0744-2370005	vinodSINGH.rawat@rblbank.com
SBBJ K.PATAN	Mr. RAJESH KUMAR OJHA	8003994622	07438-263314	sbbj10250@sbi.co.in
SBI BUNDI	Mr. MAAN SINGH MEENA	9001998003	0747-2443513	sbi.05705@sbi.co.in
SYNDICATE BANK BUNDI	Mr. DEEPAK SAMARIA	9414044862	0747-2446565	br.8350@syndicatebank.co.in
UCO BANK BUNDI	Mr. RAJESH PAL	9509521121	0747-2443692	bundi@ucobank.co.in
UNION BANK OF INDIA BUNDI	Mr.K.C.Meena	9413023555	0747-2447177	cbsbundi@unionbankofindia.com
BCCB BUNDI	Mr. RAJAT SISODIYA	9772434565	0747-2443481	bccbbnd@yahoo.com/9928860791
DCARDB (PLDB) BUNDI	Mr. M.A. HANSI	7726843126	0747-2457911	bhumibundi@rediffmail.com

क्र. स.	**बीमा कंपनियां**	कार्यालय	निवास
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	2443620	2442846
2	ओरियंटल इन्स्योरेन्स	2442819	2442824
3	यूनाइटेड इन्स्योरेन्स	2443504	2443506
4	नेशनल इन्स्योरेन्स		
	डाक एवं तार विभाग		
1	उप खण्ड अभियंता	2445511	2445522
2	उप उपखण्ड अभियंता	2445555	2445566
3	एस.डी.ओ.टी. प्रथम	2444888	2444444
4	एस.डी.ओ.टी. टेलीग्राम	2442300	2442200
5	जेटीओ	2445588	2445577
6	सहायक अभियंता माइक्रोवेव	2443595	
7	जेटीओ माइक्रोवेव	2443577	2443570
8	ट्रंक सुपरवाइजर	197	
9	लोकल इन्क्वाइरी	198	
10	फाल्ट कन्ट्रोल	2445000	

11	बुकिंग	180	
12	पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस	2443740	
13	अकाउन्ट्स ऑफिस	2444811	
	रेल्वे विभाग		
1	स्टेशन मास्टर	2443582	131
2	सहायक अभियन्ता	2442882	
	दूरदर्शन		
1	सहायक अभियंता	2443580	2442483
2	टी.वी.टावर	2442388	

परिशिष्ट नं. 3 जिले में उपलब्ध वायरलेस संचार व्यवस्था

S. NO	LOCATION	CALL SIGN.	RANGE
1	COLLECTOR CHEMBER	ECHO	ALL OVER BUNDI DISTT.
2	S.P. CHAMBER	TIGER	ALL OVER BUNDI DISTT.
3	ADDL. S.P. CHAMBER	BRAVO	ALL OVER BUNDI DISTT.
4	P.S KOTWALI BUNDI	BINA – 1	ALL OVER BUNDI DISTT.
5	P.S SADER BUNDI	BINA -2	ALL OVER BUNDI DISTT.
6	P.S. TALERA	BINA -3	ALL OVER BUNDI DISTT.
7	P.S. DABI	BINA -4	ALL OVER BUNDI DISTT.
8	P.S. NAINWA	BINA -5	ALL OVER BUNDI DISTT.
9	P.S. DEI	BINA -6	ALL OVER BUNDI DISTT.
10	P.S. DABLANA	BINA -7	ALL OVER BUNDI DISTT.
11	P.S. HINDOLI	BINA -8	ALL OVER BUNDI DISTT.
12	P.S. BASOLI	BINA -9	ALL OVER BUNDI DISTT.
13	P.S. LAKHERI	BINA -10 PS.	ALL OVER BUNDI DISTT.
14	P.S. INDERGARH	BINA -11	ALL OVER BUNDI DISTT.
15	P.S. KAPREN	BINA -12	ALL OVER BUNDI DISTT.
16	P.S. K. PATAN	BINA -13 P.S.	ALL OVER BUNDI DISTT.
17	P.S. GAINDOLI	BINA -14	ALL OVER BUNDI DISTT.
18	V.H.F. REAPETER BHIMBURJ FORT	ROMEO –2	ALL OVER BUNDI DISTT.
19	V.H.F. REAPETER K. PATAN	BINA - 13	ALL OVER BUNDI DISTT.
20	V.H.F. REAPETER LAKHERI	BINA - 10	ALL OVER BUNDI DISTT.
21	V.H.F. CONTROL BUNDI	BINA CONTROL	ALL OVER BUNDI DISTT.
22	CITY CONTROL BUNDI	CITY CONTROL	ALL OVER BUNDI DISTT.
23	EOC CONTROL COLLECTORATE BUNDI	EOC CONTROL	ALL OVER BUNDI DISTT.
24	POLICE LINE BUNDI	R.L.	ALL OVER BUNDI DISTT.
25	OP BUS STAND BUNDI	BINA - 15	*Con. ps*
26	OP MEERA GATE BUNDI	BINA - 16	*Con. ps*
27	OP BALCHAND PARA BUNDI	BINA - 17	*Con. ps*
28	OP CHITTOR TIRAHA BUNDI	BINA - 18	*Con. ps*
29	OP RAM NAGAR	BINA - 19	*Con. ps*
30	O.P. LAXMIPURA	BINA -20	*Con. ps*
31	O.P.NAINWA TOWN	BINA -22	*Con. ps*
32	O.P. KARWAR	BINA -23	*Con. ps*

33	O.P. PECH KI BAWARI	BINA -26	*Con. ps*
34	O.P. KHINIYA	BINA - 27	*Con. ps*
35	O.P KHATKAR	BINA -29	*Con. ps*
36	O.P LABAN	BINA – 30	*Con. ps*
37	O.P. VIKAS NAGAR BUNDI	BINA – 31	*Con. ps*
		मोबाईल	
38	S.P. AMBASDAR CAR	T IGER	ALL OVER BUNDI DISTT.
39	S.P. QUALICE CAR	T IGER	ALL OVER BUNDI DISTT.
40	ADDL. S.P. BOLERO	BRAVO	ALL OVER BUNDI DISTT.
41	C.O. BUNDI GYSPY	PETER -1	ALL OVER BUNDI DISTT.
42	C.O. NAINWA GYSPY	PETER -2	ALL OVER BUNDI DISTT.
43	C.O LAKHERI GYSPY	PETER -3	ALL OVER BUNDI DISTT.
44	C.O HINDOLI JEEP	PETER -4	ALL OVER BUNDI DISTT.
45	S.H.O KOTWALI	MIKE - 1	ALL OVER BUNDI DISTT.
46	S.H.O SADAR	MIKE -2	ALL OVER BUNDI DISTT.
47	S.H.O TALERA	MIKE - 3	ALL OVER BUNDI DISTT.
48	S.H.O DABI	MIKE - 4	ALL OVER BUNDI DISTT.
49	S.H.O NAINWA	MIKE -5	ALL OVER BUNDI DISTT.
50	S.H.O DEI	MIKE -6	ALL OVER BUNDI DISTT.
51	S.H.O DABLANA	MIKE -7	ALL OVER BUNDI DISTT.
52	S.H.O HINDOLI	MIKE - 8	ALL OVER BUNDI DISTT.
53	S.H.O BASOLI	MIKE -9	ALL OVER BUNDI DISTT.
54	S.H.O LAKHERI	MIKE -10	ALL OVER BUNDI DISTT.
55	S.H.O INDERGARH	MIKE -11	ALL OVER BUNDI DISTT.
56	S.H.O KAPREN	MIKE - 12	ALL OVER BUNDI DISTT.
57	S.H.O . K. PATAN	MIKE – 13	ALL OVER BUNDI DISTT.
58	S.H.O GAINDOLI	MIKE - 14	ALL OVER BUNDI DISTT.
59	T.I.TRAFFIC BUNDI	TRAFFICE	ALL OVER BUNDI DISTT.
60	TRAFFICE AID	TRAFFICE AID	ALL OVER BUNDI DISTT.
61	POLICE CONTROL ROOM (CITY MOBILE)	PCR	ALL OVER BUNDI DISTT.
62	R.L TRUCK RJ 08 G- 0231	SHERA – 1	ALL OVER BUNDI DISTT.
63	R.L. MINI TRUCK RJ – 08 G- 0431	SHERA – 2	ALL OVER BUNDI DISTT.
64	R.L. MINI TRUCK RJ – 08 G- 0432	SHERA – 3	ALL OVER BUNDI DISTT.
65	R.L. MINI BUS RJ- 08 P- 0456	SHERA – 4	ALL OVER BUNDI DISTT.
66	R.L. MINI BUS RJ- 08 P - 0492	SHERA – 5	ALL OVER BUNDI DISTT.
67	AMBULANCE	AMBULANCE	ALL OVER BUNDI DISTT.
68	COLLECTOR CAR	ECHO	ALL OVER BUNDI DISTT.
69	COLLECTOR GYPSY	ECHO	ALL OVER BUNDI DISTT.
70	COLLECTOR BOLERO	ECHO	ALL OVER BUNDI DISTT.
71	ADM. CAR	ECHO – 1	ALL OVER BUNDI DISTT.
72	SDM. BUNDI	ECHO – 2	ALL OVER BUNDI DISTT.
73	SDM. HINDOLI	ECHO – 3	ALL OVER BUNDI DISTT.
74	SDM. K.PATAN	ECHO – 4	ALL OVER BUNDI DISTT.
75	SDM. NAINWA	ECHO – 5	ALL OVER BUNDI DISTT.
76	SDM. LAKHERI	ECHO – 6	ALL OVER BUNDI DISTT.

परिशिष्ट नं. 4. चिकित्सालयों की सूची

1. जिले में स्थित राजकीय चिकित्सा संस्थानों की सूचनाऐं

क. स.	तहसील / ब्लॉक	चिकित्सालयो का नाम	कार्यरत मेडिकल स्टाफ		चिकित्सालय में उपलब्ध संसाधन की संख्या						
			डाक्टर	अन्य स्टॉफ	ऐम्बुलेन्स	स्टेचर	ईसीजी	एक्सरे	ब्लड बैंक	ईएनटी	औथोपेडिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जिला मुख्यालय बून्दी	सा.चि. बून्दी	51	250	3	20	7	2	1	1	–
2	हिण्डोली	सीएचसी हिण्डोली	8	9	1	5	1	1	1	–	–
3		सीएचसी अलोद	4	10	0	2	0	0	0	–	–
4	नैनवां	सीएचसी नैनवां	6	15	3	5	1	1	1	–	–
5		सीएचसी देई	4	9	2	5	1	1	0	–	–
6	तालेडा	सीएचसी तालेडा	9	15	2	5	1	1	1	–	–
7		सीएचसी डाबी	4	9	1	3	1	1	0	–	–
8	काप्रेन	सीएचसी काप्रेन	6	10	2	5	1	1	1	–	–
9		सीएचसी लाखेरी	5	9	2	5	1	1	1	–	–
10		सीएचसी इन्द्रगढ	2	10	1	3	1	1	0	–	–
11		सीएचसी के.पाटन	8	9	1	3	0	1	1	–	–
12		सीएचसी देईखेडा	4	7	1	2	1	0	0	–	–

जिले में कार्यरत राजकीय चिकित्सालयों मे सम्पर्क हेतु सूचना

क. स.	तहसील /ब्लॉक	चिकित्सालयो का नाम	फोन/मोबाईल सं.		दक्षता/विशेषज्ञता		अन्य विवरण
			कार्यालय	निजी			
1	2	3	4	5	6	7	10
1	जिला मुख्यालय बून्दी	सा.चि. बून्दी	7472443456	9950833830		Pediatric	–
2	हिण्डोली	सीएचसी हिण्डोली	7436276726	9414341062	MBBS		–
3		सीएचसी अलोद	7436274770	8003239370	MBBS		–
4	नैनवां	सीएचसी नैनवां	7436274469	9414962948	MBBS		–
5		सीएचसी देई	7437255730	9828537649	MBBS		–
6	तालेडा	सीएचसी तालेडा	7437213688	9694014803	MBBS		–
7		सीएचसी डाबी	-	9571809009	MBBS		–
8	काप्रेन	सीएचसी काप्रेन	7438265438	9414260742		JS Surgery	–
9		सीएचसी लाखेरी	7438261087	9828561081	MBBS		–
10		सीएचसी इन्द्रगढ	743853033	9587236803	MBBS		–
11		सीएचसी के.पाटन	7438264720	9413128642	MBBS		–
12		सीएचसी देईखेडा	7438268870	7891422060		–	

2. निजी चिकित्सालयो की सूचनाऐं

क. स.	तहसील / ब्लॉक	चिकित्सालयो का नाम	कार्यरत मेडिकल स्टाफ		चिकित्सालय में उपलब्ध संसाधन की संख्या						
			डाक्टर	अन्य स्टॉफ	ऐम्बुलेन्स	स्टेचर	ईसीजी	एक्सरे	ब्लड बैंक	ईएनटी	औथोपेडिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बून्दी	व्यास नर्सिग होम	2	12	0	2	1	0	0	0	0
2		अनुराग नर्सिग होम	3	11	2	4	2	2	0	1	1
3		बून्दी हॉस्पी0 एण्ड रिसर्च सेन्टर	6	20	0	4	2	2	0	0	0
4		माया हॉस्पीटल	1	13	0	7	1	1	0	0	0
5		के0के0 हॉस्पीटल	1	15	0	5	1	1	0	0	0
6		माहेश्वरी चिल्ड्रन हॉस्पी0	1	6	0	2	0	1	0	0	0
7		सदासुखी नर्सिग होम	1	8	0	2	0	1	0	0	0
8		सिटी हॉस्पीटल	1	3	0	0	0	0	0	0	0
9		महात्मा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पी0	1	5	0	1	1	1	0	0	0
8	काप्रेन	कृष्णा नर्सिग होम	1	8	0	2	1	1	0	0	0
9	तालेडा	के0एम0हॉस्पीटल	2	3	0	0	0	0	0	0	0

जिले में कार्यरत निजी चिकित्सालयों मे सम्पर्क हेतु सूचना

क.स.	तहसील / ब्लॉक	चिकित्सालयो का नाम	फोन / मोबाईल सं.		दक्षता / विशेषज्ञता		अन्य विवरण
			कार्यालय	निजी			
1	2	3	4	5	6	7	10
1	बून्दी	व्यास नर्सिग होम	7472443389	-		Gynecologist	–
2		अनुराग नर्सिग होम	7472443660	9829035666		Orthopedic	–
3		बून्दी हॉस्पी0 एण्ड रिसर्च सेन्टर	7472442230	9414175230		Surgery	–
4		माया हॉस्पीटल	-	9414175660		Surgery	–
5		के0के0 हॉस्पीटल	-	9414310137		Surgery	–
6		माहेश्वरी चिल्ड्रन हॉस्पी0	7472444666	9414175566		Pediatric	–
7		सदासुखी नर्सिग होम	7472442280		MBBS		–
8		सिटी हॉस्पीटल	-	8890890999		Physician	–
9		महात्मा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पी0	-	9414015102		Pediatric	–
8	काप्रेन	कृष्णा नर्सिग होम	-	9413070429		Gynecologist	–
9	तालेडा	के0एम0हॉस्पीटल	-	9414230457		Gynecologist	–

परिशिष्ट नं. 5. चिकित्सको की सूचि

P.B.S.S. GENERAL HOSPITAL BUNDI

S.N	Dr. Name	Post	Mobile Number
1	Dr. Navneet Vijay	S.S. Eye (PMO)	9414256978
2	Dr. Gajananad Verma	S.S. Pead	9950833830
3	Dr. T.C. Mahaver	S.S. Med.	9414346137
4	Dr. Dhanraj Madhur	S.S. Ortho	9414175970
5	Dr. Naresh Jatoliya	S.S. ENT	9887403999
6	Dr. D.S. Sharma	J.S. Pead	9414256645
7	Dr. Prabhakar Vijay	J.S. Surgery	9414175401
8	Dr. Rakesh Taneja	J.S. Surgery	9829425465
9	Dr. Anil Gupta	J.S. Anets.	9829176256
10	Dr. O.P. Verma	S.M.O. (DY CONTROLLER)	9829577333
11	Dr. Dinesh Sharma	J.S. Eye	9414321678
12	Dr. Pukhraj Meena	J.S. Surgery	9414732043
13	Dr. Anil Saini	J.S. Surgery	9414745112
14	Dr. Kilesh Chand Meena	S.M.O.	9414986363
15	Dr. C.L Dadhich	S.M.O.	9829408428
16	Dr. Nirmal jain	S.M.O.	9829918244
17	Dr. Babulal Meena	S.M.O.	9414986685
18	Dr. Manoj Jain	S.M.O.	9829158040
19	Dr. Permanand Meena	S.M.O.	9414393945
22	Dr. M. Bindra	M.O.	9636588684
24	Dr. Suresh Agarwal	M.O.	9460275750
25	Dr. Govind Gupta	M.O.	9414233609
26	Dr. Laxmi Parihar	M.O.	7597808253
27	Dr. Manju Yugal	M.O.	9414256526
29	Dr. Udesh Sharma	M.O.	9413537586
30	Dr. Raghuveer Meena	M.O.	9414939313
31	Dr. Manju Bathriya	M.O.	9462970519
32	Dr. Anil Arora	M.O.	9460862486
34	Dr. Yashwant	M.O.	9414286864
35	Dr. Pawan Bharadwaj	M.O.	9461053644
36	Dr. D.D. Meena	M.O.	9462542840
37	Dr. Gorishankar	M.O.	9799806812
38	Dr. Anil Jangir	M.O.	9001052919
39	Dr. Shivani Meena	M.O.	8104450165
40	Dr. Satyananayan Meena	M.O.	9672406800
41	Dr. B.S.Meena	M.O.	9414341027

42	Dr. Yogesh Sharma	M.O.	9461752010
43	Dr. Nirmala Meena	M.O.	9414939313
44	Dr. Kalp Sandliya	M.O.	9680626346
45	Dr. Preeti Chouhan	M.O.	9468525288
46	Dr. Bhag Chand Nagar	M.O.	9413825805
48	Dr. Rashmi Gupta	M.O.	9636253011
49	Dr. Amar Sharma	M.O.	9669940151
50	Dr. Kishan Lal Badhiliya	M.O.	9694944069
51	Dr. Laxmi Naranyan Meena	S.M.O.	9414331507
52	Dr. Latif ul Hasan	M.O.	9414903465
53	Dr. Harish Tiwari	PHYTHTROPIST	9413067788
54	Dr. Laxmi Varma	M.O.	9929326464
55	Dr. Rajesh Vrandwani	M.O.	9414226878
56	Dr . Jitender Chouhan	M.O.	
57	Dr. Vijay Sharma	M.o	9829795432

क्र.सं.	चिकित्सा संस्था का नाम	चिकित्सक का नाम	मोबाईल नम्बर
1	**मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी**	**डॉ सुरेश जैन**	**9829680813**
2	**प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी**	**डॉ नवनीत विजय**	
3	**अति0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी**	**डॉ0 भरतराज मीणा**	**9166360920**
4	**आरसीएचओ**	**डॉ0 जे. पी. मीणा**	**9414175113**
5	**उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0)**	**डॉ0 अविनाश शर्मा**	**9460678070**
6	**लेप्रोसी**	**डॉ0 सी. पी. वर्मा**	**9413118305**
7	**टी0बी0**	**डॉ0 डी. के. माथुर**	**9414986611**
8	चिकि0 अधि0 (लीव रिजर्व)	डॉ0 शुभम व्यास	9468663552
9	चिकि0 अधि0 (लीव रिजर्व)	रिक्त	
10	जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनआरएचएम	श्री देवराज गुर्जर	9468968314
11	**बीसीएमओ बून्दी**	**रिक्त**	
12	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र खटकड	डॉ0 गोरधनलाल नागर	9887755724
13	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र खटकड	डॉ0 रोहित जैन	
14	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र खटकड	रिक्त	
15	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र खटकड	डॉ0 योगेन्द्र कुमार साहु	9571377331
16	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नीम का खेडा	डॉ0 दिवाकर जैन	9461423092
17	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माटून्दा	डॉ0 जावेद अख्तर	9602255684

18	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नमाना	डॉ0 दिक्षा रेवाल	9414175622
19	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढानाथावत	रिक्त	
20	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायथल	डॉ0 अविनाश शर्मा	9784708777
21	**बीसीएमओ कापरेन**	**रिक्त**	
22	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देहीखेडा	डॉ0 अमरजीत मीणा	9667979125
23	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देहीखेडा	डॉ0 दिनेश कुमार शर्मा	9828321890
24	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देहीखेडा	डॉ0 विक्रम सिंह हाडा	9950091588
25	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देहीखेडा	डॉ0 ललित मीणा	8769600983
26	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देहीखेडा	डॉ0 चन्द्रन मीणा	9602447679
27	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डॉ0 राजेश मीणा	9799161544
28	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डॉ0 अन्जू वर्मा	9799161544
29	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डॉ0 समीर टण्डन	8003361466
30	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डॉ0 जगदीश प्रसाद मीणा	9414539450
31	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डॉ0 ओजस्विनी	
32	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डा0 बृजमोहन मालव	
33	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन	डा0 बृजसुन्द्रर मीणा	
34	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी	डा0 सुनीता दुआ	9828561081
35	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी	डॉ0 राजेन्द्र	9460426422
36	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी	डॉ0 शोभागमल मीणा	
37	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी	डॉ0 राजेश वर्मा	9460937809
38	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी	**डॉ0 मांगी लाल मीणा ख. मु.चि.**	9460033822
39	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी	डॉ0 महावीर मीणा	
40	सामु0स्वा0केन्द्र, इन्द्रगढ़	डॉ0 दिनेश कुमार शर्मा	9828321890
41	सामु0स्वा0केन्द्र, इन्द्रगढ़	डा0 मुकेश शर्मा	9929298492
42	सामु0स्वा0केन्द्र, इन्द्रगढ़	डॉ0 गणेश लाल मीणा	9784004098
43	सामु0स्वा0केन्द्र, इन्द्रगढ़	डॉ0 अक्षिता अग्रवाल	
44	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डा0 महावीर दीक्षित	9413085985
45	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 वेदान्ति सिंह	9828782807
46	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 के.बी. शर्मा	9414617583
47	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 मन्जू चन्देल	9413128642
48	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 रियाज मोहम्मद	9214955340
49	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 राजदीप मीणा	9414750153
50	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 उमेश मीणा	9928675729
51	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 सतीश सक्सेना	9982147567

52	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के0पाटन	डॉ0 आयुषी अग्रवाल	
53	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडाखेडा	डॉ0 देवकीनन्दन	9166478864
54	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडाखेडा	डॉ0 कोस्तुभ सिंह	
55	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सु0मण्डी	डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता	
56	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सु0मण्डी	डॉ0 अभिषेक कसेरा	
57	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरनेठा	डॉ0 अदीब अमीर अंसारी	
58	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरनेठा	डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह	8764314451
59	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झाली जी का बराना	डॉ0 योगश श्रीवास्तव	
60	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मायजा	डॉ0 महेन्द्र कुमार गोचर	8441920510
61	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समीधी	डॉ0 मिथलेश गोस्वामी	
62	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलकासा	डॉ0 स्वेता भगवती	8094709730
63	सामुदायिक स्वा0 केन्द्र करवर	डॉ0 मुरारी लाल	9414746655
64	बीसीएमओ तालेडा	रिक्त	
65	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	**डॉ0 मोहन लाल वर्मा ख. मु.चि.**	9414346038
66	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 राजीव मथुरिया	
67	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डा0 चेतन मालव	9456330220
68	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 राजकुमार काबरा	9828131956
69	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 परमानन्द गुप्ता	9772334101
70	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 पुरूषोत्तम कु.महावर	9784834356
71	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 प्रेमचन्द मालव	9694014803
72	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 निशा शर्मा	9782139184
73	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 जगदीश अग्रवाल	9414595900
74	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेडा	डॉ0 रोशन आरा	9875646357
75	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डाबी	डॉ0 के0बी0 मालव	9571809009
76	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डाबी	डॉ0 रजा खान	
77	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डाबी	डॉ0 जितेन्द्र कुमार यादव	
78	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डाबी	डॉ0 सुर्यप्रकाश कलवार	
79	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठिकरिया चारणान	डॉ0 मधु सिंह	8875759857
80	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुंवासा	डॉ0 राम मनोहर कुशवाह	9887612974
81	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरूँधन	डॉ0 शिरिष मण्डावरा	
82	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरूँधन	डॉ0 नरेश कुमार मेवाडा	9462729729
83	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाम्बाखोह	डॉ0 हरिश मीणा	
84	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ज0 सा0 बांध	डॉ0 गोरांग जोशी	

85	बीसीएमओ हिण्डोली	**डॉ0 दुर्गा शंकर वर्मा**	9929742220
86	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अलोद	डॉ0 मो0 शाहिद	9166044143
87	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अलोद	डॉ0 अमित मालव	8003239370
88	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अलोद	डॉ0 स्वाती प्रजापत	
89	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली	डॉ0 जगवीर सिंह	9414341062
90	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली	रिक्त	
91	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली	डॉ0 रमेश चन्द कुशवाह	8955882051
92	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली	डॉ0 इकबाल अली	
93	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली	डॉ0 मनीष शर्मा	
94	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली	डॉ0 सुरेन्द्र मीणा	
95	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीपुरा	डॉ0 सुभेन्द्र दत खरेडिया	
96	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीपुरा	रिक्त	
97	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दबलाना	डॉ0 आशीष शर्मा	
98	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दबलाना	डॉ0 उमा शंकर सेनी	
99	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडानयागांव	डा0 विनय भार्गव	9413471924
100	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडानयागांव	डॉ0 परितोष श्रंगी	
101	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसोली	डॉ0 सरेश जाट	
102	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोठडा	डॉ0 कुलदीप सिंह	
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थाना	डॉ0 अर्पित पारीक	
104	बीसीएमओ नैनवा	**डॉ0 आशीष अग्रवाल**	9460665188
105	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवां	डॉ0 समदरलाल मीणा	9414962948
106	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवां	रिक्त	
107	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवां	डॉ0 गोपाल लाल नागर	9828682073
108	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवां	डॉ0 आरती जैन	9784335135
109	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवां	डा0 कृष्ण कुमार	9352167899
110	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवां	डॉ0 विनीत गुप्ता	9414963036
111	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई	**डॉ0 पुष्पचन्द मीणा ख.म. चि.बून्दी**	9828751716
112	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई	डॉ0 दीपक शर्मा	
113	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई	डॉ0 लक्ष्मी प्रकाश नागर	9828537649
114	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई	डॉ0 अनिश यादव	9785205523
115	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलवास	डॉ0 राजेश मीणा/रोहित जेन	9414425940
116	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुगारी	पीपीपी मोड	
117	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बामणगांव	पीपीपी मोड	

118	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसी	डॉ0 कौशल कुमार गोयल	7597474640
119	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांसी	डॉ0 निकिता गुप्ता	
120	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जजावर	पीपीपी मोड	
121	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करवर	डॉ0 मुरारी लाल	
122	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढादेवजी	डॉ0 दीपक चोपडा	

परिशिष्ट नं. 6. मेडिकल स्टोर्स की सूची

क. स.	तहसील /ब्लॉक	मेडिकल स्टोर का नाम व पता	संचालक/स्वामी का नाम	फोन/मो0न0	
				दुकान	संचालक
1		3	4	6	7
1	बून्दी	A.B. MEDICOSESadar Bazar Bundi (Raj.)Bundi	Sh. Martuja S/o Sh. Tayeb Ali		
2	बून्दी	A.B. MEDICOSESadar Bazar, Bundi (Raj.)	Smt. Munira W/o Sh. Murtaza		
3	बून्दी	AADITYA MEDIDCOSE N.H. 12, Jaipur Kota Road, Near Bundi Chittor Road, BundiBundi (Raj.)	1. Sh. Brij Sundar Vyas S/o Sh. R.C. Vyas 2. Miss Neetu Joshi D/o Sh. A.S.Joshi		
4	नैनवां	AARTI MEDICAL STOREVillage & Post-DeiTehsil- Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Kunj Bihari Bearagi S/o Sh. Ram Gopal Bearagi		7791928243
5	नैनवां	ADINATH MEDICAL STORE Bus Stand, Khatkhad, Tehsil- Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	0		
6	नैनवां	ADINATH PHARMA Near Bus Stand, DeiTehsil- Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Sushil Kumar Jain S/o Sh. Vimal Kumar Jain		
7	बून्दी	ADITI SURGICALSKuve Wali Gali, Baherli Bundi (Raj.)	Sh. Mukesh Kumar Jain S/o Sh. Babu Lal Jain		
8	बून्दी	AGARWAL MEDICAL STORE Village & Post- Devpura Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Kamlesh Agarwal S/o Sh. Om Prakash Agarwal		
9	काप्रेन	AJAY MEDICAL STORE Village & Post Babai, Tehsil- IndragarhDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Bhanwar Singh Rajawat S/o Sh. Nand Singh Rajawat		9950629558
10	हिण्डोली	AJAY MEDICALSAshok Factory, Bada Naya GaonTehsil- HindoliDistt.- Bundi (Raj.)	Sh Rakesh Kumar Jain S/o Sh Moti Lal Jain		
11	बून्दी	AJMER MEDICAL AGENCIES,Lanka Gate Road, Bundi (Raj.)	Sh. Nand Singh S/o Sh. Mool Singh		
12	नैनवां	AMAN MEDICAL STORE Nagar Road, Opp. Hospital, NainwaDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Chhatra Pal Singh S/o Sh. Ajeet Singh		
13	काप्रेन	AMBEY MEDICAL STORE Opp. P.H.C. Sumerganjmandi, Tehsil- IndragarhDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Rajendra Kumar Bairwa S/o Sh. Chhitar Lal Bairwa		9460594889
14	काप्रेन	AMBIKA MEDICALSDahi Kheda,Tehsil-IndrgarhDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Hemant Kumar S/o Sh. Roop Narayan Sharma		9461338238
15	काप्रेन	ANIS MEDICAL STORE Sadar Bazar, Indergarh, Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Anish Ahamad Khan S/o Sh. Jalil Ahamad Khan		

16	बून्दी	ANJANEYA AGENCIESOpp. Of Dr. K.C. Gagrani HouseKhoja Gate Road,Bundi (Raj.)	Sh. Nitin Goyal S/o Sh. Satya Pal Goyal		
17	बून्दी	ANURAG PHARMANeemach Eye Hospital, Near Saint Nirankari Satsang Bhawan, Kota Road, Bundi (Raj.)	Smt. Simple Singh W/o Sh. Sunil Kumar Singh		
18	तालेडा	ARIHANT MEDICAL STORE Village &Post- DabiBrahmpura RoadBundi	Sh. Paras Mal Jain		
19	नैनवां	ARIHANT MEDICAL STORE Nainwa, Tehsil- Nainwa, Distt. Bundi (Raj.) Distt. Bundi (Raj.)	Sh. Mahendra Kumar Jain S/o Sh. Shanti Lal		
20	बून्दी	ARIHANT MEDICALSOpp. Pandit Brij Sundar Sharma Govt.Gen.Hospital, Kota Road, Bundi (Raj.)	1-Sh. Ashok Kumar Jain S/o Sh. Chandra Prakash Jain, 2-Sh Kunj Bihari Bilya S/o Sh Muket Lal Bilya, 3-Sh Sushil Kumar Jain S/o Sh Manak Chand Jain, 4-Sh Satya Prakash Bilya S/o Sh Sada Shankar Bilya		
21	बून्दी	AROGYA MEDITECHShivam, Khoja Gate Road, Bundi (Raj.)	Sh. Alankar Sharma S/o Dr. Madhu Sudan Sharma		
22	बून्दी	ASHOK MEDICAL STORE, Kota Road, Bundi (Raj.)	Sh. Namdeo S/o Sh. Jadmal		
23	हिण्डोली	ASHOK MEDICOHindoli,Tehsil- Hindoli, Distt.- Bundi (Raj.)	Sh.Ashok Kumar Jain S/o Sh.Babu lal Jain		
24	बून्दी	ASHOKA AGENCIESBahadur Singh Circle, Nainwa Road, Bundi (Raj.)	Sh. Ramesh Chand S/o Sh. Nanak Ram		
25	हिण्डोली	ASHOKA MEDICOSE Dablana, Tehsil- HindoliDistt. Bundi (Raj.)	Sh. Ashok Kumar Sharma S/o Sh. Mohan Lal Sharma		
26	तालेडा	ASHUTOSH MEDICOSE AND GENERAL STORESuwasa Main Bazar, Suwasa, Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Ram Laxman Sharma S/o Sh. Devi Shankar Sharma		
27	नैनवां	AYUSH MEDICAL & PROVISION STOREMain Market, Bus Stand Road Dei,Tehsil- Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Vimal Kumar Gupta S/o Sh. Sohan Lal Gupta		
28	काप्रेन	AZAZ MEDICALSWard No- 19, Tehsl Road Keshoraipatan,Distt.- Bundi (Raj.)	Sh Akziz Mohammad S/o Sh Hazi Noor Mohammad		
29	काप्रेन	BALAJI PHARMACEUTICALSWard No- 3, Chamunda Colony,Keshavraipatan,Distt-Bundi	Sh Chandra Prakash Ojha S/o Sh Prem Chand Ojha		
30	हिण्डोली	BHANU MEDICAL STOREVillage & Post- Bada Naya GaonTehsil- HindoliDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Bhanu Kumar Jain S/o Sh. Mahendra Kumar Jain		9001644790
31	काप्रेन	BHARAT MEDICAL STORE Arnetha, Tehsil- K. Patan , Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Rajender Kumar S/o Sh. Bajrang Lal Gupta		
32	बून्दी	BHARAT MEDICAL STORE Raghuveer Bhawan, Kota Road,Bundi (Raj.)	Sh. Safdar Hussain Bohra S/o Sh. Tayyab Ali		
33	बून्दी	BULIWAL MEDICALSKhoja Gate Road,Bundi (Raj.)	Sh. Panna Lal S/o Sh. Laxman Lal		9829807213
34	बून्दी	BURHANI MEDICAL STOREOpp. Vaterinary Hospital,Khoja Gate, Bundi (Raj.)	Sh. Abde Ali S/o Sh.Badruddin		
35	बून्दी	CASH CHEMISTKota Road Opp. Govt. Hospital BundiBundi (Raj.)	Sh. Shabeer Hussain S/o Sh. Haji Fakhruddin		
36	बून्दी	CHADDA MEDICALSKota Road, Bundi (Raj.)	Sh. Jitendra Singh Chadda S/o Sh. Prahlad Singh Chadda		

37	नैनवां	CHANCHAL MEDICAL STORE, Nainwa, Tehsil- Nainwa,Distt.- Bundi (Raj.)	Radhey Shyam Nama S/o Sh. Chaturbhuj Nam		
38	बून्दी	CHITTORA MEDICAL STORENear Primary Health Centre, Namana,Tehsil & Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Sushil Kumar Chittora S/o Sh. Satya Narayan Chittora		
39	काप्रेन	DEEP SHIKHA MEDICOSE Keshoraipatan,Tehsil- K. Patan ,Distt. Bundi (Raj.)	Sh. Sanjay Kumar Nama S/o Sh Mangi Lal Nama		
40	नैनवां	DEEPAK MEDICAL STORENainwa, Tehsil- Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Deepak Kumar Sharma S/o Sh. Vinod Kumar Sharma		
41	काप्रेन	DEV MEDICAL STORE Matra Road, Krishna Govind Coloney, KeshavraipatanTehsil- KeshavraipatanDistt.- Bundi (Raj.)	Sh. Mahaveer Prasad S/o Sh. Ram Lal		
42	बून्दी	DEV MEDICAL STORE Near Govt. Hospital, Nainwa Road, Village Khatkhad, Distt-Bundi (Raj.)	Shri Hansraj S/o Shri Ramchandra Ji		
43	बून्दी	DINESH MEDICAL STORE Namana, Tehsil- Bundi, Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Suresh Kumar Jain S/o Sh. Dharm Chand Jain		
44	काप्रेन	DIYA MEDICAL STORE Near Shree Charbhuja Mandir, Keshavraiptan, Tehsil- K. Patan ,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Narendra Kumar Gupta S/o Sh. Bajrang Lal Gupta		
45	काप्रेन	DUBEY MEDICOSEOpp.Police Station, Kapren,Tehsil- K. Patan ,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Shalendra Dubey S/o Sh Madan Lal Dubey		
46	हिण्डोली	ELMA MEDICAL STORETalab Gaon, Tehsil- Hindoli, Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Janulabdin S/o Sh. Kamruddin		
47	हिण्डोली	GANESH MEDICAL STORE Back To Govt. Hospital, Hindoli, Tehsil- HindoliDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Ganesh Kumar Gour		
48	हिण्डोली	GANGA MEDICAL STOREDevji Ka Thana, Tehsil- Hindoli, Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Bajrang Lal S/o Sh. Radha Kishan		
49	बून्दी	GAURI HOMOEPATHIC MEDICAL STOREMeera Gate,Bundi (Raj.)	Sh Manzoor Ahamad Gauri S/o Sh Gafur Mohammad Gauri		
50	हिण्डोली	GODHA DRUG HOUSEBundi Ka Gothra, Tehsil- HindoliDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Mahendra Kumar Jain S/o Sh. Bhanwar Lal Jain		
51	बून्दी	GOLDEN STREAK DRUGS & PHARMACEUTICALS Ltd.A-14, Rajat Grah Market, Gali No-1, Rajat Grah Colony,Nainwa Road,Bundi (Raj.)	Sh Pawan Kumar Gautam S/o Sh Mool Chand Sharma		
52	नैनवां	GOVIND MEDICAL & GENRAL STOREVillage & Post- Karwar, Tehsil- Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Shambu Prakash Sharma S/o Sh. Rameshwar Prasad		
53	काप्रेन	GOVIND MEDICAL SHOPOpp. P.H.C. Aranetha, Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Mahaveer Prasad Gupta		
54	काप्रेन	GUPTA MEDICAL STOREMatra Road, Opp. S.B.B.J. Bank K.Patan, Tehsil- Keshavrai Patan, Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Shyam Sundar Gupta S/o Sh. Bajrang Lal Gupta		9829035378
55	तालेडा	GUPTA MEDICAL STOREVillage & Post - BarundhanTehsil- TaleraDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Kailash Gupta S/o Sh. Dwarika Lal Gupta		9828986113
56	नैनवां	HADOIT MEDICAL STORE Near P.H.C. Village & Post- KarwarTehsil- Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Aashiq Ali S/o Sh. Abdul Rahman		9784224111

57	बून्दी	HANEMAN HOMEO STOREMalan Masi Balaji RoadBundi (Raj.)	Sh. Gyan Prakash Dua S/o Sh. Om Prakash		
58	काप्रेन	HAZI MEDICAL AND GENERAL STOREKapren, Tehsil - Keshavraipatan, Distt.- Bundi (Raj.)	1- Sh. Hemant Kumar Jain S/o Sh. Rajendra Kumar Jain 2- Sh. Saddam Hussain S/o Sh. Mustak Ali		
59	हिण्डोली	HIMANSHU MEDICAL STORE Village & Post- SaturTehsil- HindoliDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Mahaveer Sani S/o Sh. Bhanwar Lal Sani		9784536847
60	बून्दी	HINDUSTAN PHARMA Shop No. 9, Khai Land Market, Bundi (Raj.)	Sh. Yusuf Ali S/o Sh. Tayyeb Bhai		
61	बून्दी	IMAMI MEDICAL HALLNear Char Bhuja Mandir,Tilak Chouk,Bundi	Sh. Abdulla		
62	नैनवां	INDRA MEDICAL STORE Near Bus Stand, DeiTehsil- Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Indra Devi W/o Sh. Maya Prakash Sharma		
63	काप्रेन	JAGDAMBA MEDICAL STORE Matra Road, Keshoraipatan,Tehsil- K. Patan ,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Gopal Gulati S/o Desraj Gulati		
64	बून्दी	JAGDAMBA MEDICOSENear S.P. Office, Bundi (Raj.)	Sh Jamana Shanker Meena S/o Sh Ganapat Lal Meena		9636045253
65	बून्दी	JAI AMBEY MEDICALKagzi Devra, Near Gautam School, Bundi (Raj.)	Sh. Sarvesh Mewara S/o Sh. Suresh Mewara		
66	बून्दी	JAI MINESH MEDICALSShop No. C-8, Nainwa Road, Gate No. 6, Rajat Grah Colony, Bundi (Raj.)	Sh. Man Mohan Meena S/o Sh. Babu Lal Meena		9928354871
67	तालेडा	JAIN DRUG STORE Opp. C. H. C. Talera, Tehsil- Bundi, Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Trilok Chand Jain S/o Sh Shanker Lal Jain		
68	बून्दी	JAN ASUHDHI KENDRA BUNDI SAHAKARI UPBHOKTA WHOLE SALE BHANDAR LTD. Brij Sundar Sharma Genral Hospital CampusBundi,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Shiv Prasad Vairagi S/o Sh. Laxmi Narayan Vairagi		
69	बून्दी	JANTA MEDICAL HALLRaghuveer Bhawan, Kota RoadBundi (Raj.)	Sh. Idris Ali S/o Sh. Zakuddm Bohra		
70	तालेडा	JANTA MEDICAL HALLTalera,Tehsil-BundiDistt.- Bundi (Raj.)	Sh. Mohammed Shafi Khan S/o /Sh. Abdul Gaffor Khan		
71	बून्दी	JANTA MEDICOSERed Cross Dharam Shala, Bundi (Raj.)	Sh. Zakkiddin S/o Sh. Sakhir Hussain		
72	बून्दी	JINENDRA MEDICALSSubhash Nagar,Nainwa Road, Bundi (Raj.)	Smt. Sulochana Jain W/ o Dr. Manoj Jain		9929742272
73	काप्रेन	JISHAN DRUG HALLTransport Nagar, Battam Level, Lakheri,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Mohmmed Yunus S/o Sh. Mohammed Yusuf		
74	बून्दी	JOSHI MEDICAL STORE Near Baba Rebari Ka Sthan, Village Laxmipura,Tehsil - BundiDistt- Bundi (Raj).	Sh Sitaram Sharma S/o Sh Bhanwar Lal Sharma		
75	बून्दी	KAPIL PHARMA Lanka Gate Road, Bundi (Raj.)	Sh. Jitendra Kumar		
76	नैनवां	KASALIWAL MEDICAL STORENear Govt. Hospital, Bansi, Tehsil-Nainwa,Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Man Mal Jain S/o Sh. Mangi Lal Jain		
77	नैनवां	KAUSHAL MEDICALSToda Pole, Main Road, Ward No. 1 Nainwa, Tehsil-NainwaDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Kaushal Nama S/o Sh. Radhey Shyam Nama		

78	काप्रेन	KAVITA PHARMA Chomukha Bazar Kapren,Distt-Bundi (Raj.)	Smt. Kavita Jain W/o Sh Hemant Kumar Jain		
79	काप्रेन	KESHARI MEDICAL STORE Sumerganj Mandi, Tehsil- Indergarh,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Rakesh Kumar Jain S/o Sh Uttam Chand Jain		
80	काप्रेन	KESHAV MEDICAL STOREVillage - Roteda,Tehsil- K.Patan,Distt- Bundi (Raj).	Sh. Mahavir Goutam S/o Sh Chouthmal Gaoutam		
81	बून्दी	KIRAN MEDICAL STOREGaytri Nagar,Bundi (Raj.)	Smt. Kiran Maheshwari W/o Sh. Vishwanath Maheshwari		
82	काप्रेन	KRISHNA MEDICAL STORE GandoliTehsil- K. Patan ,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Nitin Yadav S/o Sh. Sohan Lal Yadav		
83	नैनवां	KRISHNA MEDICAL STOREVillage Gudda Devji, Tehsil- Nainwa,Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Balram Sharma S/o Sh. Brij Narayan Sharma		
84	बून्दी	KUMAR MEDICAL STOREMeera Gate Road,Bundi (Raj.)	Sh. Padam Kumar Jain S/o Sh. Keshri Lal Jain		
85	नैनवां	LALIT MEDICAL STORE, Bansi, Tehsil- Nainwa,Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Manmal Jain S/o Sh. Mangi Lal Jain		
86	काप्रेन	LAXMI MEDICAL STORE In Front of Bus Stand, Lakheri Road, Dhai Khera, Tehsil- Indergarh, Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Surendra Kumar Sharma S/o Sh. Prem Shankar Sharma		
87	काप्रेन	LAXMI MEDICAL STORE Near SDM Office, Lakheri, Tehsil- IndregarhDistt- Bundi (Raj.)	Sh. Prayag Raj Sharma S/o Sh. Shiv Shankar Sharma		
88	हिण्डोली	MADNI MEDICAL STOREVillage Talab Gaon, Tehsil- Hindoli, Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Abdul Kadir S/o Sh. Abdul Sattar		
89	काप्रेन	MAHADEV MEDICAL STOREStation Road, Sumerganjmandi, Tehsil- Indergarh, Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Mahendra Kumar S/o Sh. Brij Mohan		
90	नैनवां	MAHAVEER MEDICALSVillage & Post- Jajawar, Tehsil- Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Mahaveer Kumar Jain S/o Sh. Praveen Kumar Jain		9784368738
91	बून्दी	MAHESH PHARMANew Colony, Bundi Tehsil-Bundi,Distt-Bundi (Raj.)	Sh Praveen Sharma S/o Subhash Chandra		
92	बून्दी	MANAS PHARMAKhoja Gate Road,Bundi (Raj.)	Sh. Manas Jain S/o Sh. Ashok Kumar Jain		
93	बून्दी	MARUTI MEDICAL & PROVISONAL STOREA-6, Rajat garh, Gate No. 1, Nainwa RoadBundi (Raj.)	Sh. Satish Sharma S/o Sh. Mahaver Prasad Sharma		
94	बून्दी	MARWAL MEDICAL HALLBundi (Raj.)	Sh. Sita Ram Nama		
95	बून्दी	MARWAL MEDICAL HALLKHOJA GATE ROAD ,Bundi (Raj.)	SH SITARAM NAMA S/O SH CHTARBHUJ NAMA		9828344355
96	बून्दी	MEDI CENTREKota Bundi Road Eye Hospital Devpura Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Jitendra Singh Chhabra S/o Sh. Jag Mohan Singh		
97	काप्रेन	MOHAN MEDICAL STORE Transport Nagar, Lakheri,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Anil Kumar Bajaj S/o Sh. Mohan Lal Bajaj		
98	काप्रेन	MOHAN MEDICALSTransport Nagar, LakheriLakheriDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Anil Kumar Bajaj		
99	हिण्डोली	NAGAR MEDICAL STOREVillage & Post - Ranipura,Tehsil- Hindoli, Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Ramdhan Nagar S/o Sh. Ranglal Nagar		
100	नैनवां	NAMDEV MEDICAL STORE Jajawar, Tehsil- Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Hemraj Nama S/o Sh. Mool Chand Nama		

101	बून्दी	NAV RANG PHARMA Khoja Gate Road, Bundi (Raj.)	Sh. Suresh Kumar Panchal S/o Sh. Chouth Mal Panchal		9829423380
102	बून्दी	NEERAJ MEDICAL STOREKhoja Gate Road, Bundi (Raj.)	Sh. Neeraj Dutt Sharma S/o Sh. Ravi Dutt Sharma		
103	बून्दी	OSWAL MEDICALSOpp. Dhan Mandi Dharmshala,Khoja Gate, Bundi (Raj.)	Smt. Seema Jain W/o Sh. Basant Kumar Jain		
104	काप्रेन	PAPDIWAL MEDICAL AND GENERAL STOREIn front of Govt. Hospital Kapren, Tehsil- K. Patan ,Distt-Bundi (Raj.)	Sh Jitendra Kumar S/o Sh. Lal Chand Jain		
105	नैनवां	PARAS MEDICAL STORE, Bansi, Tehsil- Nainwa,Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Lal Chand Jain S/o Sh. Dev Lal Jain		
106	काप्रेन	PARETA MEDICALSTransport Nagar, LakheriTehsil- IndragarhDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Mukesh Kumar Pareta S/o Sh. Shambu Lal Verma		
107	हिण्डोली	PIYUSH MEDICAL AND GENERAL STOREVillage & Post- Barodia, Tehsil- Hindoli, Distt-Bundi (Raj.)	Shri Ram Laxman Kumawat S/o Sh. Bajrang Lal		
108	काप्रेन	POKRA MEDICAL AGENCYChomukha Bazar, Keshavrai PatanBundi (Raj.)	Sh. Krishan Murari Gupta S/o Sh. Jagdish Prasad Gupta		
109	काप्रेन	PRATAP MEDICAL STOREKeshavraipatan, Tehsil- KeshavraipatanDistt.- Bundi (Raj.)	Sh. Pratap Singh S/o Sh. Bhudev Singh		
110	बून्दी	PREM MEDICOSEShop No. 45, Khai Land Market, Bundi (Raj.)	Sh. Ashok Kumar Jain S/o Sh. Trilok Chand		9829766082
111	काप्रेन	PRIYANKA MEDICAL STORRENear Keshorai Patan Tiraha Opposite Petrol Pump, Bundi Road,Talera,Distt-Bundi (Raj.)	Sh Prahlad Kumar Prajapati S/o Sh. Nand Lal Prajapti		
112	हिण्डोली	RAGHU MEDICALSNear Bus Stand,Bundi Ka Gothda,Distt-Bundi (Raj.)	Smt. Ram Lata Vijay W/o Sh. Ramesh Kumar Vijay		
113	काप्रेन	RAHUL MEDICAL AGENCYMatra Road, Near S.B.B.J. BankKeshaveraipatanDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Hari Om Singh S/o Sh. Bahadur Singh		
114	नैनवां	RAHUL MEDICAL STORE Nainwa , Tehsil- Nainwa,Distt. Bundi (Raj.)	Sh. Rahul Menon S/o Sh. Vijayan K. Menon		
115	बून्दी	RAJASTHAN SURGICAL EQUIPMENTNear Khoja Gate School, out side of Khoja Gate, Bundi (Raj.)	Miss Anju Arora D/o Sh. Shobhagmal Arora		
116	हिण्डोली	RAJAWAT MEDICAL STOREBus Stand Hindoli, Tehsil- HindoliDistt.- Bundi (Raj.)	Sh. Brij Raj Singh Rajawat S/o Sh. Mohan Singh Rajawat		
117	काप्रेन	RAJENDRA MEDICAL STORE Sumerganj Mandi, Tehsil- Indergarh,Distt. Bundi (Raj.)	Sh. Suresh Chand Shrimal S/o Sh. Bani Prasad Shrimal		
118	हिण्डोली	RAKESH MEDICAL STORE Village & Post- Alod, Tehsil- HindoliDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Vinod Kumar Jain S/o Sh. Mool Chand Jain		
119	काप्रेन	RAMESH MEDICAL STORE Village & Post- Indargarh, Tehsil- IndragarhDistt-Bundi (Raj.)	1. Shobhagmal Jain S/o Sh Phool Chand Jain 2. Ramesh Chand Jain S/o Sh Phool Chand Jain		9950672220
120	हिण्डोली	RELIF MEDICAL STORE Village & Post-BasoliNear Bus StandBundi	Sh. Saddiq Khan		
121	नैनवां	RIDHI MEDICALS Deipole, Near Chungi Naka, Nainwa, Distt- Bundi (Raj).	Sh. Pushpendra Sharma S/o Sh. Suraj Mal Sharma		
122	बून्दी	RIDHI SIDHI MEDICOSGudha-Nathawat, Distt- Bundi (Raj).	Sh. Pramod Kumar Gautam S/o Sh. Mohan Lal Gautam		

123	नैनवां	ROBIN MEDICAL STORE Bhagat Singh Choraya, Ward No-19, Nainwa,Tehsil-Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Mahendra Kumar S/o Sh. Kailash Chand		
124	बून्दी	S. R. G. MEDICALSIn Front of Azed Park, City Hospital, Bundi (Raj.)	Sh. Anuj Jain S/o Sh. Ashok Kumar Jain		
125	बून्दी	S.K. MEDICAL STORE In Side Mahatma Gandhi Children Hospital, Opp. Azad Park, BundiBundi (Raj.)	Sh. Subodh Kumar Sharma S/o Sh. Mishri Lal Sharma		
126	बून्दी	SAI MEDICAL STORETrimurti Colony,Chaterpura Road, Bundi (Raj.)	Sh. Hari Shankar Bairwa S/o Sh. Mangi Lal Ji Bairwa		
127	बून्दी	SAIFEE MEDICOSERaghuveer Bhawan, Kota Road, BundiBundi (Raj.)	Sh. Murtaza Ali S/o Sh. Taheer Ali Bohra		
128	काप्रेन	SAINI MEDICAL STORE Village & Post Arnetha, Tehsil- KeshavraipatanDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Ram Kalyan Suman S/o Sh. Nand Ram Suman		9829120797
129	काप्रेन	SANJEEVANI MEDICAL STORE Teshil Road, Ward No. 7, Keshavraiptan, Tehsil- K. Patan ,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Anirudh Gautam S/o Sh. Dharam Raj Gautam		
130	बून्दी	SANJIVANI MEDICOKhoja Gate Road, Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Subodh Kumar Garg S/o Sh. Ashok Kumar Garg		
131	नैनवां	SANWARIYA MEDICAL STOREBansi, Tehsil- Nainwa,Distt.- Bundi (Raj.)	Sh Bhola Shanker Sharma S/o Sh Gyarsi Lal Sharma		
132	तालेडा	SARASWATI MEDICAL STOREHospital Road, Bus Stand Suwasa, Distt.- Bundi (Raj.)	Smt Sneha Lata W/o Dinesh Kumar		
133	काप्रेन	SATPAL MEDICALSTransport Nagar, LakheriTehsil- IndrgarhDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Satpal Singh Sahani S/o Sh. Iqbal Sahani		
134	काप्रेन	SATYA MEDICAL STORE, Keshavraipatan, Tehsil- K. Patan ,Distt.-Bundi (Raj.)	Sh. Satya Narayan Gupta S/o Sh. Mohan Lal Gupta		
135	बून्दी	SAXENA MEDICOSTilak Chowk, BundiBundi (Raj.)	Sh. Sudeep Saxena S/o Sh. Ramchandra Saxena		
136	नैनवां	SHAH MEDICALS Near Govt. Dispensary, V.P.O.- Bansi, Tehsil-NainwaDistt. Bundi (Raj.)	Sh. Paras Kumar Jain S/o Sh. Lal Chand Jain		
137	नैनवां	SHANTI NATH MEDICAL STORE Opp. Govt. Hospital, Nagar Road, NainwaDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Manoj Kumar S/o Sh. Prem Chand Jain		
138	बून्दी	SHARDA MEDICAL STORE Behind Azad Park, Deoli Road, Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Sunil Kumar Jain S/o Sh. Vimal Kumar Jain		9460033695 , 2447620
139	बून्दी	SHARMA MEDICAL STORE Near Primary Health Centre, Village & Post-NamanaDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Hemant Sharma S/o Sh. Ram Niwas Sharma		
140	काप्रेन	SHARMA MEDICAL STORE Opp. Govt. Hospital IndragarhDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Ajay Kumar Sharma S/o Sh. Ram Karan Sharma		9891870277
141	नैनवां	SHARMA MEDICAL STORE Village & Post- Karwar, Tehsil- Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Amit Kumar Sharma S/o Sh. Ramesh Chandra Sharma		
142	बून्दी	SHIV MEDICAL STORE Indra Colony, New Matunda Road, Bundi (Raj.)	Sh. Hemraj Meena S/o Sh. Ramchandra Meena		
143	बून्दी	SHIVAM PHARMA New Colony,Bundi (Raj.)	Sh. Vijay Gaur S/o Sh. Mahesh Prasad Gaur		
144	बून्दी	SHREE ADINATH MEDICAL AND PROVISION STOREKumbha Stadium Ke Samne, Chaterpura Road, Bundi (Raj.)	Sh. Sunil Kumar Jain S/o Sh. Durga Lal Jain		

145	काप्रेन	SHREE BALAJI MEDICALNear Shree Ram Chouraha, Tehsil-Indragarah,Distt-Bundi.(Raj.)	Sh Giriaj Gautam S/o Sh Mahavir Prasad		
146	तालेडा	SHREE CHARBHUJA MEDICAL STORE Bus Stand Chorrya, Village & Post- DabiDistt-Bundi (Raj.)	Smt. Kiran Shaktawat		
147	तालेडा	SHREE GANESH MEDICAL STORE Kota Road, Talera Tehsil- TaleraDistt. Bundi (Raj.)	Sh. Om Prakash Jain S/o Sh. Dhanna Lal Jain		
148	बून्दी	SHREE MAHAVEER MEDICAL STORE Khoja Gate Road,Bundi (Raj.)	Sh. Shanti Devi W/o Sh. Hukam Chand Rathore		
149	काप्रेन	SHREE MEDICAL STORE Shree Ram Chourrya Indra Garh Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Mahesh Agrawal S/o Sh. Sohan Lal Agrawal		
150	बून्दी	SHREE RAGHUWANSHI MEDICAL AND GENERAL STOREPanjabi Mohlla, Baharli Bundi, Bundi (Raj.)	Sh. Om Prakash Nayak S/o Sh. Mangi lal		
151	बून्दी	SHREE RAM DRUG HALLIndian Red Cross Socioty, Shop No. 2, Bundi (Raj.)	Sh. Virendra Kumar S/o Sh. Mool Chand		9875188048
152	हिण्डोली	SHREE RAM MEDICAL STOREAshok Nagar, Badanayagon,Tehsil-Hindoli,Distt- Bundi (Raj).	Sh Trilok Chand Sharma S/o Sh Sohan Lal Sharma		0
153	बून्दी	SHREE SAI MEDICALSWard No. 19, Kuwewali Gali, Baharli Bundi, Bundi (Raj.)	Sh. Hari Shankar Bairwa S/o Sh. Mangi Lal		0
154	बून्दी	SHREE VINAYAK MEDICOSEAmbedkar Circle, Opp. Ren BaseraLanka Gate RoadBundi (Raj.)	Smt. Anita Gautam W/o Sh. Pawan Gautam		9829356973
155	काप्रेन	SHRI JEE MEDICAL STORENear Old Bus Stand, Keshavraiptan, Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Chandra Prakash Ojha S/o Sh. Prem Chand Ojha		
156	बून्दी	SHRI RAM DRUG HALL Kota Road, Bundi (Raj.)	1. Sh. Virendra Kumar 2. Sh. Ashok Kumar Jain 3.Kunj Bihare		
157	तालेडा	SHRI RAM DRUG STORE Kota-Bundi Road, Talera, Distt. Bundi (Raj.)	Sh. Laxman Lal Meena S/o Sh. Ram Kishan Meena		
158	बून्दी	SHRI RAM MEDICAL STOREN.H.12, Namana Road, Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Suresh Kumar S/o Sh. Modu Lal		
159	काप्रेन	SHRI RAM MEDICAL STOREOpp. P.H.C. Lal Chouk, Keshavraipatan, Tehsil- K. Patan ,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Ram Narayan Meena S/o Sh. Heera Lal Meena		
160	हिण्डोली	SHRI RAM MEDICAL STOREranipura,Tehsil-Hindoli,Distt-Bundi (Raj).	Sh Hemraj Rathore S/o Sh Madan Lal Rathore		
161	बून्दी	SHRI RAM MEDICALSKhoja Gate Road, Bundi (Raj.)	1- Sh. Kunj Bihari Bilya S/o Sh. Shri Muket Lal 2- Sh. Ashok Kumar Jain S/o Sh. Chandra Prakash Jain		
162	तालेडा	SHRI SAI MEDICAL STOREKhoja Gate Circle, Bundi (Raj.)	Sh. Hari Shankar Bairwa S/o Sh. Mangi Lal		98828459812
163	तालेडा	SIYA RAM PHARMAVillage Suwasa, Tehsil- TaleraDistt.- Bundi (Raj.)	Sh. Brijesh Nama S/o Sh. S.D. Nama		9928784817
164	बून्दी	SONI AGENCESDevpura, Bundi (Raj.)	Sh. Mahendra Kumar Soni		
165	बून्दी	SOURABH MEDICAL STORE Bundi Hospital & Research Centre,Gayatri Nagar,Bundi (Raj.)	Sh. Sourabh Sharma S/o Sh. Dr. Suresh Sharma		

166	काप्रेन	SUDHA MEDICALSSugar Mill Chorrya Keshavraipatan , Tehsil- K. Patan ,Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Bhanwar Lal Nirkhi		
167	काप्रेन	SUDHA MEDICALSSugar Mill Chorrya, Kota Jane Wala Main Road, Keshaverai Patan, Tehsil- Keshavrai Patan, Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Mahesh Kumar Nirkhi S/o Sh. Kailash Chand Nirkhi		
168	नैनवां	SUMAN MEDICAL & GENERAL STOREWard No. 15, Deipol Choraha, Nainwa, Distt-Bundi (Raj.)	Sh. Hemant Kumar Saini S/o Sh. Radhey Shyam Saini		
169	तालेडा	SUNIL MEDICAL STOREVillage & Post-Dabi, Tehsil & Distt-Bundi (Raj.)	Sh Trilok Jain S/o Sh Paras Mal Jain		9772142071
170	हिण्डोली	SUNRISE MEDICAL STORE Village Sathur,Tehsil- HindoliDistt-Bundi (Raj.)	Sh. Om Prakash Mewara S/o Sh. Prabhu Lal Mewara		
171	नैनवां	SURBHI MEDICOSEPlot No.- 7,8 Ganesh Colony KarwarTehsil-Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	Smt. Maina Jain W/o Sh. Gyan Chand Jain		9001230187
172	बून्दी	SUWALKA MEDICAL STOREIn Front of Vetenary Hospital, Meera Gate Road,Bundi (Raj.)	Sh. Rakesh Kumar Suwalka S/o Sh. Ladu Ram Jee		
173	काप्रेन	SWAMI MEDICAL STOREWard No-19, Matra Road, K.Patan,Tehsil-K.Patan,Distt-Bundi (Raj.)	Sh Rahul Verma S/o Sh Brajesh Verma		
174	बून्दी	SWASTIK MEDICAL STOREKhoja Gate Road, Ganesh Mandir, Bundi, Distt.-Bundi (Raj.)	Sh. Mahendra Kumar Panchal S/o Sh. Gulab Chand Panchal		
175	बून्दी	SWASTIK MEDICOSENeam Ka Kheda, Bus Stand,Distt- Bundi (Raj).	Sh. Kailash Panchal S/o Sh Gulab Chand Ji		
176	बून्दी	SWASTIK PHARMA DISTRIBUTOR 'S,Gulab Bhawan, New Matunda, Bundi (Raj.)	Smt. Manisha Panchal W/o Sh. Mahendra Kumar Panchal		
177	हिण्डोली	TAK MEDICAL STOREHindoli,Tehsil-HindoliDistt.- Bundi (Raj.)	Sh. Giriraj Prasad Tak S/o Sh. Bhanwar Lal Tak		
178	बून्दी	TUSHAR MEDICAL AND GENERAL STORETeacher Colony, Chittor Road, Bundi (Raj.)	Sh. Hari Mohan Prajapat S/o Sh. Nand Lal		
179	बून्दी	UPKAR MEDICAL STORE Khoja Gate Road,Bundi (Raj.).	Sh. Abdul Hamid S/o Sh. Abdul Rehman		
180	नैनवां	VAIBHAV MEDICAL & PROVISION STOREWard No. 17, Nainwa, Tehsil-Nainwa,Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Rajendra Sharma S/o Sh. Shyam Kalyan Sharma		
181	बून्दी	VARDHMAN MEDICAL AGENCIESB-21,22 Moti. Nagar, Bundi (Raj.)	Sh. Ashish Kumar Jain S/o Sh. Surendra kumar Jain		9413859072
182	हिण्डोली	VARDHMAN MEDICAL STOREAshok Nagar, Bada Naya Gaon, Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Vikas Jain S/o Sh. Ramesh Kumar Jain		
183	काप्रेन	VASEEM MEDICAL STOREKeshavraipatan, Distt- Bundi (Raj).	Sh. Abdul Sattar S/o Sh. Noor Mohammad Ji		
184	हिण्डोली	VINAYAK MEDICAL STORENear Patwar Ghar, Village Ranipura, Tehsil-HindoliDistt.- Bundi (Raj.)	Smt. Kanta Sharma W/o Sh. Jagdish Prasad Sharma		
185	नैनवां	VINOD MEDICAL STORENear Bus Stand, KarwarTehsil-Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)	Sh Vinod Nama S/o Sh Kunj Bihari Nama		
186	नैनवां	VINOD MEDICOSEOpp. Community Health Centre, Nainwa Tehsil-	Sh. Promod Kumar Sharma S/o Sh. Mangi Lal Sharma		

		Nainwa,Distt-Bundi (Raj.)			
187	नैनवां	VISHNU MEDICAL STORESamidhi, Tehsil- Nainwa,Distt.- Bundi (Raj.)	Sh. Rajendra Kumar Sharma S/o Sh. Shyam Kalyan Sharma		

परिशिष्ट नं. 7. चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों की सूची

त्हसील	अस्पताल एवं डायग्नोसिस केन्द्र	फोन नं.	उपकरणों का प्रकार	संख्या
बून्दी	समान्य चिकित्सालय, बून्दी	2443456	एक्स–रे	2
			ई.सी.जी. मशीन	2
			सोनोग्राफी	1
			डेन्टल केयर	1
			ENT एवं नेत्र विभाग	1
			आई.सी.यू.	1
के.पाटन	सामु.स्वा.केन्द्र, कापरेन	265438	एक्सरे मशीन	1
			ई.सी.जी. मशीन	1
नैनवा	समु. प्राथमिक स्वा.केन्द्र, नैनवा	257080	एक्सरे मशीन	1
			ई.सी.जी. मशीन	1
हिन्होली	सामु.स्वा.केन्द्र, हिन्होली	276228	एक्सरे मशीन	1
			ई.सी.जी. मशीन	1
इन्दरगढ़	सामु.स्वा.केन्द्र, इन्दरगढ़	261140	एक्सरे मशीन	1
			ई.सी.जी. मशीन	1

परिशिष्ट नं. 8. चल चिकित्सालयों की सूची

तहसील	विशेषज्ञता	क्षमता	कर्मचारी संख्या	फोन
बून्दी	जे0एस0नेत्र	1	5	2442895

परिशिष्ट नं. 9 बून्दी जिले में कार्यरत 108 एम्बूलेन्स की सूची

क्र. स.	108 का पदस्थापन	रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन पर कार्यरत पायलट का नाम	वाहन पर कार्यरत ईमटी (जीएनएम) का नाम.	मोबाईल नम्बर
1	बून्दी	RJ-14 Pc-5449	दिनेश, मांगीलाल	भगवान मीण, भरत	9672974869
2.	हिण्डोली	RJ-14 PB-7121	गोविन्द सिंह, मधुसुदन	नूतन शर्मा, शबीर हुसैन	9672972741
3.	बसोली	RJ-14 PB-8967	राजेन्द्र कुमार, रामलक्ष्मण	अनिल प्रतिहार, रमेश	9672977036
4.	बून्दी का गोठडा	RJ-14 Pd-0378	हेमराज,इमदाद अली	गोपाल,पवन	9672978887
5.	के0पाटन	RJ-14 Pd-0005	परमानन्द, रामविलास	अजय,निर्मल	9672978527
6.	लाखेरी	RJ-14 PB-7286	दामोदर,महावीर	असलम,महेश	9672977037
7.	काप्रेन	RJ-14 Pc-5071	दिलखुश, सुवालाल	गुलाम हैदर,सुरेश	9672974108
8.	नैनवॉ	RJ-14 Pc-5070	शंकर, सीताराम	मानसिंह,प्रदीप	9672974107
9.	डाबी	RJ-14 Pb-7418	अजरूद्दिन, भगचन्द	रितेश, अमरचन्द	9672977035
10.	तालेड़ा	RJ-14 Pb-7416	रामसिंह,महादेव	राधेश्याम,देशराज	9672977034

परिशिष्ट नं. 10 बून्दी जिले में कार्यरत 104 एम्बूलेन्स की सूची

क्र.स.	104 का पदस्थापन प्राथ. /सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन पर कार्यरत पायलट का नाम	सी.यू.जी. नम्बर
1	सुवांसा	RJ-08- PA 1109	संजय कुमार	7412027620 80034311612
2	हिण्डोली	RJ-08- PA 1355	अशोक कुमार, राजकुमार	7412027622 9784692022

3	दबलाना	RJ-08- PA 1108	अम्बालाल, रमेश सैनी	7412027618 9636045159
4.	बडाखेड़ा	RJ-08- PA 1107	मुकेश मीणा	7412027614 9950517784
5.	कापरेन	RJ-08- PA 1359	दिनेश मीणा, साबूद्दीन	7412027627 9928012510
6.	के.पाटन	RJ-08- PA 1361	तुलसीराम, शोभागमल	7412027626 9799096603
7	लाखेरी	RJ-08- PA 1358	दिलजीत सिंह, सोनू कुमार	7412027621 9929488012
8.	बराना	RJ-08- PA 1110	भवरंसिंह प्रथम व भॅवर सिंह द्वितिय	7412027615 9784120750
9.	बामनगाँव	RJ-08- PA 1105	शिवराज	7412027616
10	बांसी	RJ-08- PA 1106	अकरम, बनवारीलाल	7412027617 9784873672
11	देई	RJ-08- PA 1357	फौजी लाल, दयाराम	7412027625 9414747272
12	नैनंवा	RJ-08- PA 1356	रामफूल, विनोद कुमार	7412027623 9414919532
13	बरूंधन	RJ-08- PA 1104	मोहनलाल, महावीर वर्मा	7412027619 9772139337
14	तालेड़ा	RJ-08- PA 1360	हेमराज, आबिद अली	7412047624 9636572049

परिशिष्ट नं. 11 बून्दी जिले में कार्यरत बेस एम्बूलेन्स की सूची

क्र. स.	बेस एम्बूलेन्स का पदस्थापन	रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन पर कार्यरत पायलट का नाम	वाहन पर कार्यरत ईमटी (जीएनएम) का नाम.	मोबाईल नम्बर
1	बून्दी	RJ-08 PA-1309	समीर	हरीश	7412027226

परिशिष्ट नं. 12. आश्रय स्थलों की सूची

1. राजकीय महाविधालय,बून्दी
2. राजकीय बालिका महाविधालय,बून्दी
3. राजकीय महाविधालय छात्रावास
4. आई0टी0आई0 बून्दी

परिशिष्ट नं. 13 राजकीय विद्यालयो की सूचि

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बून्दी

पंचायत समिति बून्दी (0747)

क0 स0	विद्यालय का नाम	संस्था प्रधान का नाम	दूरभाष नम्बर		मोबाइल
			विद्यालय	निवास	
1	**राउमावि बून्दी**	श्रीमती सुमनलता शर्मा	2443916		9414000102
2	बालचन्दपाडा बून्दी	श्रीमती दुरदाना कुरेशी	2443375	2442313	8890201731
3	आ0नमाना	श्री घनश्याम श्रृंगी	2436030		9660027934
4	आ0अजेता	श्रीमती आभा सक्सेना	2430250		9828473347
5	आ0माटून्दा	श्री गिरिराज प्रसाद राठौर		2433015	9001157114
6	आ0खटकड	श्रीमती कनक शर्मा	2430214		9784539911
7	आ0गुढानाथावतान	श्री गोविन्द पंचोली	2434250		9460664542
8	आ0सीलोर	श्री राजेन्द्र कुमार व्यास		2444534	9460663697
9	आ0औकारपुरा	श्री छीतर लाल शर्मा	2141682		9351522989
10	आ0मण्डावरा	श्री किशन लाल मीणा			9799532156
11	आ0जावटीकलां	श्री सत्यनारायण मीणा			9602097926
12	आ0अन्थडा	श्री			
13	आ0गरडदा	श्री मुरलीधर शर्मा			9460864685
14	आ0कालपुरिया	श्री बृज सुदर नामा			9460194303
15	आ0गुमानपुरा	श्री भंवर लाल सुधांशु			9414125777
16	आ0ख्यावदा	श्री मनोज कुमार	2140540		9983104301
17	आ0रायथल	श्रीमती बेला शर्मा			9828817306
18	आ0नीम का खेडा	श्री ओम प्रकाश बागला		2442242	9571863867
19	आ0बम्बोरी	श्री नरेन्द्र कुमार जैन			8239988606
20	आ0कोटखेड़ा	श्रीमती लक्ष्मी शर्मा			8764003428
21	आ0रामगंजबालाजी	श्रीमती काजल शर्मा			9413471796
22	आ0आमली	श्रीमती सीमा शर्मा			9460135647
23	आ0किशनपुरा	श्री रामराज सिंह सोलंकी			9636918001
24	आ0भैरूपुरा औझा	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा			9602718807

25	आ0रामनगर जाटान	श्रीमती चन्दा शर्मा			7597734856
26	आ0सुन्दरपुरा	श्री रामस्वरूप मीणा			9414972505
27	आ0हट्टीपुरा	श्रीमती मंजू गोतम			9414176205
28	आ0रिहाणा	श्री			
29	आ0मंगाल	श्रीमती सीता अजमेरा			9461752648
30	आ0धनातरी	श्री रामबाबू श्रृंगी			9252201895
31	आ0उलेडा	श्री कृष्णदत्त शर्मा			9928300709
32	आ0दोलाडा	श्रीमती अनिता व्यास			9461120927
33	**रामावि चौगानगेट,बून्दी**	श्री ललित कुमार शर्मा	2443558		9414453064
34	कोथ्या	श्री रमाशंकर भण्डारी			9414394203
35	देलून्दा(रिहाणा)	श्री मेहन्दी हुसेन बोहरा			9414346132
36	रजवास	श्री शिवचन्द सिंह सोलंकी			9468663828
37	भैरूपुरा बरड	श्री संजय कुमार मीणा			9214680544
38	गादेगाल	श्री महेश कुमार मीणा			9784482962
39	लालपुरा	श्री मोहन लाल मीणा			9829650135
40	गरनारा	श्री हंसराज मीणा			8094990580
41	**राबाउमावि बून्दी**	श्रीमती मधु शर्मा	2443526		9413260055
42	विकास नगर बून्दी	श्रीमती तेजकंवर	2445972		9252025993
43	**राबामावि बून्दीसिटी**	श्रीमती मेहरा अलका खत्री	2300571		9413860468
44	नमाना	श्री उमेश कुमार मीणा	2436356		9571233316
45	माटून्दा	श्रीमती राजकरन्ता गोचर			9694598224

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बून्दी
पंचायत समिति तालेडा (0747)

क0 स0	विद्यालय का नाम	संस्था प्रधान का नाम	दूरभाष नम्बर		मोबाइल
			विद्यालय	निवास	
1	**आ0राउमावि तालेडा**	श्रीमती मंजूदेवी जैन	2438388		9460512512
2	आ0जवाहरसागर बांध	श्रीमती शहनाज कुरेशी			9784024801
3	आ0देहित	श्रीमती अल्का माथुर	2432601		9460177988
4	आ0सुवांसा	श्री हरिशचन्द कुशवाह	2432360		9413068270
5	आ0बरून्धन	श्रीमती निधि पाठक	2435532		9982033380
6	आ0डाबी	श्री	2437701		
7	आ0तीरथ	श्री मोहम्मद इरफान	2190114		9887207170
8	आ0लक्ष्मीपुरा	श्री अजीतकुमार जैन			9461121052
9	आ0लाम्बाखोह	श्री बाबूलाल मीणा			9602722663
10	आ0जाखमुण्ड	श्रीमती मधुमति मीणा	2443916		9414454749
11	आ0जमीतपुरा	श्रीमती साधना अग्रवाल	2438760		9413352798
12	आ0नोताडाभोपत	श्री रामप्रकाश मीणा			9413858814
13	आ0धनेश्वर	श्री रमेश लाल मीणा			9887210215
14	आ0केथूदा	श्री भागीरथ			7297923993

15	आ0खड़ीपुर	श्रीमती अनिता विजयवर्गीय			9887578261
16	आ0बुधपुरा	श्रीमती संध्या शर्मा			9414190297
17	आ0बल्लोप	श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा			9460813405
18	आ0राजपुरा	श्रीमती सुनीता त्रिपाठी			9887393070
19	आ0सीतापुरा	श्री सत्यनारायण राठोर			9057661229
20	आ0साथेली	श्री महेन्द्र चौधरी			9414576927
21	आ0बडून्दा	श्री जगदीश चन्द शर्मा			9829163034
22	आ0बाजड	श्री हीरालाल मीणा			9461331739
23	आ0गोपालपुरा बरड	श्री राजेन्द्र कुमार			9414746624
24	आ0गणेशपुरा	श्रीमती मधुबाला शर्मा			9929888240
25	आ0सीन्ता	श्री रामकिशन जगरवाल			9784283838
26	आ0डोरा	श्री महावीर कुमार पंचोली			9351085297
27	आ0देलून्दा	श्री ईश्वर सिंह			9414177297
28	आ0ठीकरिया चारणान	श्री धनराज यादव			9414404378
29	आ0लाडपुर	श्री			
30	**आ0रामावि गामछ**	श्रीमती शिवानी चौधरी			9660771763
31	आ0अकतासा	श्रीमती कमलेश दाधीच			9571746946
32	अल्फानगर	श्री समीर परवेज अंसारी			9214530548
33	लीलेडा व्यासान	श्री सत्यप्रकाश श्रृंगी			9983815990
34	आ0सूथडा	श्री देवीशंकर महावर			9413260054
35	**राबाउमावि तालेडा**	श्रीमती कान्ता बावा	2438217	6450790	9460938799

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बून्दी
पंचायत समिति के0पाटन(07438)इन्द्रगढ–सुमंडी(07458)

क0 स0	विद्यालय का नाम	संस्था प्रधान का नाम	दूरभाष नम्बर		मोबाइल
			विद्यालय	निवास	
1	**राउमावि केपाटन**	श्री मंगतीराम सहारिया	264383		9460777509
2	कापरेन	श्रीमती सीता बसवाल	265566		9649298740
3	लाखेरी	श्री सच्चिदानन्द शर्मा	261674	261093	9929469524
4	इन्द्रगढ	श्री होशियारसिंह पूनिया	253873		9414437451
5	आ0लबान	श्री लोकेन्द्र पाल	213989		7665926137
6	आ0झालीजी का बराणा	श्रीमती सुप्यार देवी	267956		9413070456
7	आ0सुमेरगंजमंडी	श्री पीयूष कुमार शर्मा	253380		9414596340
8	आ0अरनेठा	श्री सुरेश कुमार शर्मा	267024		9413186108
9	आ0लेसरदा	श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त	212197		9460865091
10	आ0गेण्डोली	श्री नरेश कुमार	213937		9928792215
11	आ0मायजा	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	260026	2432338	9460865089
12	आ0देईखेडा	श्रीमती संगीता मीना	214185		9460989650
13	आ0घाट का बराणा	श्री शिवशंकर मेहरा			9460033753
14	आ0बडाखेडा	श्री डॉ.उम्मेद सिंह जाटव	214188		8890633678
15	आ0बाबई	श्री प्रदीप कुमार शर्मा			9828640013

16	आ0बलकासा	श्रीमती प्रियंका चौधरी			9460940034
17	आ0जयस्थल	श्री प्रेमशंकर मीणा			9413128356
18	आ0भीया	श्री पुरूषोत्तम मालव			9414539105
19	आ0सूनगर	श्री प्रहलाद कुमार मीणा			9413003103
20	आ0रोटेदा	श्री			9413003103
21	आ0चितावा	श्री ऋषिराज शर्मा			9460864714
22	आ0नोताडा धरावन	श्री रामस्वरूप शर्मा			9414910297
23	आ0चरड़ाना	श्री प्रेम शंकर मेघवाल			9799922191
24	आ0गोहाटा	श्री गोपाल लाल वर्मा			9982194996
25	आ0ढगारिया	श्री रामस्वरूप मीणा			9414538090
26	आ0चोतरा का खेडा	श्री नरोतम कुमार शर्मा			9413980424
27	आ0गरमपुरा लाखेरी	श्री महावीर प्रसाद गर्ग			9828571395
28	आ0खेडियादुर्जन	श्री शिवशंकर सेन			9214866935
29	आ0कोडक्या	श्री			
30	आ0करवाला	श्री			
31	आ0बसवाडा	श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन			9413023358
32	आ0फौलाई	श्री सुखपाल शर्मा			9782276812
33	आ0जलोदा	श्री अटलबिहारी मीणा			9928675660
34	आ0दौलतपुरा	श्री रामलखन मीणा			9983436126
35	आ0रडी	श्री गोबरीलाल गोचर			9214629090
36	आ0सारसला	श्री अनिल कुमार वशिष्ठ			9461008889
37	आ0माखीदा	श्री कमलेश कुमार बैरवा			9461881734
38	आ0नवलपुरा	श्री			
39	आ0माधोराजपुरा	श्री निजामुद्दीन अंसारी			9414539133
40	आ0बालोद	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा			9799380830
41	आ0हिंगोनियां	श्री राम कुमार मीणा			9529124135
42	आ0पापडी	श्रीमती नीतू शर्मा			9828333446
43	आ0खरायता	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा			9461176116
44	आ0चाणदाखुर्द	श्री बृजगोपाल दीक्षित			9166805255
45	आ0मोहनपुरा	श्री रामस्वरूप शर्मा			9950778770
46	आ0बलवन	श्री			
47	आ0गुढा(बेलनगंज)	श्री रतिराम बुनकर			9929161267
48	आ0करवाला की झोपडिया	श्री मदन लाल मीणा			9636662609
49	आ0चडी	श्री रमेश सिंह गुर्जर			9413127340
50	**रामावि कापरेन हवेली**	श्री तोहिद मोहम्मद			9252691422
51	अडीला	श्री रामकरण मीणा			9828475262
52	लाखेरी स्टेशन	श्री दशरथ सिंह राठौर			9887011732
53	कापरेन स्टेशन	श्रीमती लाजवन्ती बूलचंदानी	212200		9462847870
54	आ0गुडली	श्रीमती राजेश शर्मा			9461330156
55	इन्द्रपुरिया	श्री अनिल कुमार शर्मा			9413472508
56	बगीची के0पाटन	श्री अब्दुल हफीज अंसारी			9799352841

57	रेबारपुरा	श्री रघुनाथ प्रसाद रेगर			9529481050
58	केशवपुरा	श्री नरेश चन्द			9252564921
59	कोटाखुर्द	श्री ओमप्रकाश गोस्वामी			9667416009
60	विजयनगर	श्री बाबूलाल परेडवाल			8003029554
61	बोरदा काछियान	श्री रामकिशन			9928283823
62	उतराना	श्री भूपेन्द्रकुमार अग्रवाल			9413088506
63	सखावदा	श्री प्रदीप कुमार गोत्तम			9413260770
64	**राबाउमावि लाखेरी**	श्रीमती उत्तरा मेहरा	261351	2386566	9460816430
65	कापरेन	श्रीमती जेहरा गोरी	265554		9414404130
66	के0पाटन	श्रीमती इन्दूबाला विजय		3206127	9829039127
67	इन्द्रगढ	श्री			
68	**राबामावि सुमेरगंजमंडी**	श्रीमती आशा मीणा	253554		9983813909
69	ईश्वर नगर लाखेरी	श्री रामलाल मीणा			9414745164
70	अरनेठा	श्री अमरीश कुमार श्रृंगी	267133		9950461295

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बून्दी
पंचायत समिति नैनवां (07437)

क0 स0	विद्यालय का नाम	संस्था प्रधान का नाम	दूरभाष नम्बर		मोबाइल
			विद्यालय	निवास	
1	**राउमावि नैनवा**	श्री कैलाश चन्द गुप्ता	257842		7568054210
2	आ0बांसी	श्री राजेश कुमार शर्मा	256536		9460663998
3	आ0तलवास	श्री राजेन्द्र कुमार इंदोरिया	254012		9413048638
4	आ0देई	श्री प्रहलाद मीणा	255509		9468663178
5	आ0करवर	श्री हरिराज किशोर सोनी	259550		9414268806
6	आ0जजावर	श्री शोजी लाल मीणा	256020		9799174260
7	आ0बामनगॉव	श्री भंवर लाल मीणा	201022		9571793048
8	मोतीपुरा	श्री सीताराम धोबी			9001439417
9	आ0समिधी	श्रीमती निर्मला मीना			9929271315
10	आ0सहण	श्री हरिशंकर खटीक			9982374410
11	आ0दुगारी	श्री			
12	आ0बाछोला	श्री			
13	आ0पीपल्या	श्रीमती अनिता मौर्य			9414835579
14	आ0जेतपुर	श्री बृजमोहन मीणा			9413128210
15	आ0जरखोदा	श्री कन्हैयालाल रघुवंशी			9982047145
16	आ0भजनेरी	श्री रामदयाल सोनवाल			9783534820
17	आ0आतंरदा	श्री राकेश यादव	216776		9460225874
18	आ0गम्भीरा	श्री मोइनुद्दीन खान			9414826662
19	आ0खजूरी	श्री शिवजीलाल मीणा			9784878801
20	आ0भण्डेडा	श्री			

21	आ0माणी	श्री			
22	आ0खानपुरा	श्री			
23	आ0बालापुरा	श्री गोवर्धन लाल देवत			9413900634
24	आ0फुलेता	श्री मोहन लाल प्रजापति			9413209225
25	आ0सूसां	श्री			
26	आ0गुढादेवजी	श्री रतिराम मीणा			9829877105
27	आ0बम्बूली	श्री कैलाश चन्द गोस्वामी			9413128201
28	आ0कोलाहेडा	श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा			9461052673
29	आ0सुवानियां	श्री रामनरेश अधाना			9413100268
30	आ0सीसोला	श्रीमती उमा जोरवाल			9414913402
31	आ0मोडसा	श्री			
32	आ0मरां	श्री रामप्रसाद मीणा			8387907889
33	आ0गुढासदावर्तिया	श्री मोहनलाल धाकड			9829974508
34	आ0डोकून	श्री भवानी शंकर साहू			9460194426
35	आ0डोडी	श्री			
36	**रामावि सून्थली**	श्री कमल कुमार मरमिट			9414963077
37	नीमखेडा (तलवास)	श्री सुमति कुमार शर्मा			9799380351
38	सादेडा	श्री रणजीत सिंह			9602108008
39	केथूदा (नैनवां)	श्री शिवराज कहार			9649926928
40	रजलावता	श्री रामलाल मीणा			9413295999
41	रैठोदा	श्री शंभूलाल साहू		255400	9680210297
42	धानुगांव	श्री जगमोहन मीणा			9413800458
43	नवीन नैनवां	श्री अनिल कुमार गुप्ता			9414745086
44	नवीन देई	श्री सुरेन्द्रकुमार मीणा			9784482795
45	बंसोली (नैनवां)	श्री मदनलाल वर्मा			9829790408
46	**राबाउमावि नैनवां**	श्रीमती अंजना गर्ग	257270		9468779102
47	देई	श्रीमती मंजू माथुर	255753		9636508221
48	**राबामावि करवर**	श्री			

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बून्दी
पंचायत समिति हिण्डोली (07436)

क0 स0	विद्यालय का नाम	संस्था प्रधान का नाम	दूरभाष नम्बर		मोबाइल
			विद्यालय	निवास	
1	**आ0राउमावि हिण्डोली**	श्रीमती नर्बदा मुराडिया	276214		8290737180
2	आ0पेच की बावडी	श्री रामराजेश्वर विजय	275301		9413802857
3	आ0दबलाना	श्री देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी	274141	2456202	9414393717
4	आ0अलोद	श्री गणेश लाल वर्मा	274326		9460663500
5	आ0गोठडा	श्री आशुतोष मथुरिया	274680		9829780376
6	आ0बडानयागॉव	श्री इकबाल मियां	273601		9413282255
7	आ0बसोली	श्री सुरेश चन्द धोबी			8104522144
8	आ0धोवडा	श्री मांगीलाल नागर	274408		9460864602
9	आ0थाना	श्री कृष्णानंद शर्मा	278004		9251580954

10	आ0रानीपुरा	श्रीमती वन्दना माथुर			9887223472
11	आ0खेरखटा	श्री			
12	आ0खीण्या	श्री			
13	आ0उमर	श्री रामबाबू वर्मा		216785	9799160584
14	आ0छाबडियोकानयागांव	श्री गिरिराज सिंह			9460568830
15	आ0ठीकरदा	श्रीमती आभा शर्मा			9462111030
16	आ0नेगढ	श्री			
17	आ0सथूर	श्री युवराज सिंह			9413260233
18	आ0बडोदिया	श्रीमती रश्मि मीना	215025		7597079227
19	आ0धाबाइयोंकानयागॉव	श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव			9829099107
20	आ0पगारा	श्री रणजीतसिंह मीणा			9414616122
21	आ0रोणीजा	श्री शंभूदयाल मेहरा			9887846023
22	आ0सावंतगढ	श्री गोरधन लाल शर्मा			9413351432
23	आ0रामचन्द्रजी का खेडा	श्री रामप्रसाद मीणा		2445886	9460665142
24	आ0डाबेटा	श्री योगेन्द्रकुमार शर्मा			9314755208
25	आ0भवानीपुरा	श्री लक्ष्मण सिंह			9414681701
26	आ0टोकड़ा	श्री ओमप्रकाश राठोर			9784806544
27	आ0अणतगंज	श्री			
28	आ0सहसपुरिया	श्री कन्हैयालाल मीणा			9667615654
29	आ0आकोदा	श्री हरिराज किशोर सोनी			9414268806
30	आ0मेंडी	श्री मुख्तार अहमद			9928845961
31	आ0ओवण	श्री कैलाश सिंह			9413143090
32	आ0गुढाबांध	श्री सत्यनारायण गहलोत			9468662979
33	आ0काछोला	श्रीमती मंजू शर्मा			9462865833
34	आ0विजयगढ	श्री रघुनंदनप्रसाद शर्मा			9461120525
35	आ0रोशन्दा	श्रीमती मीनाक्षी कुमारी			9414175196
36	आ0गुढागोकुलपुरा	श्री			
37	आ0चेता	श्री श्योजी लाल बैरवा			9001444172
38	आ0चतरगंज	श्री सतीश जोशी			9460047986
39	आ0डाटून्दा	श्री रूपनारायण मीणा			9784608798
40	आ0मांगलीकला	श्री चन्द्रप्रकाश राठौर			9413085999
41	आ0बडगांव	श्री सुरेश चन्द महावर			9461664918
42	**रामावि मूंडघसा**	श्री सत्यनारायण शर्मा			9414276853
43	तुरकडी	श्री हेमराज श्रृंगी			9460862595
44	बासनी	श्री			
45	हिण्डोली	श्री मोहम्मद असफाक गौरी			9667461966
46	हौलासपुरा	श्री रामलाल मीणा			9829152347
47	रघुनाथपुरा	श्री निर्मल कुमार जैन			9983913179
48	रेण	श्री राकेशकुमार जैन			9829359997
49	तलाबगांव	श्री रामेश्वर दयाल दुबे			9414595002
50	**राबाउमावि हिण्डोली**	श्रीमती रामदेवली मीणा	276163		9928157517

51	राबामावि अलोद	श्रीमती शीला नथिया			9460864857
52	बडौदिया	श्रीमती ललिता मीणा			9928347266
53	दबलाना	श्री राजेन्द्र कुमार लखोटिया			9468680343

परिशिष्ट नं. 14. विवाह स्थलों की सूची

S. No.	Name and Location	No. of Rooms	Construction Type
	TEHSIL : BUNDI		
1	Senor Marroge Hall, Chattrapura Road, Bundi	7	Pucca
2	Bhatia Marrige Hall, Khoja Gate	5	Pucca
3.	Dwarika Marriage Garden, Khoja Gate Road	4	Pucca
4.	Grant Parmeshwary Marriage Hall,Bundi	6	Pucca
5.	Ari Sal Singh Ji ,Bahadur Singh Circle,Bundi	4	Pucca
6.	Pancholi Marriage Hall, Nainwa Road Bundi	4	Pucca
7.	Maheswary Marriage Hall, Nainwa Road Bundi	4	Pucca
8.	Shismahal Marriage Hall, Matunda Circle, Bundi	4	Pucca
9.	Hariyali Marraige Garden Jet sagar Road	8	Pucca
10	Algoga Marriage Garden Nainwa Road Bundi	17	Pucca
11	Aanandi peradaise Marriage gardern	&	Pucca
12	Satyam Marriage garden	-	Pucca
13	C M house Marriage garden	-	pucca
14	Aaravali Marriage garden , jaitsager road	-	Pucca
15	Hotal Candana nainwa road bundi	-*	Pucca
16	Parinay Marriage hall nainwa road bundi	-	Pucca
17	Hani hotal nainwa road bundi	-	pucca
18	District club / j.b.R.	-	Pucca
19	Mangalam resort Cittod choraha bundi	-	Pucca
20	Rotri Club , housing bord bundi	-	pucca
21	Vishal Marriage garden, ganesh bag road	-	Pucca
22	Kaserilal Daulat Marriage garden line police	-	Pucca
23	Palak Marriage garden	-	pucca
	TEHSIL NAINWA		
1	Gandhi Vishranti Grah	4	Pucca
2	Dhakdo ki Dharamshala	10	Pucca
3	Jain Dharamshala Bus Stand	4	Pucca
4	Community Hall, Bhawani Nagar Basti	3	Pucca
5	Jain Nasiyaji Dharamshala	6	Pucca
	TEHSIL : K.PATAN		
1	Nand Lal ji ki Badi, Kapren	4	Pucca
2	Jain Mandir Barat Bhawan,Kapren	4	Pucca

	3 Meena chatravas	5	Pucca
	4 Kesav takies marriage hall, k. patan		P.n.264997
	TEHSIL : INDERGARH		
1.	Nayapura Vivah Isthal, Lakheri	2	Pucca
2.	Shri Raghunath Dharmshala Lakheri	10	Pucca
3.	Bharat Ghar Lakheri	2	Pucca
4.	Nagar Palika Dhermsala , Lakheri	13	Pucca
5.	Gopal Balaji ,Ganesh Pura, Lakheri	4	Pucca
6.	Ram Dwara , Tamboliyon Ka , Lakheri	2	Pucca
7.	Chandra Bihari Ji Ki Haweli, Indergarh	4	Pucca
8.	Ambedkar Bhawan, Indergarh	1	Pucca
9.	Agrawal Bhawan, Indergarh	5	Pucca
	TEHSIL : HINDOLI		
1.	Mahesh watika (maheshwary samaj)	4	Pucca

परिशिष्ट नं. 15 सामुदायिक भवन

S. No.	Name and Location	No. of Rooms	Construction Type
	Tehsil : Bundi		
	Rajat Grah	3	Pucca
	Devpura	2	Pucca
	Banganga	2	Pucca
	Jailkund	1	Pucca
	Rainbasera (In hospital campus)	1	Pucca
	Rainbasera (Lanka Gate)	6	Pucca
	Gurunanak colony,Bundi	**1**	Pucca
	Undalion ki dungari	**2**	Pucca
	Indra colony,bundi	2	Pucca
	Raiger basti	3	
	Bidi karkhana	4	
	Tehsil : K-PATAN		
	Balaji bagichi ke pas ward no8 kapren	1	Pucca
	Shiv nagar ward no12 kapren	2	Pucca
	Ambedker com.hall ward no. 18 k.p.	1	Pucca
	Kalyan pura com. hall ward no. 16 k.p.	1	Pucca
	Tehsil : INDERGARH		
1.	Ward no. 1, indergarh	1	Pucca

2.	Ward No. 4 Bihari Mandir Lakheri	2	Pucca
3.	Ward no. 8, indergarh	1	Pucca
4.	Harijan colony , lakheri	2	Pucca
5.	Tambol khana, lakheri	2	Pucca
6.	Naka No. 1 lakheri	2	Pucca
7.	Station area lakheri	2	Pucca
8.	Samudayak Bhawan Lakheri	3	Pucca
	Tehsil : NAINWA		
1-	**P.W.D. rest house, nainwa**		Pucca

परिशिष्ट नं. 16. होटलों की सूची

S.No.	Name and Location	No. of Rooms	Construction Type	Tel. No.
	Tehsil : Bundi			
1	Vrindawati Hotel, Jaitsagar	7	Pucca	2442473
2	Ishwari Niwas Guest House	22	Pucca	2442414
3	Diamond Hotel	9	Pucca	2443656
4	Neelkamal	5	Pucca	
5	Bundi Tourist Palace	7	Pucca	2442650
6	Royal retreat	3	Pucca	2444426
7	BrijBhushan Haweli	16	Pucca	2442322
8	Hotel shivam and restorant	6	Pucca	
9	Kasera peradies	5	Pucca	
10	Kasera herritage	6	Pucca	
11	Hotel badi haveli	5	Pucca	
12	Nai haveli	5	Pucca	
13	Elephant estb-guest house	6	Pucca	
14	Dwarika hotel and garden	6	Pucca	
15	Vishnu paing guest house	5	Pucca	
16	Hotel Suwalka	10	Pucca	
17	Hadi rani paing guest	6	Pucca	
18	Tourist in paing guest house	7	Pucca	
19	The Ummaid bag ,ban ganga road	6	Pucca	
20-	Chandana residency, nainwa road	15	Pucca	
21-	Grand Parmeshwari Hotal Chatrapura	20	Pucca	
22-	Hadoti Palace G.S. Plaza Bundi	50	Pucca	
	Tehsil : Nainwa		Pucca	
1-	Taj plajma	7	Pucca	
2-	Dhaked laj	6	Pucca	
3-	Mamata guest house	7	Pucca	
	Tehsil : Indergarh			
1	A.B. majer hotel ward No.5 lakheri	5	Pucca	
2	Nolakha hotel, lakheri	2	Pucca	

परिशिष्ट नं. 17. विश्राम स्थलों की सूची

S.No.	Name and Location	No. of Rooms	Construction Type	Tel. No.
	Tehsil : Bundi			
	Digamber Jain Khandelwal Dharamshala	13	Pucca	
	Sant Kanwar Ram Dharamshala	11	Pucca	2443686
	Dhan Mandi Dharamshala	42	Pucca	2442971
	Kailash Narayan Dharamshala	10	Pucca	
	Karigar Dharamshala	13	Pucca	2443005
	Dak Buglow Bundi	5	Pucca	
	Circuit House Bundi	5	Pucca	
	krishi upaj mandi rest house	4	Pucca	
	Rain basera , lanka gate bundi	4	Pucca	2443903
	Tehsil : HINDOLI			
	Chater ganj nursery (forest deptt-)	3	Pucca	
	Rest house Gudha bandh (irrigation deptt-)	2	Pucca	
	Rest house Sanwat garh (irrigation deptt-)	2	Pucca	
	Rest house Gotheda (irrigation deptt-)	3	Pucca	
	Tehsil : NAINWA		Pucca	
	Gandhi visharam girh	3	Pucca	
	Dhakdo ki dharm shala	10	Pucca	
	Shanti veer jan dharm shala	4	Pucca	
	Jain dharm shala ,chandra prabhu ji	6	Pucca	
	Jain dharm shala ,dai	4	Pucca	
	Jain dharm shala ,Nasiya ji ke pas,dai	6	Pucca	
	Tehsil : k.patan			
1-	Vishram girh ,sichaie colony, k.patan	3	Pucca	
2.	Vishram girh Chamble sichaie colony, k.patan	2	Pucca	
	Tehsil : Indergarh			
1-	Trust Mandir Chandra Bihari Dharmshala	7	Pucca	
2-	Radhika Vishram Grah	3	Pucca	

परिशिष्ट नं. 18 . पशुओं को रखने के लिए गोशालाओं की सूची

क्र. सं	गोशाला का नाम	अध्यक्ष	मो0न0
1.	जयनिवास गो शला,ठीकरदा तह0हिण्डोली	पुरूषोत्तम श्रंगी	9571592954
2.	बडा रामद्वारा गौशाला बून्दी	आत्माराम स्नेही	9414175879
3.	देवनारायण गौशाला लेसरदा के0 पाटन	नन्दकिशोर मालव	9460863621
4.	श्री गोपाल गो शला डाबी	केसरीलाल जैन	9610576726
5.	श्री चारभुजा नाथ गौशाला,देई	निक्की कलाल	—
6.	आचार्य काका साहेब केलकर सेवा केन्द्र गौशाला, बडगांव तह0 हिण्डोली	राजेन्द्र शर्मा	01123326980
7.	कंचनधाम गौशाला गेण्डोली	अमर मुदगल	—
8.	श्री गौपाल गौशाला नैनवां	औंकार सिंह	9413635996
9	ब्रम्हाण्डेश्वर महादेव गौशाला बून्दी	नितेश गॉधी	9785629420
10	गौराजी गौशाला लोईचा	दौलतराम मालव	9829114474
11	निमेश्वर गौशाला खटकड़	—	—

परिशिष्ट नं. 19. जिले में चारा डिपो की स्वीकृति की सूची

तहसील	चारा डिपो/ग्राम	संस्था का नाम	स्वीकृति कमांक/दिनांक

नोट :— वर्तमान में बूंदी जिले में कोई भी चारा डिपो अस्तित्त्व में नहीं है।

परिशिष्ट नं. 20. जिले में उपलब्ध नावों की सूची

क्र.स.	नाव मालिक का नाम, पता व मोबाईल न0	नाव चालक	नवो की सख्या	नावे उपलब्ध होने का स्थान
1	श्री अजमेर सिंह पुत्र राजसिंह, 9413000000	नहीं	10	बन्ध गुढा
2	" रिजवान अहमद पुत्र अशफाक 9571365786	नहीं	5	बन्ध दुगारी
3	" मांगीलाल गुर्जर पुत्र रामलाल गुर्जर 9929079473	नहीं	4	बन्ध पाईबालापुरा
4	" चान्द मोहम्मद पुत्र जुम्मा खॉ 8740950740	नहीं	2	बन्ध भीमलत
5	" सीताराम मीणा पुत्र दुर्गालाल 8740950740	नहीं	5	बन्ध गोठडा
6	" श्री भोलू पुत्र सरीफ 9828430049	नहीं	2	बन्ध अभयपुरा
7	" भीमराज पुत्र मोतीलाल 9950440780	नहीं	5	बन्ध बरधा
8	" अमजद पुत्र इशाक 9214498507	नहीं	2	बन्ध माछली
9	" मो0 नईम पुत्र मो0यासीन 7689047554	नहीं	5	बन्ध हिण्डोली
10	" शिवेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह 9414135271	नहीं	2	बन्ध रूणीजा
11	" शैतान सिंह पुत्र जीत सिंह 9413868027	नहीं	2	बन्ध मोतीपुरा
12	" खलील अहमद पुत्र सराफत हुसेन 9571741552	नही	2	बन्ध मरडिया
13	" मदन पुत्र श्री लोडकिया 9413085317	नही	2	बन्ध गुढा गोकुलपुरा
14	" कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल 9784279424	नही	2	बन्ध सलावलिया
15	" मांगीलाल पुत्र सुखपाल 8740950740	नही	2	बन्ध खोडी
16	" राजेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र रतनसिंह 9829680844	नही	2	बन्ध रूण का खाल
17	" मो0 सादिक पुत्र मां0 आरिफ 9214498507	नही	2	बन्ध खानपुरा
18	" घनश्याम कश्यप पुत्र मोडुलाल 9784279424	नही	2	नाहर मालिया बासनी
19	" भरतसिंह पुत्र निहाल सिंह 8003331536	नही	1	बन्ध बन्सोली गाडरिया
20	" कमालूद्दीन 9950890654	नही	2	बन्ध नेत
21	" मो0 अहमद पुत्र ईकबाल हाउस 9784253606	नही	2	बन्ध चॉदा का तालाब
22	" सकील अहमद 9667683062	नही	2	बन्ध फुलसागर

परिशिष्ट नं. 21. जिले में नाव चालको की सूचि

क्र.स.	नाव चालक का नाम	पिता का नाम	श्रैणी दैनिक श्रमिक	पता	सम्पर्क मोबाईल न0
1	श्री मोहम्मद अली	श्री अल्लानूर	कुशल श्रमिक	ब्रहमपुरी छोटा बाजार बून्दी	9950938874
2	श्री इकराम	श्री जुम्मा खू	कुशल श्रमिक	ब्रहमपुरी छोटा बाजार बून्दी	9950938874
3	श्री गुलजार	श्री सरफुध्दीन	कुशल श्रमिक	ब्रहमपुरी छोटा बाजार बून्दी	9950938874
4	श्री षब्बीर	श्री मो0 जुम्मा	कुशल श्रमिक	ब्रहमपुरी छोटा बाजार बून्दी	9950938874
5	श्री बुन्दु	श्री अब्दुल	कुशल श्रमिक	ब्रहमपुरी छोटा बाजार बून्दी	9950938874
6	श्री षैरअली	श्री मो0 अली	कुशल श्रमिक	ब्रहमपुरी छोटा बाजार बून्दी	9950938874
7	श्री अकबर	श्री अब्बास	कुशल श्रमिक	ब्रहमपुरी छोटा बाजार बून्दी	9950938874
8	श्री रहुफ	श्री नन्नै खॉ	कुशल श्रमिक	ब्रहमपुरी छोटा बाजार बून्दी	9950938874

परिशिष्ट नं. 22 होम गार्ड स्वयं सेवक तैराकों की सूची

क.स.	नाम	Belt no.	Mobile no.	exta
1	श्री धनराज	109	9982649710	-
2	श्री रवि कुमार	167	9001599661	-
3	श्री मुकेश कुमार	169	9784280696	-
4	श्री रामचरण	4	9828180538	-
5	श्री पप्पूलाल	304	9782884434	-
6	श्री बनवारी लाल	299	9928430911	-
7	श्री रामकुंमार	297	9799700887	-
8	श्री प्रेमचन्द	327	07472442035	-
9	श्री चोथमल	329	9636108311	-
10	श्री श्यामसुन्दर	7	9269148644 8769717784	-
11	श्री श्योजी लाल	8	9571564060	-
12	श्री दुर्गालाल	94	9982649709	-
13	श्री दयाराम	211	9587293332	-
14	श्री उद्धव लाल	200	9571622059	-
15	श्री बाबूलाल	221	8890778187	-
16	श्री ज्वाला प्रसाद	76	7742242331	-
17	श्री हरि प्रसाद	89	9828360695	-
18	श्री भुपेन्द्र सिंह	95	8875387889	-
19	श्री महावीर	24	9001580956	-
20	श्री रूपा	305	8561056161	-
21	श्री राम प्रसाद	199	7689869537	-
22	श्री महावीर	19	8963071957	-
23	श्री अवधेश कुंमार	42	9785883350	-
24	श्री सीताराम	84	9001664665	-
25	श्री हरिराम	138	8107931648	-
26	श्री गोपाल लाल	197	8385807837	-
27	श्री राजेन्द्र राठौड़	18	9001453028	-
28	श्री गणेश कुमार शर्मा	34	9772925131	-
29	श्री बाबूलाल	163	9950278941	-
30	श्री प्रेमशंकर	99	9782010593	-
31	श्री लक्ष्मण	29	9549393530	-
32	श्री रघुवीर	173	9680869573	-
33	श्री रामहेत	5	9214993873	-
34	श्री लक्ष्मी चन्द	296	989432930	-
35	श्री महेन्द्र सिंह	90	9667252602	-
36	श्री लादूराम	60	9783054639	-
37	श्री शंकरलाल	52	9252135389	-

38	श्री शिवशंकर	77	9929435471	-
39	श्री अब्दुल सलाम	25	8769717784	-
40	श्री हरिमोहन	160	9784746161	-
41	श्री बद्री लाल	71	9549389926	-
42	श्री राकेश कुमार	136	9928083544	-
43	श्री बाबूलाल	102	9982242658	-
44	श्री भैरूलाल	12	9929823782	-
45	श्री हीरालाल	233	7728996780	-
46	श्री नन्दकिशोर	209	9928188974	-
47	श्री हंसराज	202	8233413317	-
48	श्री राजेन्द्र मीणा	23	8559866960	-
49	रिजवान अख्तर	11	9784142920	-
50	प्रेमशंकर	13	9784474170	-
51	हेमराज	59	9829720892	-
52	जितेन्द्र	70	7737712997	-
53	मनींष गोचर	162	9660850612	-
54	मो0 अजरूद्धीन	183	9694849048	-
55	करण सिंह	191	9352754090 8562003935	-
56	राजेन्द्र शर्मा	219	9784984399	-
57	दयानन्द	284	7742872056	-
58	राधेश्याम	306	9772138218	-

परिशिष्ट नं. 23. स्थानीय गौताखोर / तैराको की सूचि

तहसील	तैराको का नाम	पता	फोन नं.
बूंदी	श्री इकराम /जुम्मा खॉ	ब्रह्मपुरी, छोटा बाजार, मीरां गेट, बूंदी	—
	श्री शहाबुद्दीन /नसरुद्दीन	ब्रह्मपुरी, छोटा बाजार, मीरां गेट, बूंदी	—
	श्री गुलजार /नसरुद्दीन	ब्रह्मपुरी, छोटा बाजार, मीरां गेट, बूंदी	—
	श्री शब्बीर /श्री मोहम्मद जुम्मा	ब्रह्मपुरी, छोटा बाजार, मीरां गेट, बूंदी	—
	श्री बिन्दू /श्री अब्दुल	ब्रह्मपुरी, छोटा बाजार, मीरां गेट, बूंदी	—
	श्री हमीद /श्री मो. अशरफ	ब्रह्मपुरी, छोटा बाजार, मीरां गेट, बूंदी	—
	श्री रमजानी /श्री निजामुद्दीन	ब्रह्मपुरी, छोटा बाजार, मीरां गेट, बूंदी	—
	श्री बशीर /श्री भंवर खां	ब्रह्मपुरी, छोटा बाजार, मीरां गेट, बूंदी	—
	श्री शेर अली /श्री निजामुद्दीन	ब्रह्मपुरी, छोटा बाजार, मीरां गेट, बूंदी	—
	जमना लाल आ0बद्री धाकड	रायता ग्रा0पं0 रामगंज	
	रामस्वरूप पुत्र किशना गुजर	सांकडदा ग्रा0पं0 कालपुरिया	
	तुलसीराम आ0 देवा माली	सांकडदा ग्रा0पं0 कालपुरिया	
	दया राम आ0 बिरधी लाल माली	सांकडदा ग्रा0पं0 कालपुरिया	
	श्री अकबर /श्री अब्बास	ब्रह्मपुरी, छोटा बाजार, मीरां गेट, बूंदी	—

	श्री रउफ /श्री नन्हे खां	ब्रह्मपुरी, छोटा बाजार, मीरां गेट, बूंदी	—
	श्री रामजी लाल	उ.नि.(प्रो) हरिमोहन नामा का मकान जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड,बून्दी	**9829394904**
	श्री रणवीर सिंह	कानि. 146 देवपुरा,बून्दी	**9214982229**
	श्री बलवीर सिंह	कानि. 481नैनवॉं रोड, बून्दी	**9829083874**
	श्री फतेह सिंह	हेड कानि. 639,पुलिस लाईन,सरकारी कवार्टर,बून्दी	**9414341037**
	श्री गुलाब चन्द	कानि. 440, पुलिस लाईन,सरकारी कवार्टर,बून्दी	**2442344 (पी0पी0)**
हिण्डोली	श्री कल्याण आ0भवाना कीर	कांस की आंतरी,हिण्डोली	
	श्री रामदेव आ0 हीरा कीर	कांस की आंतरी,हिण्डोली	
	श्री शंकर आ0 केसू कीर	कांस की आंतरी,हिण्डोली	
	श्री रामचंद्र आ0 केसरा कीर	कांस की आंतरी,हिण्डोली	
	श्री उदा आ0 नन्दा कीर	कांस की आंतरी,हिण्डोली	
	श्री बद्री आ0 रपटा कीर	कांस की आंतरी,हिण्डोली	
	श्री रमेश आ0 रपटा कीर	कांस की आंतरी,हिण्डोली	
	मोडू आ0 केला कीर	दौटून्दा हिण्डोली	
	श्योजी आ0 केला कीर	दौटून्दा हिण्डोली	
	शंकर आ0 माधो कीर	दौटून्दा हिण्डोली	
	धन्ना आ0 कल्याण कीर	दौटून्दा हिण्डोली	
	मनभर आ0 कल्याण कीर	दौटून्दा हिण्डोली	
	भूरा आ0 भुवाना कीर	हनुमान जी का झौप. हिण्डोली	
	पुश्कर आ0 नारायण कीर	हनुमान जी का झौप. हिण्डोली	
	हीरा लाल आ0 केला कीर	दोडून्दा हिण्डोली	
	बरधा आ0 कल्याण कीर	दोडून्दा हिण्डोली	
के0पाटन	नगरपालिका के0पाटन		
	रामदेव आ0श्री मांगीलाल केवट	जैन मन्दिर के पीछे वार्ड नं0 5,के0पाटन	
	रामप्रसाद आ0मंगला केवट	जैन मन्दिर के पीछे वार्ड नं0 5,के0पाटन	
	हेमराज आ0तुलसीराम केवट	जलदाय विभाग के पास वार्ड नं0 5 केपाटन	
	राजेन्द्र पुत्र श्री रामधन केवट	वार्ड नं0 5 कीर मोहल्ला के0पाटन	
	मुकुट बिहारी आ0 राधाकिशन केवट	वार्ड नं0 5 कीर मोहल्ला के0पाटन	
	बिहारी लाल आ0बंशीलाल केवट	वार्ड नं0 5 कीर मोहल्ला के0पाटन	
	रामबाबू पुत्र नन्द लाल केवट	वार्ड नं0 5 कीर मोहल्ला के0पाटन	
	नाथू लाल पुत्र देवा	वार्ड नं0 5 कीर मोहल्ला के0पाटन	
	लालचंद पुत्र उदा	वार्ड नं0 5 कीर मोहल्ला के0पाटन	
	घनश्याम पुत्र मोहन लाल	नाव घ।ाट रोड के0पाटन	

	श्री श्यामलाल पुत्रकिशन लाल मेहतर	वार्ड नं0 9 कापरेन **266059**	
	बबलू वुत्र पुशीलाल मेहतर	वार्ड नं0 9 कापरेन	
	मुकेश पुत्र सुरेश मल मेहतर	वार्ड नं0 9 कापरेन	
	रमेश पुत्र भवाना कीर	झाली जी का बराना	
	रामप्रसाद पुत्र लखा कीर	झाली जी का बराना	
	गोपाल पुत्र हरबख्शा कीर	झाली जी का बराना	
	रामदत्त पुत्र गोपाल मीणा	करवाला	
	मोती पुत्र नाथू मीणा	करवाला	
	रामप्रसाद पुत्र मोहन लाल मीणा	बरियानी	
	कन्हैया लाल पुत्र गोपाल मीणा	बरियानी	
	माधो पुत्र भैरू कीर	बरियानी	
	दुर्गा लाल पुत्र बद्री मीणा	बालदडा	
	मोहन आ0हीरागुजर	बालदडा	
	सत्यनारायण पुत्र चौथमल प्रजापत	जलोदा	
	गंगाराम आ0 खेमराज कीर	चांवछ	
	रमेश आ0 नाथू गुजर	चांवछ	
	चौथमल पुत्र कान्हा ब्राहमण	छोरदा	
	मोटू लाल आ0 कालू	बालोद	
	श्री मुकुट बिहारी आ0 श्री राम मीणा	बालोद	
	मथुरालाल आ0गोपाल कीर	खेडली बन्धा	
	मदन लाल आ0 धूल्या कीर	खेडली बन्धा	
	सुरेश आ0 रामकरण	रोटेदा	
	लटूर पुत्र ग्सारसी लाल कीर	रोटेदा	
	प्रहलाद आ0	कोडक्या बालाजी	
इन्द्रगढ	बाबू लाल भोई, ए0सी0सी0 क्वार्टस , सखावदा	सखावदा	
	गोपाल भोई	ग्राम सखावदा	
	बाबूलाल	ग्राम बडगांव	
	ननगी राम	ग्राम बड गांव	
	बद्री लाल आ0सीताराम गुर्जर	बडगांव	
	किशन कीर	बडाखेडा	
	लडडू लाल कीर	बडाखेडा	
	रधुराज सिंह	भाण्डगुवार	
	जुगराज सिंह	भाण्डगुवार	

	किशन सिंह	बालापुरा	
	सूरजमल	बालापुरा	
	रामकुंवार मीणा	जाडला	
	श्योजी लाल मीणा	जाडला	
	प्रभुलाल मीणा	नयागांव	
	कन्हैया लाल मीणा	नयागांव	
	रामनारायण मीणा	नयागांव	
	अशोक सिंह	पापडी	
	बृजमोहन मीणा	पापडी	
	सीताराम मीणा	खरायता	
	गिरिराज गुर्जर	खरायता	
	रामचन्द्र आ0 मोडा	बलदेवपुरा	
	सोहन लाल आ0औंकार गुजर	बलदेवपुरा	
	बाबू लाल गुजर	बलदेवपुरा	
	प्रभुलाल आ0 रामा माली	कोटडी	
	बिरधी लाल आ0 औंकार नाई	कोटडी	
	मोहन लाल आ0 किशन गोपाल मीणा	कोटडी	
	कैला आ0 गैंदा कीर	घ।ाट का बराना	
	बजरंग लाल आ0कल्याण कीर	घ।ाट का बराना	
	गोबरया आ0 माधो कीर	घांट का बराना	
	लटूर आ0 परसराम कीर	घांट का बराना	
	प्रहलाद मीणा	चहीचा	
	देवकरण नाई	चहीचा	
	मजानदं मीणा	चहीचा	
	गोरधन आ0 राम स्वरूप	कोटा खुर्द	
	रघुराज सिंह आ0 समुद्रसिंह	कोटा खुर्द	
	विनोद आ0 गोकूल खंगार	कोटा खुर्द	
	कालू आ0 गोपाल कीर	गुहाटा	
	उदा आ0 माधो कीर	गुहाटा	
	मोती आ0 नैनगा कीर	गुहाटा	
	चौथ मल आ0 सांवला कीर	गुहाटा	
	रामधन आ0कालू मीणा	ग्राम डोबरली	
	सीताराम आ0 मोडू मीना	ग्राम डोबरली	
	पप्पू आ0 मोहन कीर	किशनपुरा	

	कालू	किशनपुरा	
	नन्द किशोर आ0 रामनारायण	किशनपुरा	
	रामबिलास आ0 देवदत कीर	किशनपुरा	
	कान्हा आ0सुकना कीर	किशनपुरा	
	हंसराज आ0 रामनारायण कीर	किशनपुरा	
	रामस्वरूवप आ0हजारी लाल मीणा	खेडली कला	
	हेमराज	खेडली कला	
	रामरतन भील	खेडली कला	
	हंसराज कीर	खेडली कला	
	रामविलास कीर	खेडली कला	
	नन्द किशोर कीर	खेडली कला	
	रामकुमार भील	चाणदा खुर्द	
	प्रभु भील	चाणदा खुर्द	
	घनश्याम भील	चाणदा खुर्द	
	बेनीप्रसाद भील	चाणदा खुर्द	
	किशना मीणा	चाणदा खुर्द	
	छोटू आ0कल्याण मीणा	चाणदा खुर्द	
	छीतर आ0अर्जुन मीणा	चाणदा कला	
	पप्पु आ0 कान्हा मीणा	चाणदा कला	
	हरिराम आ0 रामपाल गुजर	बाबई	
	गिरिराज पुत्र लक्ष्मीनारायणमीणा	बाबई	
	भैरूलाल आ0 रामरतन गुजर	बाबई	
	शंकर आ0 श्री लाल गुजर	गुढा	
	प्रेमचंद आ0 रामकरण गुजर	गुढा	
	माधौ आ0 नारायण बैरवा	रामनगर	
	बाबू आ0 रामचन्द्र बैरवा	रामनगर	
	हंसा आ0 सुक्खा मीणा	चन्द्रगंज	
	शंकर आ0 गंगाधर मीणा	चन्द्रगंज	
	हीरा आ0 गोरधन मीणा	चन्द्रगंज	
	बाबू लाल आ0 दुर्गा लाल कीर	पापडा	
	गोरधन आ0 गणेश कीर	पापडा	
	पूरण आ0लटूर नाथ	पापडा	
	केसरा आ0 हरनाथ	रामपुरिया	
	हीरा लाल आ0 रामस्वरूप मोग्या	रामपुरिया	

	गोपाल आ0 रघुनाथ कीर	केमला	
	गोपाल आ0 सुखा कीर	केमला	
	रघुनाथ आ0 मोरपाल गूजर	केमला	
	वाजिद आ0 मजीद	मेवाती मोहल्ला इन्द्रगढ	
	इकबाल आ0 कल्लू	मेवाती मोहल्ला इन्द्रगढ	
	फूरकान आ0 शुमान	मेवाती मोहल्ला इन्द्रगढ	
	गोविन्द उर्फ कालू आ0 भंवर लाल माली	छत्रपुरा	
	कालू खां ठेकेदार	इन्द्राणी बांध	
	भंवर लाल आ0बजरंग लाल सैनी	खेडली माझी	
	रामकरण आ0माधोमाली	खेडली माझी	
	भैरू आ0 शम्भू लाल माली	खेडली माझी	
	सत्यनारायण आ0 तेजमल गूजर	मुई	
	रामबिलास आ0जंशी मोगया	मुई	
	राजू आ0 केसराा गूजर	मुई	
	मीठा लाल आ0कल्या मोग्या	मुई	
	दया राम आ0 बजरंग लाल बैरवा	चक खेडली	
	हरिकिशन आ0मुनीराज बैरवा	चक खेडली	
	घनश्याम आ0 ज्योति बैरवा	चक खेडली	
	मुरारी गुसाई	सुनारी	
	शोदान गुसाई	सुनारी	
	मोडू गुजर	सुनारी	
	प्रकाश आ0 सुखा मीणा	नयागांव	
	कन्हैया आ0मेवा मीणा	नयागांव	
	रामसिंह	नान्ता	
	हरिसिंह आ0प्रभुमीणा	नान्ता	
	सत्यनारायण आ0रामपाल मीणा	नान्ता	
	भैरूलाल आ0 सूरजमल मीणा	कोलाशपुरा	
	सीताराम आ0परसराम मीणा	कोलाशपुरा	
	घर्मराज आ0परसराम मीणा	कोलाशपुरा	
	रामचरण गूजर	नवलपुरा	
	सियाराम	नवलपुरा	

परिशिष्ट नं. 24 ड्रेन व बांधों की सूची

Drains

Name	Length	Capacity	Any affect to people YES/ NO	Estimated affected population
Tehsil : Bundi				
Talera river	12 Km		Yes	9000
Ghoda Pachar river	17 Km		Yes	5000
Mangali river	19 Km		Yes	5000
Tehsil : K.Patan				
chambel river	73 Km		Yes	15000
Kural river	10 Km		Yes	3000
Tehsil : Hindoli				
Mej River	110 Km		Yes	32000
Bejan	40 Km		Yes	16000

Dames

क्र.स.	नाम बांध/तालाब	तहसील	कुल क्षमता (Mcft)
1	बरधा बांध	तालेडा	1024
2	भीमलत	बून्दी	412.66
3	अभयपुरा	बून्दी	263.00
4	गरडदा मध्यम सिंचाई परियोजना	बून्दी	1568.00
5	चान्दा का तालाब	बून्दी	120.53
6	जैतसागर	बून्दी	35.69
7	शम्भू सागर	बून्दी	93.14
8	डाबी	बून्दी	28.56
9	सलावलियां	हिण्डोली	57.85
10	गुढा बांध	हिण्डोली	3375.00
11	बून्दी का गोठडा	हिण्डोली	670.00
12	पेच की बावडी	हिण्डोली	198.50
13	रोनिजा	हिण्डोली	185.00
14	बांक्या खाल	हिण्डोली	109.25
15	मरडिया	हिण्डोली	140.70
16	नारायणपुरा	हिण्डोली	89.84
17	मेण्डी बांध	हिण्डोली	96.57
18	गुढा गोकूलपुरा	हिण्डोली	120.00
19	रूण का खाल	हिण्डोली	49.98
20	रामसागर (हिण्डोली)	हिण्डोली	27.60
21	गुरजनियां	हिण्डोली	37.78
22	बंसोली	नैनवां	132.00

23	मोतीपुरा	नैनवां	132.80
24	बटावदी	नैनवां	114.18
25	माछली	नैनवां	198.00
26	दुगारी	नैनवां	639.00
27	पाईबालापुरा	नैनवां	458.00
28	देई गंगा सागर	नैनवां	45.87
29	खोडी	नैनवां	37.50
30	तलवास	नैनवां	33.78
31	बांक्या का नया गांव	नैनवां	27.00
32	डाडून	नैनवां	33.00
33	अन्नपूर्णा	नैनवां	30.98
34	इन्द्राणी	इन्द्रगढ	197.00
35	चाकन लघु सिंचाई परियोजना	इन्द्रगढ	455.15

परिशिष्ट नं. 25 मुख्य नहरे व उनके भराव क्षमता की सूची

S. No.	Name	Capacity
1	Bundi Branch Canal (LMC)	500 Cusecs
2	Kapren Branch Canal	550 Cusecs
3	Patan Branch Canal	483 Cusecs
4	Gudha RMC	253.56 Cusecs
5	Gudha LMC	123.32 Cusecs
6	Gudha (Holaspura)	126.26 Cusecs
7	Bundi Ka Gothra (Main Canal)	70 Cusecs
8	Bhimlat Abhaypura (Main Canal)	90.50 Cusecs
9	Bardha (LFC)	107.71 Cusecs
10	Paibalapura (Main Canal)	32.51 Cusecs

परिशिष्ट नं. 26. पेट्रोल पम्पों की सूची

क्र. सं.	नाम पेट्रोल/डीजल पम्प	नाम ऑयल कंपनी	स्थान	तहसील
1	2	3	4	5
1	मै0 अशोका फिलिंग स्टेशन	BPC	तलावगांव	हिण्डोली
2	मै.ओम फिलिंग स्टेशन	BPC	डाबी	बून्दी
3	मै. बिडला ब्रदर्स बाईपास रोड	BPC	बून्दी	बून्दी
4	मै. राजमल एण्ड कम्पनी	BPC	नेनवा	नैनवा
5	मै. लेनिन असवाल	BPC	पटोलिया	के.पाटन
6	मै.अमर फिलिंग स्टेशन	BPC	हीरापुरा	के.पाटन
7	मै. हाडोती सर्विस स्टेशन	HPC	खटकड	बून्दी
8	मै. लक्ष्मीचनद रेवती लाल	HPC	बून्दी	बून्दी

9	मै. मारूती फिलिंग स्टेशन	HPC	रामगंज	बून्दी
10	मै.राज इले. एण्ड मोटर स्टोर	HPC	बडानयागांव	हिण्डोली
11	मै. छारी फिलिंग स्टेशन ग्राम डाबला	HPC	डाबला	हिण्डोली
12	मै.हमारा पम्प करवर	HPC	करवर	नैनवा
13	मै. अग्रवाल फिलिंग स्टेशन	HPC	देई	नैनवा
14	मै. हमारा पेट्रोल पम्प	HPC	शंकरपुरा	हिण्डोली
15	मै. बाके बिहारी ओटो मोबाईल	HPC	काप्रेन	के.पाटन
16	मै.चन्द्रप्रकाश पोरवाल सर्विस स्टेशन	HPC	बल्लोप	बून्दी
17	मै. सैनिक सर्विस स्टेशन	HPC	हिण्डोली	हिण्डोली
18	मै. शिव शक्ति फिलिंग स्टेशन	HPC	के.पाटन	के.पाटन
19	मै. मधुर मिलन	IBP	गो.बावडी	बून्दी
20	मै.पटेल सर्विस स्टेशन	IBP	देई	नैनवा
21	मै. माहेश्वरी ऑटोमोबाईल्स	IBP	काप्रेन	के.पाटन
22	मै. गोविन्द फिलिंग स्टेशन	IBP	झपायता	इन्द्रगढ
23	मै. दुर्गा फिलिंग स्टेशन	IBP	मांगलीखुर्द	हिण्डोली
24	मै.ईगल पेट्रोलिय (आई.बी.पी.)	IBP	मांगली	बून्दी
25	मै. बजरंगलाल बद्रीलाल गुप्ता	IOC	इन्द्रगढ	इन्द्रगढ
26	मै. जयभवानी सर्विस स्टेशन	IOC	नेनवा	नैनवा
27	मै.बंसल ब्रदर्स	IOC	के.पाटन	के.पाटन
28	मै.गोपीलाल रतनलाल	IOC	बून्दी	बून्दी
29	मै. लखपत उधोग	IOC	तालेडा	बून्दी
30	मै. देवनारायण फिलिंग स्टे. बडगावं नाका	IOC	गो.बावडी	बून्दी
31	मै. राठोर फिलिंग स्टेशन	IOC	पेंच की बावडी	हिण्डोली
32	मै. महावीर सर्विस स्टेशन	IOC	रानीपुरा	हिण्डोली
33	मै. ज्योति फिलिंग स्टेशन गुढानाथावतान	ESSAR	गुढानाथावतान	बून्दी
34	मै. गुरूकृपा फिलिंग स्टेशन	BPC	अल्कोदिया (बरून्धन)	बून्दी
35	मै. गिर्राजधरण फिलिंग स्टेशन	BPC	गोठडा	हिण्डोली
36	मै.जौहल किसान सेवा क्रेन्द्र नमाना	IOC	नमाना	बून्दी
37	मै. लक्ष्मीचन्द रेवतीलाल युनिट II	HPC	चापरस	बून्दी
38	कोको पेट्रोल पम्प लाखेरी	coco pump	लाखेरी	इन्द्रगढ
39	कोको पेट्रोल पम्प सथुर	coco pump	सथुर	हिण्डोली

परिशिष्ट नं. 27 छविगृहों की सूची

क्र.सं.	छविग्रह का नाम	स्थान	टेलीफोन नम्बर
1	रणजीत टॉकीज	बूंदी	2445403

परिशिष्ट नं. 28 गैस एजेन्सियों तथा गोदामों की सूची

Information of Gas Agencies in District

S. No	District	Location Name	Agency Name	Address	Phone No.	Mobile No.	SBC	DBC
1	Bundi	Bundi	Arun Gas Agency	कोटा रोड, बून्दी	0747-2443749	9414175100	10098	16428
2	Bundi	Hindoli	Hindoli Indane Gas Agency	शिवराज नगर, मेन रोड हिण्डोली, बून्दी	07436-276641	9828576641	13043	11056
3	Bundi	Nainwa	Nainwa Indane Gas Agency	एसडीओ कोर्ट के पास, नैनवा	07437-257338	9414910113	16893	11320
4	Bundi	K. Patan	Abha Gas Agency	पुरानी तहसील रोड, के0पाटन	07438-264866	9460193660	7529	8032
5	Bundi	Kapren	Kapren Gas Agency	कापरेन–लाखेरी रोड, काप्रेन	07438-265815	9414539055	8427	9293
6	Bundi	Lakheri	Swastik Gas Agency	ई–14 गणेश विस्तार योजना, लाखेरी, बून्दी रोड, बून्दी	07438-261335 261119	9828435733 9571221463	4546	9174
7	Bundi	Talera	Gurunanak Gas Agency	गुरूनानक की गली के पास, तालेडा, बून्दी	0747-2438180	9413085807	16956	9139
8	Bundi	Bundi	Amar Shahid Gas Agency	लंका गेट शोपिंग योजना शोप न0 102–103, बून्दो	0747-2442719	9460122021 9694116746 9509563541	8336	4965
9	Bundi	Sathur	Bundi HP Gas Agency Service (RGGLV)	आरजीजीएलवी बून्दी एचपी गैस सर्विस सथुर जिला–बून्दी	07436-215383	8696929367 8696915027	8627	3722
10	Bundi	Khatkar	Ganpati HP Gas Agency (RGGLV)	मेन मार्केट, खटकड़	0747-2430081	9571085008 9782675656	3311	3518
11	Bundi	Dei	Hasti HP Gas Agency (RGGVL)	हस्ती गैस एजेन्सी देई, बांसी रोड, तहसील–नैनवां बून्दी	07437-201260	9928221711	4423	2631
12	Bundi	Sumerganj mandi	Adinath HP Gas Agency (RGGVL)	प्लाट न0 2 अनघोरा रोड, सुमेरगंजमण्डी, बून्दी		9829999746	2243	2738
13	Bundi	bundi ka gothara	Balaji HP Gas Agency Service (RGGLV)	ग्रा.पं. बून्दी का गोठड़ा तह. हिन्डोली बून्दी	07436-274678	9828945150	6028	2797
14	Bundi	Jhali ji ka Barana	Sonu HP gas Agency		07438-267911	9660477445	3460	678
15	BUNDI	Bundi	MA GAYATRI BHARAT GAS BUNDI	माटून्दा रोड गैस गोदाम के आगे, बून्दी		9413763435	892	2449

परिशिष्ट नं. 29 भूकम्प के दौरान उपयोग में आने वाले उपकरणों की तहसीलवार सूची

तहसील	उपकरणों के नाम	स्थान/पता	सम्बन्धित व्यक्ति	फोन/मोबाइल
बूंदी	जे.सी.बी. –4	नगरपरिषद, बूंदी	आयुक्त न.प., बूंदी	2443903
	ट्रेक्टर – 6	नगरपरिषद, बूंदी	आयुक्त न.प, बूंदी	2443903
	पानी टैंक – 1	नगरपरिषद, बूंदी	आयुक्त न.प, बूंदी	2443903
	जीप–2	नगरपरिषद ,बून्दी	आयुक्त न.प, बूंदी	2443903
	ट्रक – 110	ट्रक यूनियन बूंदी	अध्यक्ष मोटर यूनियन	
	जीप – 45	टेक्सी यूनियन बूंदी		
	बस – 45	मीरां गेट, बस स्टेण्ड		
	ट्रेक्टर – 200	आर.टी.ओ.		
नैनवां	ट्रक – 45	ट्रक यूनियन नैनवां		
	जीप – 40	टेक्सी यूनियन नैनवां		
	बस – 15	प्राईवेट बस स्टेण्ड, नैनवां		
	ट्रेक्टर – 190	निजी मालिक (कृषक)		
हिण्डोली	ट्रक – 45	ट्रक यूनियन हिण्डोली		
	जीप – 40	टेक्सी यूनियन हिण्डोली		
	बस – 5	प्राईवेट बस स्टेण्ड, हिण्डोली		
	ट्रेक्टर – 95	निजी मालिक (कृषक)		
के0पाटन	ट्रक – 50	ट्रक यूनियन के0पाटन		
	जीप–50	टेक्सी यूनियन के0पाटन		
	बस – 10	प्राईवेट बस स्टेण्ड,के. पाटन		
	ट्रेक्टर – 200	निजी मालिक (कृषक)		
	ट्रेक्टर – 2	नगर पालिक के0पाटन	अधिशाषी अधिकारी,के0पाटन	264346
इन्द्रगढ	जीप–1	नगरपालिका, लाखेरी	अधिशाषी अधिकारी,लाखेरी	
	ट्रेक्टर – 3	नगरपालिका, लाखेरी	अधिशाषी अधिकारी, लाखेरी	
	औटो ट्रेकर–1	नगरपालिका, इन्द्रगढ	अधिशाषी अधिकारी, इन्द्रगढ	
	टेम्पो–1	नगरपालिका, इन्द्रगढ	अधिशाषी अधिकारी,इन्द्रगढ	

परिशिष्ट नं. 30 आग से निपटने हेतु उपलब्ध साधन व उपकरण

साधन

तहसील	अग्निशमन वाहन (दमकल) संख्या	अधिकारी (नाम व पता)	कर्मचारी (संख्या)	आग बुझाने के उपकरण
बूंदी	2	अग्निशमन अधिकारी, नगरपालिका बूंदी	12	5
अग्निशमन केन्द्र	4 वाहन	पद स्वीकृत नहीं प्रभारी अग्निशमन श्री महेन्द्र सिंह टिण्डल	13 फायर में 28 अन्य शाखाओं में कुल 41 कर्मचारी	4 यन्त्र 20 होम पाईप
इन्द्रगढ	1	अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका इन्द्रगढ	6	फव्वारे व बेलडे
काप्रेन	1	अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका काप्रेन	5	फव्वारे व बेलडे
नैनवां	1	अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका नैनवां	5	फव्वारे व बेलडे
लाखेरी	1	अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका लाखेरी	5	फव्वारे व बेलडे

परिशिष्ट नं. 31 क्रेन, जेसीबी, गैंस कटरस, इत्यादि उपकरणों की सूची

विभाग	जीप/कार		मेटाडोर /बस /ट्रक		ट्रेक्टर		जेसीबी		रस्सा		गेंती		फावड़े		खाली सीमेंट के कट्टे		पैट्रोमेक्स/गैस	
	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी
नगरपरिषद बून्दी	2	—	—	—	4	—	3	—	.	—	25	—	10	—	—	—	3	—
नगरपालिका कापरेन	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	10	—	20	—	—	—	1	—
नगरपालिका लाखेरी	12	13	22	24	10	11	2	3	20	21	16	17	22	23	—	—	6	7
नगरपालिका इन्द्रगढ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	8	—	10	—	100	—	1
नगर पालिका के0पाटन	—	150	—	10	2	200	—	1	2	—	10	100	10	100	500	5000	4	50
जल संसाधन खण्ड,बून्दी	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	50	—	50	—	2000	—	5	—
जिला पुलिस अधीक्षक	23	—	6	—	—	—	—	—	20		15		15	—	—	—	3	
सहा0अभियंता,डिलिंग व हेण्डपम्प	1	—	—	—		—	—	—	—	—	1	—	1					
सार्व0नि0वि0—1	1	—	—	—	1	—	—	—	—		20		25		500	—	—	—
औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान,बून्दी	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्य सरकारी विभाग	62	—	95	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट 32 आपदा प्रबन्धन केन्द कलेक्ट्रेट बून्दी में उपलब्ध राहत सामग्री

क्र. स.	सामग्री का नाम	संख्या
1	लाइफ जैकेट	25
2	जीवन रक्षक ट्यूब	20
3	बेल्चा	15
4	फावड़े	15
5	स्ट्रेचर	10
6	रस्सा	250 मीटर
7	रस्सा	250 मीटर
8	गमबूट	15 जोड़ी
9	ड्रेगन लाइट जिला कार्यालय पर	4
10	ड्रेगन लाइट सभी एस.डी.ओ./तहसीलदारों के पास	20
11	इमरजेंसी लाइट	10
12	सभी तहसीलदारों के पास	रस्से
13	स्काउट एवं गाइड आपदा राहत केन्द्र रा.उ.मा.वि. बून्दी,पेच की बावडी,जैतपुर,इन्द्रगढ़,के.पाटन, तालेडा (प्रत्येक पर 12—12 प्रशिक्षित स्काउट)	उक्त सभी उपकरण

परिशिष्ट नं. 33 राजकीय एवं गैर सरकारी वाहनों की सूची

क्र. सं.	विभाग का नाम	वाहन किस्म	वाहन संख्या	वाहन का मॉडल वर्ष
1.	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड, बूंदी	जीप	आरजेजी. 2668	1972
2.	अधि शषी अभियंता जल संसाधन खण्ड, बूंदी	जीप्सी	आर0पी0एफ0. 1980	1988
3.	अधि शषी अभियंता जल संसाधन खण्ड, बूंदी	जीप	आरजेजी. 2195	1970
4.	मण्डल वन अधिकारी, बूंदी	जीप	आरजेजी.5241	1985
5.	मण्डल वन अधिकारी,बूंदी	जिप्सी	आरजे 14 यूए 6253	2005
7	मण्डल वन अधिकारी,बूंदी	जीप	आरजे.14 यूए 3286	2006
8	अधि शषी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग,बूंदी	जीप	आरजेजी. 4662	1985
9	अधि शषी अभियन्ता, जन स्वा.अभि. विभाग,बूंदी	जीप	आरजेजी. 1073	1980
10	अधि शषी अभियन्ता, जन स्वा.अभि. विभाग,बूंदी	ट्रक	आर.जे.आर. 5995	1988
11	अधि शषी अभियंता राज. जयपुर वि.वि. निगम लिमिटेड, बूंदी	जीप	आर.जे. 08/ सी 248	1995
12	सहायक अभियंता ए–2 राज. जयपुर वि.वि. निगम लिमिटेड, बूंदी	ट्रक	आरजे 14–सी/9829	1998
13	सहायक अभियंता .राज जयपुर वि.वि. निगम लिमिटेड, तालेडा	ट्रक	आरजे. 08 जी 0092	1993
14	सहायक अभियंता राज. जयपुर वि.वि. निगम लिमिटेड, के0पाटन	ट्रक	आरजे 08–जी. 0118	1995
15	सहायक अभियंता राज. जयपुर वि.वि. निगम लिमिटेड, बून्दी	एल.सी.वी.	आरजे 08–जी. 0075	1992
16	सहायक अभियंता राज. जयपुर वि.वि. निगम लिमिटेड, हिण्डोली	एल.सी.वी.	आर.जे. 20 /जी 1532	1994
17	सहायक अभियंता राज. जयपुर वि.वि. निगम लिमिटेड, नैनवॉ	एल.सी.वी.	आर.जे. 08/जी 0064	1992
18	सहायक अभियंता राज. जयपुर वि.वि. निगम लिमिटेड, लाखेरी	एल.सी.वी.	आर.जे. 20/जी 1510	1994
19.	जिला साक्षरता समिति, बूंदी	जीप	आरजेजी. 3183	1983
20	बूंदी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, बूंदी	जीप जीप मार्शल	आरजे. 08 सी 116 आर जे 08 सी 0620	1992 1999
21.	अधि शषी अभियन्ता बाई नहर, सीएडी. बूंदी	जीप	आरजेजी 08 सी 413	
22.	जिला पशुपालन अधिकारी, बूंदी	मेटाडोर	आरजे. 01 सी 3320	1993
23.	राजस्थान राज्य पथ. परि. निगम, बूंदी	जीप	आरजेजी. 04 सी 8312	1993
24.	राजस्थान राज्य पथ. परि. निगम, बूंदी	बस कुल 81		

25.	सहायक निदेशक कृषि विस्तार, बूंदी	जीप	आरएनवाई. 8956	1985
26.	जिला परि. अधिकारी, बूंदी	जीप	आरजे. 14 सी 6839	1996
27.	खनिज अभियन्ता प्रथम, बूंदी	जीप	आरएनवाई. 1450	1996
28.	जिला आबकारी अधिकारी, बूंदी	जिप्सी बोलेरो	आरजे. 27 सी 2197 आर.जे. 08 टी 0024	1996 2005
29.	जिला उद्योग केन्द्र, बूंदी	जीप	आरजेओ. 2840	1980
31.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बूंदी	जीप	आरएसएन 2488	1979
32	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	जीप)	आरजे. 08— 595	1999
33	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	जीप	आरजे. 08 —370	1997
34	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	जीप)	आरजे 08 — 1020	2003
35	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	जीप)	आरजे 08— 1036	2003
36	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	जीप	आरजे. 08 —9066	
37	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	जीप	आरजे. 08—0266	1996
38	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	जीप	आरजे. 08—797	
39	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	एम्बुलेन्स	आरजे. 08—ई 0 628	2000
40	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	वेक्सीन वाहन	आरजे. 08—0720	2004
41	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	मिनीबस	आर.जे. 14 —1 पी 1708	2002
42	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	एक्बूलेन्स	आर.जे. 08 —ई 554	1995
43	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, बूंदी	जीप	आर.जे. 08— 4710	1985
44	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	जीप्सी	आर.पी.एक्स —997	1989
45	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	मिनीबस	आर.जे. 08—डी 0068	1994
46	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	एम्बुलेन्स	आर.जे. 08 — पीए 0019	2005
47.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	एम्बुलेन्स टीम	आरजे 08 —0079	2005
48.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	एम्बुलेन्स	एमएलपी — 24	1995
49.	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बून्दी	एम्बुलेन्स	एम.एफ. 09	2005
50.	सहायक अभि. ड्रिलिंग एण्ड हैण्डपम्प, उपखण्ड बूंदी	जीप	आरपीएक्स 8981	1990
51.	सहायक अभि. ड्रिलिंग एण्ड हैण्डपम्प, बूंदी	रिंग केरियर	आरपीएम 7977	1990
52.	सहायक अभि. ड्रिलिंग एण्ड हैण्डपम्प, बूंदी	जीप	आरआरबी. 3292	1980
53.	उपनिदेशक, आई.सी.डी.एस.बून्दी	कार	आर.जे. 20 टी 721	2002
54.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, तालेडा	जीप	आरजे. 08— 0268	1996
55.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, के0पाटन	जीप	आरजे 08— 0031	1994
56.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिण्डोली	जीप	आरजे 08 सी 0337	1996
57.	वाणिज्य कर अधिकारी, बूंदी	जीप	आरपीएम. 6181	—
58.	अधि`शषी अधिकारी, नगरपालिका, नैनवां	ट्रेक्टर	आरजे 08 जी 604	1992
59.	सहायक निदेशक,पशुपालन विभाग,बून्दी	मेटाडोर	आरजे 14 जी 3320	1996
60.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग,बून्दी	जीप	आर.जे. 14—सी —2639	1990

61.	जनसम्पर्क अधिकारी, बूंदी	जीप	आरएनएल 1454	1985
62.	कृषि विज्ञान केन्द्र, बूंदी	जीप	आरजे. 08/सी 978	2003
63..	विकास अधिकारी. पंचायत समिति, नैनवा.	जीप	आरजे. 14 सी 7874	1994
64.	विकास अधिकारी. पंचायत समिति, हिण्डोलीं	बोलेरो	आरजे. 08 यू0ए0 1735	—
66	खनिज अभि. (द्वितीय), बूंदी	जीप	आरजे. 27 सी 1453	1992
67.	विकास अधिकारी पं.स., के.पाटन	बोलेरो	आरजे. 08 यू0ए0 1735	—
69.	अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,बून्दी	टाटा सफारी	आरजे 08 सी 807 आरजे 08 सी 951	2001 2000
70.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,बून्दी	कार	आरजे 08 सीए 2323	—
71.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,बून्दी	कार	आरजे 08 सी 0202	1994
72.	नगरपालिका, बूंदी	जीप	आरजे 08 सी 0288	1996
73.	नगरपालिका, बूंदी	जेसीबी.	आरजे 08 जी0 203	1997
74.	नगरपालिका, बूंदी	फायर ब्रिगेड	आरजे 08 सी 0050	1990
75.	नगरपालिका, बूंदी	फायर ब्रिगेड	आरजे 08ई — 0621	1996
76.	नगरपालिका, बूंदी	ट्रेक्टर	आरजे 08 आर 0608	1992
77.	नगरपालिका, बूंदी	ट्रेक्टर	आरजे 08 आर 0609	1992
78.	नगरपालिका, बूंदी	ट्रेक्टर	आर.जे. 08 —आर 6018	2002
79.	नगरपालिका, बूंदी	ट्रेक्टर	आर.जे. 08—आर 6217	2003
80	नगरपालिका, बूंदी	अग्निशमन	आर.जे. 08—ई 0672	2003
81.	नगरपालिका, बूंदी	अग्निशमन	आर.जे. 08—ई 0656	2002
82.	नगरपालिका, बूंदी	आटो	आर.जे. 08—जी 0390	2002
83.	नगरपालिका, बूंदी	ट्रेक्टर	आर.जे. जी. —2095	1986
84.	नगरपालिका, बूंदी	मेटाडोर	आर जे जी 5410	1986
85.	नगरपालिका, लाखेरी	जीप	आरजेजी 4221	1984
86.	नगरपालिका, लाखेरी	ट्रेक्टर	आरजे 08 आर 0256	1991
87.	नगरपालिका, लाखेरी	ट्रेक्टर	आरजे 08 आर 3980	1998
88.	नगरपालिका, कापरेन	बोलेरो	आर जे 08 यूए 2403	—
89.	नगरपालिका, कापरेन	टेक्टर	आर.जे. 08आरओ 3674	1998
90	नगरपालिका, कापरेन	टेक्टर	आर जे 08 आरए 1642	1991
91.	नगरपालिका, इन्द्रगढ	टेम्पो		1996
92.	नगरपालिका, इन्द्रगढ	ट्रेक्टर		
93.	नगरपालिका, इन्द्रगढ	ओटो ट्रेकर		1992
94.	नगरपालिका, के0पाटन	ट्रेक्टर(2)		1992
95.	उपखण्ड अधिकारी,बून्दी	बोलेरो	आर.जे. 08—यूए2060	
96.	उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली	बोलेरो	आर.जे. 08—यूए 1325	
97.	उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी	बोलेरो	आर.जे. 08—यूए	
98.	उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ	बोलेरो	आर.जे. 08—यूए	
99.	उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन	बोलेरो	आर जे 08 यूए 1646	—

100	अधीक्षक, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान,बून्दी	ट्रेकटर–3	आर.जे.08/आर 1283 आर जे.08/आर 1336 आर जे. 08–आर–2144	1994 1994 1996
101	विकास अधिकारी प0स0 बून्दी	बोलेरा	आर0जे0 08 यू0ए0 1508	–
102	तहसीलदार बून्दी	बोलेरो	आर.जे. 08–यूए 1327	2011
103	तहसीलदार के0पाटन	बोलेरो	आर.जे. 08–यूए 1324	2011
104	तहसीलदार तालेडा	बोलेरो	आर.जे. 08–यूए 0572	
105	तहसीलदार इन्द्रगढ़	बोलेरो	आर.जे. 08–यूए 1522	2011
106	विकास अधिकारी तालेडा	बोलेरो	आर.जे. 08–यूए 1484	7
107	उपखण्ड अधिकारी तालेडा	बोलेरो	आर.जे. 08–यूए 1645	–

परिशिष्ट नं. 34 पुलिस विभाग के पास उपलब्ध उपकरणों व वाहनों की सूची

क्र. स.	प्रकार	संख्या		क्षमता
1.	लाईट व्हीकल	42	स्विफट 1, टवेरा 3, बोलेरो 10, जीप 23, इन्टरसेपटर 1, बोलेरो केम्पर 1, जिप्सी 1, एम्बूलेन्स 1, वज्र वाहन 1,	304
2.	मीडियम वाहन	5	मिडियम बस 3, मिडियम ट्रक 2,	137
3.	हैवी ट्रक	2	बस 1, ट्रक 1,	90
4.	मोटर साईकिल	73		146

जिला हाजा में उच्च अधिकारीगण एवं थानो पर उपलब्ध वाहन

क्र. स.	प्रकार	संख्या	क्षमता
1.	स्विफट कार	1	4
2.	जिप्सी	1	7
3.	बोलेरो	10	70
4.	टवेरा 3, जीप 23, इन्टरसेपटर 1, बोलेरो केम्पर 1, एम्बूलेन्स 1, वज्र वहान 1,	30	223
5	मोटरसाईकिल	73	146

उपकरणो की सूची

S-N-	Type of equipment	Number	Location	Range
1	Fax	0747-2442111	S.P.offIce Bundi	ALL
2	Fax	0747-2442354	ADDL-S.P.Office Bundi	ALL
3	Fax	0747-2443901	P.C.R. BUNDI	ALL
4	Telephone	0747-2442111, 2447030	S.P. BUNDI	ALL
5	Telephone	0747-2442354, 2446062	ADDL.S.P. BUNDI	ALL
6	Telephone	0747-2447522	DYSP.SCSTCELL	ALL
7	Telephone	0747-2442356	C.O. BUNDI	ALL
8	Telephone	0747-2444441	P.s Kotwali	ALL
9	Telephone	0747-2442258	P.S. Sadar	ALL
10	Telephone	0747-2437880	Dabi	ALL
11	Telephone	0747-2443221	P.S.MAHILA THANA	ALL
12	Telephone	0747-2346000	P.S.NAMANA	ALL
13	Telephone	07438-261596	C.O.LAKHERI	ALL
14	Telephone	07438-261624	P.S.LAKHERI	ALL
15	Telephone	07458-253896	P.S.INDERGURH	ALL
16	Telephone	07438267955	P.S.GENDOLI	ALL
17	Telephone	07438-263700	P.S.DEIKERA	ALL
18	Telephone	07437-257200	C.O.NAINWA	ALL
19	Telephone	07437-257223	P.S.NAINWA	ALL
20	Telephone	07437-2558/27	P.S.DEI	ALL
21	Telephone	07437-259222	p.s.karwar	ALL
22	Telephone	07436-276750	c.o.HINDOLI	ALL
23	Telephone	07436-276232	P.S.DABANA	ALL
24	Telephone	07436-274117	P.S.DABANA	ALL
25	Telephone	07436-234128	P.s.BASOLI	ALL
26	Telephone	07438-264040	C.O.K.PATAN	ALL
27	Telephone	07438-264257	P.S.K.PATAN	ALL
28	Telephone	07438-265433	P.S.KAPREN	ALL
29	Telephone	0747-2438329	P.S.TALERA	ALL
30	Telephone			ALL
31	Telephone	0747-2442344	R.I.POLICE LINE BUNDI	ALL
32	Telephone	0747-2442939	A.H.T.U	ALL
33	Telephone	0747-2456252	D.C.R.BUNDI	ALL
34	Telephone	0747-2442224	D.S.B.BUNDI	ALL
35	Telephone	0747-2456544 2457229	P.T.C. BUNDI	ALL
36	Telephone	0747-2443901 2446938 2444177	P.C.R.BUNDI	ALL

परिशिष्ट नं. 35 पावर स्टेशनों की सूची

s.no	NAME OF SUBSTATON	CAPPACLTY OF P/T	Mobile No.	Under jens	Total
1	AEN(A+I)		0747-2447933		
1	33 KV GSS KAO; TANK	1x5 MVA + 1x3.15 MVA	0747-2444980	JEN-CITV-I	4
2	33 KV GSS BHATA VILAS	1x5 MVA	0747-2442717		
3	33 KV GSS NAINWA ROAD	2x5 MVA + 1x3.15 MVA	0747-2456907	JEN-CITV-II	
4	33 KV GSS CHATTERPURA	2x5 MVA	0747-2141140	JEN-CITV-I	
II	AEN(II)		0747-2457645		
5	33 KV GSS HATTIPURA	1x3.15 MVA	9414070280	JEN-RAM NAGAR	12
6	33 KV GSS RAM NAGER	1x5MVA	9414070247		
7	33 KV GSS GUDA NATHAWAT	3.15 MVAx2	9414070294		
8	33 KV GSS MATUNDA	2x3.15 MVA	9414026724		
9	33 KV GSS RAGHUNATUPURA	1x3.15 MVA	9414070255	JEN RAGHUNATHPURA	
10	33 KV GSS RAITHAL	1x3.15 MVA	9414070286		
11	33 KV GSS KHATKAR	1x3.15 MVA	9414070253		
12	33 KV GSS MANGLI	2x5 MVA	9414070256	JEN-NAMANA	
13	33 KV GSS MANDAWARA	1x3.15 MVA	9414070274		
14	33 KV GSS SILOR	2x3.15 MVA	9414070277		
15	33 KV GSS NAMANA	1x3.15 MVA+1x2.15 MVA	9414070242		
16	33 KV GSS DOLARA	1x3.15 MVA	9414026725		
III	AEN(O&M)TALERA		0747-2438508		8
17	33 KV GSS JAMEEETPURA	2x3.15 MVA+1x5 MVA	9414070464	JEN-TALERA	
18	33 KV GSS ALFA NAGAR	2x3.15 MVA	9414070476		
19	33 KV GSS BALAPURA	1x3.15 MVA	9414070481		
20	33 KV GSS G.P. BAWARI	2x3.15 MVA	9.4144E+10		
21	33 KV GSS G.P. BARUNDN	2x3.15 MVA	9414070510	JEN-SUWASA	
22	33 KV GSS SUWASA	1x3.15 MVA	9414070492		
23	33 KV GSS MEHRANA	1x3.15 MVA	9414070473		
24	33 KV GSS DABI	2x5 MVA 2x1 MVA	9414070473	JEN-DABI	
25	33 KV GSS J.S.DAM		9414070493		
IV	AEN(O&M)HINDOLI	.	07436-276221		16
26	33 KV GSS HINDOLI	3x3.15 MVA	9414070386	JEN-HINDOLI	
27	33 KV GSS PENCH KI BAWARI	1x3.15 MVA	941407390		
28	33 KV GSS UMAR	1x3.15 MVA	9414026743		
29	33 KV GSS VIJAYGARH	1x3.15 MVA	9.4414E+10		
30	33 KV GSS SATHOOR	3x3.15 MVA	9414070393	JEN-SATHOOR	
31	33 KV MODAL FORM	1x3.15 MVA	9414026745		
32	33 KV GSS BARODIYA	1x3.15 MVA	9414026747		
33	33 KV GSS BASOLI	1x3.15 MVA	9414070389		
34	33 KV GSS DABLANA	3x3.15 MVA	9414070387	JEN-DABALANA	
35	33 KV GSS ALOD	1x3.15 MVA	9414070408		
36	33 KV GSS DHANAWA	2x3.15 MVA	9414070401		

37	33 KV GSS DHOWDA	1x3.15 MVA			
38	33 KV GSS GORTHRA	2x3.15 MVA	9414070397	JEN-GOTHARA	
39	33 KV GSS DARA KA NAYA GAON	1x3.15 MVA	9414070410		
40	33 KV SAWANTGRH	1x3.15 MVA	9414026741		
41	33 KV GSS RANIPURA	1x3.15 MVA	9414070405		
V	AEN(O&M)LAKHERI		07438-261635		
42	33 KV GSS LAKHERI	1x3.15 MVA	9414070420	JEN-CITY	
43	33 KV GSS GHAT KA BARANA	1x1.6 MVA	9414070438	JEN-RURAL	
44	33 KV GSS GHAT PAPARI	1x3.15 MVA	9414070445		
45	33 KV GSS GHAT GENDOLI	1x3.15 MVA	9414070453		8
46	33 KV GSS INDERGARH	1x3.15 MVA + 1x5 MVA	9414070416	JEN INDERGARH	
47	33 KV GSS DAULATPURA	1x3.15 MVA	9414026748		
48	33 KV GSS BADAKHERA	1x3.15 MVA			
49	33 KV GSS JAINIWAS	1x3.15 MVA			
VI	AEN(O&M)K.PATAN		07438-264912		
50	33 KV GSS K.PATAN	1x3.15 MVA + 1x5 MVA	9414070456	JEN-CITY	
51	33 KV GSS MADHORAJPURA	2x3.15 MVA	9414070460	JEN-RURAL	
52	33 KV GSS CHITAWA	1x3.15 MVA	9414026749		6
53	33 KV GSS MAYZA	1x3.15 MVA	9414026763		
54	33 KV GSS KAPREN	1x5 MVA	9414070458	JEN-KAPREN	
55	33 KV GSS ARNETHA	1x3.15 MVA			
VII	AEN(O&M)NAINWA		07437-2577222		
56	33 KV GSS NAINWA	1x3.15 MVA + 1x5 MVA	9414070303	JEN-CITY	
57	33 KV GSS MANPURA	1x3.15 MVA	9414026737		
58	33 KV GSS GOUN	1x3.15 MVA	9414026739	JEN-RURAL	
59	33 KV GSS JAJAWAR	1x3.15 MVA	9414070345		
60	33 KV GSS GUDA DEVJI	1x3.15 MVA	9414070379		
61	33 KV GSS DEI	1x3.15 MVA + 1x5 MVA	9414070336	JEN-DEI	
62	33 KV GSS JETPUR	1x3.15 MVA	9414026736		
63	33 KV GSS MANRA	1x3.15 MVA			17
64	33 KV GSS KHAJURI	1x3.15 MVA	9414070368		
65	33 KV GSS BANSI	1x5 MVA	9414070365		
66	33 KV GSS FULETA	1x3.15 MVA			
67	33 KV GSS DEVPURA	1x3.15 MVA			
68	33 KV GSS KARWAR	1x3.15 MVA + 1x5 MVA	9414070337	JEN-KARWAR	
69	33 KV GSS TALWAS	1x3.15 MVA	9414070351		
70	33 KV GSS JARKHODA	1x3.15 MVA	9414070374		
71	33 KV GSS SAMIDHI	1x5 MVA	9414070362		
72	33 KV GSS KHEDI	1x3.15 MVA	9414070375		

कार्यालय अधीक्षण अभियंता बून्दी वृत जेविविनिलि बून्दी

बून्दी वृत के अधीनस्थ अधिकारी के नाम व कार्य क्षैत्र

अधीक्षण अभियंता (बू.वृ) बून्दी

श्री डी.के गुप्ता

समस्त बून्दी जिला

9414022089

अधिशीषी अभियंता (खण्ड–प्रथम) बून्दी
श्री जे.पी. मीणा
बून्दी (शहर) व बून्दी (ग्रामीण) क्षैत्र
तालेडा उपखण्ड
हिण्डोली उपखण्ड
9413390764

अधिशाषी अभियंता(खण्ड–द्वितीय) बून्दी
श्री पी.के अग्रवाल
के.पाटन उपखण्ड
लाखेरी उपखण्ड
नैनवॉ उपखण्ड
9414022952

सहायक अभियंता (बून्दी)
श्री अजय सोनी
बून्दी शहर
94133907883

सहायक अभियंता (बून्दी)
श्री मोहर मीणा
बून्दी ग्रामीण
9413390784

सहायक अभियंता (तालेडा)
श्री डी.डी. मीणा
तालेडा उपखण्ड
9413390785

सहायक अभियंता (हिण्डोली)
श्री रईस अहमद
हिण्डोली उपखण्ड
9413390789

सहायक अभियंता (के0पाटन)
श्री एम. के.छन्दक
के.पाटन उपखण्ड
9413390787

सहायक अभियंता (लाखेरी)
श्री बी.आर मीणा
लाखेरी उपखण्ड
94133390790

सहायक अभियंता (नैनवा)
श्री भुपेन्द्र मालव (कार्यवाहक)
नैनवॉ उपखण्ड
9414029293, 9413390838

परिशिष्ट नं. 36 List of Feeder Incharge & Areal Alloted Feeder wise Village wise List

S. N.	Name of Sub-Division	Name of 33/11 KV Sub-Station	Name of 11 KV Feeder	Name of Feeder Incharge	Mobile No. of Feeder Incharge	Mobile No. of Area JEN
1	2	3	4	5	6	8
1	A-II Bundi	Dolara	Dolara	Mishri lal	9660395815	9413390832
2	A-II Bundi	Dolara	Baldevpura	Lalaram	9257957430	9413390832
3	A-II Bundi	Chatarpura	Dolara rice mill / Nanakpuriya	Paras kumar	9001173459	9413390832
4	A-II Bundi	Ramnagar	Ramnagar/ Guda	Suresh meghwal	9929291440	9413390832
5	A-II Bundi	Ramnagar	Hattipura	Mukesh meena	9928959273	9413390832
6	A-II Bundi	Guda	Gudda	Devkinandan	9602056145	9413390832
7	A-II Bundi	Raghunathpura	Katunara	Mahaveer meena	9928845406	9414029297
8	A-II Bundi	Raghunathpura	Samarba	Mukesh gurjar	9672223094	9414029297
9	A-II Bundi	Raghunathpura	Raithal	vishnu	8696446449	9414029297
10	A-II Bundi	Raithal	Raithal	Mahendra meena	7742861734	9414029297
11	A-II Bundi	Mangli	Bhanwarda	Ramkumar saini	9001901162	9413390833
12	A-II Bundi	Mandawara	Mandawari	Pramod	9001595437	9413390833

13	A-II Bundi	Mandawara	Ollaspura	Naresh malav	9660189923	9413390833
14	A-II Bundi	Silore	Kachipura	Rajiv sharma	9001589923	9413390833
15	A-II Bundi	Silore	Hazara bheru	rahul maheswari	7023281514	9413390833
17	A-II Bundi	Khatkar	Ajeta	Lekhraj	9001231250	9414029297
18	A-II Bundi	Khatkar	Khatyari	Bhnawar lal saini	9784745902	9414029297
19	A-II Bundi	Namana	Namana	Gulam rasul	9214086832	9413390833
20	A-II Bundi	Namana	Silore	Narendra sain	9928127652	9413390833
21	A-II Bundi	Namana	Mandawara	Pawan kumar yadav	9001559490	9413390833
22	A-II Bundi	Namana	Andhed	Kamlesh	9549427307	9413390833
23	A-II Bundi	Namana	Amli	Dev lal suman	9887519279	9413390833
24	A-II Bundi	Matunda	Matunda Urban	Hansraj	9799954492	9414029297
25	A-II Bundi	Matunda	Matunda Rural	Nathu lal	9785002961	9414029297
26	A-II Bundi	Matunda	Balapura	Kanehiya lal	8739964243	9414029297
27	A-II Bundi	Matunda	Gandhigram	Irfan	9799037837	9414029297
28	A-II Bundi	Matunda	Shyopuriya	Mukesh verma	9414086832	9414029297
29	A-II Bundi	Khatkar	PURANI KHATKAR	AMIT SINGH YADAV	9602718762	9414029297
30	A-II Bundi	Khatkar	KHATKAR	HRIMOHAN GOCHAR	9660764439	9414029297
31	A-II Bundi	RAGHUNATHP URA	JAWATI KALAN	LOKESH BAIRAGI	9057633135	9414029297
32	A-II Bundi	MANGLI	SAWALPURA	SURENDRA MEENA	9414086658	9413390833
33	A-II Bundi	MANGLI	RAMGANJ	RADHESHAYAM MEENA	9414086657	9413390833
34	A-II Bundi	MANGLI	UMRACH	MUKESH KUMAR NAGAR	9462770955	9413390833
35	A-II Bundi	SILOR	KARJUNA	RAMLAL SAINI	8239628737	9413390833
36	A-II Bundi	MANDAWARA	BIJNAWAR	DHANRAJ BAIRWA	9571421156	9413390833
37	A-II Bundi	DOLADA	KUWARTI	RANJEET SAINI	9414086358	9413390832
38	A-II Bundi	GUDA	ULEDA	BHARAT BANJARA	8094800399	9413390832
39	A-II Bundi	GUDA	BISHANPURA	BHOLASHANKAR	9568664800	9413390832
40	A-II Bundi	HATTIPURA	KAJRI SILOR	GORISHANKAR	9414086362	9413390832
41	A-II Bundi	RAMNAGAR	MANGAL	JAMAL KHAN	9414086604	9413390832
42	A-II Bundi	RAMNAGAR	KHERUNA	SURESH LODHA	9414086259	9413390832
43	A-II Bundi	GUDA	NEEM KA KHEDA	CHATURBHU SHARMA	9568664800	9413390832
44	Talera	Jamitpura	PEPER MIL	Mahesh Jhakad	8003873075	9413390835
45	Talera	Jamitpura	JALODA	Vishnu Prakash	9413441983	9413390835
46	Talera	Jamitpura	SUWASA CABLE	Suresh Koli	7221008747	9413390835
47	Talera	Alfanagar	SITAPURA	Balmukund	9001764236	9413390835
48	Talera	Alfanagar	ALFANAGER	Ashok Pareta	8890349639	9413390835
49	Talera	Barundhan	ALKODIYA	Vikram Singh	9414086579	9413390835
50	Talera	Suwasa	SUWASA	Dilbag Singh	9413666361	9414029294
51	Talera	Dabi	LAMBAKHOH	Monahar lal	9672754404	94413390834
52	Talera	Dabi	BHAWANIPURA MAAL	Arjun Lal	9982475592	94413390834
53	Talera	Dabi	HOSTAL	Pawan Chandel	9667457018	94413390834
54	Talera	Barundhan	DHANATRI	Premshanker	9001542686	9413390835
55	Talera	33/11 KV JAMITPURA	JAMEETPURA MAAL	LOKESH NAGAR	9785734613	9413390835

56	Talera	33/11 KV JAMITPURA	NOTARA	FOOLCHAND SANI	9799315658	9413390835
57	Talera	33/11 KV JAMITPURA	TALERA	BABULAL	9929432183	9413390835
58	Talera	33/11 KV JAMITPURA	AKTSHA	VIJAY KUMAR	9784673751	9413390835
59	Talera	33/11 KV GOVIND PUR BAORI	JHAKHMUND	BANWARI PRAJAPAT	8239747643	9414029294
60	Talera	33/11 KV ALFANAGAR	GAGOS	SAHID HUSSEN	9468935365	9413390835
61	Talera	33/11 KV BARUNDHAN	BARUNDHAN	NARENDAR SINGH	9414807837	9413390835
62	Talera	33/11 KV SINTA MEHARANA	DEHIT	GOBRI LAL	9602305711	9414029294
63	Talera	33/11 KV DABI	DABI	MUKESH YADAV	7413934015	94413390834
64	Talera	33/11 KV DABI	BUDHPURA	OMPRAKASH	8824188826	94413390834
65	Talera	33/11 KV DABI	SILIKA	PAWAN KUMAR	9667457018	94413390834
66	TALERA	DABI	DANESWAR	SATYENARAYAN	8003512753	9413390834
67	TALERA	DABI	KHADIPUR	ANWAR ALI	9799168894	9413390834
68	DABI	JS DAM	JS DAM COLONY	PUNAMSINGH	8764008681	9413390834
69	TALERA	JAMEETPURA	JAMITPURA	DHANRAJ PRAJAPATI	9950233580	9413390835
70	TALERA	JAMITPURA	JALODI	AKTHAR RAJA	9166172813	9413390835
71	TALERA	JAMITPURA	KHEDLA	LOKESH JANGID	9772976609	9413390835
72	TALERA	BARUNDHAN	BHARTA BAWADI	KULDIP SHARMA	9929638114	9413390835
73	TALERA	ALFANAGAR	LAXMIPURA	DINESH MEENA	9001596849	9413390835
74	TALERA	SUNWASA	BAJAD	NANDKISHOR	9460594996	9414029294
75	TALERA	SUNWASA	LADPUR	BRAJRAJ MEENA	8003062262	9414029294
76	TALERA	MEHRANA	MERANA	HANSRAJ GOCHAR	8441944720	9414029294
77	TALERA	G.P. BAWARI	G.P. BAWARI	SATISH MEENA	9983085159	9414029294
78	HINDOLI	33/11 KV MODAL FARM	Mangli	SOJI LAL	9001066196	9414019471
79	HINDOLI	33/11 KV SATHOOR	data badodiya	naresh kumar	9950460771	9413390843
80	HINDOLI	33/11 KV SATHOOR	Bada naya goun (ashok factor)	mahaveer	7790964168	9413390843
81	HINDOLI	33/11 KV SATHOOR	choda (shola ke jhopdiya)	sanjay kumar	9828063742	9413390843
82	HINDOLI	33/11 KV BADODIYA	trishuliya	naresh kumar	9950460771	9413390843
83	HINDOLI	33/11 KV BADODIYA	badodiya (hathi bad)	suresh kumar	7023411551	9413390843
84	HINDOLI	33/11 KV DABALANA	Hollaspura	pintu	9680255109	9413390842
85	HINDOLI	33/11 KV DHANWA	Aakoda	mukesh kumar	9166468122	9413390842
86	HINDOLI	33/11 KV GOTHARA	Ronija	sonu kumar	9660771811	9414029288
87	HINDOLI	33/11 KV RANIPURA	Chabdiyon ka Naya Goun	rameswer nagar	8003207458	9413390842

88	HINDOLI	33/11 KV DARA KA NAYA GAON	Dabeta	mahaveer meghwal	8696675826	9413390842
89	HINDOLI	33/11 KV SAWATHGARH	Khodi	babu suman	9414925560	9413390842
90	HINDOLI	33/11 KV SAWATHGARH	Sawathgadh	mukut	9680841137	9414029288
91	HINDOLI	33/11 KV SAWATHGARH	Soran	mahipal	9660442033	9413390842
92	HINDOLI	33/11 KV HINDOLI	pech ki bawadi (HARNA)	BHOJRAJ	8003863953	9413390841
93	HINDOLI	33/11 KV HINDOLI	raghunathpura	JITMAL	9784918382	9413390841
94	HINDOLI	33/11 KV HINDOLI	amartiya	ONKAR	9462561824	9413390841
95	HINDOLI	33/11 KV HINDOLI	hindoli	DALU,GHASHI JI	9166337231	9413390841
96	HINDOLI	33/11 KV VIJAYGARH	sahaspuriya	JITMAL	9784918382	9413390841
97	HINDOLI	33/11 KV UMAR	pagaara	shaitan	9636577345	9413390030
98	Hindoli	33/11 KV MODAL FARM	guda	gordhan lal	9829916972	9414019471
99	Hindoli	33/11 KV MODAL FARM	modal	dhrma singh	7597430367	9414019471
100	Hindoli	33/11 KV BASOLI	owan	bajan lal	9799173509	9414019471
101	Hindoli	33/11 KV SATHOOR	bichadi	mahaveer	7790964168	9413390843
102	Hindoli	33/11 KV DABALANA	Dablana Goun	greesh saini	9982816098	9413390842
103	Hindoli	33/11 KV DABALANA	Dablana Beed (ren)	laxmi chand khar	9950555968	9413390842
104	Hindoli	33/11 KV DABALANA	Dhowra (dabalana s/s)	ramcharn	9799911964	9413390842
105	Hindoli	33/11 KV DABALANA	Alod (khatatawda)	raiees	9887256950	9413390842
106	Hindoli	33/11 KV DABALANA	Dhabaiyon ka Naya Goun	indra	9680690896	9413390842
107	Hindoli	33/11 KV DHANWA	Dhanawa	ajeet	9799430341	9413390842
108	Hindoli	33/11 KV DHANWA	Factory	giriraj khar	8739983508	9413390842
109	Hindoli	33/11 KV ALOD	Kala Bhata	PARKASH CHAD VERMA	9587292437	9413390842
110	Hindoli	33/11 KV RANIPURA	Ranipua	parsuram	8503995988	9414029288
111	Hindoli	33/11 KV DARA KA NAYA GAON	Bad Goun	vimal kumar sharma	9950590311	9413390842
112	Hindoli	33/11 KV DARA KA NAYA GAON	Dara Ka Naya Goun	shasi kumar	9649107778	9413390842
113	Hindoli	33/11 KV	chatarganj	soji lal	9001066196	9413390841

		HINDOLI				
114	Hindoli	33/11 KV PECH KI BAWADI	basani	krishn kumar	8003445220	9413390030
115	Hindoli	33/11 KV PECH KI BAWADI	kachhola	manna lal	9460595082	9413390030
116	Hindoli	33/11 KV PECH KI BAWADI	pech ki bawadi	ghanesh	7742989689	9413390030
117	Hindoli	33/11 KV UMAR	umar	nersingh	9950058031	9413390030
118	Hindoli	MODAL FARM	Choda	SURESH	9828701240	9414019471
119	Hindoli	VIJAYGHAR	VIJAYGARD	BABU LAL	8003661517	9410090841
120	Hindoli	VIJAYGHAR	GUDDA GOKULPURA	DHARMRAJ	9484745758	9410090841
121	Hindoli	VIJAYGHAR	THANA	KAILASH	810745349	9410090841
122	Hindoli	UMER	BATWADI	SURESH	9983895505	9413390030
123	Hindoli	DABLANA	GOTHADA	KISHAN	9829787554	9413390842
124	Hindoli	DABLANA	SUHREE	JAFFER	8239846607	9413390842
125	Hindoli	DABLANA	ALOD	PARKASH	9587292437	9413390842
126	Hindoli	DABLANA	THIKARDA	GHANESH	9928498418	9413390842
127	Hindoli	sathoor	sathoor	SATTHYARAN	9166709414	9413390842
128	Hindoli	BADODIYA	talab gavan	DEVRAJ	9001397792	9413390842
129	Hindoli	BADODIYA	borkhandi	NERESH	9950460771	9413390842
130	Hindoli	BASOLI	neygarh	RAJENDRA	9680211933	9414019471
131	Hindoli	BASOLI	khiniya	MAGAN	9672527558	9414019471
132	Hindoli	BASOLI	basoli	MAHAVEER	9660405029	9414019471
133	Hindoli	BASOLI	datunda	SURESH	9602239706	9414019471
134	Hindoli	GOTHRA	gothara city	ROSHAN	7742726067	9414029288
135	Hindoli	GOTHRA	gothara mal	SURESH	8764127532	9414029288
136	Hindoli	GOTHRA	pipliya	BDRILAL SAINI	8504898314	9414029288
137	Hindoli	SAWNTGHAR	Borda	DURGA LAL	9784586687	9414029288
138	Hindoli	SAWNTGHAR	Badodiya	OM PARKASH	9660258465	9414029288
139	K.PATN	MADHORAJPURA	MADHORAJPURA	RAJESH MALAV	9413084488	9413390836
140	K.PATN	K.PATAN	GUDLA	SANTKUMAR	9587635796	9413390836
141	K.PATN	K.PATAN	RADI CHADI	SUNIL KUMAR	9529409177	9413390836
142	K.PATN	KAPREN	ARNETHA	RAJARAM MEENA	9413186295	9413391180
143	K.PATN	KAPREN	HINGONIYA	1- MANOJ MALAV, 2- SOHAN LAL PARJPATI	9785844848 9461958623	9413391180
144	K.PATAN	MADHORAJPURA	SOONAGAR	DHRAMRAJ MALAV	9413374488	9413390836
145	K.PATAN	MAYZA	MAYZA	Shyoji lal Meena	9166888455	9413390836
146	K.PATAN	MAYZA	PADRA	GOVIND SUMAN	9875083556	9413390836
147	K.PATAN	CHITAWA	VIJAYNAGAR	SANT KUMASR	9587635796	9413390836
148	K.PATAN	CHITAWA	RANGPURIYA	UGARSAIN MEENA	9929469959	9413390836
149	K.Patan	CHITAWA	CHITAWA	Abdul Salam	9929084061	9413390836
150	K.Patan	MADHORAJPURA	SAMADPURIYA	Rajesh Bairwa	9928665520	9413390836
151	K.Patan	MAYZA	KARWALA	Rajendra Gochar	7891479779	9413390836

152	K.Patan	KAPREN	ROTEDA	Swraj Gurjar	9571529540	9413391180
153	K.Patan	GAT KA BARANA	AJANDA	Rinku Gochar	9414211939	9413391180
154	Lakheri	Daulatpura	Chanda	Ramsuroop Roa	9799969932	9413390844
155	Lakheri	Indergarh r	Babai	Govind Singh Rajawat	8696291551	9413390844
156	Lakheri	Indergarh r	Kamleshwer	Hemant Kumar Nagar	8239882182	9413390844
157	Lakheri	ghat ka barana	ghat ka barana	naved	9660032767	9413390845
158	Lakheri	kharayta	kharayta	banwari lal	9799374374	9413390845
159	Lakheri	gendoli	jhali g ka barana	amit	9602435693	9413390845
160	Lakheri	gendoli	pholai	omprakash	9929367035	9413390845
161	Lakheri	Doultpura	Sunari	Sh. Ramavtar meena	9887303357	9413390844
162	Lakheri	Indragarh	Balwan	Sh. Raj singh	9521246941	9413390844
163	Lakheri	Daulatpura	Balapura	Sh. Suresh kumar mahawar	7297084847	9413390844
164	Lakheri	Badakheda	Badakhera-II	Sh. Ravi singh	8003255500	9413390846
165	Lakheri	132 KV GSS	Gendoli Rural	Sh. Sitaram gochar	9828942391	9413390845
166	Lakheri	132 KV GSS	Lakheri rural	Sh. Prem shankar saini	7568354577	9413390845
167	Lakheri	Gendoli	Gendoli	Sh. Manoj pareta	7891220292	9413390845
168	Lakheri	Indragarh	Sumerganj Mandi	Sh. Gudki lal saini	8441059293	9413390844
169	Lakheri	Indragarh	Gudda	Sh. Hemant nagar	8239882182	9413390844
170	Lakheri	Doultpura	Navalpura	Sh. Lal chand ameta	9828043132	9413390844
171	Lakheri	Ghat Ka Barana	Dai Kheda	Sh. Kanhiya Lal Meena	9799175302	9413390846
172	Lakheri	Papdi	Papri-Laban	Sh. Vijay kumar meena	9982895601	9413390846
173	Lakheri	Badakheda	Jarla-badakhera	Sh. Uma shankar saini	9261616198	9413390846
174	Lakheri	Badakheda	Baswara	Sh. Ravi singh	9772739109	9413390846
175	Lakheri	Daulatpura	Daulatpura	Sh. Shiv shankar	9660637533	9413390844
176	Nainwan	33/11 KV DEI	Dei	Divan Singh, Manish Agarwal	9829387914	9413390839
177	Nainwan	33/11 KV DEI	Jaitpur-1	Shivshankar Rator	9782183025	9413390839
178	Nainwan	33/11 KV DEI	Leelda	Nijamuddi	9983807824	9413390839
179	Nainwan	33/11 KV DEI	Bhajneri	Aasiq Husain	8890356189	9413390839
180	Nainwan	33/11 KV KHAJURI	Khajuri	Manoj Sharma	9252262014	9413390839
181	Nainwan	33/11 KV BANSI	Sadera	Vinod God	9782480494	9413390839
182	Nainwan	33/11 KV BANSI	Uransi	Narendra Gottam	7737821523	9413390839
183	Nainwan	33/11 KV MANPURA	Laxmipura	Brathraj Varma	9782104179	9413390839
184	Nainwan	33/11 KV MANPURA	Khanpura	Virendra Singh	9667476516	9413390839
185	Nainwan	33/11 KV MANPURA	Dugari-1	Bhanwar Singh	9950636308	9413390839
186	Nainwan	33/11 KV JAJAWAR	Sisola	Yesveer Singh	9772192695	9414026873
187	Nainwan	33/11 KV GUDADEVJI	Kolaheda	Mojiram Gujar	8107453405	9413390839
188	Nainwan	33/11 KV BAMANGAON	Lalganj	Shyam Lal Dhobi	8560953209	9414026873
189	Nainwan	33/11 KV SAMIDHI	Chavandpura	Bhanwar Lal Nagar	9252015160	9413390840

190	Nainwan	33/11 KV KARWAR	Samidi	Dilkush Nagar	9649790529	9413390840
191	Nainwan	33/11 KV JARKHODA	Jarkhoda-2	Manish Nagar	9414172503	9413390840
192	Nainwan	33/11 KV TALWAS	Talwas-2	Kamlesh Varma	9829809001	9413390840
193	Nainwan	33/11 KV KHEDI	Khedi	Buddiprakesh	9414039578	9413390840
194	Nainwan	33/11 KV KHEDI	Shivpura	Dinesh Varma	7737828926	9413390840
195	Nainwan	33/11 KV MARAN	Maran	Vinod Kumhar	9602089728	9413390839
196	Nainwan	33/11 KV JAITPUR	Jaitpur-2	Abdul Kaleem	9680521462	9413390839
197	Nainwan	33/11 KV JAITPUR	Peeplya-2	Surendra Meena	7300490541	9413390839
198	Nainwan	33/11 KV KHAJURI	Sahan	Jodhraj	9694200631	9413390839
199	Nainwan	33/11 KV KHAJURI	Modsa	Ramavtar Meena	8003835752	9413390839
200	Nainwan	33/11 KV BANSI	Bansi	Rajendra Meena	9672388348	9413390839
201	Nainwan	33/11 KV BANSI	Molas	Ajay Saini	7891533809	9413390839
202	Nainwan	33/11 KV BANSI	Dugari Town	Ghansi Lal	9057670856	9413390839
203	Nainwan	33/11 KV JAJAWAR	Takla	Banvari Lal Varma	8890459619	
204	Nainwan	33/11 KV NAINWA	Pandula	Dinesh Nagar	8955070400	
205	Nainwan	33/11 KV NAINWA	Dugari-2	Laxman Singh	9829612904	
206	Nainwan	33/11 KV BAMANGAON	Bhompura	Mahendra Gosami	9828602239	
207	Nainwan	33/11 KV SAMIDHI	Naharganj	Tikaram Meena	9001620093	9413390840
208	Nainwan	33/11 KV SAMIDHI	Bamangovn-2	Hanuman Meena	9829777355	9413390840
209	Nainwan	33/11 KV KARWAR	Karwar	Ramavtar Nagar, Mukesh Varma	8104357829	9413390840
210	Nainwan	33/11 KV KARWAR	Kanakpura	Kunjbihari Saini	9610378818	9413390840
211	Nainwan	33/11 KV JARKHODA	Fatehganj	Hansraj Meena	9983475738	9413390840
212	Nainwan	33/11 KV TALWAS	Antarda	Kalu Lal Gujar	8764438351	9413390840
213	Nainwan	33/11 KV KHEDI	Fatukara	Gajendra Singh	9828343842	9413390840
214	Nainwan	33/11 KV MARAN	Mundli	Swarup Singh	9571075386	9413390839
215	Nainwan	33/11 KV GUDADEVJI	GUDADEOJI AG	Radheshyam	8696344780	9413390839
216	Nainwan	Nainwan	Rampuiya	Sh. Naeem Akthar	7737274728	9413390840
217	Nainwan	Nainwan	Fuleta	Sh. Dinesh Sharma	9828739103	9413390841
218	Nainwan	Samidhi	Jagdishpura	Sh. Bharatraj Nagar	8104461483	9413390842

219	Nainwan	Bamangoun	Arniya	Sh. Shoyji Dhobi	8003266783	9413390843
220	Nainwan	Jajawar	Jajawar	Sh. Ramkuwar Meena	8875787108	9413390844
221	Nainwan	Bamangoun	Bamangaav	Sh. Hanumaan Saini	8890031125	9413390845
222	Nainwan	Karwar	Talwas	Sh. Jagdeesh Gurjar	9680935442	9413390839
223	Nainwan	Karwar	Jarkhoda	Sh. Satyanarayan Gurjar	8764443746	9413390839
224	Nainwan	Jarkhoda	Retoda	Sh. Radheshyam Rathore	9461134743	9413390839
225	Nainwan	Talwas	Neemkheda	Sh. Ikraam Khan	9461948883	9413390839
226	Nainwan	Khedi	Khuri	Sh. Rajulal Chandel	9460514927	9413390839
227	Nainwan	Bansi	Dodi	Sh. Pushpendra singh	8432575766	9413390839
228	Nainwan	Gudadevji	Retoda	Sh. Shfeek Mohammed	8003215920	9413390839
229	Nainwan	Jetpur	Mandpur	Sh. Kaleem	9680521462	9413390839
230	Nainwan	Dei	Ganeshpura	Sh. Babu lal Gocher	8769591377	9413390839
231	Nainwan	Dei	Peeplya	Sh. Peetamber Mena	9785556049	9413390839
232	Nainwan	Dei	Delpura	Sh. Govind Joshi	9887009593	9413390839
233	Nainwan	Manpura	Maanpura	Sh. Harkesh Meena	9982197719	9413390839
234	Nainwan	Manra	Kalanala	Sh. Vijendra Meena	9799161747	9413390839
235	Nainwan	Manra	Sadera	Sh. Devi Lal	9828884090	9413390839
236	Nainwan	Gudadevji	Gudadevji	Sh. Durga lal Verma	9829007263	9413390839

परिशिष्ट नं. 37 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भण्डारण

क्र.सं.	एफ.सी.आई. डिपो का स्थान	गोदाम की भण्डारण क्षमता	जिला मुख्यालय से दूरी
1	बून्दी	15000 मैट्रिक टन	3 कि.मी.
2	के0पाटन	11670 मैट्रिक टन	40 किमी.

परिशिष्ट नं. 38 स्वयं सेवी संस्थाओं की सूची

क.सं.	संस्था का नाम	टेलीफोन नम्बर
1	भारत विकास परिषद, बूंदी	2442114
2	रेडक्रास सोसाईटी, बूंदी	2445559
3	रोटरी क्लब, बूंदी	2456224

4	महावीर इन्टरनेशनल, बूंदी	2442116
5	रोटरेक्ट सोसाइटी, बूंदी	—
6	सेवा भारती समिति, बूंदी	—
7	नागरिक उत्थान परिषद, बूंदी	—
8	मोटर व्यवसाय एसोसिएशन, बूंदी	—
9.	मानव कल्याण संस्कार आश्रम, कार्या0जिला कलेक्ट्रेट बून्दी	
10.	आदर्श सरस्वती महिला कल्याण प्रशिक्षण समिति,कागजी देवरा ब्रह्मपुरी, बून्दी	
11.	सेवा भारती समिति,आदर्श विधा मन्दिर ,बून्दी	
12.	विनायक सेवा संस्थान, मांजी साः का कुण्ड, बून्दी	
13.	अखिल भारतीय मानव सेवा समिति,ब्राह्मणों की हताई, बून्दी	
14.	भारत सेवा समिति, खाईलेण्ड मार्केट,बून्दी	
15.	बून्दी जिला विकास मंच,सदर बाजार, बून्दी	
16.	अनु0जाति एवं जन जाति सेवा समिति,गुरूनानक कालानी हरिजन बस्ती ,बून्दी	
17.	भारतीय सांस्कृतिक एवं मानव विकास केन्द्र 189,रजत गृह कालोनी,बून्दी	
18.	श्री गणपति सेवाश्रम समिति,गणपति गेट,खोजागेट रोड	
19.	जनहितकारी समिति, न्यू कालोनी बून्दी	
20	महिला उत्थान समिति, पंजाबी मोहल्ला,बून्दी	
21	मानव कल्याण समिति, न्यूकालोनी,बून्दी	
22	मानव चेतना विकास समिति,गुरूनानक कोलोनी,बून्दी	
23.	डा0भीमराव अम्बेडकर कल्याण समिति,इन्द्राकालोनी,बून्दी	
24.	बून्दी पर्यावरण संरक्षण एवं वन विकास समिति, सिविल लाईन,बून्दी	
25.	जन जागरण सेवा समिति, भूराजी बैध की गली,बालचंद पाडा,बून्दी	2443044
26.	प्राची संस्थान, डी.23 न्यू कालोनी,बून्दी	2442718

27.	समर्थ मानव संस्थान,बून्दी नई धानमंडी रोड,बून्दी	2444922
28.	रिचमण्डल कला साहित्य एवं प्रशिक्षण सोसाईटी,तिलकचौक	2444124
29.	आस्था शौध एवं विकास संस्था, न्यू कालोनी बून्दी	2447113
30.	सनातन सेवा समिति, बैधनाथ पाडा,बून्दी	2447879
31.	परमार्थ सेवा समिति,के0पाटन	264278
32.	पार्वती देवी धमार्थ कल्याण कारी संस्थान सुमेरगंज मण्डी	253790, 253811
33.	अग्रवाल सेवा समिति, दिगम्बर जैन मंदिर नैनवॉ	257150,257048,
34.	सृष्टि संस्थान,रजत कालोनी,बून्दी	2456458
35.	अलमदीना मुस्लिम वेलफेयर सोसाईटी,बांईपास रोड,बून्दी	
36.	बून्दी जिला महावीर इन्टरनेशनल सोसाईटी,बून्दी,	
37.	जल पशुधन एवं जन सेवा समिति,गुरूनानक कालोनी,बून्दी	
38.	रोटरी कम्प्यूनिटी सर्विस सोसाईटी, विकास नगर,बून्दी	
39.	हाईवे एक्सीडेन्टल वेलफेयर एण्ड ट्रोमा हास्पिटल सोसाईटी,एस0पी0 आफिस,बून्दी	
40.	राज0मेडिकेयर रिलीफ सोसाईटी,के0पाटन,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,बून्दी	
41.	आई.पी.ई.एफ. के0पाटन	
42.	इन्नर व्हील क्लब बून्दी	
43.	भारत विकास परिषद् काप्रेन	265435
44.	मातृ एवं शिशु कल्याण समिति बून्दी	
45.	महिला मण्डल सोसायटी बून्दी	
46.	योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं शोध न्यास समिति बून्दी	
47.	दी डिस्ट्रीक्ट ट्यूरिज्म प्रमोशन काउन्सिल बून्दी	

परिशिष्ट नं. 39 टैंट हाउसों की सूची

क्र.सं.	टेन्ट हाऊस का नाम	फोन नम्बर
	तहसील बूंदी	
1	अग्रवाल टेन्ट हाउस,लंका गेट,बून्दी	2442798
2	श्रीराम टेन्ट हाउस मीरा गेट बून्दी	2444553
3	पापूलर टेन्ट हाउस पुरानी धान मण्डी बून्दी	2444308
4	विशाल टेन्ट हाउस बाहरली बून्दी	2444243
5	हिन्द टेन्ट हाउस मोची बाजार बून्दी	2445660
6	लक्की टेन्ट हाउस मोची बाजार बून्दी	2445196
7	मयूर टेन्ट हाउस मीरा गेट बून्दी	2444945
8	मारूती टेन्ट हाउस मीरा गेट बून्दी	2442598
9	नेशनल टेन्ट हाउस नगर परिषद बून्दी	2442652
10	राजश्री टेन्ट हाउस नैनवा रोड बून्दी	2442652
11	राज टेन्ट हाउस नैनवा रोड बून्दी	2445441
12	जनता टेन्ट हाउस आजाद पाक बून्दी	–
13	अर्जन टेन्ट हाउस बारनमासी बालाजी बून्दी	2446695
	तहसील के0पाटन	
1	जनता टेन्ट हाऊस, के0पाटन मात्रा रोडा	9928326237
2	शाहीन टेन्ट हाउस के0पाटन मात्रा रोडा	07438263286
3	भारत टेन्ट हाउस, तहसील रोउ ,के,पाटन	07438264567
4	महेश टेन्ट हाउस, गुजरों के मन्दिर के पास के0पाटन	9829749168
5	मनोज टेन्ट हाउस	265743,9929420899
6	कृष्णा टेन्ट हाउस	265845,9829979845
7	शर्मा टेन्ट हाउस	265436,9928073436
8	मंगल टेन्ट हाउस	9829778164
9	अन्नपूर्णा टेन्ट हाउस	99280534389
10	श्री नृसिंह टेन्ट हाउस	9352645337
	तहसील इन्द्रगढ	
1	अनिल टेन्ट हाउस इन्द्रगढ	
2	गणेश टेन्ट हाउस इन्द्रगढ	
3	महावीर टेन्ट हाउस, इन्द्रगढ	
4	राजावत टेन्ट हाउस,बाटम लेवल, लाखेरी,	261553
5	अजमेरा टेन्ट हाउस गणेशपुरा लाखेरी	
6	साहनी टेन्ट हाउस लाखेरी	
7	राजेश टेन्ट हाउस, लाखेरी	261603

8	सैनी टेन्ट हाउस, बाटम लेवल , लाखेरी	261314
9	कंचन टेन्ट हाउस, नयापुरा लाखेरी	
10	किसान टेण्ट हाउस लाखेरी	
11	कृष्णा टेण्ट हाउस लाखेरी	261603

परिशिष्ट नं. 40 बून्दी जिले में स्थित रेल्वे फाटको से सम्बधित दुरभाष नं0

No	Gute No	Kilemetre	Station/ Section	Controlling Station Master	Telephone No- of Controlling ASM	Section Engineer P/Way	Telephone No of Section Engineer P/Way
1	110-IE	924/28-30	Kota-GQL	Gurla	07438-212130	SSE/P way (North kota	9001017228
2	112-IE	928/06-08	GQL-KPTN	Gurla	07438-212130	SSE/P way (North kota	9001017228
3	114-IE	930-28-30	KPTN	Keshorai Patan	07438-264256	SSE/P way (North kota	9001017228
4	115-IE	932/10-12	GQL-KPTN	Keshorai Patan	07438-264256	SSE/P way (North kota	9001017228
5	119-IE	939/18-20	KPTN-ARE	Keshorai Patan	07438-264256	SSE/P way (North kota	9001017228
6	122-IE	942/18-20	KPTN-ARE	Arnetha	07438-250152	SSE/P way (North kota	9001017654
7	125-IE	949/25-27	ARE-KPZ	Arnetha	07438-250152	SSE/P way Lakheri	9001017654
8	127-IE	963/6-8	ARE-KPZ	Kapren	07438-266079	SSE/P way Lakheri	9001017654
9	131-IE	960/12-14	KPZ-GKB	Ghatkavarana	07438-268891	SSE/P way Lakheri	9001017654
10	133-IE	963/00-02	KPZ-GKB	Ghatkavarana	07438-268891	SSE/P way Lakheri	9001017654
11	136-(U) IE	967/14-16	LBN-GKB	Laban	07438-268892	SSE/P way Lakheri	9001017654
12	138-IE	994/24-26	IDG-AMLI	Inderagarh Sumerganj Mandi	07458-253807	SSE/P way inderagarh	9001017652
13	139-IE	997/00	IDG-AMLI	Inderagarh Sumerganj Mandi	07458-253807	SSE/P way inderagarh	9001017652
14	140-IE	999/04-06	IDG-AMLI	Amli	07458-253085	SSE/P way inderagarh	9001017652
15	141-IE	1003/11-13	IDG-AMLI	Amli	07458-253085	SSE/P way inderagarh	9001017652
16	142-IE	1014/08-10	RWJ-KTA	Rawanjna Dungar	07462-223061	SSE/P way inderagarh	9001017652
17	145-IE	1019/06-08	RWJ-KTA	Kusthala	07462-212700	SSE/P way inderagarh	9001017652
18	01-IE	01/4-5	GQL-THEA	Gurla	07438-212130	SSE/P way Bundi	9001017694

परिशिष्ट नं. 41 जिले मे जेसीबी मशीनस की सूचना

कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी,बूंदी

LIST OF J.C.B. IN BUNDI DISTRICT

क्र.स.	वाहन संख्या		वाहन स्वामी का नाम व पता	तहसील
1	RJ08EA	0246	श्रीमती लक्ष्मी सैनी पत्नी रमेशचंद सैनी, सैनी मोहल्ला लाखेरी	इन्द्रगढ
2	RJ08EA	0299	श्री गणेशराम पुत्र श्री बिरधीलाल वार्ड नं.12 लाखेरी	इन्द्रगढ
3	RJ08EA	0312	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री कजोडमल वार्ड नं.5 इन्द्रगढ	इन्द्रगढ
4	RJ08EA	0315	श्री रघुवीर पारेता पुत्र श्री केसरी लाल ग्राम नयापुरा लाखेरी	इन्द्रगढ
5	RJ08EA	0430	श्री गिरजा शंकर पुत्र श्री भीमराज श्रृंगी नया बाजार लाखेरी	इन्द्रगढ
6	RJ08EA	0435	श्री शंभूलाल पुत्र श्री रामेश्वर, पटवा गली लाखेरी	इन्द्रगढ
7	RJ08EA	0440	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रघुनाथ सैनी ग्राम बजरंगपरा लाखेरी	इन्द्रगढ
8	RJ08EA	0486	श्री द्वारका लाल सैनी पुत्र श्री चौथमल ग्राम गणेशपुरा लाखेरी	इन्द्रगढ
9	RJ08EA	0489	श्री जगदीश पुत्र श्री जगन्नाथ ग्राम गुढा	इन्द्रगढ
10	RJ08EA	0617	श्रीमती ज्ञानेश पत्नी श्री गिरिजा शंकर सैनी ग्राम वार्ड न.20लाखेरी	इन्द्रगढ
11	RJ08EA	0657	श्री नारायण पुत्र श्री सुवालाल नि.बंजाराबस्ती सुमेरगंज मंडी इन्द्रगढ	इन्द्रगढ
12	RJ08EA	0683	श्रीमती शबाना हाशमी पुत्र श्री अब्दुल सलाम,गुजराती मोहल्ला वार्ड 12	इन्द्रगढ
13	RJ08EA	0730	श्री विक्रम मीणा पुत्र श्री शिवकुमार मीणा ग्राम सुमेरगंज मंडी	इन्द्रगढ
14	RJ08EA	0736	श्री परमानन्द सैनी पुत्र श्री मांगीलाल नि.वार्ड नं.4गणेशपुरा लाखेरी	इन्द्रगढ
15	RJ08EA	0748	श्री श्योपाल मीणा पुत्र श्री गोपीलाल ग्राम शेरगंज तह.इन्द्रगढ	इन्द्रगढ
16	RJ08EA	0786	श्री ओम प्रकाश वर्मा पुत्र श्री मांगीलाल वर्मा, रैलवे स्टेशन लाखेरी	इन्द्रगढ
17	RJ08EA	0236	श्री जयकुमार पुत्र श्री रामनिवास ग्राम बरून्धन	बूंदी
18	RJ08EA	0238	श्री शंकरलाल पुत्र श्री मांगीलाल, श्योपुर बावडी बूंदी	बूंदी
19	RJ08EA	0240	श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल ग्राम बैरवा जी का झोपडा अजेता	बूंदी
20	RJ08EA	0254	श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री शंभूलालाल, 162 इन्द्रा कॉलोनी माटून्दा रोड बूंदी	बूंदी
21	RJ08EA	0262	श्री धर्मराज पुत्र श्री गंगाराम ग्राम दुल्हेपुरा जिला बूंदी	बूंदी
22	RJ08EA	0265	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री छीतरलाल सैनी, मारूति कॉलोनी देवपुरा	बूंदी
23	RJ08EA	0269	श्री हरिशंकर सैनी पुत्र श्री सुखदेव सैनी ग्राम सीलोर	बूंदी
24	RJ08EA	0271	श्री नानूलाल पुत्र श्री बजरंगलाल, म.नं.21 रोड 3 गणेश विहार देवपुरा	बूंदी
25	RJ08EA	0277	श्रीमती राधाबाई पत्नि श्री नवल किशोर जांगिड, नीम का खेडा	बूंदी
26	RJ08EA	0283	श्री गोपाल पुत्र श्री भागा, 42 बावडी खेडा आमली	बूंदी
27	RJ08EA	0288	टीम यूनिवर्सल इनफ्रास्टचर प्रा.लि. दयालपुरा हाउस रजत कॉलोनी	बूंदी
28	RJ08EA	0294	जांगीड एन्टर प्राईजेज नीम का खेडा	बूंदी
29	RJ08EA	0300	श्री सोजीलाल पुत्र श्री जगन्नाथ मीणा, ग्राम श्यामगांव	बूंदी
30	RJ08EA	0314	नगर परिषद बूंदी	बूंदी
31	RJ08EA	0329	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री बिरधीलाल, हताई का मोहल्ला देलून्दा	बूंदी
32	RJ08EA	0331	श्री धनराज मीणा पुत्र श्री कल्याण ग्राम रजवास	बूंदी
33	RJ08EA	0332	श्री रामलाल पुत्र श्री रामकिशन, रामगज बालाजी	बूंदी
34	RJ08EA	0333	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मुशीलाल,341 तलाई मोहल्ला खटकड	बूंदी
35	RJ08EA	0370	श्रीमती मंजू शर्मा पत्नि श्री रामबाबू , पुरोहित पाडा ब्रम्हपुरी बूंदी	बूंदी
36	RJ08EA	0413	श्री बिशनभील पुत्र श्री नाना भील, ग्राम गणेशपुरा	बूंदी
37	RJ08EA	0418	श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल, बाई पास रोड बूंदी	बूंदी
38	RJ08EA	0419	श्री सतीश कुमार टहलवानी पुत्र श्री परमानन्द, वार्ड नं.7 सिन्धी कॉलोनी	बूंदी

39	RJ08EA	0420	मेसर्स सांवरिया स्टोन क्रेशर	बूंदी
40	RJ08EA	0426	श्री प्रेमकुमार पुत्र श्री रामलाल संरोजा, 4–ए–5 जवाहर नगर,मोटून्दा रोड	बूंदी
41	RJ08EA	0428	श्री रणजीत पुत्र श्री हीरालाल, ग्राम बलदेवपुरा	बूंदी
42	RJ08EA	0437	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री दूलीलाल जैन, नागदी बाजार तेलिया के मंदिर के पास	बूंदी
43	RJ08EA	0316	श्री सुमित मंत्री पुत्र श्री द्वारका मंत्री, चैनराय जी का कटला बूंदी	बूंदी
44	RJ08EA	0341	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लेखराज, नीम का खेडा जिला बूंदी	बूंदी
45	RJ08EA	0376	मेसर्स यूनिवर्सल इन्फाटेक प्रा.लि. दयालपुरा हाउस रजत कॉलोनी बूंदी	बूंदी
46	RJ08EA	0461	श्रीमती बानोबाई पत्नी श्री बुन्दुदीन कुरेशी, 2 ए 23 विकास नगर,बूंदी	बूंदी
47	RJ08EA	0467	श्री राधेश्याम मेवाडा पुत्र श्री नन्दलाल, आरकोपुरम मधुबन कॉलोनी बूंदी	बूंदी
48	RJ08EA	0468	श्री नवल किशोर पुत्र श्री लेखराज, नारायण डेयरी,आरामशीन के पीछे	बूंदी
49	RJ08EA	0472	श्री पुष्पचंद पुत्र श्री पोखरसिंह ग्राम पलंका, पोस्ट गरडदा	बूंदी
50	RJ08EA	0488	मेसर्स इलोरेन्स सेण्ड स्टोन प्रा.लि. हट्टीपुरा	बूंदी
51	RJ08EA	0497	श्री राजकुमार पुत्र श्री वेरामल बूलचंदानी प्लाट नं.3 मालवीय नगर	बूंदी
52	RJ08EA	0508	श्री रणजीत पुत्र श्री हीरालाल, ग्राम बलदेवपुरा	बूंदी
53	RJ08EA	0520	श्रीमती धापूबाई पत्नि श्री हेमराज नागर, 50 जवाहर नगर वार्ड नं.29	बूंदी
54	RJ08EA	0532	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री कजोड चौधरी ग्राम हट्टीपुरा	बूंदी
55	RJ08EA	0583	श्री बंशीधर शर्मा पुत्र श्री सुन्दर लाल ग्राम गामछ	बूंदी
56	RJ08EA	0596	श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री हिरालाल ग्राम बाजड बरून्धन	बूंदी
57	RJ08EA	0615	श्री रामेश्वर मीणा पुत्र श्री गबुरलाल मीणा ग्राम लालपुरा	बूंदी
58	RJ08EA	0658	श्री कमलेश मीणा पुत्र श्री बदरीलाल ग्राम गकरिया रेठोदा	बूंदी
59	RJ08EA	0662	श्री हरिश गुर्जर पुत्र श्री दुर्गालाल ग्राम सीलोर	बूंदी
60	RJ08EA	0670	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मुंशीलाल नि.तलाई मोहल्ला खटकड	बूंदी
61	RJ08EA	0674	श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल ग्राम रामपुरा का झोपडा	बूंदी
62	RJ08EA	0689	श्री नवरतन गुर्जर पुत्र श्री रंगलाल नि. भीलो का मोहल्ला गुढा	बूंदी
63	RJ08EA	0691	श्री दुर्गालाल पुत्र श्री हीरालाल 25, बडी अरतोली	बूंदी
64	RJ08EA	0696	श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री हीरालाल प्रजापती, 217 बरून्धन	बूंदी
65	RJ08EA	0710	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह ग्राम छांट का खेडा	बूंदी
66	RJ08EA	0731	श्री सत्यनारायण चौधरी पुत्र श्री कजोड ग्राम हट्टीपुरा	बूंदी
67	RJ08EA	0745	श्री कजोड गुर्जर पुत्र श्री उदा लाल ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया	बूंदी
68	RJ08EA	0746	श्री महादेवा पुत्र श्री सीताराम नि.प्रेमपुरा आगली जिला बूंदी	बूंदी
69	RJ08EA	0750	श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री मथुरालाल, मानसरोवर कॉलोनी	बूंदी
70	RJ08EA	0763	श्री लेखराज मीणा पुत्र श्री रामचंद्र मीणा ग्राम रामपुरिया घोलो का	बूंदी
71	RJ08EA	0788	मेसर्स शिवराज कॉन्ट्रेक्टर सी–21 गेट नं.2 नवजीवन संघ कॉलोनी बूंदी	बूंदी
72	RJ08EA	0822	श्रीमती राजेश बाई पत्नि श्री रामेश्वर मीणा ग्राम लालपुरा	बूंदी
73	RJ08EA	0826	श्री भंवर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह ग्राम घाट का खेडा	बूंदी
74	RJ08EA	0401	श्री छोटूलाल पुत्र श्री हीरालाल ग्राम पीपल्दा	के.पाटन
75	RJ08EA	0290	श्री सोमदत्त पुत्र श्री दूलीचंद मं.नं.16 पशुचिकित्सालय के पास के.पाटन	के.पाटन
76	RJ08EA	0491	श्रीमती मांगीबाई पत्नी सुरता वार्ड नं.19 के.पाटन	के.पाटन
77	RJ08EA	0505	श्री श्यामबिहारी पुत्र श्री आनंदीलाल, 106 खटकड रोड लेसरदा	के.पाटन
78	RJ08EA	0528	श्री शंभुसिंह पुत्र श्री राजसिंह, 145 पास्ट ऑफिस की गली बोरदा	के.पाटन
79	RJ08EA	0549	श्री रामलाल पुत्र श्री लालचंद मेघवाल, सीन्ता पो.तीरथ	के.पाटन

80	RJ08EA	0787	श्री ऋषभ कुमार जैन पुत्र श्री नन्द किशोर ग्राम झाली जी का बराना	के.पाटन
81	RJ08EA	0802	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री नाथुलाल, दान्या भाग बालोद	के.पाटन
82	RJ08EA	0809	श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री मूल चंद जैन ग्राम झाली जी का बराना	के.पाटन
83	RJ08EA	0817	श्री भीमसिंह पुत्र श्री शंकर सिंह, चार भुजा मंदिर के पास झुवांसा	के.पाटन
84	RJ08EA	0832	श्री बनवारीलाल पुत्र श्री केसरी लाल ग्राम गेण्डोली	के.पाटन
85	RJ08EA	0853	श्री सुरेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री रामदयाल मीणा ग्राम हस्तीनापुर	के.पाटन
86	RJ08EA	0249	श्री घनश्याम पुत्र श्री धूलचंद, दरा का नया गांव	हिण्डोली
87	RJ08EA	0251	श्री रामलाल पुत्र श्री देवीलाल, गुर्जरो का मोहल्ला सुखपरा	हिण्डोली
88	RJ08EA	0252	श्री ग्यारसीलाल गुर्जर पुत्र श्री उरजालाल, चेता	हिण्डोली
89	RJ08EA	0259	श्री गणेशलाल पुत्र श्री उदालाल मीणा ग्राम चेता	हिण्डोली
90	RJ08EA	0275	श्री भंवरलाल पुत्र श्री हीरालाल, अहरों का मोहल्ला	हिण्डोली
91	RJ08EA	0301	श्री रामप्रसाद पुत्र श्री बजरंगलाल ग्राम नया फीतापुरा	हिण्डोली
92	RJ08EA	0412	श्री पृथ्वीराज कुमावत पुत्र श्री रामदेव ग्राम ढाकणी	हिण्डोली
93	RJ08EA	0422	श्री रामबाबू पु श्री रामकरण कुमावत ग्राम अशोक नगर	हिण्डोली
94	RJ08EA	0451	श्री खलील अली पुत्र श्री अब्बास अली ग्राम तालाब गांव	हिण्डोली
95	RJ08EA	0453	श्री रामलाल पुत्र श्री तेजमल कुमावत ग्राम बडा नया गांव	हिण्डोली
96	RJ08EA	0285	श्री हरविन्द्र सिंह पुत्र श्री धूलीचंद, दरा का नया गांव	हिण्डोली
97	RJ08EA	0462	श्री रामदेव मीणा पुत्र श्री पाचूराम ग्राम बासनी	हिण्डोली
98	RJ08EA	0469	श्री हरली बाई पत्नि श्री गणेश ग्राम उमर	हिण्डोली
99	RJ08EA	0473	श्री कजोड पुत्र श्री माधो माली ग्राम सथुर	हिण्डोली
100	RJ08EA	0476	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री रामराज सिंह ग्राम सनरवाडी पो.डाबेटा	हिण्डोली
101	RJ08EA	0487	श्री बन्नालाल पुत्र श्री रामदेव ग्राम ढाकणी	हिण्डोली
102	RJ08EA	0492	श्री रामलाल पुत्र श्री देवीलाल, निवासी सुखपुरा	हिण्डोली
103	RJ08EA	0533	श्री भागोताराम पुत्र श्री सीताराम मीणा, ग्राम फतेहगढ	हिण्डोली
104	RJ08EA	0598	श्री लादूलाल पुत्र श्री लालराम मीणा ग्राम अलोद तह.हिण्डोली	हिण्डोली
105	RJ08EA	0600	श्री सीताराम पुत्र श्री लुहन्दा माली ग्राम बडौदिया तह.हिण्डेली	हिण्डोली
106	RJ08EA	0612	श्री महावीर गुर्जर पुत्र श्री खाना लाल ग्राम रानीपुरा हिण्डोली	हिण्डोली
107	RJ08EA	0619	श्री मोहनलाल सैनी पुत्र श्री कजोड लाल ग्राम सथुर तह.हिण्डोली	हिण्डोली
108	RJ08EA	0620	श्री चरणसिंह पुत्र श्री धुली चंद नि.दरा का नया गांव हिण्डोली	हिण्डोली
109	RJ08EA	0627	श्री रमेश चंद सैनी पुत्र श्री रामधन सैनी ग्राम सथुर तह.हिण्डोली	हिण्डोली
110	RJ08EA	0656	श्री रामलाल पुत्र श्री देवीलाल गुर्जर ग्राम सुखपुरा तह.हिण्डोली जिला बूंदी	हिण्डोली
111	RJ08EA	0675	श्री नवल किशोर पुत्र श्री लेखराज जांगीड, खाती मोहल्ला हिण्डोली	हिण्डोली
112	RJ08EA	0677	श्री भंवरलाल पुत्र श्री मोहनलाल ग्राम सथुर तह.हिण्डोली	हिण्डोली
113	RJ08EA	0682	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बजरंग लाल नि.डाबेटा तह.हिण्डोली	हिण्डोली
114	RJ08EA	0692	श्री हीरालाल कुमावत पुत्र श्री जयराम कुमावत ग्राम धोवडा तह.हिण्डोली	हिण्डोली
115	RJ08EA	0722	श्री रामदेव मीणा पुत्र श्री भंवरलाल मीणा नि. खातीखेडा हिण्डोली	हिण्डोली
116	RJ08EA	0729	श्री ओंकारसिंह पुत्र श्री बाल मुकन्द ग्राम दरा का नया गांव	हिण्डोली
117	RJ08EA	0755	श्री मोहनलाल सैन पुत्र श्री कजोड सैनी ग्राम सथुर	हिण्डोली
118	RJ08EA	0782	श्री रामकिशन पुत्र श्री भंवरलाल मीणा,खटारों का बाडा धोवडा	हिण्डोली
119	RJ08EA	0796	श्री बदरी लाल पुत्र श्री भंवरलाल, गुर्जर मोहल्ला रानीपुरा	हिण्डोली
120	RJ08EA	0805	श्री महावीर गुर्जर पुत्र श्री कजोड गुर्जर ग्राम काछोला हिण्डेली	हिण्डोली

121	RJ08EA	0813	श्री देवकरण गुर्जर पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
122	RJ08EA	0814	[illegible]	[illegible]
123	RJ08EA	0846	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
124	RJ08EA	0854	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
125	RJ08EA	0243	श्री छोटूलाल व सुरेश पुत्र श्री [illegible] व छोटेलाल ग्राम [illegible]	[illegible]
126	RJ08EA	0284	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
127	RJ08EA	0304	श्री साबिर मोहम्मद पुत्र श्री नूर मोहम्मद नसूरी ग्राम [illegible]	[illegible]
128	RJ08EA	0310	श्री बाबूलाल पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
129	RJ08EA	0330	श्री [illegible] गुर्जर पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
130	RJ08EA	0363	श्री [illegible] गुर्जर पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
131	RJ08EA	0406	श्री कैलाश चंद पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
132	RJ08EA	0407	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] गुर्जर [illegible]	[illegible]
133	RJ08EA	0409	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] जिला बूंदी	[illegible]
134	RJ08EA	0410	श्री हीरालाल पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
135	RJ08EA	0412	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
136	RJ08EA	0415	[illegible] न्यू [illegible] कालीपुर [illegible]	[illegible]
137	RJ08EA	0416	[illegible] न्यू [illegible] कोसीपुर [illegible]	[illegible]
138	RJ08EA	0417	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
139	RJ08EA	0423	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] गुर्जर ग्राम [illegible]	[illegible]
140	RJ08EA	0425	श्री [illegible] मोहम्मद पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
141	RJ08EA	0429	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] गुर्जर ग्राम [illegible]	[illegible]
142	RJ08EA	0431	श्री [illegible] मोहम्मद पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
143	RJ08EA	0433	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
144	RJ08EA	0439	श्रीमती [illegible] बेगम [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
145	RJ08EA	0441	श्री [illegible] पुत्र [illegible]	[illegible]
146	RJ08EA	0442	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
147	RJ08EA	0443	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
148	RJ08EA	0449	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] गुर्जर [illegible]	[illegible]
149	RJ08EA	0456	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
150	RJ08EA	0356	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
151	RJ08EA	0371	श्री शाकिर मोहम्मद पुत्र श्री नूर मोहम्मद नसूरी [illegible]	[illegible]
152	RJ08EA	0457	श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] गुर्जर [illegible]	[illegible]
153	RJ08EA	0458	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
154	RJ08EA	0464	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
155	RJ08EA	0465	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
156	RJ08EA	0466	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
157	RJ08EA	0470	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
158	RJ08EA	0471	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
159	RJ08EA	0474	श्री किशोर प्रजापति पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
160	RJ08EA	0475	श्री न्यू [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
161	RJ08EA	0477	श्री राम [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]

162	RJ08EA	0478	श्री नरेश गुर्जर पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
163	RJ08EA	0479	श्री [illegible] गुर्जर पुत्र श्री मोहनलाल ग्राम [illegible]	[illegible]
164	RJ08EA	0480	श्रीमती सीताबाई पत्नी श्री जीतमलाल ग्राम [illegible]	[illegible]
165	RJ08EA	0481	श्री श्यामलाल पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
166	RJ08EA	0482	श्री रामसिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह ग्राम [illegible]	[illegible]
167	RJ08EA	0484	श्री मोहनलाल पुत्र श्री [illegible] गुर्जर ग्राम [illegible]	[illegible]
168	RJ08EA	0485	श्री जगन्नाथ पुत्र श्री कन्हैयालाल ग्राम [illegible]	[illegible]
169	RJ08EA	0490	श्री मुकेश पुत्र श्री जगदीश गुर्जर ग्राम राजपुरा	[illegible]
170	RJ08EA	0493	श्री [illegible] पुत्र श्री गुरुदेव [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
171	RJ08EA	0494	श्री [illegible] गुर्जर पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
172	RJ08EA	0496	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
173	RJ08EA	0498	श्रीमती सीमाबाई पत्नी श्री [illegible] गुर्जर ग्राम [illegible]	[illegible]
174	RJ08EA	0499	श्री दीनदयाल पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
175	RJ08EA	0512	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] गुर्जर ग्राम [illegible]	[illegible]
176	RJ08EA	0544	श्री [illegible] लाल पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
177	RJ08EA	0546	श्री अनिल साहू पत्नी श्री सुशील कुमार ग्राम बुधपुरा	[illegible]
178	RJ08EA	0547	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री [illegible] साहू बुधपुरा	[illegible]
179	RJ08EA	0548	श्रीमती [illegible] देवी पत्नि श्री [illegible] साहू ग्राम [illegible]	[illegible]
180	RJ08EA	0550	श्री [illegible] लाल पुत्र श्री [illegible] गुर्जर ग्राम [illegible]	[illegible]
181	RJ08EA	0618	श्री [illegible] गुर्जर पुत्र श्री [illegible] गुर्जर ग्राम [illegible]	[illegible]
182	RJ08EA	0686	श्री [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह ग्राम [illegible]	[illegible]
183	RJ08EA	0725	श्री [illegible] चौधरी पुत्र श्री बिहारीलाल, [illegible]	[illegible]
184	RJ08EA	0739	श्री [illegible] गुर्जर पुत्र श्री देवा गुर्जर ग्राम [illegible]	[illegible]
185	RJ08EA	0747	श्री धनराज गुर्जर पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
186	RJ08EA	0753	[illegible]	[illegible]
187	RJ08EA	0785	श्री [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह ग्राम राजपुत [illegible]	[illegible]
188	RJ08EA	0795	श्री [illegible] सैनी पुत्र श्री जीवन लाल सैनी ग्राम [illegible]	[illegible]
189	RJ08EA	0800	श्री प्रेम शंकर सैनी पुत्र श्री कल्याण जी ग्राम [illegible]	[illegible]
190	RJ08EA	0825	श्री धनराज गुर्जर पुत्र श्री देवीलाल ग्राम [illegible]	[illegible]
191	RJ08EA	0828	श्री [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह ग्राम [illegible]	[illegible]
192	RJ08EA	0841	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
193	RJ08EA	0855	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
194	RJ08EA	0248	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
195	RJ08EA	0255	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
196	RJ08EA	0270	श्री [illegible] प्रसाद पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
197	RJ08EA	0302	श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
198	RJ08EA	0343	श्री [illegible] गुर्जर पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
199	RJ08EA	0421	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
200	RJ08EA	0424	श्री [illegible] कुमार पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
201	RJ08EA	0427	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
202	RJ08EA	0432	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]

203	RJ08EA	0430	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
204	RJ08EA	0438	श्री राम नारायण पुत्र श्री [illegible] मीणा ग्राम [illegible]	[illegible]
205	RJ08EA	0298	श्री [illegible] कुमार पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
206	RJ08EA	0459	[illegible]	[illegible]
207	RJ08EA	0461	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] मीणा ग्राम [illegible]	[illegible]
208	RJ08EA	0560	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
209	RJ08EA	0585	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
210	RJ08EA	0592	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] ग्राम [illegible]	[illegible]
211	RJ08EA	0650	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
212	RJ08EA	0678	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
213	RJ08EA	0684	श्री [illegible] कुमार पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
214	RJ08EA	0702	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
215	RJ08EA	0724	श्री [illegible] मीणा पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
216	RJ08EA	0727	श्री [illegible] मीणा पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
217	RJ08EA	0740	श्री किशनलाल पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
218	RJ08EA	0744	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
219	RJ08EA	0764	श्री [illegible] कुमार [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
220	RJ08EA	0776	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
221	RJ08EA	0789	श्री [illegible] कुमार पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
222	RJ08EA	0801	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
223	RJ08EA	0806	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
224	RJ08EA	0808	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
225	RJ08EA	0811	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
226	RJ08EA	0842	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]
227	RJ08EA	0851	श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]	[illegible]

परिशिष्ट नं. 42 राहत सामग्री की सूची

- प्लेट (थाली) –2,
- कटोरी –2,
- गिलास (स्टील) –2,
- बड़ा पतीला–1,
- तूर की दाल –2 कि.ग्रा,
- गेंहू का आटा –5 किलोग्राम
- मोमबत्ती–1 पैकेट,
- माचिस–2 पैकेट,
- आलू –2 कि.ग्रा.,
- प्याज़ –1 कि.ग्रा.,
- नमक –1 कि.ग्रा.,
- मिर्च पाउडर 250 ग्राम,
- हल्दी पाउडर 250 ग्रा,
- धनियां–जीरा 205 ग्राम,
- तेल 1 कि.ग्रा. (प्लास्टिक बोतल),
- धोती–1,